ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH

उड़ान

प्रिलिम्स वाला (स्टैटिक)

प्रिलिम्स 2025

भारतीय अर्थव्यवस्था

क्विक एवं कॉम्प्रिहेन्सिव रिवीजन सीरीज

ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

UPSC FOUNDATION COURSES

Live/Recorded G.S. Classes
CSAT Classes
Daily MCQs + Mains Question
Regular Doubt Sessions

SANKALP 2026	PRAHAR 2025	TITAN 2026 / 2025
Hinglish / हिन्दी	Hinglish / हिन्दी	English

Starts From
₹ 9,499/-

COUPON CODE
PWOIAS500
FOR EXTRA DISCOUNT

UPSC OPTIONAL COURSE 2025

Hinglish / हिन्दी

Anthropology
PSIR
History
Sociology
Geography
Public Administration
Mathematics
हिन्दी साहित्य

At Just
₹ 8,999/-

COUPON CODE
PWOIAS500
FOR EXTRA DISCOUNT

9920613613 | pw.live

ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

उड़ान

प्रिलिम्स वाला (स्टैटिक)

प्रिलिम्स-2025

अर्थव्यवस्था

Search On TG: @apna_pdf

These ebooks are free of cost, Join our telegram channel: @apna_pdf

क्विक एवं कॉम्प्रिहेन्सिव रिवीजन सीरीज

भूमिका

प्रिय अभ्यर्थियों,

यह सर्वज्ञात है कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में प्रिलिम्स परीक्षा एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। यद्यपि अंतिम चयन में प्रिलिम्स के अंक नहीं जुड़ते परंतु प्रिलिम्स का दरवाजा पार किए बगैर आप मुख्य परीक्षा तक पहुँच भी नहीं सकते। ऐसा कहा जा सकता है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में अर्ह होने के लिए स्नातक की शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ प्रिलिम्स परीक्षा का पास करना भी आवश्यक है।

कहने के लिए तो यह परीक्षा आपकी आधारभूत समझ की परख करती है परंतु यह आधारभूत समझ बहुस्तरीय होती है। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप, उसकी गहनता तथा नियत समय सीमा में उसे हल करने की बाध्यता इसे और जटिल बनाती है। इस परीक्षा का कोई एक पैटर्न तय नहीं किया जा सकता है। अमूमन हर वर्ष आयोग अपने नवाचारी प्रयोगों से इसके स्वरूप को अद्यतित करता रहता है। फिर भी पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों का आकलन करने से विषय संबंधी एक सामान्य निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है। यह पुस्तक उन्हीं सामान्य निष्कर्षों का निचोड़ है।

पिछले 10-15 वर्षों के प्रिलिम्स परीक्षा के प्रश्नों का आकलन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सिविल सेवा के पाठ्यक्रम के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से प्रश्नों के पूछे जाने की बारंबारता अधिक है जबकि कुछ टॉपिक्स से बहुत कम या नहीं के बराबर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा आयोग कई बार सीधे पाठ्यक्रम के टॉपिक से प्रश्न न पूछकर उसके पीछे की गहरी अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछता है। ऐसे टॉपिक्स, जो अक्सर न्यूज में रहे हैं उनसे जुड़े स्टैटिक हिस्सों को आधार बनाकर भी प्रश्न पूछता है। ऐसे में आवश्यक होता है कि प्रिलिम्स से पहले हर विषय से संबंधित ऐसे टॉपिक्स की बुनियादी समझ तैयार की जा सके जिनसे प्रिलिम्स के प्रश्नों को हल करना आसान हो सके। इसके अतिरिक्त प्रिलिम्स परीक्षा से पहले सभी विषयों के महत्त्वपूर्ण टॉपिक्स का एक साथ रिवीजन भी आसान नहीं होता। 2 घंटे की परीक्षा में सामान्य अध्ययन तथा करेंट अफेयर्स से संबंधित सभी टॉपिक्स को एक साथ स्मृति में रखना जटिल तो है ही।

इन सभी जटिलताओं को देखते हुए हमने 'उड़ान-प्रिलिम्स वाला स्टैटिक' के नाम से एक सीरीज तैयार की है। इस सीरीज में प्रिलिम्स से संबंधित स्टैटिक विषयों पर अलग-अलग बुकलेट्स प्रकाशित की जा रही है। यह सीरीज प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम तथा पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के गहन विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। यह पूरी सीरीज योग्य तथा अनुभवी विशेषज्ञों की टीम द्वारा किए गए गहन शोध का निचोड़ है। इससे जुड़े सभी सदस्यों को कई प्रिलिम्स तथा मुख्य परीक्षा पास करने का अनुभव है तथा उन्होंने इस परीक्षा को निजी तौर पर गहराई से समझा है। यह पुस्तक बहुत बोझिल न हो और इसमें सभी महत्त्वपूर्ण टॉपिक्स का समावेश भी हो सके, यह भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसमें शामिल एक एक टॉपिक का चयन उसकी महत्ता पर गहन चर्चाओं के बाद किया गया है। अब आपको पुस्तक सौंपते हुए हम आशा कर रहे हैं कि यह पुस्तक आपकी तैयारी को आसान करेगी।

उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी प्रिलिम्स परीक्षा की तैयारी में सहयोगी साबित होगी। आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

शुभकामनाएँ

पुस्तक की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- प्रिलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण टॉपिक्स का समावेश
- टॉपिक्स का बिंदुवार प्रस्तुतीकरण
- उपयोगी चित्र, ग्राफ, टेबल तथा माइंड मैप द्वारा विषयों की सरल स्वरूप में प्रस्तुति
- पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित टॉपिक्स का समावेश
- अत्यंत जरूरी की-वर्ड्स को विशेष रूप से दर्शाना

Search On TG: @apna_pdf

These ebooks are free of cost, Join our telegram channel: @apna_pdf

Click Here To Join our Telegram Channel

विषय सूची

1. व्यष्टि अर्थशास्त्र 1

- परिचय ...1
- आर्थिक गतिविधियाँ ...1
- उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत ...1

2. राष्ट्रीय आय लेखांकन 7

- परिचय ...7
- समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत सिद्धांत...7
- भौतिक पूँजी (Physical Capital) ...7

3. मुद्रा और बैंकिंग 15

- मुद्रा की माँग और आपूर्ति...18
- भारत में बैंक ...20
- बैंकिंग प्रणाली द्वारा मुद्रा का सृजन...24
- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA)...26
- विशेष उल्लेख खाते (SMA) ...27
- ऋण खाता वर्गीकरण...27

4. मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति 29

- मौद्रिक नीति...29
- मौद्रिक नीति समिति ...29
- मौद्रिक नीति के उपकरण ...30
- बाजार परिचालन...31
- मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण ...32
- वर्तमान भारत में मौद्रिक नीति...33
- मौद्रिक नीति स्वरूप...33
- मौद्रिक नीति संचरण ...33
- मुद्रास्फ़ीति ...34
- मुद्रास्फीति से निपटने के उपाय...38
- सरकारी बजट...40
- बजट खातों का वर्गीकरण...40

5. सरकारी बजट और राजकोषीय नीति 40

- सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य ...41
- राजस्व प्राप्तियाँ ...41
- पूँजीगत प्राप्तियाँ...41
- सरकारी व्यय...42
- बजट के प्रकार...43
- राजकोषीय नीति ...44
- कराधान प्रणाली (Taxation System)...45
- कर चोरी और कर से बचाव...49
- कर सुधार: समितियाँ और सिफ़ारिशें...50
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) तथा अर्थोपाय अग्रिम (WMA)...51
- भारत में सार्वजनिक ऋण ...52
- भारत का बाह्य एवं सामान्य सरकारी ऋण अवलोकन (वित्त वर्ष 2024)...53

6. भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान 56

- खुली अर्थव्यवस्था...56
- भुगतान संतुलन (BOP) ...56
- भारत में प्रेषण...57
- चालू खाता शेष (CAB)...57
- पूँजी खाता...58
- चालू और पूँजी खातों का सारांश...58
- चालू और पूँजी खाता परिवर्तनीयता ...59
- त्रुटियाँ और लोप ...59
- मुद्रा और बाह्य क्षेत्र ...60
- विदेशी ऋण...60
- मुद्रा संकट ...60
- विदेशी विनिमय दर...60
- NEER और REER ...61
- विदेशी मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय और ब्याज दर विनिमय...61
- विदेशी निवेश के तरीके ...62
- व्यापार समझौता ...62
- विदेश व्यापार के लिए सरकारी योजनाएँ ...63
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ...63
- विश्व बैंक समूह...64

Search On TG: @apna_pdf

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) 64
- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) 66
- IPR, वैश्विक संस्थान और तंत्र तथा भारत का IPR ढाँचा 70
- महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय संगठन 73
- महत्त्वपूर्ण संगठन और भारत में वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाएँ 75

7. वित्तीय बाजार 77

- मुद्रा बाजार (Money market) 77
- मुद्रा बाजार के उपकरण 77
- पूँजी बाजार (Capital Market): 78
- ऋण बाजार उपकरण (Debt Market Instrument) 79
- डेरिवेटिव (Derivatives) 82
- कमोडिटी एक्सचेंज (MCX, NCDEX आदि) 83
- एफबीआईएल और एफआईएमएमडीए 86
- विभिन्न प्रकार की निधियाँ 86
- जमा रसीदें (Depository Receipts) 88
- विदेशी निवेश के प्रकार 88
- FDI उपकरण 89
- भारत में शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग सेलिंग 91
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) 91
- SEBI का अधिदेश 91

8. भारतीय अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र 94

- पृष्ठभूमि 94
- भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का सारांश 95
- भारत में कृषि विकास 95
- भारतीय कृषि के हालिया परिदृश्य 96
- प्रमुख फसलें और फसल प्रतिरूप 96
- बागवानी 98
- भारत में बीज क्षेत्र 99
- सिंचाई 100
- उर्वरक 102
- कृषि वित्त/ऋण 104
- भारत में फसल बीमा 105
- भारतीय कृषि नीति में प्रमुख संस्थाएँ और उनकी रूपरेखा 106
- खाद्यान्न वितरण 106
- कृषि बाजार 107
- न्यूनतम समर्थन मूल्य 107
- मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक : भारत में चावल उत्पादन के विशेष संदर्भ में 110
- भारत में भूमि सुधार 111
- भारत में कृषि संबद्ध क्षेत्र 111

9. उद्योग, विनिर्माण और बुनियादी ढाँचा 113

- FY24 में औद्योगिक विकास और विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन 113
- विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भवन विनियमों की पुनर्कल्पना [आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24] 117
- एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल [आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24] 118
- चाइना प्लस वन रणनीति: भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ [आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24] 118
- राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (NIMZs) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) 122
- बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण 125
- क्षेत्रवार मुख्य बिंदु 126

10. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधार एवं सेवा क्षेत्र 132

- आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि 132
- प्रतिक्रिया: नई आर्थिक नीति (NEP) 132
- वैश्वीकरण 133
- सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन का सिंहावलोकन 135
- सेवा क्षेत्र में व्यापार 135
- सेवा क्षेत्र की गतिविधि के लिए वित्तपोषण स्रोत 135
- क्षेत्रवार अवलोकन 136

11. मानव पूँजी निर्माण, ग्रामीण विकास और रोजगार 142

- मानव पूँजी क्या है 142
- भारत में मानव पूँजी निर्माण 143
- मानव पूँजी: विविध तथ्य 145
- केयर इकोनॉमी की बढ़ती आवश्यकता 147
- केयर इकोनॉमी का आर्थिक योगदान 147
- बेरोजगारी 148
- रोजगार: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 संबंधी परिदृश्य 149
- निष्कर्ष और आगे की राह 152
- गरीबी 153
- प्रमुख समितियाँ और उनके दृष्टिकोण 156
- गरीबी उन्मूलन योजनाएँ (2023-24) 157

Search On TG: @apna_pdf

1 व्यष्टि अर्थशास्त्र

परिचय

व्यष्टि अर्थशास्त्र: परिभाषा

यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है, जो व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे- उपभोक्ता, उत्पादक, घर तथा फर्म के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है तथा यह बताती है कि वे सीमित संसाधनों को आवंटित करने के लिए कैसे निर्णय लेते हैं। यह आपूर्ति और माँग, मूल्य तंत्र एवं विशिष्ट बाजारों के भीतर संसाधनों के आवंटन को व्याख्यायित करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह परीक्षण करता है, कि ये निर्णय संसाधनों के उपयोग और वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं, जिसका उद्देश्य बाजार में इष्टतम दक्षता एवं समानता प्राप्त करना है।

संसाधनों की कमी, विकल्प की समस्या, असीमित आवश्यकताओं का सिद्धांत और अवसर लागत

1. **संसाधनों की कमी:** भूमि, श्रम और पूँजी जैसे संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं तथा सभी मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। यह कमी अर्थशास्त्र का मूलभूत आधार है, क्योंकि यह संसाधनों के आवंटन को प्राथमिकता देने के लिए विकल्प के चयन की आवश्यकता का निर्माण करती है।

2. **चयन की समस्या:** संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तियों और समाज को यह तय करना होता है, कि संसाधनों का सबसे प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए। यह इस प्रकार के प्रश्न उठाता है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, तथा किसके लिए उत्पादन करना है।

   उदाहरण: एक फैक्ट्री को कार या साइकिल बनाने में से किसी एक का चयन करना पड़ सकता है, जो माँग और संभावित राजस्व पर निर्भर करता है।

3. **अनंत इच्छाओं का सिद्धांत:** मानव की आवश्यकताएँ और इच्छाएँ असीमित होती हैं, जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, नई इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। यह चक्र सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ा देता है, जिससे व्यक्तियों और समाज को कुछ आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी पड़ती है।

   उदाहरण: एक व्यक्ति छुट्टी और एक नई कार दोनों की इच्छा कर सकता है, लेकिन सीमित धनराशि के कारण उसे इनमें से किसी एक का चयन करना होगा।

4. **अवसर लागत:** अवसर लागत उस अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य को संदर्भित करती है, जिसे किसी विकल्प के चयन के समय त्याग दिया गया हो। यह उस लाभ को दर्शाती है, जो किसी अन्य विकल्प का चयन करने पर प्राप्त हो सकता था।

   उदाहरण: यदि एक फैक्ट्री कार बनाने का चयन करती है, तो साइकिल बेचने से प्राप्त होने वाला राजस्व उसकी अवसर लागत होगी।

आर्थिक गतिविधियाँ

संसाधनों की कमी और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक गतिविधियाँ विभिन्न तरीकों से संगठित की जाती हैं, जो निम्नलिखित तत्त्वों को शामिल करती हैं:

1. **बाजार अर्थव्यवस्था:** इसमें कीमतें और उत्पादन, माँग एवं आपूर्ति जैसे कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। निजी क्षेत्र मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है।

   उदाहरण: बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में ब्रेड की कीमत उपभोक्ता की माँग और उत्पादक की आपूर्ति पर निर्भर करती है।

2. **निर्देशित अर्थव्यवस्था:** इसमें सरकार अधिकांश आर्थिक निर्णय लेती है, जैसे कौन-सी वस्तुएँ उत्पादन करनी हैं, कैसे उत्पादन करना है तथा उन्हें किसे प्रदान करना है। यह प्रणाली असमानताओं को कम करने का प्रयास करती है, लेकिन इसमें कुशलता की कमी हो सकती है।

   उदाहरण: सरकार आवश्यक वस्तुओं जैसे- भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों का आवंटन कर सकती है।

3. **मिश्रित अर्थव्यवस्था:** अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाएँ मिश्रित होती हैं, जो बाजार और नियोजित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं का मिश्रण हैं। निजी क्षेत्र और सरकार दोनों सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों के साथ दक्षता को संतुलित करने के लिए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत:

उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत यह उल्लेख करता है, कि उपभोक्ता बजट प्रतिबंधों के भीतर उपयोगिता को अधिकतम कैसे करते हैं। यह प्राथमिकताओं, उपलब्ध संसाधनों और बाजार की स्थितियों के आधार पर विकल्पों का विश्लेषण करता है।

उपयोगिता:

- उपयोगिता उस संतोष को दर्शाती है, जो वस्तुओं या सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होता है।
  - **कुल उपयोगिता (TU):** सभी उपभोग की हुई इकाइयों से प्राप्त कुल संतोष।
  - **सीमांत उपयोगिता (MU):** एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त संतोष।

सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम:

- जब किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता ह्रास होती जाती है। **उदाहरण:** पहली पिज्जा स्लाइस बहुत संतोषजनक होती है, लेकिन बाद की स्लाइसें कम उपयोगी/संतोषजनक लगती हैं।

Search On TG: @apna_pdf

उपयोगिता विश्लेषण:

1. **गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण**
   - इसके अनुसार उपयोगिता एक मापने योग्य मूल्य है।
   - **उपयोगिता अधिकतमीकरण:** उपभोक्ता कुल उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए अपनी आय को इस प्रकार आवंटित करते हैं, कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता प्रति रुपए (MU/P) समान हो।
2. **क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण:**
   - यह मानता है कि उपभोक्ता अपनी प्राथमिकताओं को बिना उचित मूल्य के श्रेणीबद्ध करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनधिमान वक्र विश्लेषण होता है।

अनधिमान वक्र और चित्र:

- **अनधिमान वक्र:** दो वस्तुओं के उन संयोजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समान प्रतिफल प्रदान करती हैं।
- **अनधिमान चित्र:** अनधिमान वक्रों के एक समूह को दिखाता है, प्रत्येक विभिन्न उपयोगिता स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च वक्र अधिक उपयोगिता को दर्शाते हैं।

अनधिमान वक्र को देखिए। यदि आप हॉट डॉग और हैमबर्गर दोनों पसंद करते हैं, तो आप 14 हॉट डॉग तथा 20 हैमबर्गर, 10 हॉट डॉग एवं 26 हैमबर्गर, या 9 हॉट डॉग व 41 हैमबर्गर के संयोजन को खरीदने के प्रति उदासीन हो सकते हैं। इनमें से प्रत्येक संयोजन समान उपयोगिता प्रदान करता है।

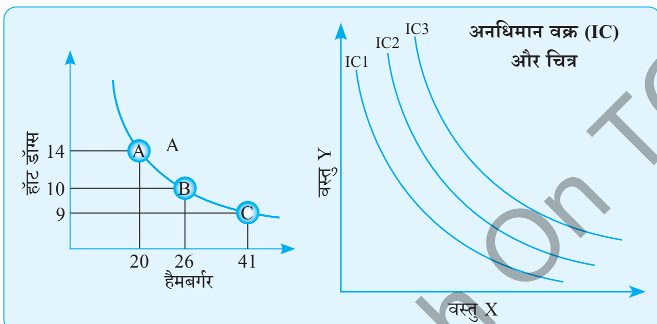

- **उच्च अनधिमान वक्र:** वक्र के दाईं ओर एक अनधिमान वक्र उपभोक्ता के लिए अधिक वस्तुएँ उपलब्ध होने का संकेत देता है, जिसका अर्थ है अधिक उपयोगिता। यह एकसमान प्राथमिकताओं के सिद्धांत पर आधारित है।

सीमांत प्रतिस्थापन दर (MRS)

- MRS वह दर दर्शाता है, जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी के लिए परिवर्तित करने को तैयार होता है, जबकि उपयोगिता का स्तर समान रहता है।
- **उदाहरण:** केले और सेब - यदि कोई उपभोक्ता 3 सेबों के लिए 6 केले छोड़ने को तैयार है, तो MRS $-6/3 = -2$ होगा।

बजट सेट और बजट रेखा

- **बजट सेट:** वे सभी संभावित संयोजन, जो एक उपभोक्ता अपनी आय और कीमतों को देखते हुए खरीद सकता है।
- **बजट रेखा:** वह रेखा जो दो वस्तुओं के उन संयोजनों को दर्शाती है, जिन्हें एक निश्चित आय से खरीदा जा सकता है। यहाँ p_1 और p_2 क्रमशः आम और केले की प्रति इकाई की कीमत को दर्शाते हैं।

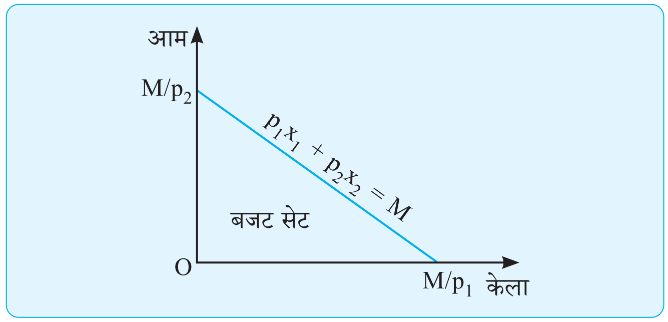

- **बजट समुच्चय:** केले की मात्रा क्षैतिज अक्ष तथा आम की मात्रा उर्ध्वाधर अक्ष पर मापी जा रही है। इस आरेख में कोई भी बिन्दु दोनों वस्तुओं के एक बंडल को प्रदर्शित करता है। इस बजट सेट में दर्शायी गई सीधी रेखा के ऊपर या नीचे स्थित सभी बिन्दु आ जाते हैं। इसका समीकरण है: $p_1x_1 + p_2x_2 = M$.

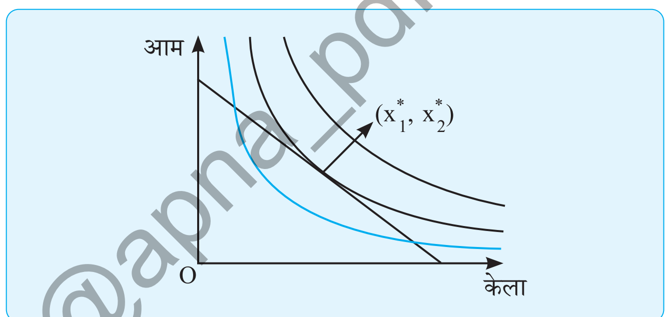

- **उपभोक्ता का इष्टतम बिन्दु:** बिन्दु (x_1^*, x_2^*), जहाँ पर बजट रेखा किसी अनधिमान वक्र पर स्पर्श रेखीय है, उपभोक्ता का इष्टतम बंडल दर्शाती है।
- **उपभोक्ता का इष्टतम चयन:** उपभोक्ता के उपभोग का इष्टतम बिंदु वह होता है, जहाँ बजट रेखा उच्चतम अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है।
- यह इसलिए होता है, क्योंकि उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है और बजट में भी रहना चाहता है। इसलिए वह बिंदु जहाँ बजट रेखा अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है, उपभोक्ता का इष्टतम चयन है।
- **माँग का नियम:** माँग का नियम कहता है, कि अन्य चीजें समान होने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता की माँग घटती है और कीमत घटने पर माँग बढ़ती है। **उदाहरण:** यदि स्मार्टफोन की कीमत घटती है, तो उपभोक्ता अधिक स्मार्टफोन खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसके विपरीत यदि कीमत बढ़ती है, तो स्मार्टफोन की माँग आमतौर पर घट जाती है। कीमत और माँग की मात्रा के बीच यह विपरीत संबंध अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का एक मौलिक सिद्धांत है। हालाँकि, यह नियम केवल सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है।

माँग वक्र:

- किसी भी कीमत में परिवर्तन के लिए माँगी गई मात्रा में विपरीत परिवर्तन होता है।
- सामान्यतः माँग वक्र बाएँ से दाएँ नीचे ढलान की ओर बढ़ता है, लेकिन कुछ असामान्य माँग वक्र होते हैं, जो सामान्य नियम का पालन नहीं करते। उनके लिए कीमत में गिरावट से माँग का संकुचन होता है और कीमत में वृद्धि से माँग का

Search On TG: @apna_pdf

विस्तार होता है। इसलिए, ऐसे मामलों में माँग वक्र बाएँ से दाएँ ऊपर की ढलान की ओर होता है।

- सट्टा प्रभाव कुछ भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाओं के कारण माँग वक्र को बदल देता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो उपभोक्ता इसे और अधिक खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें अपेक्षा है कि यह अभी और बढ़ेगी। **उदाहरण**: शेयर बाजार।

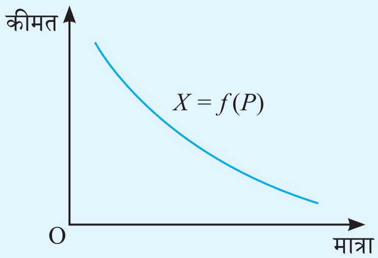

- **माँग वक्र:** किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को माँग वक्र कहा जाता है। स्वतंत्र परिवर्त (कीमत) की माप उर्ध्वस्तर अक्ष पर की जाती है तथा परतंत्र परिवर्त की माँग समस्तर अक्ष पर की जाती है। माँग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा माँग की गई वस्तु की मात्रा को दर्शाता है।
- **अनधिमान वक्रों तथा बजट बाध्यताओं से माँग वक्र की व्युत्पत्ति:** माँग वक्र को कीमतों में परिवर्तन के साथ इष्टतम उपभोग में होने वाले परिवर्तनों का निरीक्षण करके प्राप्त किया जा सकता है, जो अनधिमान वक्र और बजट बाध्यताओं पर आधारित होता है।

वस्तुओं के प्रकार

- **सस्ती या निम्नस्तरीय वस्तुएँ (Inferior Goods):**
  - यह एक आर्थिक शब्द है, जो उस वस्तु का वर्णन करता है जिसकी माँग लोगों की आय बढ़ने पर घट जाती है। जैसे-जैसे आय और अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, उपभोक्ता महँगे विकल्प खरीदने लगते हैं तथा ये वस्तुएँ अप्रचलित हो जाती हैं।
  - **उदाहरण:** आय में वृद्धि के साथ सस्ते अनाज और खाद्यान्न पदार्थों जैसे-चावल (निम्नस्तरीय वस्तुएँ) को बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों जैसे-अंडे, दूध आदि से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।
- **गिफेन वस्तुएँ (Giffen Goods):**
  - गिफेन वस्तु एक कम आय वाली गैर-विलासिता उत्पाद है, जो मानक आर्थिक और उपभोक्ता माँग के सिद्धांतों को अस्वीकार करती है। गिफेन वस्तुओं की माँग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है और कीमत घटने पर घटती है। इसका परिणाम ऊपर की ओर झुका हुआ माँग वक्र होता है, जो माँग के मूलभूत नियमों के विपरीत है, जो नीचे की ओर झुका हुआ माँग वक्र बनाते हैं।
  - सामान्यत: यह माना जाता है कि गिफेन वस्तुएँ एक प्रकार की निम्नस्तरीय वस्तुएँ होती हैं, जिनका कोई विकल्प नहीं होता। उदाहरण: जब चावल की कीमत बढ़ती है, लोग चावल का उपभोग बनाए रखते हैं और अन्य सब्जियों को छोड़ देते हैं।
  - ब्रेड, चावल और गेहूँ गिफेन वस्तुएँ हो सकती हैं। ये वस्तुएँ आमतौर पर ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं, जिनके लिए समान मूल्य स्तर पर विकल्प कम होते हैं।
- **स्थानापन्न वस्तुएँ (Substitute Goods):**
  - ये प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुओं के समूह होते हैं, जो उपभोक्ताओं के अनुसार एक-दूसरे को बदल सकते हैं।
  - **उदाहरण:** यदि चाय महँगी हो जाती है, तो उपभोक्ता कॉफी पी सकते हैं।
- **पूरक वस्तुएँ (Complementary Goods):**
  - ये उन वस्तुओं के जोड़े होते हैं, जो एक-दूसरे पर निर्भर या संगत होती हैं।
  - **उदाहरण:** ब्रेड और जैम, चाय और चीनी आदि।

वेब्लेन प्रभाव (Veblen Effect)

यह उन विलासिता वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च को दर्शाता है, जिनका उपयोग वित्तीय शक्ति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वेब्लेन वस्तुओं की माँग उनके मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ती है, जैसे- रोलेक्स घड़ी या रोल्स रॉयस कार की माँग उनके उच्च मूल्य और उससे जुड़ी प्रतिष्ठा के कारण होती है।

- **माँग वक्र में परिवर्तन (Shifts in Demand Curve):** आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतें और प्राथमिकताएँ माँग वक्र को प्रभावित करती हैं। वृद्धि वक्र को दाईं ओर तथा कमी इसे बाईं ओर ले जाती है।
- **बाजार माँग (Market Demand):** किसी वस्तु की सभी उपभोक्ताओं की कुल माँग, जो व्यक्तिगत माँग वक्रों को क्षैतिज रूप से जोड़कर प्राप्त की जाती है।

माँग की लोच (Elasticity of Demand):

माँग की लोच किसी वस्तु या सेवा की माँग की मात्रा में उसके मूल्य में परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को मापने का एक माध्यम है। यह हमें ये समझने में सहायता करता है, कि उपभोक्ता मूल्य परिवर्तनों के प्रति कितने संवेदनशील हैं।

माँग की लोच के प्रकार:

- **संपूर्ण लोचदार माँग (Perfectly Elastic Demand):** मूल्य में बहुत छोटे परिवर्तन पर माँग की मात्रा में अधिक परिवर्तन।
- **संपूर्ण अलोचदार माँग (Perfectly Inelastic Demand):** मूल्य परिवर्तनों के बावजूद माँग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं।
- **अपेक्षाकृत लोचदार माँग (Relatively Elastic Demand):** मूल्य में छोटे परिवर्तन पर माँग की मात्रा में बड़ा परिवर्तन।
- **एकात्मक लोचदार माँग (Unitary Elastic Demand):** माँग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, जो मूल्य परिवर्तन के बराबर होता है।
- **अपेक्षाकृत अलोचदार माँग (Relatively Inelastic Demand):** मूल्य में बड़े परिवर्तन पर माँग की मात्रा में छोटा परिवर्तन।

Search On TG: @apna_pdf

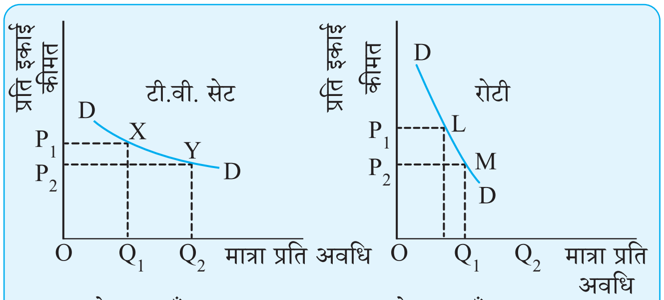

(a) लोचदार माँग; (b) अलोचदार माँग

आपूर्ति का नियम (Law of Supply):

- आपूर्ति के नियम के अनुसार, अन्य सभी चीजें समान होने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ने पर उसकी आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है तथा कीमत कम होने पर आपूर्ति की मात्रा कम होती है।

उदाहरण: यदि कॉफी बीन्स का बाजार मूल्य बढ़ता है, तो किसान अधिक कॉफी बीन्स उगाने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे आपूर्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि कीमतें गिरती हैं, तो किसान कम मुनाफे के कारण कॉफी उत्पादन को कम कर सकते हैं। यह सिद्धांत अर्थशास्त्र में **मूल्य और आपूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध** को दर्शाता है।

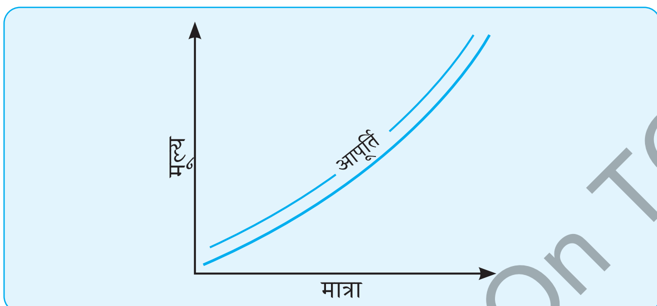

आपूर्ति की लोच (Elasticity of Supply):

- आपूर्ति की लोच किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति की मात्रा में उसके मूल्य में परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को मापती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है, कि मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति उत्पादक अपने उत्पादन स्तरों को कैसे समायोजित करेंगे।

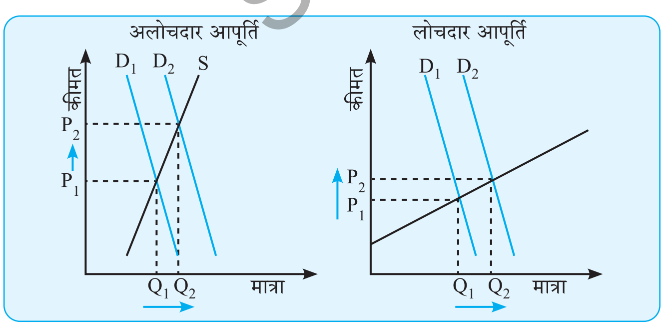

  - **अपेक्षाकृत लोचदार आपूर्ति (Relatively Elastic Supply):** मूल्य परिवर्तन के कारण आपूर्ति की मात्रा में आनुपातिक से अधिक परिवर्तन।
  - **एकात्मक लोचदार आपूर्ति (Unitary Elastic Supply):** आपूर्ति की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन मूल्य परिवर्तन के बराबर होता है।
  - **अपेक्षाकृत अलोचदार आपूर्ति (Relatively Inelastic Supply):** मूल्य परिवर्तन के कारण आपूर्ति की मात्रा में आनुपातिक से कम परिवर्तन।

आय और प्रति लोच (Income and Cross Elasticity):

- **आय लोच (Income Elasticity):** यह मापता है कि आय में परिवर्तन के प्रति माँग या आपूर्ति की मात्रा कैसे प्रतिक्रिया करती है।
- **प्रति लोच (Cross Elasticity):** यह मापता है कि एक वस्तु की माँग या आपूर्ति की मात्रा दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करती है।

उत्पादन, लागत और वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपात (ICOR)

- **उत्पादन क्रिया (Production Function):**
  - **परिभाषा:** यह आगत कारकों (श्रम और पूँजी) और अधिकतम उत्पादन के बीच संबंध को दर्शाता है।
  - **सूत्र:** $Q = f(L,K)$, जहाँ Q उत्पादन है, L श्रम है और K पूँजी है।
  - समय अवधि आगत में लचीलापन, लागत और उत्पादन को प्रभावित करती है।
- **अल्पकालिक और दीर्घकालिक उत्पादन अवधि (Short Run and Long Run Production Periods):**
  - **अल्पकाल:** कम-से-कम एक आगत (आमतौर पर पूँजी) स्थिर रहता है, जबकि श्रम को समायोजित किया जा सकता है।
  - **दीर्घकाल:** सभी आगत, जिसमें पूँजी भी शामिल है, परिवर्तनीय होती है, जिससे उत्पादन को स्वतंत्र रूप से बढ़ाने या घटाने की अनुमति मिलती है।
- **कुल, औसत और सीमांत उत्पाद (Total, Average and Marginal Product):**
  - **कुल उत्पाद (TP):** दिए गए आगत सेट के साथ उत्पन्न कुल उत्पादन।
  - **औसत उत्पाद (AP):** प्रति इकाई आगत का उत्पादन, जैसे - श्रम।
  - **सीमांत उत्पाद (MP):** अतिरिक्त आगत इकाई से उत्पन्न अतिरिक्त उत्पादन।
- **घटते सीमांत उत्पाद का नियम और परिवर्तनशील अनुपात का नियम (Law of Diminishing Marginal Product and Law of Variable Proportions):**
  - **घटते सीमांत उत्पाद का नियम:** स्थिर आगत में अधिक परिवर्तनीय आगत जोड़ने से अंततः सीमांत उत्पाद कम हो जाता है।
  - **परिवर्तनशील अनुपात का नियम:** अल्पकाल में एकल आगत को बदलने से तीन चरण उत्पन्न होते हैं: बढ़ता, घटता और नकारात्मक प्रतिफल।
- **प्रतिफल अनुपात (Returns to Scale):**
  - **परिभाषा:** दीर्घकाल में आगत में आनुपातिक वृद्धि और उत्पादन में परिवर्तन के बीच संबंध।

Search On TG: @apna_pdf

- प्रकार:
    - **बढ़ता प्रतिफल (IRS):** आगत से अधिक उत्पादन बढ़ता है।
    - **समान प्रतिफल (CRS):** आगत के अनुपात में उत्पादन बढ़ता है।
    - **घटता प्रतिफल (DRS):** आगत से कम उत्पादन बढ़ता है।

उत्पादन लागत

अल्पकालिक और दीर्घकालिक लागतें:

- **अल्पकालिक लागतें:** इनमें परिवर्तनीय और स्थिर लागत शामिल होती है, जहाँ स्थिर पूँजी के कारण लचीलापन सीमित होता है।
- **दीर्घकालिक लागतें:** सभी लागतें परिवर्तनीय होती हैं, जो उत्पादन बढ़ने पर प्रति-इकाई लागत को घटाने वाले पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की अनुमति देती हैं।

वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपात (Incremental Capital Output Ratio - ICOR):

- **परिभाषा:** ICOR वह अतिरिक्त पूँजी मापता है, जो एक अतिरिक्त उत्पादन इकाई उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है और यह पूँजी दक्षता को दर्शाता है।
- **ICOR** = $\Delta K/\Delta Y$, जहाँ ΔK पूँजी में वृद्धि है और ΔY उत्पादन में वृद्धि है।
- **महत्त्व:** कम ICOR अधिक दक्षता को इंगित करता है, अर्थात विकास के लिए कम पूँजी की आवश्यकता। यह आर्थिक नियोजन के लिए महत्त्वपूर्ण है।
    - **भारत:** श्रम-प्रधान उद्योगों और धीमी पूँजी उत्पादकता के कारण ICOR अपेक्षाकृत अधिक है।
    - **चीन:** कुशल पूँजी आवंटन और उच्च बुनियादी ढाँचा निवेश से कम ICOR।
    - **अमेरिका:** उन्नत प्रौद्योगिकी और उच्च पूँजी निवेश के संतुलन से मध्यम ICOR बनाए रखता है।

आर्थिक क्षेत्रों में सीमांत उत्पाद और ICOR का महत्त्व

- **कृषि:** उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी निवेश में इष्टतम पूँजी निवेश निर्धारित करने में ICOR मदद करता है।
- **निर्माण:** उच्च सीमांत उत्पाद और कम ICOR पूँजी-प्रधान क्षेत्रों में कंपनियों को प्रभावी रूप से विस्तार करने की अनुमति देते हैं।
- **सेवा क्षेत्र:** तकनीकी निवेश से दक्षता में सुधार उत्पादकता को बढ़ाता है और ICOR को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

फर्म का सिद्धांत (Theory of Firm):

फर्म का सिद्धांत यह वर्णन करता है, कि व्यवसाय उत्पादन स्तर और मूल्य निर्धारण के निर्णय कैसे लेते हैं, जिससे अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सके। यह माना जाता है कि फर्में लाभ अधिकतमीकरण के उद्देश्य से संचालित होती हैं और उत्पादन तब तक करती हैं जब तक सीमांत लागत (MC) सीमांत राजस्व (MR) के बराबर न हो जाए। यह सिद्धांत लागत संरचनाओं, उत्पादन क्रियाओं और राजस्व विश्लेषण जैसे कारकों पर विचार करता है। यह बताता है कि व्यक्तिगत फर्म आपूर्ति वक्र कैसे उत्पन्न होते हैं तथा फर्म बाजार मूल्य में परिवर्तनों पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं।

पूर्ण प्रतिस्पर्धा (Perfect Competition):

पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- **अनेक क्रेता और विक्रेता:** कोई भी एक प्रतिभागी बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता।
- **समान उत्पाद:** वस्तुएँ सभी विक्रेताओं के लिए समान होती हैं, जिससे उपभोक्ता फर्मों के बीच भेदभाव नहीं करते।
- **मुक्त प्रवेश और निकास:** फर्म स्वतंत्र रूप से बाजार में प्रवेश कर सकती हैं या इसे छोड़ सकती हैं, जिससे दीर्घकालिक संतुलन बना रहता है।
- **पूर्ण जानकारी:** सभी प्रतिभागी कीमतों और उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में पूरी तरह से सूचित होते हैं। उपर्युक्त स्थिति में फर्में **'मूल्य ग्रहणकर्ता'** होती हैं, अर्थात उन्हें प्रचलित बाजार मूल्य को स्वीकार करना होता है।

अन्य प्रतिस्पर्धात्मक संरचनाएँ

पूर्ण प्रतिस्पर्धा के विपरीत अन्य प्रतिस्पर्धात्मक संरचनाएँ निम्नलिखित हैं:

- **एकाधिकार (Monopoly):** एकमात्र विक्रेता, जिसके पास कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता, बाजार को नियंत्रित करता है और मूल्य व मात्रा को प्रभावित करता है।
- **अल्पाधिकार (Oligopoly):** कुछ बड़ी फर्मों का प्रभुत्व, जिससे मूल्य निर्धारण में परस्पर निर्भरता और संभावित साँठ-गाँठ होती है।
- **एकाधिकार प्रतिस्पर्धा (Monopolistic Competition):** कई फर्में भिन्न उत्पाद बेचती हैं, जिससे उन्हें कुछ सीमा तक मूल्य निर्धारण का अधिकार मिलता है। प्रत्येक संरचना मूल्य निर्धारण, उत्पादन और बाजार दक्षता को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है।
- **बाजार आपूर्ति और आपूर्ति वक्र (Market Supply and Supply Curve):** बाजार आपूर्ति वक्र यह दर्शाता है, कि विभिन्न कीमतों पर सभी फर्में कितनी मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु तैयार हैं। इसे व्यक्तिगत फर्मों के आपूर्ति वक्रों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः बढ़ती सीमांत लागत के कारण आपूर्ति वक्र ऊपर की ओर झुकता है, जो यह दर्शाता है कि उच्च कीमतें फर्मों को अधिक आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
- **बाजार संतुलन (Market Equilibrium):** बाजार संतुलन तब होता है, जब माँग की मात्रा आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है, जिससे एक स्थिर मूल्य प्राप्त होता है जहाँ खरीदारों और विक्रेताओं के उद्देश्य एकसमान होते हैं। इस मूल्य पर, जब तक कोई बाह्य कारक माँग या आपूर्ति को परिवर्तित नहीं करता, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता।

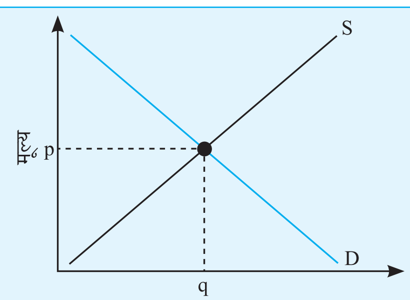

चित्र: संतुलन मूल्य

Search On TG: @apna_pdf

संतुलन: अधिक माँग और अधिक आपूर्ति (Equilibrium: Excess Demand and Excess Supply):

- **अधिक माँग (Excess Demand):** जब दी गई कीमत पर माँग आपूर्ति से अधिक होती है, जिससे कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव पड़ता है।
- **अधिक आपूर्ति (Excess Supply):** जब आपूर्ति माँग से अधिक होती है, जिससे कीमतें नीचे जाती हैं जब तक संतुलन स्थापित न हो जाए।

ये असंतुलित कीमतों को संतुलन की ओर समायोजित करने के लिए प्रेरित करते हैं।

स्थिर संख्या की फर्मों के साथ संतुलन (Equilibrium with a Fixed Number of Firms):

जब बाजार में फर्मों की संख्या स्थिर होती है, तो संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ बाजार माँग इन फर्मों की संयुक्त आपूर्ति से टकराती है। माँग या आपूर्ति में बदलाव कीमतों को समायोजित करता है, लेकिन बाजार में फर्मों की संख्या को प्रभावित नहीं करता।

संतुलन: मुक्त प्रवेश और निकास (Equilibrium: Free Entry and Exit)

मुक्त प्रवेश और निकास की अनुमति देने वाले बाजारों में, फर्म लाभप्रदता के आधार पर शामिल हो सकती हैं या उससे बाहर निकल सकती हैं। उच्च लाभ नई फर्मों को आकर्षित करते हैं, आपूर्ति बढ़ाते हैं और कीमतें कम करते हैं जब तक कि केवल सामान्य लाभ ही न रह जाए। यदि फर्मों को नुकसान होता है, तो कुछ बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपूर्ति कम हो जाती है और कीमतें संतुलन तक पहुँच जाती हैं।

❖ ❖ ❖

Search On TG: @apna_pdf

2 राष्ट्रीय आय लेखांकन

परिचय

मैक्रोइकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में तब उभरी, जब ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी' प्रकाशित की। समष्टि-अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक चर (Aggregate Economic Variables) और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर्संबंधों के अध्ययन पर केंद्रित है। यह 1930 के दशक की महामंदी (Great Depression) के प्रत्युत्तर में विकसित हुई थी, जिसमें जॉन मेनार्ड कीन्स ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समष्टि-अर्थशास्त्र एक अर्थव्यवस्था को घरों (Households), फर्मों, सरकार और बाहरी क्षेत्र (External sector) के रूप में देखता है, जो एक सर्कुलर फ्लो में परस्पर क्रिया करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद (GDP), राष्ट्रीय नेशनल उत्पाद (GNP) और मूल्य सूचकांक (Price Index) जैसे विभिन्न आर्थिक संकेतकों के साथ सकल आय (Aggregate Income) की गणना के प्रकारों, जैसे- आय, उत्पाद और व्यय दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है। हालाँकि, यह समझना आवश्यक है कि केवल जीडीपी किसी देश की समग्र कल्याण का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें आय वितरण और बाहरी प्रभावों जैसे कारकों का ध्यान नहीं रखा जाता है।

आर्थिक भागीदार:

- **फर्में:** निजी उद्यमी या फर्में पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ये मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों को नियुक्त करती हैं, पूँजी और भूमि का उपयोग करती हैं तथा मुनाफे के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं।
- **सरकार:** राज्य कानूनों को लागू करती है, सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करती है, विद्यालय चलाती है और सार्वजनिक सेवाएँ देती है। यह उत्पादन और कराधान का कार्य भी कर सकती है।
- **परिवार**: परिवार में वे व्यक्ति या समूह शामिल होते हैं जो उपभोग के निर्णय लेते हैं, बचत करते हैं और कर का भुगतान करते हैं। ये मजदूरी, वेतन या लाभ के रूप में कार्य करके आय अर्जित करते हैं।

समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत सिद्धांत

अंतिम वस्तुएँ (Final Goods):

- अंतिम वस्तुएँ अंतिम उपभोग के लिए बने उत्पाद हैं और आर्थिक प्रक्रिया में अन्य परिवर्तन से नहीं गुजरते हैं। उदाहरण - भोजन, चाय की पत्ती, कपड़े, आदि।
- अंतिम वस्तुओं को उपभोग वस्तुओं (सीधे उपभोग की जाने वाली वस्तुएँ) और पूँजीगत वस्तुओं (उत्पादन में उपयोग की जाने वाली टिकाऊ वस्तुएँ) में विभाजित किया जा सकता है।

मध्यवर्ती वस्तुएँ (Intermediate Goods):

- मध्यवर्ती वस्तुएँ वे उत्पाद हैं जिनका उपयोग उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन में इनपुट के रूप में किया जाता है।
- उन्हें अंतिम वस्तुएँ नहीं माना जाता है और उन्हें सीधे उपभोग में नहीं लाया जाता है। **उदाहरण**: ऑटोमोबाइल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टील शीट और बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तांबा।

मुद्रा की भूमिका (The Role of Money)

- किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने के लिए मुद्रा का उपयोग एक सामान्य मापक के रूप में किया जाता है।
- मुद्रा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के एकत्रीकरण में सहायक होती है। इस प्रकार यह अंतिम आउटपुट का मात्रात्मक माप प्रदान करती है।

स्टॉक और प्रवाह (Stocks and Flows):

- स्टॉक एक निश्चित समय पर उपलब्ध परिसंपत्तियाँ या वस्तुएँ हैं जबकि प्रवाह एक अवधि में मात्राओं को दर्शाते हैं।
- पूँजीगत वस्तुएँ (जैसे मशीनरी) स्टॉक होते हैं जबकि समय के साथ पूँजीगत वस्तुओं में परिवर्तन को प्रवाह कहा जाता है।

भौतिक पूँजी (PHYSICAL CAPITAL)

भौतिक पूँजी उन मूर्त और मानव-निर्मित परिसंपत्तियों को कहते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाती हैं। इसमें उपकरण, मशीनें, इमारतें और कच्चे माल शामिल होते हैं, जो उत्पादकता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। **उदाहरण**: कृषि उत्पादन में लकड़ी के हल की जगह स्टील का उपयोग **पूँजी-वर्धक तकनीकी प्रगति (Capital-augmenting technological progress)** का उदाहरण है। भौतिक पूँजी को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: स्थायी पूँजी (Fixed Capital) और कार्यशील पूँजी (Working Capital)।

(UPSC 2015)

भौतिक पूँजी के प्रकार

1. **स्थायी पूँजी (Fixed Capital):** वे परिसंपत्तियाँ जो लंबे समय तक बार-बार उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जा सकती हैं। **उदाहरण**: मशीनें, उपकरण, इमारतें, वाहन, और कंप्यूटर। ये उत्पादन के दौरान खत्म नहीं होतीं और दीर्घकालिक उपयोग में आती हैं।
2. **कार्यशील पूँजी (Working Capital):** वे संसाधन जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग के दौरान खत्म हो जाते हैं और जिन्हें नियमित रूप से पुनः पूर्ति करना पड़ता है। **उदाहरण**: कच्चा माल, नकदी, ईंधन और मध्यवर्ती वस्तुएँ। ये उत्पादन में सीधे खपत होती हैं या अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

Search On TG: @apna_pdf

अमूर्त पूँजी (Intangible Capital) (UPSC 2023):

अमूर्त निवेश वे परिसंपत्तियाँ हैं, जो भौतिक रूप में मौजूद नहीं होतीं। जैसे- पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और मानव पूँजी। ये परिसंपत्तियाँ कंपनियों, क्षेत्रों और अर्थव्यवस्थाओं में उच्च उत्पादकता और विकास से जुड़ी होती हैं।

उदाहरण: ब्रांड पहचान, बौद्धिक संपदा, और ग्राहकों की मेलिंग सूची। इन परिसंपत्तियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, लेकिन ये व्यवसाय के लिए मूल्य उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे- प्रतिष्ठा बढ़ाना, नवाचार करना और ग्राहकों की निष्ठा को मजबूत करना।

सकल निवेश (Gross Investment):

- सकल निवेश से तात्पर्य उस कुल व्यय से है, जो व्यवसायों, सरकारों और परिवारों द्वारा एक निश्चित अवधि के भीतर नई पूँजी संपत्तियों (Capital Assets) के अधिग्रहण या उत्पादन पर किया जाता है।
- सकल निवेश में पूँजीगत वस्तुएँ और बुनियादी ढाँचा, जैसे- मशीनरी, इमारतें, सड़कें और पुल शामिल होते हैं। ये किसी अर्थव्यवस्था के अंतिम उत्पादन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसके भविष्य के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। **(UPSC 2013)**

मूल्यह्रास और निवल निवेश (Depreciation and Net Investment):

- मूल्यह्रास पूँजीगत वस्तुओं के उपयोगी जीवन के दौरान उनकी टूट-फूट के लिए उनके मूल्य में वार्षिक कमी को दर्शाता है।
- निवल निवेश पूँजीगत स्टॉक में जोड़ी गई नई वस्तुओं की माप है जिसमें मूल्यह्रास को भी ध्यान में रखा जाता है।

उपभोग और निवेश:

- अर्थव्यवस्थाओं को उपभोक्ता वस्तुओं और पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन के बीच दुविधा का सामना करना पड़ता है।
- पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि से भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है और अंततः अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है।

उपभोग बनाम निवेश (Consumption V/S Investment):

विशेषता	उपभोग	निवेश
परिभाषा	वस्तुओं और सेवाओं पर तत्काल उपयोग के लिए खर्च।	भविष्य में उत्पादन के लिए पूँजीगत वस्तुओं पर खर्च।
उदाहरण	भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन	मशीनरी, उपकरण, इमारतें, बुनियादी ढाँचा
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	अल्पकालिक माँग और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है।	दीर्घकालिक आर्थिक विकास और उत्पादकता में योगदान देता है।

पूँजी-उत्पाद अनुपात (Capital Output Ratio):

- यह प्रति इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूँजी की मात्रा है। यह तकनीकी प्रगति, पूँजीगत वस्तुओं/मशीनरी की कीमतों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। भारत में, उच्च पूँजी अनुपात सुस्त विकास दरों के कारणों में से एक है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, उच्च पूँजी-उत्पाद अनुपात के कारण पूँजी निर्माण उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं कर पाता। **(UPSC 2018)**

परिमाणात्मक पूँजी-उत्पाद अनुपात (ICOR):

- **ICOR** का अर्थ है एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूँजी या निवेश की मात्रा।
- भारत में **ICOR**: 3.8 – (2016) – 4.9(2018) – 6.9(2019)
- उच्च **ICOR** का अर्थ है कि देश की उत्पादन क्षमता कम कुशल है।

आय का चक्रीय प्रवाह (Circular Flow of Income):

- आय का चक्रीय प्रवाह उत्पादन और उपभोग को आपस में जोड़ता है।
- फर्म उत्पादन के कारकों को आय (मजदूरी, लाभ, किराया और ब्याज) का भुगतान करती हैं, जो व्यक्तियों को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में सक्षम बनाती है।

उत्पादन और उपभोग का परस्पर संबंध:

- उत्पादन प्रक्रिया कारक भुगतान (Factor Payments) उत्पन्न करती है जिससे उपभोक्ताओं के लिए क्रय शक्ति का निर्माण होता है।
- पूँजीगत वस्तुएँ उत्पादन को सुविधाजनक बनाकर और आय उत्पन्न कर इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह:

- अर्थव्यवस्था का विवरण सरकारी हस्तक्षेप, बाहरी व्यापार या बचत के बिना एक सरलीकृत मॉडल प्रदान करता है।
- इस मॉडल में, परिवार अपनी उत्पादक गतिविधियों के लिए फर्मों से आय प्राप्त करते हैं और इसमें चार प्रकार के अंशदान होते हैं: **श्रम (मजदूरी), पूँजी (ब्याज), उद्यमशीलता (लाभ) और प्राकृतिक संसाधन (किराया)**। सरल अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए चित्र को समझने का प्रयास करें।
- परिवार अपनी पूरी आय घरेलू फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं, और कोई कर या आयात नहीं होता है।

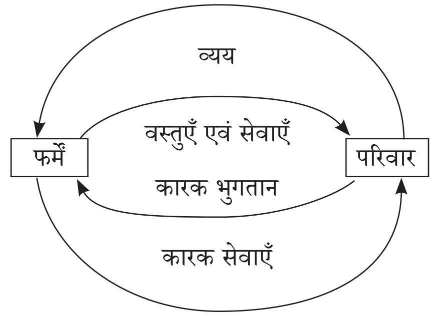

अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह

राष्ट्रीय आय लेखांकन

'राष्ट्रीय आय लेखांकन' एक विधि है जिसका उपयोग किसी देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों को मापने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में उत्पन्न कुल आय, उत्पादन के मूल्य और संसाधनों के आवंटन को मापने के विभिन्न तरीके प्रदान करता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के दो मुख्य सूचकांक हैं: **सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय।** **(UPSC 2013)**

- **सकल घरेलू उत्पाद:** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट अवधि (आमतौर पर एक वर्ष) में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। इसमें देश में संचालित घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों का उत्पादन शामिल होता है।

Search on TG: @apna_pdf

- **राष्ट्रीय आय**: यह एक देश के निवासियों और व्यवसायों द्वारा, चाहे वे कहीं भी संचालित हों, अर्जित कुल आय को दर्शाती है। जीडीपी के विपरीत, राष्ट्रीय आय में देश की सीमाओं के भीतर विदेशी कंपनियों द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं होती। लेकिन, इसमें घरेलू संस्थाओं द्वारा विदेश में अर्जित आय शामिल होती है।
- **उदाहरण:** यदि एक अमेरिकी कंपनी भारत में ₹500 करोड़ का राजस्व उत्पन्न करती है, तो यह आय भारत की जीडीपी में शामिल होगी, क्योंकि यह भारत में उत्पादित हुई है। लेकिन यह भारत की राष्ट्रीय आय (NI) में शामिल नहीं होगी, क्योंकि यह आय एक विदेशी कंपनी की है। इसके विपरीत, यदि एक भारतीय कंपनी अमेरिका में ₹300 करोड़ कमाती है, तो यह आय भारत की राष्ट्रीय आय (NI) में शामिल होगी, लेकिन भारत की जीडीपी में नहीं, क्योंकि यह उत्पादन भारत के बाहर हुआ है।

सकल घरेलू आय मापने की विधियाँ

1. **उत्पाद/मूल्य वर्धन विधि (Product/Value Added Method):**
   - इस विधि में अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा जोड़ी गई मूल्य वर्धन का योग किया जाता है। प्रत्येक फर्म का योगदान उसके उत्पादन के मूल्य और उसके द्वारा उपयोग किए गए मध्यवर्ती वस्तुओं (कच्चे माल, घटकों) के मूल्य के बीच का अंतर होता है।
   - **उदाहरण:** एक किसान ₹100 मूल्य के गेहूँ का उत्पादन करता है। एक बेकर ₹50 के गेहूँ का उपयोग कर ₹200 मूल्य का ब्रेड बनाता है। किसान द्वारा जोड़ा गया मूल्य: ₹100, बेकर द्वारा जोड़ा गया मूल्य: ₹150 (₹200 – ₹50)। कुल सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added): ₹100 + ₹150 = ₹250

   सूत्र: जीडीपी = $\sum$ सभी फर्म का मूल्य वर्धन
2. **व्यय विधि (Expenditure Method):**
   - यह विधि अर्थव्यवस्था में कुल खर्च के आधार पर जीडीपी की गणना करती है, जिसमें माँग पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें उपभोग (C), निवेश (I), सरकारी खर्च (G), और शुद्ध निर्यात (X - M) शामिल होते हैं, जहाँ X निर्यात और M आयात को दर्शाते हैं।
   - **उदाहरण:** यदि उपभोक्ता घरेलू वस्तुओं पर ₹500 खर्च करते हैं, कंपनियाँ ₹200 का निवेश करती हैं, सरकार ₹300 खर्च करती है, निर्यात ₹150 है और आयात ₹50 है, तो: GDP = C + I + G + (X – M) = 500 + 200 + 300 + (150 – 50) = ₹1100
3. **आय विधि (Income method):**
   - आय विधि जीडीपी की गणना निवासियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित सभी आय को जोड़कर करती है जिसमें वेतन, ब्याज, मुनाफा एवं किराया शामिल हैं।

   सूत्र: GDP = $\sum$(वेतन + मुनाफा + ब्याज + किराया)

सकल और निवल माप (Gross and Net Measures):

- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** यह बिना मूल्यह्रास को ध्यान में रखे हुए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है।
- **निवल घरेलू उत्पाद (NDP):** जीडीपी में से मूल्यह्रास (पूँजी के घिसाव-टूटाव) को घटाकर निवल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक मूल्य वृद्धि का स्पष्ट चित्र प्रदान करता है।

  सूत्र: निवल घरेलू उत्पाद = जीडीपी – मूल्यह्रास

  उदाहरण: यदि जीडीपी ₹1,00,000 करोड़ है और मूल्यह्रास ₹10,000 करोड़ है, तो: **निवल घरेलू उत्पाद** = 1,00,000 – 10,000 = ₹90,000 करोड़

मूल्य: कारक लागत, आधार मूल्य और बाजार मूल्य

1. **कारक लागत (Factor Cost – FC):** यह उत्पादन की लागत है जिसमें करों और सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाता है। यह उत्पादकों को प्राप्त होने वाली आय को दर्शाता है, जैसे वेतन, किराया, ब्याज, और मुनाफा।
2. **आधार मूल्य (Basic Price):** यह कारक लागत में उत्पादन कर (जैसे फैक्टरी पर संपत्ति कर) जोड़कर और उत्पादन सब्सिडी (जैसे फैक्टरी संचालन के लिए सरकारी सहायता) को घटाकर प्राप्त होता है।
   - **उदाहरण:** यदि एक फैक्टरी की कारक लागत ₹200 करोड़ है, उत्पादन कर ₹10 करोड़ हैं और सब्सिडी ₹5 करोड़ है, तो:

     आधार मूल्य = कारक लागत + उत्पादन कर – उत्पादन सब्सिडी = 200 + 10 – 5 = ₹205 करोड़
- **बाजार मूल्य (Market Price - MP):** यह आधार मूल्य में उत्पाद कर (जैसे VAT या बिक्री कर) जोड़कर और उत्पाद सब्सिडी घटाकर प्राप्त होता है। यह वह अंतिम मूल्य है जो उपभोक्ता भुगतान करते हैं।

  सूत्र: बाजार मूल्य = आधार मूल्य + उत्पाद कर – उत्पाद सब्सिडी

  उदाहरण: यदि किसी वस्तु का आधार मूल्य ₹100 है, उत्पाद कर ₹10 है, और सब्सिडी ₹3 है, तो:

  बाजार मूल्य = 100 + 10 – 3 = ₹107

विभिन्न मूल्यों पर GDP और NDP के माप

1. **कारक लागत पर GDP (GDP@FC):** यह कारक लागत पर वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है।
2. **बाजार मूल्य पर GDP (GDP@MP):** यह बाजार मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है जिसमें सभी कर और सब्सिडी शामिल होते हैं।

   सूत्र: GDP@MP = GDP@FC + उत्पादन कर + उत्पाद कर – उत्पादन सब्सिडी – उत्पाद सब्सिडी
3. **कारक लागत पर NDP (NDP@FC):** यह कारक लागत पर GDP में से मूल्यह्रास घटाकर शुद्ध उत्पादन को दर्शाता है।

   सूत्र: NDP@FC = GDP@FC – मूल्यह्रास
4. **बाजार मूल्य पर NDP (NDP@MP):** यह बाजार मूल्य पर GDP में से मूल्यह्रास घटाकर शुद्ध मूल्य प्रदान करता है, जो बाजार की स्थितियों को दर्शाता है।

   सूत्र: NDP@MP = GDP@MP – मूल्यह्रास

राष्ट्रीय आय लेखांकन से संबंधित मुख्य अवधारणाएँ

1. **मध्यवर्ती खपत (Intermediate Consumption):** उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की गई वस्तुएँ और सेवाएँ, जिन्हें GDP में शामिल नहीं किया जाता ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके।
   - **उदाहरण: रोटी बनाने के लिए बेकरी द्वारा उपयोग किया गया आटा।**

Search On TG: @apna_pdf

2. **मूल्यह्रास (Depreciation):** समय के साथ उपयोग और अप्रचलन के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी। इसे सकल मापों (Gross Measures) से घटाकर शुद्ध माप (Net Values) जैसे एनडीपी प्राप्त किया जाता है।
3. **उत्पाद कर और सब्सिडी (Product Taxes and Subsidies):** ये सीधे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। उत्पाद कर बाजार मूल्य बढ़ाते हैं जबकि उत्पाद सब्सिडी बाजार मूल्य घटाते हैं।
4. **उत्पादन कर और सब्सिडी (Production Taxes and Subsidies):** ये उपभोक्ता कीमतों के बजाय उत्पादकों की लागत को प्रभावित करते हैं। ये आधार मूल्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन सीधे बाजार मूल्य को नहीं बदलते।

GNP, NNP, व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय:

राष्ट्रीय आय मापन से संबंधित विभिन्न व्यापक आर्थिक पहचान और अवधारणाएँ हैं, जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP), शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP), राष्ट्रीय आय (NI), व्यक्तिगत आय (PI) और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय (PDI)। ये अवधारणाएँ यह समझने में मदद करती हैं कि अर्थव्यवस्था में आय कैसे वितरित होती है और इस पर मूल्यह्रास, कर, सब्सिडी, एवं स्थानांतरण (Transfers) जैसे विभिन्न कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product-GNP)

GNP एक देश द्वारा उत्पादित कुल आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है, जिसमें घरेलू उत्पादन कारकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय शामिल होती है और देश के भीतर विदेशी उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित आय घटाई जाती है।

सूत्र: GNP = GDP + विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय (Net Factor Income from Abroad)

ध्यान दें कि "बंद अर्थव्यवस्था" (Closed Economy) वह अर्थव्यवस्था है जहाँ निर्यात और आयात नहीं होते हैं। **(UPSC 2011)**

निवल राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product-NNP): GNP से मूल्यह्रास (पूँजी का टूट-फूट) घटाकर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) प्राप्त किया जाता है। मूल्यह्रास किसी की आय में योगदान नहीं करता है, इसलिए आय का अधिक सटीक माप प्राप्त करने के लिए इसे घटाया जाता है।

NNP = GNP - मूल्यह्रास

राष्ट्रीय आय (National Income-NI): राष्ट्रीय आय NNP को बाजार मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को ध्यान में रखा जाता है। यह देश के उत्पादन कारकों को प्राप्त होने वाली आय का प्रतिनिधित्व करता है।

सूत्र: NI = बाजार मूल्य पर NNP – शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (Net Indirect Taxes) = कारक मूल्य पर NNP

वैयक्तिक आय (Personal Income, PI): वैयक्तिक आय (PI) वह आय है जो परिवारों को राष्ट्रीय आय (NI) से प्राप्त होती है। इसकी गणना परिवारों के अवितरित लाभ, निगम कर और निवल ब्याज भुगतान को घटाकर तथा सरकार और फर्मों से प्राप्त अंतरण भुगतान को जोड़कर की जाती है।

- राष्ट्रीय आय, जो फर्मों और सरकारी उद्यमों द्वारा अर्जित की जाती है, लाभ का एक हिस्सा उत्पादन के कारकों के बीच वितरित नहीं किया जाता है। इसे अवितरित लाभ (Undistributed Profits, UP) कहा जाता है।
- परिवारों को सरकार और फर्मों से अंतरण भुगतान (उदाहरण के लिए पेंशन, छात्रवृत्ति, पुरस्कार) प्राप्त होते हैं, जिसे परिवारों की वैयक्तिक आय की गणना करते समय जोड़ना होता है।

PI = NI – अवितरित लाभ – परिवारों द्वारा किए गए निवल ब्याज भुगतान – निगम कर + परिवारों को प्राप्त अंतरण भुगतान।

व्यक्तिगत प्रयोज्य आय (Personal Disposable Income, PDI): PDI वह आय है जो वैयक्तिक आय से व्यक्तिगत कर भुगतान (जैसे आयकर) और गैर-कर भुगतान (जैसे जुर्माना) घटाने के बाद परिवारों को प्राप्त होती है। यह उस आय को दर्शाती है जो परिवारों के पास उपभोग या बचत के लिए उपलब्ध होती है।

PDI = PI – व्यक्तिगत कर भुगतान – गैर-कर भुगतान

निजी आय (Private Income): निजी आय वह कुल आय है जिसमें सभी उत्पादन कारकों से प्राप्त आय और स्थानांतरण (transfers) शामिल होते हैं, जो निजी क्षेत्र को देश के भीतर एवं बाहर से प्राप्त होती है। निजी क्षेत्र में घरेलू (Households) और निगम (Corporations) दोनों शामिल होते हैं।

सूत्र: निजी आय = घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को प्राप्त शुद्ध आय + राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज + विदेशों से शुद्ध कारक आय + सरकार से प्राप्त वर्तमान स्थानांतरण + शेष विश्व से प्राप्त अन्य शुद्ध स्थानांतरण

व्यक्तिगत प्रयोज्य आय (Personal Disposable Income, PDI): PDI वह आय है जो वैयक्तिक आय से व्यक्तिगत कर भुगतान (जैसे आयकर) और गैर-कर भुगतान (जैसे जुर्माना) घटाने के बाद परिवारों को प्राप्त होती है। यह उस आय को दर्शाती है जो परिवारों के पास उपभोग या बचत के लिए उपलब्ध होती है।

PDI = PI – व्यक्तिगत कर भुगतान - गैर-कर भुगतान

निजी आय (Private Income): निजी आय वह कुल आय है जिसमें सभी उत्पादन कारकों से प्राप्त आय और स्थानांतरण (transfers) शामिल होते हैं, जो निजी क्षेत्र को देश के भीतर एवं बाहर से प्राप्त होती है। निजी क्षेत्र में घरेलू (Households) और निगम (Corporations) दोनों शामिल होते हैं।

सूत्र: निजी आय = घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को प्राप्त शुद्ध आय + राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज + विदेशों से शुद्ध कारक आय + सरकार से प्राप्त वर्तमान स्थानांतरण + शेष विश्व से प्राप्त अन्य शुद्ध स्थानांतरण

Note: इन सभी चरों का मूल्याँकन बाजार कीमतों पर किया जाता है। हमें बाजार कीमतों पर मूल्याँकित NNP का मूल्य प्राप्त होता है। लेकिन बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अप्रत्यक्ष कर सरकार को प्राप्त होते हैं। हमें NNP के उस हिस्से की गणना करने के लिए उन्हें बाजार कीमतों पर मूल्याँकित NNP से घटाना होगा जो वास्तव में उत्पादन के कारकों को प्राप्त होता है। इसी तरह, कुछ वस्तुओं की कीमतों पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल हो सकती है (भारत में पेट्रोल पर सरकार भारी कर लगाती है, जबकि रसोई गैस पर सब्सिडी दी जाती है)। इसलिए हमें बाजार कीमतों पर मूल्याँकित NNP में सब्सिडी जोड़ने की जरूरत है। ऐसा करने से हमें जो माप प्राप्त होती है उसे कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहा जाता है।

Search On TG: @apna_pdf

- **मौद्रिक जीडीपी (Nominal GDP):**
    - मौद्रिक जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था में वर्तमान बाजार कीमतों पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है।

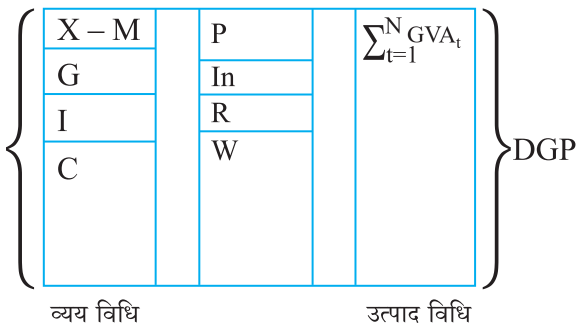

    - **उदाहरण:** मान लीजिए कि कोई देश केवल ब्रेड का उत्पादन करता है। वर्ष 2000 में इसने 100 यूनिट ब्रेड का उत्पादन किया था, और प्रत्येक ब्रेड की कीमत 10 रुपये थी। वर्तमान कीमत पर जीडीपी 1,000 रुपये थी। वर्ष 2001 में उसी देश ने 15 रुपये प्रति ब्रेड की कीमत पर 110 यूनिट ब्रेड का उत्पादन किया। इसलिए वर्ष 2001 में मौद्रिक जीडीपी 1,650 रुपये (=110 × 15 रुपये) थी। वर्ष 2000 (2000 को आधार वर्ष कहा जाएगा) की कीमत पर गणना की गई वर्ष 2001 में वास्तविक जीडीपी 110 × 10 रुपये = 1,100 रुपये होगी।

- **वास्तविक जीडीपी (Real GDP):**
    - वास्तविक जीडीपी आर्थिक उत्पादन का एक माप है जो कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को समायोजित होता है। यह स्थिर (आधार वर्ष) कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्याँकन करता है जिससे विभिन्न वर्षों में उत्पादन मात्रा की तुलना की जा सकती है।
    - वास्तविक जीडीपी कीमतों में परिवर्तनों के प्रभाव को खत्म करने में मदद करता है, जिससे यह आर्थिक उत्पादन में वास्तविक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए एक उपयोगी उपकरण बन जाता है।

$$\text{वास्तविक जीडीपी} = \frac{(\text{मौद्रिक जीडीपी})}{(\text{जीडीपी अवस्फीतिक})} \times 100$$

- **जीडीपी अफस्फीतिक (GDP Deflator):**
    - जीडीपी अवस्फीतिक एक सूचकांक है जो समय के साथ जीडीपी में शामिल सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। 150% का जीडीपी अवस्फीतिक यह दर्शाता है कि आधार वर्ष की तुलना में कीमतों में 50% की वृद्धि हुई है।
    - इसकी गणना मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के अनुपात के रूप में की जाती है जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

$$\text{जीडीपी अवस्फीतिक} = \frac{(\text{मौद्रिक जीडीपी})}{(\text{वास्तविक जीडीपी})} \times 100$$

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (UPSC 2020)

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आम तौर पर एक प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के एक निश्चित समूह (बास्केट) की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। यह उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की गई मुद्रास्फीति को मापता है। **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक** को आधार वर्ष से कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है।

$$\text{उपभोक्ता मूल्य सूचकांक} = \frac{\text{वर्तमान वर्ष में बास्केट की लागत}}{\text{आधार वर्ष में बास्केट की लागत}} \times 100$$

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उन उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर में परिवर्तन को मापता है, जिन्हें घरेलू उपयोग के लिए खरीदा जाता है। यह खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति (inflation) को दर्शाता है।

प्रकार	विवरण	आधार वर्ष	आवृत्ति	जारी करने वाला निकाय
औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI (CPI-IW)	औद्योगिक श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति को मापता है।	2016	मासिक	श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय
कृषि श्रमिकों के लिए CPI (CPI-AL)	कृषि श्रमिकों के लिए मुद्रास्फति को मापता है।	1986-87	मासिक	श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय
ग्रामीण श्रमिकों के लिए CPI (CPI-RL)	ग्रामीण श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति को मापता है।	1986-87	मासिक	श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय
संयुक्त CPI (CPI-C)	कुल खुदरा मुद्रास्फीति (शहरी + ग्रामीण) को मापता है।	2012	मासिक	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)

संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-C) के घटक और उनका भार (%):

Search On TG: @apna_pdf

घटक	भार (%)
खाद्य और पेय पदार्थ	45.86
आवास (Housing)	10.07
कपड़े और जूते (Clothing and Footwear)	6.53
ईंधन और प्रकाश (Fuel and Light)	6.84
विविध (स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि)	30.7

थोक मूल्य सूचकांक (UPSC 2020)

- यह एक सूचकांक है जो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को ट्रैक करता है। इसका उपयोग उत्पादन और वितरण के शुरुआती चरणों में मुद्रास्फीति का आकलन करने के लिए किया जाता है। कुछ देशों में, इसे उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index, PPI) के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि सीपीआई, जीडीपी अवस्फीतिक से भिन्न हो सकता है क्योंकि:
  - उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुएँ, किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं जबकि जीडीपी अवस्फीतिक ऐसी सभी वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखता है।
  - सीपीआई में प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, इसलिए इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, लेकिन जीडीपी अवस्फीतिक में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती हैं।
  - सीपीआई में भार स्थिर रहते हैं - लेकिन वे जीडीपी अवस्फीतिक में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर के अनुसार भिन्न होते हैं।
  - **थोक मूल्य सूचकांक** थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। यह उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति के रुझानों को दर्शाता है।

पैरामीटर	विवरण
जारी करने वाला निकाय	आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
आधार वर्ष	2011-12
मुख्य घटक	
• प्राथमिक वस्तुएँ (Primary Articles)	22.62%
• ईंधन और ऊर्जा (Fuel & Power)	13.15%
• विनिर्मित उत्पाद (Manufactured Products)	64.23%
आवृत्ति	मासिक

उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index): PPI उस औसत परिवर्तन को मापता है जो घरेलू उत्पादकों द्वारा अपने माल और सेवाओं के लिए समय के साथ प्राप्त बिक्री मूल्य में होता है।

- **भारत में, डब्ल्यूपीआई को PPI का प्रतिनिधिक रूप माना जाता है, क्योंकि PPI प्रणाली को अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।**

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP)

IIP एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को मापता है। यह अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधि के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है।

मापदंड	विवरण
जारी करने वाला निकाय	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
आधार वर्ष	2011-12
आवृत्ति	मासिक
उद्देश्य	अल्पकालिक औद्योगिक वृद्धि प्रवृत्तियों को मापना।

IIP के घटक और उनका भार (%)

क्षेत्र	भार (%)	विवरण
विनिर्माण (Manufacturing)	77.63	तैयार माल का उत्पादन करने वाले उद्योग।
खनन (Mining)	14.37	कोयला, खनिज आदि जैसे उत्खनन उद्योग।
बिजली (Electricity)	7.99	विद्युत उत्पादन और वितरण।

8 प्रमुख उद्योग (Core Industries) और उनका भार (IIP में): (UPSC 2015)

मुख्य उद्योग	भार (%)
1. रिफाइनरी उत्पाद (Refinery Products)	28.04
2. बिजली (Electricity)	19.85
3. इस्पात (Steel)	17.92
4. कोयला (Coal)	10.33
5. कच्चा तेल (Crude Oil)	8.98
6. प्राकृतिक गैस (Natural Gas)	6.88
7. सीमेंट (Cement)	5.37
8. उर्वरक (Fertilizers)	2.63

जीडीपी एवं कल्याण:

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को देश के लोगों के कल्याण के एकमात्र संकेतक के रूप में उपयोग करने की अपनी सीमाएँ हैं और ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से जीडीपी किसी राष्ट्र के समग्र कल्याण को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है:

आय वितरण (Income Distribution):

- जीडीपी किसी देश के कुल आर्थिक उत्पादन को मापता है, लेकिन यह इस बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है कि यह उत्पादन उसके नागरिकों के बीच कैसे वितरित किया जाता है।
- यदि जीडीपी में वृद्धि होती है, लेकिन लाभ कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथों में ही केंद्रित होता है, तो अधिकांश आबादी बेहतर कल्याण प्राप्त नहीं कर सकती है। असमान आय वितरण से कल्याण में असमानताएँ हो सकती हैं।

Search On TG: @apna_pdf

गैर-मौद्रिक विनिमय (Non-Monetary Exchanges):

- कई मूल्यवान गतिविधियाँ अर्थव्यवस्था में मौद्रिक रूप से आँकी नहीं जातीं या जीडीपी की गणना में शामिल नहीं होतीं। उदाहरण के लिए, घर पर किया गया घरेलू कार्य, स्वैच्छिक गतिविधियाँ और वस्तु विनिमय (जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का बिना मुद्रा के सीधे आदान-प्रदान किया जाता है) आम तौर पर जीडीपी में शामिल नहीं होतीं। इस तरह की अनदेखी आर्थिक गतिविधि और कल्याण के आकलन को कम करके आँकने का कारण बन सकती है।

बाह्य प्रभाव (Externalities):

- जीडीपी बाह्य प्रभावों (externalities) पर विचार नहीं करता है। ये आर्थिक गतिविधियों के अनपेक्षित दुष्प्रभाव हो सकते हैं और ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री जीडीपी वृद्धि में योगदान कर सकती है, लेकिन यदि वह पास की नदी को प्रदूषित करती है, जो स्थानीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है, तो इस नुकसान को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। दूसरी ओर, शिक्षा और अनुसंधान जैसी सकारात्मक बाह्य प्रभाव, जो कल्याण को बढ़ाते हैं, वे भी जीडीपी में सीधे तौर पर परिलक्षित नहीं होते।

आर्थिक कल्याण को मापने के वैकल्पिक माध्यम

1. **हरित जीडीपी (Green GDP):** यह **जीडीपी** से पर्यावरणीय क्षरण और संसाधनों की कमी को घटा कर आर्थिक विकास में पर्यावरणीय क्षति की लागत को शामिल करता है।
2. **मानव विकास सूचकांक (Human Development Index - HDI):** यह एक संयुक्त माप है जिसमें किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और आय स्तर को ध्यान में रखा जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित किया गया है।
3. **सकल राष्ट्रीय खुशी (Gross National Happiness - GNH):** यह भूटान का दृष्टिकोण है, जो **जीडीपी** के बजाय GNH को प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य कल्याण, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरणीय संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना है।
4. **वास्तविक प्रगति संकेतक (Genuine Progress Indicator - GPI):** यह अमेरिकी मापदंड है जो पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों को ध्यान में रखता है। **उदाहरण:** अपराध, गरीबी और ओज़ोन परत के क्षय की लागत।

राष्ट्रीय आय समग्रों का सारांश (SUMMARY OF NATIONAL INCOME AGGREGATES)

1	**बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP_{MP})**	• जीडीपी, एक देश की घरेलू सीमा में, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। • सभी निवासियों तथा गैर-निवासियों द्वारा दिए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादन का स्वामित्व एक स्थानीय कंपनी का हो या एक विदेशी स्वामित्व का। • सभी वस्तुओं का मापन बाजार कीमतों पर होता है। $GDP_{MP} = C + I + G + X - M$
2	**साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP_{FC})**	• साधन लागत पर जीडीपी, बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होती है। • बाजार कीमतें वह कीमतें हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा दी जाती हैं। बाजार कीमतों में उत्पाद करों तथा उपदानों को भी शामिल किया जाता है। **'साधन लागत'** शब्द का उपयोग उत्पादकों द्वारा दी गई कीमत के लिए किया जाता है। अतः साधन लागत, बाजार कीमतों में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाने पर प्राप्त होती है। साधन लागत पर जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में फर्मों द्वारा किए गए उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का माप है। $GDP_{FC} = GDP_{MP} - NIT$
3	**बाजार कीमतों पर निवल घरेलू उत्पाद (NDP_{MP})**	• इससे नीति निर्धारकों को यह पता चलता है कि चालू जीडीपी को बनाए रखने के लिए देश को कितना खर्चा करना पड़ेगा। यदि मूल्यह्रास के कारण हुई पूँजी स्टॉक की हानि को विस्थापित नहीं किया जाता, तो जीडीपी घटेगा। $NDP_{MP} = GDP_{MP} - Dep$
4	**साधन लागत पर एनडीपी (NDP_{FC})**	• साधन लागत पर एनडीपी उत्पादन के साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में, देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित आय है। $NDP_{FC} = NDP_{MP}$ – निवल उत्पाद कर – निवल उत्पादन कर
5	**बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP_{MP})**	• एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य GNPMP है तथा इसे बाजार कीमतों पर मापा जाता है। • GNP में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थापित हों, अथवा विदेशों में। • सभी चीजों का मूल्यांकन बाजार कीमतों पर होता हैं। $GNP_{MP} = GDP_{MP} + NFIA$

Search On TG: @apna_pdf

6	साधन लागत पर GNP (GNP_{FC})	• साधन लागत पर GNP एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त उत्पादन का माप है। $GNP_{FC} = GNP_{MP}$ – निवल उत्पाद कर – निवल उत्पादन कर
7	बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{MP})	• यह इस बात का मापदंड है कि एक देश एक निश्चित समय अवधि में कितना उपभोग कर सकता है। NNP देश के नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन का माप है चाहे वह उत्पादन देश की घरेलू सीमा में किया गया हो या विदेशों में। $NNP_{MP} = GNP_{MP}$ – मूल्यह्रास $NNP_{MP} = NDP_{MP}$ + NFIA
8	साधन लागत पर NNP (NNPFC) या राष्ट्रीय आय (NI)	• साधन लागत पर NNP एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में एक वर्ष में अर्जित साधन आय का योग है। • यह राष्ट्रीय उत्पाद है, किंतु राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। यह निवल घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय का योग है। $NI = NNP_{MP}$ – निवल उत्पाद कर – निवल उत्पादन कर = NDP_{FC} + NFIA = NNP_{FC}
9	बाजार कीमतों पर GVA	बाजार कीमतों पर जीडीपी
10	आधारित कीमतों पर GVA	GVA_{MP} – निवल उत्पाद कर
11	साधन लागत पर GVA	आधारित कीमतों पर GVA – निवल उत्पादन कर

❖ ❖ ❖

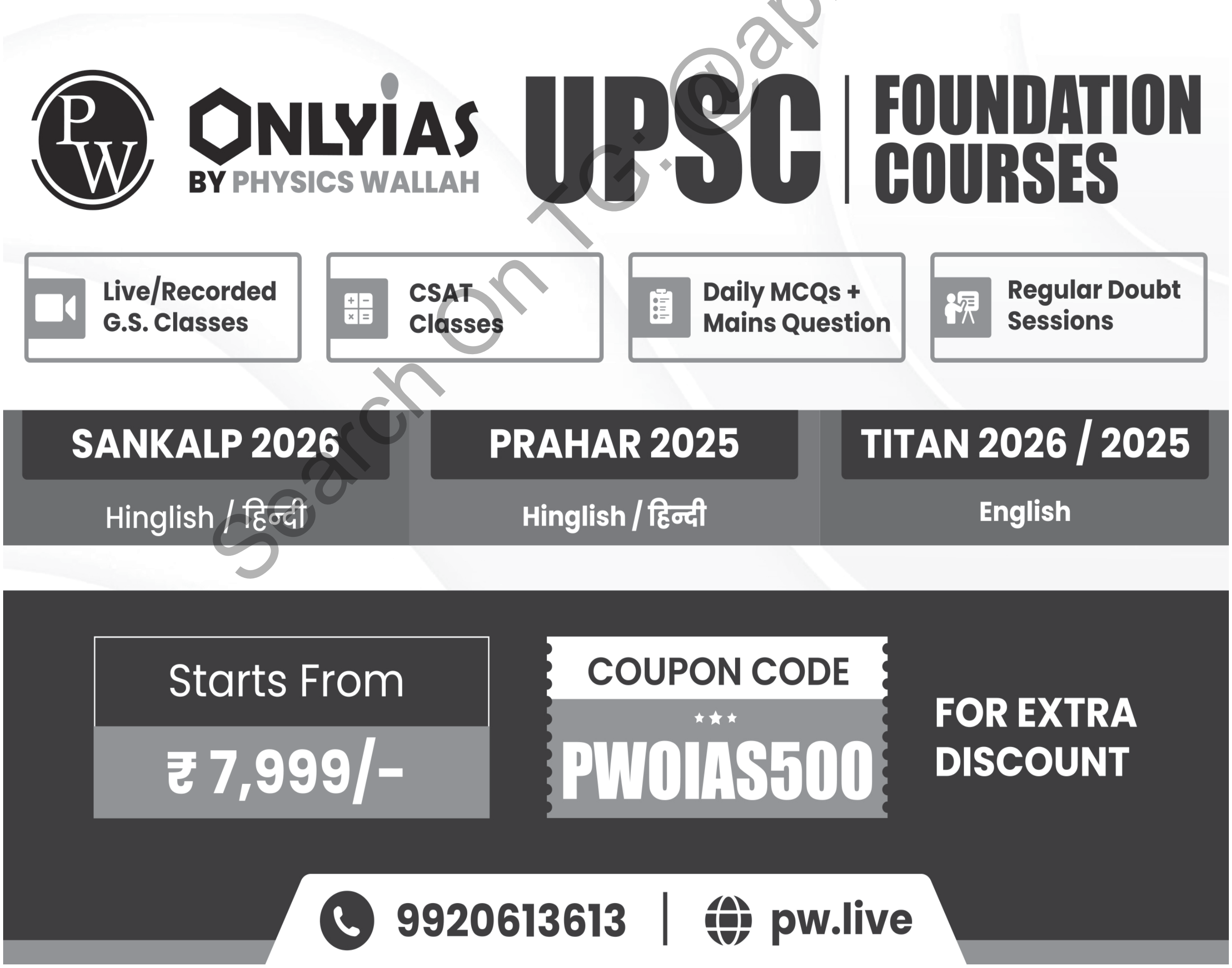

Search On TG @apna_pdf

3 मुद्रा और बैंकिंग

मुद्रा वह वस्तु या माध्यम है, जिसे वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय, ऋण चुकाने, बचत तथा मूल्य मापन के लिए उपयोग किया जाता है। यह सरकार या उसके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा जारी की जाती है और सामान्यतः सिक्कों, कागजी नोटों, या डिजिटल रूप में उपलब्ध होती है। मुद्रा आधुनिक आर्थिक प्रणाली की आधारशिला है।

- **इच्छाओं का दोहरा संयोग (Double Coincidence of Wants):** विनिमय में उपस्थित दोनों पक्षों को एक-दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है।
- **वस्तु विनिमय प्रणाली (Barter System)**: इसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का सीधे आदान-प्रदान किया जाता है, जिसमें इच्छाओं का दोहरा संयोग एक आवश्यक विशेषता है।

मुद्रा के कार्य:

मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है:

- **विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा:** मुद्रा अर्थव्यवस्था में एक मध्यवर्ती चरण के रूप में कार्य करती है, जो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त करती है।
- **सुविधाजनक लेखांकन इकाई (Convenient Unit of Account)**
- **सार्वभौमिक स्वीकार्यता (Universal Acceptability)**
- **मूल्य भंडारण (Store of Value)**
- **प्रकृति में परिवर्तनशील:** जब वस्तुओं की **कीमतें** मुद्रा के संदर्भ में बढ़ जाती हैं, तो **मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है,** जिससे मुद्रा की एक इकाई से किसी भी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जा सकती है।
- **नकदी रहित प्रकृति**: जैसे- **जन-धन खाते, आधार आधारित भुगतान प्रणाली, ई-वॉलेट और** वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए **नेशनल फाइनेंशियल स्विच (National Financial Switch)** आदि का उपयोग।

मुद्रा के आधुनिक रूप

- **करेंसी या नोट:** मुद्रा से तात्पर्य कागज़ के नोट और प्रचलित सिक्कों से है। मुद्रा किसी राष्ट्र की सरकार द्वारा अधिकृत होती है, इसलिए इसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। करेंसी नोट और सिक्कों को **फिएट मनी (वैध मुद्रा) कहा जाता है।** इनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। इन्हें **विधिक मुद्रा भी कहा जाता है,** क्योंकि देश का कोई भी नागरिक किसी भी तरह के विनिमय या लेन-देन के निपटान के लिए इन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता। **[UPSC 2018]**
    - सरकार **"सिक्का अधिनियम, 2011"** की शक्तियों का उपयोग करते हुए **₹1,000** तक के सिक्के जारी करती है। वर्तमान में सरकार **₹1 से लेकर ₹20** तक के सिक्के जारी करती है।
    - भारत सरकार एक रूपए के सिक्के और नोट जारी करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट (एक रूपए के नोट को छोड़कर) जारी करता है।
    - **सेग्नोरेज (Seigniorage):** यह करेंसी/मुद्रा के मूल्य और इसे बनाने की लागत के बीच का अंतर है। यह अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा करेंसी छापने से अर्जित लाभ है।

चेक:

- **बैंक को निर्देश देने वाला कागज़:** यह व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है। बचत या चालू खातों पर निकाले गए चेक को कोई भी व्यक्ति अस्वीकार कर सकता है, जिससे माँग जमा वैध नहीं रह जाता।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS)

- यह एक ऑनलाइन इमेज-आधारित चेक क्लियरिंग सिस्टम है, जिसे RBI द्वारा चेक के त्वरित भुगतान के लिए अपनाया गया है।
- यह भौतिक चेक की आवाजाही से जुड़ी लागत को समाप्त करता है।
    - RBI ने NPCI को CTS को क्रियान्वित करने का अधिकार दिया है। NPCI चेक प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के रूप में कार्य करेगा और सदस्य बैंकों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक चेक और छवियों को संसाधित करेगा।
    - RBI क्लियरिंग हाउस का प्रबंधन करेगा, NPCI द्वारा संसाधित 'क्लियरिंग' लेनदेन का निपटान करेगा और सभी नीति संबंधी मामलों की देख-रेख करेगा।

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)

यह मुद्रा का एक डिजिटल या आभासी रूप है, जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है तथा सामान्यतः ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित विकेंद्रीकृत नेटवर्क द्वारा संचालित होता है, **उदाहरण**: बिटकॉइन, लाइटकॉइन, मोनेरो, डॉजकॉइन और बिटकॉइन आदि।

- दिनेश शर्मा समिति ने क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।

बिटकॉइन:

- बिटकॉइन किसी बैंक या सरकारी संस्था द्वारा विनियमित नहीं है, यह उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रूप से धन प्रयोग करने की अनुमति देता है।
- बिटकॉइन एड्रेस वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन एड्रेस वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है और उससे प्राप्त कर सकता है।
- ऑनलाइन भुगतान किसी भी पक्ष को दूसरे की पहचान जाने बिना किया जा सकता है। **[UPSC 2016]**

Search On TG: @apna_pdf

- **नॉन-फंजिबल टोकन (Non-Fungible Token-NFT):**
  - यह डिजिटल संपत्तियों के स्वामित्व को स्थापित करने और सत्यापित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक अलग क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति के रूप में कार्य करता है। NFT का उपयोग भौतिक परिसंपत्तियों को संगृहीत करने में भी किया जा सकता है।
    - **उदाहरण**: नाव, भौतिक-पेंटिंग आदि का स्वामित्व दस्तावेज़।
    - NFT को उप-विभाजित नहीं किया जा सकता है। उनकी व्यक्तिगत उप-इकाइयों का एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके मूल्य उपभोक्ता की पसंद के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं, इसलिए NFT गैर-परिवर्तनीय है।

अंत: परिवर्तनीयता (Fungibility) किसी संपत्ति की वह गुणवत्ता है जो उसे उसी प्रकार और मूल्य की दूसरी संपत्ति के साथ परिवर्तनीय बनाती है, जिससे व्यापार में एकरूपता सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए, धन परिवर्तनीय है क्योंकि एक 10 रुपये के नोट को बिना किसी मूल्य अंतर के दूसरे 10 रुपये के नोट से बदला जा सकता है। इसी तरह, सोना या तेल जैसी वस्तुएँ अंत: परिवर्तनीय हैं क्योंकि वे गुणवत्ता में एक समान हैं और उनका सार्वभौमिक रूप से व्यापार किया जा सकता है। इसके विपरीत, रियल एस्टेट, संग्रहणीय वस्तुएँ या NFT जैसी डिजिटल संपत्ति जैसी अद्वितीय वस्तुएँ गैर-अंत: परिवर्तनीय हैं, क्योंकि उनमें विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं जो उनके मूल्य को प्रभावित करती हैं और 'वन-टू-वन' विनिमेयता को रोकती हैं।

- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency)**: यह किसी देश की आधिकारिक मुद्रा का डिजिटल रूप है, जिसे उसके केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। यह वास्तविक नकदी की ही भाँति एक आभासी मुद्रा है, जो डिजिटल रूप में उपलब्ध होती है।

ई-रुपया तथा ई-रूपी:

विशेषता	ई-रुपया (UPSC 2024)	ई-रूपी
जारी करने वाला	आरबीआई (RBI)	एनपीसीआई (NPCI)
विशेषताएँ	CBDC उपयोगकर्ता प्रतिभागी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से e₹-R के साथ लेन-देन करने में सक्षम होंगे और मोबाइल फोन/डिवाइस पर संगृहीत होंगे। विनिमय व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) दोनों हो सकता है। व्यापारियों को भुगतान क्यूआर कोड का उपयोग करके किया जा सकता है। e₹-R भौतिक नकदी जैसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जैसे- विश्वास, सुरक्षा और निपटान। नकदी के मामले में इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और इसे बैंकों में जमा जैसे अन्य प्रकार के धन में परिवर्तित किया जा सकता है।	डिजिटल **GIFT** कार्ड / **SMS** कोड लाभार्थी को खरीदारी करने तथा सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। यह धन का उपयोग करने का एक साधन है। ई-रूपी (e-RUPI) को **SMS** या QR कोड के माध्यम से संगठनों द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य या गतिविधि के लिए लाभार्थियों के साथ साझा किया जाएगा। यह संपर्क रहित ई-रूपी (e-RUPI) आसान, सुरक्षित और संरक्षित है, क्योंकि यह लाभार्थियों के विवरण को पूरी तरह से गोपनीय रखता है। इस वाउचर/प्रमाणपत्र/दस्तावेज के माध्यम से पूरी लेन-देन प्रक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र और विश्वसनीय है, क्योंकि आवश्यक राशि पहले से ही वाउचर में संगृहीत है।
फिएट मुद्रा और वैध मुद्रा	हाँ	नहीं, क्योंकि यह मुद्रा नहीं है।

डिजिटल भुगतान

- **नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI):**
  - भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों को संचालित करने के लिए एक **छत्र** संगठन।
  - **भुगतान और निपटान प्रणालियाँ अधिनियम, 2007** के प्रावधानों के तहत **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तथा भारतीय बैंक संघ (IBA)** की पहल, भारत में एक मजबूत भुगतान एवं निपटान ढाँचे को बनाने के लिए।
  - कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक **गैर-लाभकारी संस्था**।
- **NPCI द्वारा संचालित तंत्र:**
  - **भीम (BHIM):** यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पर आधारित, यह बैंकों के माध्यम से ई-भुगतान को सक्षम बनाता है। यह अन्य UPI एप्लिकेशनों और बैंक खातों के साथ इंटर ऑपरेबल है।
  - **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS):** यह माइक्रो-एटीएम पर केवल आधार संख्या प्रदान करके और फिंगरप्रिंट/आइरिस स्कैन के माध्यम से सत्यापित करके वित्तीय लेनदेन की अनुमति देता है।
  - **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC):** फास्टैग का उपयोग करके टोल प्लाज़ा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में मदद करता है।
  - **राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (NACH):** बैंकों को NPCI द्वारा प्रदान की गई सेवा, जो इंटरबैंक उच्च मात्रा, निम्न मूल्य डेबिट/क्रेडिट लेनदेन को सक्षम बनाती है, जो दोहराव वाले और इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के होते हैं।
  - **तत्काल भुगतान सेवा (IMPS):** मोबाइल फोन के माध्यम से 24x7 तत्काल इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है। ₹1 से ₹5 लाख तक की राशि स्थानांतरित की जा सकती है।
  - **भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS):** बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन और डायरेक्ट-टू-होम (DTH) जैसी रोज़मर्रा की उपयोगिता सेवाओं के लिए दोहराव वाले भुगतान संग्रह को सुविधाजनक बनाने वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करता है।
  - **रुपे (RuPay):** यह एक स्वदेशी विकसित भुगतान प्रणाली है। रुपया + भुगतान = रुपे कार्ड विश्व का 7वाँ भुगतान गेटवे है, जो **मास्टर कार्ड**, **वीजा कार्ड** और **चीन के यूनियन पे** के समान है। यह 3 चैनलों के माध्यम से करता है: **एटीएम**, **पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस (PoS/कार्ड रीडर मशीन)**, ऑनलाइन पोर्टल। यह भारत में बैंकों द्वारा **डेबिट**, **क्रेडिट** और **प्रीपेड कार्ड** के जारी करने का समर्थन करता है।

Search On TG: @apna_pdf

RBI संचालित तंत्र:

विशेषता	वास्तविक समय सकल निपटान (RTGS)	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT)
न्यूनतम स्थानांतरण राशि	आमतौर पर अधिक (उदाहरण ₹2 लाख)	कम (उदाहरण ₹1)
अधिकतम स्थानांतरण राशि	बहुत अधिक (करोड़ों रुपए)	कम सीमा (उदाहरण ₹10 लाख)
निपटान	निधि का वास्तविक समय पर निपटान	निधियों का बैच सेटलमेंट
उद्देश्य	व्यापारिक उद्देश्य के लिए बड़े मूल्य के लेनदेन	छोटे मूल्य के खुदरा लेनदेन
शुल्क	रियल-टाइम प्रोसेसिंग के कारण आमतौर पर अधिक	RTGS की तुलना में कम शुल्क

ऑटोमेटेड टेलर मशीन (Automated Teller Machine - ATM):

- एटीएम नेटवर्क NPCI - **नेशनल फाइनेंशियल स्विच पर संचालित होता है।**
- **नेशनल फाइनेंशियल स्विच (NFC)** भारत में साझा ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो अंतर-प्रचालनीय नकदी आहरण (Interoperable Cash Withdrawal), कार्ड से कार्ड निधि अंतरण और अंतर-प्रचालनीय नकदी जमा लेनदेन आदि की सुविधा प्रदान करता है।
- **बैंक एटीएम**: बैंकों के स्वामित्व के अधीन और उनके द्वारा प्रबंधित एवं स्थापित।
- **ब्राउन लेबल एटीएम (Brown label ATMs)**:
    - **इनका स्वामित्व बैंकों के पास होता है** और बैंकों ने **एटीएम परिचालन का कार्य** तीसरे पक्ष (गैर-बैंकिंग फर्म) को सौंप दिया हो।
    - **संबंधित बैंक** प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा **अर्थात नकदी प्रबंधन और बैक-एंड सर्वर कनेक्टिविटी को संभालते हैं।**
    - ये **उस बैंक का लोगो/चिन्ह लगाते हैं,** जो अपनी सेवा को आउटसोर्स करता है।
- **व्हाइट लेबल एटीएम (White label ATMs)**:
    - तीसरे पक्ष (गैर-बैंकिंग फर्म) **के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा संचालित।**
    - ये **जिस बैंक को सेवा प्रदान करते हैं, उसका लोगो/चिन्ह इन पर नहीं लगा होता** (इसलिए इनका नाम व्हाइट लेबल एटीएम है)।
    - इसके बजाय, इन पर उस फर्म का लोगो लगा होता है जो इनका मालिक होता है।

मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR):

- मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) एक शुल्क है, जिसे व्यवसाय प्रत्येक डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन-देन के लिए भुगतान करते हैं। इसे **लेन-देन छूट दर** भी कहा जाता है।
- MDR को विनिमय में शामिल विभिन्न संस्थाओं के बीच बाँटा जाता है, जिसमें जारी करने वाला बैंक, अधिग्रहण बैंक, कार्ड नेटवर्क और भुगतान प्रक्रमक शामिल होते हैं।
- MDR व्यापारियों के लाभ मार्जिन को नुकसान पहुँचाता है, जिससे वे **पॉइंट ऑफ सेल (PoS)** टर्मिनल (कार्ड स्वाइपिंग मशीन) अपनाने से हतोत्साहित होते हैं, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न करता है।

बैंकों में जमा के रूप में धन:

- **माँग जमा:** बैंक खातों में जमा किए गए धन को माँग के अनुसार निकाला जा सकता है।
- **ओवरड्राफ्ट:** जब किसी व्यक्ति के पास अपर्याप्त बैंक शेष होता है, तो भी वह अपने खाते से पैसे निकाल सकता है (ऋण के रूप में)। इस सुविधा को **ओवरड्राफ्ट** कहा जाता है।
- **टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट:** जमा राशि को एक निश्चित समयावधि के बाद निकाला जा सकता है, अन्यथा एक निश्चित राशि का जुर्माना देना पड़ता है।

NRI बैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन

खाते का प्रकार	खाते के लिए मुद्रा का उपयोग	कराधान	पुनः प्रेषण	अन्य विशेषताएँ
FCNR (विदेशी मुद्रा अनिवासी)	स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा	ब्याज और मूलधन कर मुक्त	स्वतंत्र रूप से पुनः प्रेषणीय	केवल टर्म डिपॉजिट
NRE (अनिवासी बाह्य)	भारतीय रूपए	ब्याज और मूलधन कर मुक्त	स्वतंत्र रूप से पुनः प्रेषणीय	चालू, बचत, आवर्ती, या सावधि जमा
NRO (अनिवासी सामान्य खाता)	भारतीय रूपए	ब्याज और मूलधन कर योग्य	पुनः प्रेषण प्रतिबंधित	चालू, बचत, आवर्ती, या सावधि जमा

- **नोस्त्रो तथा वोस्त्रो खाते**
    - **नोस्त्रो खाता (Nostro Account):** यह खाता भारतीय बैंकों द्वारा विदेशों में, जहाँ उनका परिचालन है, अपने लेन-देन के आसान निपटान के लिए रखा जाता है।
    - **वोस्त्रो खाता (Vostro Account):** विदेशी बैंकों द्वारा भारत में अपने संबंधित बैंकों के साथ रखे गए खाते को वोस्त्रो खाता कहा जाता है।

Search On TG: @apna_pdf

- **लेटर ऑफ अंडरटेकिंग / लेटर ऑफ कम्फर्ट:** यह बैंक गारंटी का एक स्वरूप है, जिसके तहत एक बैंक अपने ग्राहकों को किसी अन्य भारतीय बैंक की विदेशी शाखा से अल्पावधि ऋण के रूप में धन जुटाने की अनुमति दे सकता है।
- **स्विफ्ट सिस्टम:** इसका पूर्ण रूप **"सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन"** है। यह एक मैसेजिंग नेटवर्क है, जिसका उपयोग बैंक सुरक्षित रूप से जानकारी भेजने और प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे कि धन हस्तांतरण निर्देश।

मुद्रा की माँग और आपूर्ति

मुद्रा की माँग:

- किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल माँग निम्नलिखित से निर्मित होती है:
  - **विनिमय की माँग:** कंपनियों और व्यक्तियों के चालू लेन-देन हेतु आवश्यक धनराशि।
  - **सट्टा माँग:** परिसंपत्तियों में निवेश करने के उद्देश्य से धन की इच्छा।
- विनिमय की माँग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मूल्य स्तर के समानुपातिक है, जबकि सट्टा माँग ब्याज की बाजार दर से विपरीत रूप से संबंधित है।

[UPSC 2013]

बॉण्ड, ब्याज दर और मुद्रा की सट्टा माँग:

- अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है और लोग इस अतिरिक्त मुद्रा से बॉण्ड खरीदते हैं, तो बॉण्ड की माँग बढ़ जाएगी, बॉण्ड की कीमतें बढ़ जाएँगी और ब्याज दर घट जाएगी।
- जब ब्याज दर कम होती है, तो ज़्यादा-से-ज़्यादा लोग भविष्य में इसके बढ़ने की उम्मीद करते हैं और पूँजी हानि की आशंका करते हैं। इस प्रकार वे अपने बॉण्ड को मुद्रा में बदल देते हैं, जिससे मुद्रा की उच्च सट्टा माँग पैदा होती है।
- जब ब्याज दर बहुत अधिक होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति भविष्य में इसके कम होने की अपेक्षा करता है, इसलिए लोग अपनी मुद्रा को बॉण्ड में बदल देते हैं। इस प्रकार मुद्रा की सट्टा माँग कम होती है।

बॉण्ड और ब्याज दर में संबंध:

- अधिकांश बॉण्ड एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करते हैं, इसलिए ब्याज दरें गिरने पर मौजूदा बॉण्ड अधिक आकर्षक हो जाते हैं, जिससे उनकी माँग बढ़ जाती है और उनका बाजार मूल्य बढ़ जाता है।
- यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशक कम निश्चित ब्याज दर वाले मौजूदा बॉण्ड नहीं चाहेंगे तथा जब तक उनकी उपज नए बॉण्ड इश्यू के बराबर नहीं हो जाती, तब तक उनकी कीमतें गिरती रहेंगी।
- **बॉण्ड यील्ड:** बॉण्ड यील्ड या प्रतिफल वह रिटर्न है, जो आपको ब्याज के रूप में मिलता है। बॉण्ड की वर्तमान यील्ड उसके वार्षिक ब्याज भुगतान को उसकी वर्तमान कीमत से विभाजित करके निर्धारित की जाती है।
- जब बॉण्ड की कीमत गिरती है, तो उसकी यील्ड बढ़ जाती है, क्योंकि वार्षिक ब्याज भुगतान वही रहता है। इसी प्रकार जब कीमत बढ़ती है, तो उसकी यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि आप ब्याज भुगतान को बड़ी संख्या से विभाजित कर रहे हैं।

बॉण्ड्स के प्रकार

- **जीरो कूपन बॉण्ड:** जीरो कूपन बॉण्ड सममूल्य की छूट पर जारी किए जाते हैं, उनकी उपज खरीद मूल्य, सममूल्य और परिपक्वता तक शेष समय के आधार पर होती है। जीरो-कूपन बॉण्ड, बॉण्ड की उपज को भी सीमित करते हैं, जो कुछ निवेशकों को आकर्षित करता है। ब्याज या कूपन का भुगतान, जीरो-कूपन और नियमित बॉण्ड के बीच मुख्य अंतर है।
- **स्थायी बॉण्ड:** एक सतत बॉण्ड, जिसे **'कंसोल बॉण्ड' या 'पर्प'** के रूप में भी जाना जाता है, एक निश्चित आय सुरक्षा है जिसकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है। इस प्रकार के बॉण्ड को अक्सर ऋण के बजाय इक्विटी का एक प्रकार माना जाता है। इस प्रकार के बॉण्ड की एक विशेष समस्या यह है, कि ये प्रतिदेय योग्य नहीं होते हैं। हालाँकि, इनका मुख्य लाभ यह है कि ये हमेशा ब्याज भुगतान की एक स्थिर मात्रा का भुगतान करते हैं।
- **डिबेंचर:** डिबेंचर एक ऋण साधन है, जिसे कोई कंपनी या सरकार पूँजी एकत्रित करने के लिए जारी करती है। डिबेंचर एक प्रकार का बॉण्ड है, लेकिन ये आमतौर पर असुरक्षित होते हैं, जिसका अर्थ है कि ये संपत्ति या परिसंपत्तियों जैसे संपार्श्विक द्वारा समर्थित नहीं होते हैं। इससे डिबेंचर सुरक्षित बॉण्ड की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण हो जाता है।

Search on TG: @apna_pdf

- **मुद्रा के संचलन का वेग:** इकाई अवधि के दौरान मुद्रा की एक इकाई बदलने की संख्या।
  - M = मुद्रा आपूर्ति
  - P = मूल्य स्तर
  - Y= कुल उत्पादन (आय)
  - P × Y = कुल नाममात्र आय (नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद)
  - V= मुद्रा का वेग (प्रति वर्ष एक डॉलर खर्च होने की औसत संख्या)

$$V = P \times Y / M$$
$$M \times V = P \times Y$$

- **तरलता जाल**
  - यह तब होता है, जब ब्याज दरें बहुत कम होती हैं, फिर भी उपभोक्ता अपने धन को अधिक यील्ड वाले बॉण्ड या अन्य निवेशों में खर्च करने या निवेश करने के बजाय नकदी जमा करना पसंद करते हैं।
  - तरलता जाल में लोग बॉण्ड और नकदी के बीच उदासीन होते हैं, क्योंकि दोनों वित्तीय साधनों द्वारा अपने धारकों को प्रदान की जाने वाली ब्याज दरें व्यावहारिक रूप से समान होती हैं।
  - नकदी तथा बॉण्ड पर ब्याज लगभग शून्य है। इसलिए, केंद्रीय बैंक अब ब्याज दर को प्रभावित नहीं कर सकता (मौद्रिक आधार को बढ़ाने के माध्यम से) और इस पर नियंत्रण समाप्त हो चुका है।

मुद्रा आपूर्ति

समग्र मुद्रा आपूर्ति: यह जनता के पास कुल मुद्रा + बैंकों के पास जनता की माँग जमाराशि है। जब आप बैंक से 1,00,000 रुपये निकालते हैं, तो यह बैंकों में मांग जमाराशि से हाथ में मौजूद मुद्रा में चला जाता है, लेकिन इससे मुद्रा आपूर्ति के मूल्य में कोई बदलाव नहीं होता है।

भारत में मुद्रा आपूर्ति के साधन:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तरलता के आधार पर मुद्रा आपूर्ति को विभिन्न श्रेणियों (M0, M1, M2, M3 और M4) में वर्गीकृत करता है। ये मापदंड अर्थव्यवस्था में मुद्रा परिसंचरण की व्यापक समझ प्रदान करते हैं।

मापदंड	घटक	तरलता [UPSC 2013]	उदाहरण
M0	प्रचलन में मुद्रा + RBI में बैंकों की जमा राशि + RBI में अन्य जमा (उच्च शक्ति मुद्रा)	सर्वाधिक	सभी अन्य मापदंडों का आधार
M1	जनता के पास मुद्रा + माँग जमा + RBI में अन्य जमा	उच्च	अल्पकालिक तरलता विश्लेषण
M2	M1 + डाकघर में बचत जमा	मध्यम	डाक बचत सहित व्यापक तरलता
M3	M1 + बैंकों में समय जमा	मध्यम-निम्न	बैंकों का कुल मौद्रिक संसाधन
M4	M3 + डाकघर में कुल जमा (NSC को छोड़कर)	न्यूनतम	मुद्रा आपूर्ति की सबसे व्यापक माप

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI):

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। यह केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

RBI के कार्य:

- **मुद्रा जारी करना:** देश में मुद्रा जारी करने और प्रबंधित करने हेतु उत्तरदायी।
- **मुद्रा आपूर्ति और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण** **(UPSC 2022)**
- निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग करके मुद्रा आपूर्ति और मूल्य स्थिरता का प्रबंधन करता है:
  - बैंक दरें
  - आरक्षित अनुपात (SLR और CRR)
- **सरकार का बैंकर:**
  - सरकार के लिए बैंकर, एजेंट और ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।
- **बैंकों का बैंकर:**
  - अन्य बैंक RBI के पास अपनी जमा राशि रखते हैं।
  - वित्तीय संकट के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को धन उपलब्ध कराता है।
  - मौद्रिक मामलों पर वाणिज्यिक बैंकों को सलाह देता है। [UPSC 2012]
- **वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन:**
  - SLR और CRR का उपयोग करके परिसंपत्तियों की तरलता सुनिश्चित करता है।
  - शाखा विस्तार को विनियमित करता है।
  - बैंकों के विलय और समापन की देखरेख करता है।

[UPSC 2013]

- **अंतिम उपाय का ऋणदाता:**
  - वित्तीय समस्याओं या पतन के नजदीक पहुँच चुके बैंकों या संस्थानों को ऋण प्रदान करता है। [UPSC 2021]
- **विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक:**
  - देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और सुरक्षा करता है।

RBI के गवर्नर

- **नियुक्ति:**
  - कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली **"वित्तीय क्षेत्र विनियामक नियुक्ति खोज समिति" (FSRASC)** द्वारा प्रस्तावित।
- **कार्यकाल:**
  - RBI अधिनियम की धारा-8(4) के अनुसार, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं कर सकते, जैसा कि नियुक्ति के समय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।
  - पुनः नियुक्ति के लिए पात्र।
- **शक्तियाँ:**
  - गवर्नर को RBI अधिनियम, 1934 से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। **[UPSC 2021]**
  - अधिनियम में गवर्नर के लिए कोई विशेष योग्यता निर्दिष्ट नहीं की गई है।
- **पदच्युति:**
  - गवर्नर को केंद्र सरकार द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।
- **RBI अधिनियम, 1934 की धारा-7:**
  - केंद्र सरकार गवर्नर से परामर्श के बाद जनहित में RBI को निर्देश जारी कर सकती है।
  - भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। **[UPSC 2021]**

RBI की न्यूनतम रिज़र्व प्रणाली:

- RBI ₹200 करोड़ का न्यूनतम रिज़र्व रखता है:
  - ₹115 सोने या सोने के बुलियन के रूप में।
  - ₹85 करोड़ विदेशी मुद्राओं में।
- शेष रिज़र्व RBI द्वारा जारी और रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित है।

RBI के प्रकाशन

1. **वार्षिक प्रकाशन**: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट
2. **अर्द्धवार्षिक प्रकाशन**:
   - वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
   - मौद्रिक नीति रिपोर्ट
   - विदेशी मुद्रा भंडार पर रिपोर्ट
3. **द्विमासिक प्रकाशन**: द्विमासिक नीति वक्तव्य
4. **त्रैमासिक प्रकाशन**:
   - विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण
   - उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
5. **अन्य रिपोर्ट**:
   - वित्तीय समीक्षा पर रिपोर्ट

विभिन्न समितियों की सिफारिशें

1. **उषा थोराट समिति (2004):**
   - इसके अनुसार RBI को अपनी कुल परिसंपत्ति का 18% रिजर्व के रूप में रखना चाहिए।

Search On TG: @apna_pdf

2. **मालेगाम समिति (2014):**
   - इस समिति ने कुल सकल लाभ को वार्षिक रूप से RBI को हस्तांतरित करने का सुझाव दिया।
3. **विमल जालान समिति (2019):**
   - इसके अनुसार अधिशेष वितरण नीति में कुल प्राप्त इक्विटी पर विचार किया जाना चाहिए।
   - अधिशेष सरकार को तभी हस्तांतरित किया जा सकता है, जब प्राप्त इक्विटी आवश्यकता (6.5% से 5.5%) से अधिक हो।

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC):

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) की स्थापना **DICGC अधिनियम, 1961 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी** के रूप में की गई थी। यह बैंक में प्रति जमाकर्ता ₹500,000 तक की बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जमा सहित सभी बैंक जमाओं का बीमा करता है। इसका तात्पर्य यह है, कि अगर किसी व्यक्ति के पास बैंक में कई खाते हैं, तो बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में उसे केवल ₹500,000 ही मिलेंगे।

- **प्रीमियम भुगतान:** बैंक (जमाकर्ता नहीं) बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है।
- **अनिवार्य कवरेज:** निम्नलिखित बैंकों को DICGC से जमा बीमा प्रदान करना अनिवार्य है:
  - सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCBs)
  - लोकल एरिया बैंक (LABs)
  - विदेशी बैंक भारत में शाखाओं के साथ
  - सहकारी बैंक
- **छूट प्राप्त जमा (कोई बीमा कवर प्रदान नहीं किया गया है)**
  - विदेशी सरकारों की जमा राशियाँ
  - केंद्र/राज्य सरकारों की जमा राशियाँ
  - अंतर-बैंक जमा
  - भारत के बाहर प्राप्त जमा राशि
  - राज्य भूमि विकास बैंकों की राज्य सहकारी बैंकों में जमा राशि
  - कोई भी जमा, जिसे निगम RBI से पूर्व अनुमोदन के साथ विशेष रूप से बाहर रखता है। **(UPSC 2012)**

भारत में बैंक

वाणिज्यिक बैंक:

भारत में वाणिज्यिक बैंकों का संचालन **"बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949"** के तहत होता है। इन्हें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (**SCBs**) और गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (**NSCBs**) में विभाजित किया गया है।

- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCBs):**
  - **"आरबीआई अधिनियम, 1934"** की दूसरी अनुसूची के तहत सूचीबद्ध **SCBs** को RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। इन्हें निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होता है:
- न्यूनतम **प्रदत्त पूँजी** (पेड-अप कैपिटल) और ₹5 लाख का रिजर्व।
- परिचालन में RBI नियमों के अनुसार जमाकर्ताओं के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

SCBs को निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
(UPSC 2013)

बैंक के प्रकार	प्रमुख विशेषताएँ
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	व्यापक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक।
राष्ट्रीयकृत बैंक	सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जैसे- **बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा** आदि।
भारतीय निजी बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक, जैसे- **HDFC, ICICI**
निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक	विदेशी बैंक, जैसे- **HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड**
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)	ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित, 50% सरकारी स्वामित्व में, कृषि ऋण पर ध्यान केंद्रित।

चित्र : अनुसूचित बैंकों के प्रकार

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs):

इन बैंकों की स्थापना ग्रामीण परिवारों को ऋण उपलब्ध कराने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। स्वामित्व संरचना इस प्रकार है:

- 50% केंद्र सरकार द्वारा
- 35% प्रायोजक बैंकों द्वारा
- 15% राज्य सरकारों द्वारा **(UPSC 2021)**

विभेदित बैंकिंग (Differentiated Banking):

विभेदित बैंक वे बैंक हैं, जो ग्राहकों के एक विशिष्ट वर्ग को विशेष सेवाएँ या उत्पाद प्रदान करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **नचिकेत मोर समिति** की सिफारिशों के आधार पर **वर्ष 2013** में विभेदित बैंकों की अवधारणा प्रस्तुत की। **लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, शहरी सहकारी बैंक (UCB), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और स्थानीय क्षेत्र बैंक (LAB) आदि विभेदित बैंकिंग के कुछ उदाहरण हैं।**

Search On TG: @apna_pdf

लघु वित्त बैंक (SFBs) तथा भुगतान बैंक

विशेषता	लघु वित्त बैंक (SFBs)	भुगतान बैंक
उदाहरण	कैपिटल लघु वित्त बैंक, उज्जीवन, उत्कर्ष	एयरटेल, इंडिया पोस्ट, FINO, Paytm, Jio, NSDL
पात्रता (प्रारंभिक लाइसेंस)	10 वर्षों के बैंकिंग/वित्त अनुभव वाले सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, NBFCs	निवासी भारतीय, NBFCs, मोबाइल टेलीफोन कंपनियाँ
CRR, SLR, रेपो	भारतीय निजी बैंकों के समान	SLR के लिए विशेष शर्तों के साथ भारतीय निजी बैंकों के समान
ग्रामीण शाखाएँ	अनिवार्य: 25% शाखाएँ बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में	यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन 25% पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए (जैसे- किराना स्टोर)
जमा स्वीकृति	हाँ, कोई प्रतिबंध नहीं	हाँ, केवल प्रति ग्राहक अधिकतम ₹2 लाख की शेष राशि वाली माँग जमा (2021-22 तक)
ऋण सुविधा	हाँ, कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ: *75% ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) में होना चाहिए *50% ऋण पोर्टफोलियो ₹25 लाख से कम होना चाहिए	ऋण सुविधा नहीं
क्रेडिट कार्ड सुविधा	हाँ	नहीं

(UPSC 2016)

सहकारी बैंक

सहकारी समितियाँ **"सहकारी समिति अधिनियम, 1904"** के तहत विनियमित होती हैं। भारत में सहकारी बैंकों की संरचना चार अलग-अलग स्तरों पर बनी है:

- **केंद्रीय सहकारी बैंक**: जिला स्तर पर कार्य करना, मुख्य रूप से संबद्ध प्राथमिक समितियों को ऋण प्रदान करना। DCCBs का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को धन उपलब्ध कराना है।**(UPSC-2020)**
- **राज्य सहकारी बैंक**: राज्य स्तर पर संचालन |
- **प्राथमिक सहकारी बैंक**: शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना, गैर-कृषि व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **भूमि विकास बैंक**: विशेष रूप से किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करना, विकास उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करना।

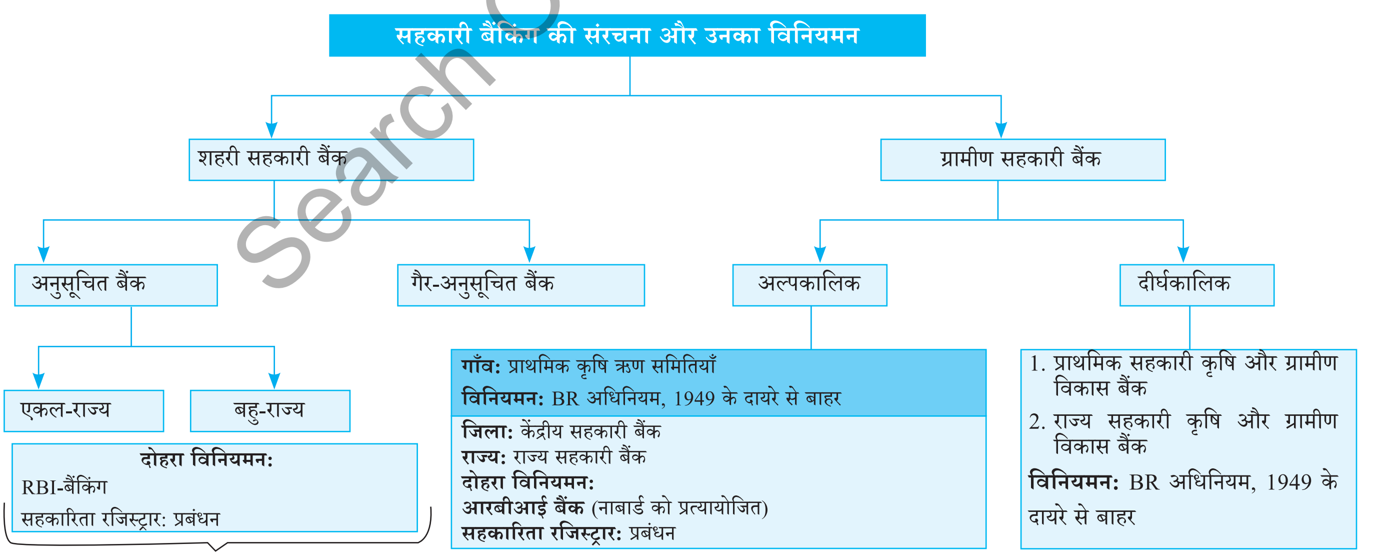

स्वामित्व और विनियामक ढाँचा

- हाल ही में **"बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020"** के तहत शहरी सहकारी बैंकों को RBI के विनियामक ढाँचे के अंतर्गत लाया गया।

(UPSC 2021)

Search On TG: @apna_pdf

विकास बैंक:

विकास बैंक अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास संबंधी क्षेत्रों में यह अत्यंत आवश्यक हैं।

विकास बैंक	स्वामित्व	मुख्य क्षेत्र
नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) (UPSC 2013)	केंद्र सरकार	वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएँ प्रदान करता है।
सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक)	केंद्र सरकार	भारत में छोटे उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है और सुविधा प्रदान करता है।
EXIM बैंक (भारतीय निर्यात-आयात बैंक)	केंद्र सरकार	विदेशी व्यापार और निर्यात ऋण
राष्ट्रीय आवास बैंक	केंद्र सरकार	आवास वित्त
मुद्रा बैंक	केंद्र सरकार	सूक्ष्म वित्त
NaBFID (राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक)	केंद्र सरकार	बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020

बैंकों के प्रकार	नियामक
वाणिज्यिक (जैसे: SBI, AXIS)	भारतीय रिजर्व बैंक
सहकारी (एकल राज्य, ग्रामीण)	RBI+राज्य सरकार
सहकारी (एकल राज्य, शहरी)	भारतीय रिजर्व बैंक
सहकारी (बहु-राज्य)	भारतीय रिजर्व बैंक
सहकारी (PACS)	राज्य सरकार

भारत में विदेशी बैंक:

- विदेशी बैंक भारत के बाहर निगमित बैंक हैं, जो भारत में शाखाओं, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS), या प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से संचालित होते हैं।
- **RBI दिशानिर्देश**
  - **शाखा मॉडल:** कोई न्यूनतम पूँजी की आवश्यकता नहीं; कुछ प्रतिबंधों के अधीन।
  - पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) मॉडल: **(UPSC 2024)**
    - **न्यूनतम पूँजी आवश्यकता:** ₹500 करोड़।
    - बोर्ड में कम-से-कम **50% भारतीय नागरिक** होने चाहिए।
- **भारत में विदेशी बैंकों के उदाहरण:** स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, HSBC,आदि।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs):

NBFCs बैंकिंग लाइसेंस के बिना वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं और "कंपनी अधिनियम, 2013" के तहत विनियमित होते हैं। **NBFCs** की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- माँग जमा स्वीकार नहीं कर सकते।
- क्रेडिट निर्माण नहीं कर सकते।
- भुगतान और निपटान प्रणाली में भाग नहीं ले सकते।
- **NBFCs** के लिए जमा बीमा उपलब्ध नहीं है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की तरलता समायोजन सुविधा (LAF) विंडो तक सीधे नहीं पहुँच सकते हैं। **(UPSC-2024)**

NBFC के प्रकार और विनियमन

श्रेणी	संस्था/कंपनी का प्रकार	नियामक
अन्य नियामकों द्वारा विनियमित NBFC	आवास वित्त संस्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक
	मर्चेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, स्टॉकब्रोकिंग और सामूहिक निवेश योजनाएँ	सेबी
	निधि कंपनियाँ, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनियाँ	निगम मामलों का मंत्रालय (MCA)
	चिट फंड कंपनियाँ	राज्य सरकारें।
	बीमा कंपनियाँ	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA)
गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियाँ	कंपनी अधिनियम, 195 के तहत पंजीकृत कंपनियाँ	निगम मामलों का मंत्रालय (MCA) और राज्य सरकारें

RBI के अनुसार विभिन्न प्रकार की NBFCs (UPSC 2015)

NBFCs के प्रकार	विशेषताएँ
एसेट फाइनेंस कंपनी (AFCs)	वाहन, मशीनरी जैसी भौतिक परिसंपत्तियों के लिए वित्त प्रदान करना।
ऋण कंपनियाँ (LCs)	ऋण प्रदान करना, लेकिन परिसंपत्ति वित्तपोषण (एसेट फाइनेंस) में शामिल नहीं हैं।
निवेश कंपनियाँ (ICs)	मुख्य रूप से शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश करना।
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियाँ (IFCs))	बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को निधि देना।
सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFIs)	निम्न-आय समूहों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना।
कोर निवेश कंपनियाँ (CICs)	शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में विशेषज्ञता।

Search On TG: @apna_pdf

निधि कंपनी और चिट फंड

- **निधि (Nidhi):**
  - **NBFC** की परिभाषा में शामिल है।
  - **यह कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत पंजीकृत और **निगम कार्य मंत्रालय द्वारा विनियमित हैं।**
  - यह केवल **अपने सदस्यों से ही जमा प्राप्त करता है** तथा उन्हें ही पारस्परिक लाभ के लिए ऋण देता है।
- **चिट फंड (Chit Funds):** यह एक प्रकार की बचत योजना है, जिसमें एक निश्चित संख्या में ग्राहक एक निश्चित अवधि में किस्तों में योगदान करते हैं।
  - यह **समवर्ती सूची** में शामिल है।
  - RBI अधिनियम की धारा-45I(bb) के अनुसार, चिट फंड में किसी भी प्रकार की भागीदारी को जमा की परिभाषा से बाहर रखा गया है और इसे जमा नहीं कहा जा सकता है।
  - चिटफंड कारोबार को **केंद्रीय चिटफंड अधिनियम, 1982** तथा इस उद्देश्य के लिए **विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा** इस अधिनियम के तहत **बनाए गए नियमों के तहत विनियमित किया जाता है।**
- **पोंजी योजनाएँ (Ponzi Schemes):**
  - ये योजनाएँ कम या बिना किसी जोखिम के उच्च रिटर्न का वादा करती हैं। पोंजी योजना नए निवेशकों को जोड़कर पुराने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करती हैं, उदाहरण: शारदा घोटाला आदि।

NBFCs और बैंकों के बीच अंतर

विशेषता	NBFCs	बैंक
लाइसेंस	बैंकिंग लाइसेंस रखने की आवश्यकता नहीं है	बैंक लाइसेंस आवश्यक
माँग जमा	माँग जमा स्वीकार नहीं कर सकते	माँग जमा स्वीकार कर सकते हैं
विनियमन	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विनियमित	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत विनियमित
जमा बीमा	उपलब्ध नहीं है	DICGC के माध्यम से उपलब्ध है
साख निर्माण	साख निर्माण नहीं करते	बैंक साख निर्माण कर सकते हैं
विदेशी निवेश	100% तक विदेशी निवेश की अनुमति	निजी बैंकों के लिए 74% तक विदेशी निवेश
भुगतान एवं निपटान	संरचना का भाग नहीं	संरचना का अभिन्न अंग

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL):

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से तात्पर्य ऋण के उस हिस्से से है, जो बैंकों को उन क्षेत्रों में योगदान करने के लिए बाध्य करता है, जो राष्ट्रीय विकास हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।

- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए समग्र लक्ष्य:** समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) का 40% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के बराबर क्रेडिट (CEOBE), जो भी अधिक हो।
- **20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक:** ANBC या CEOBE, का 40%, निर्यात के लिए 32% तक और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कम-से-कम 8%।
- **भारत में 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक:** अपने कुल ऋण का 40% घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देना होगा, जिसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (**PSL**) लक्ष्य के रूप में जाना जाता है।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक:** ANBC या CEOBE का 75%

ऋण देने हेतु श्रेणियाँ: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने संबंधी प्रमुख क्षेत्र हैं-

(UPSC 2013)

- कृषि
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)
- निर्यात ऋण
- शिक्षा
- आवास
- सामाजिक अवसंरचना
- नवीकरणीय ऊर्जा
- अन्य (जैसा निर्दिष्ट है)

RBI द्वारा समय-समय पर क्षेत्रवार लक्ष्य तय किए जाते हैं।

लक्ष्य श्रेणी

- **कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण**
  - कमजोर वर्ग (जैसे एससी/एसटी, महिलाएँ, लघु कृषक, आदि)
  - कृषि
  - लघु और सीमांत किसान (कृषि के अंतर्गत)
  - सूक्ष्म उद्यम (बैलेंस शीट से बाहर के जोखिम के बराबर ऋण राशि के अनुसार)
- **कुल नेट बैंक क्रेडिट (NBC) के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य**
  - कुल नेट बैंक क्रेडिट का 40%
  - कुल नेट बैंक क्रेडिट का 12% या PSL का 10%, जो भी अधिक हो
  - कुल नेट बैंक क्रेडिट का 18%
  - कुल नेट बैंक क्रेडिट का 10%
  - कुल नेट बैंक क्रेडिट का 7.5% या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो

नोट: कृषि के लिए ऋण आवंटन में लघु और सीमांत किसानों के लिए एक विशिष्ट उप-लक्ष्य शामिल है, जो कृषि अर्थव्यवस्था में उनके महत्त्व पर जोर देता है।

PSL लक्ष्यों का गैर-अनुपालन: यदि कोई बैंक निर्धारित पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे कमी को निर्दिष्ट निधियों में जमा करना होगा। इनमें शामिल हैं:

1. ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है।
2. शहरी अवसंरचना विकास निधि।
3. सिडबी, मुद्रा लिमिटेड और राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) आदि। जमा की जाने वाली राशि का निर्धारण समय-समय पर आरबीआई द्वारा किया जाता है।

Search On TG: @apna_pdf

बैंकिंग प्रणाली द्वारा मुद्रा का सृजन

बैंकों की परिसंपत्ति और देयताएँ

- **बैंक की परिसंपत्ति**: ये बैंक के स्वामित्व वाले संसाधन हैं, जो भविष्य में आय उत्पन्न करते हैं:
  - **निवेश**: बैंक द्वारा खरीदे गए बॉण्ड, प्रतिभूतियाँ, या म्यूचुअल फंड।
  - **कॉल मनी और अल्प सूचना पर धन**: अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थानों को दिया गया अल्पकालिक ऋण।
  - **ऋण और अग्रिम**: ग्राहकों और व्यवसायों को दिया गया ऋण।
  - **छूट प्राप्त एवं क्रय किए गए बिल**: छूट पर खरीदे गए प्राप्य बिल।

(UPSC 2019)

- **भंडार**:
  - वाणिज्यिक बैंकों द्वारा RBI के पास नकदी या ट्रेजरी बिल जैसे वित्तीय संसाधनों के रूप में रखी गई जमा राशि।
  - **उद्देश्य**: नकदी निकासी की माँग और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **बैंक की देयताएँ**:
  - **जमा**: बैंक द्वारा खाताधारकों को दिया जाने वाला धन।
- **बैंक की निवल परिसंपत्ति**: निवल परिसंपत्ति = परिसंपत्ति - देयता

बैंकिंग प्रणाली संबंधी प्रमुख अनुपात

- **धन गुणक (m)**
  - यह दर्शाता है कि कुल मुद्रा आपूर्ति निर्माण के लिए प्रारंभिक जमा कितनी बार विस्तारित होता है।

    m = मुद्रा आपूर्ति (M)/उच्च - शक्ति मुद्रा (H)
  - **स्पष्टीकरण**: मुद्रा गुणक जितना अधिक होगा, साख सृजन में बैंकिंग प्रणाली उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ बढ़ता है।

(UPSC 2019, 2021)

- **आंशिक रिजर्व बैंकिंग (Fractional Reserve Banking)**:
  - बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश आरक्षित रूप में रखना होता है और शेष राशि से ऋण आदि देना होता है।
  - ऋण प्रणाली बैंकों के साख सृजन को प्रोत्साहित करती है।
- **मुद्रा जमा अनुपात (CDR):**
  - यह जनता द्वारा अपनी बैंक जमाराशि के सापेक्ष रखी गई नकदी के अनुपात को दर्शाता है।

    (CDR)= प्रचलन में मुद्रा/माँग जमा
- **आरक्षित जमा अनुपात (RDR)):**
  - बैंकों द्वारा आरक्षित निधि के रूप में रखी गई कुल जमा राशि का प्रतिशत।

    RDR= जमा (नकदी + आरबीआई के पास जमा)/कुल जमा
- **आरक्षित धन के घटक**:
  - बैंकों में नकदी जमा करना
  - RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियाँ
- **प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR):**
  - प्रावधानों द्वारा शामिल किए गए NPA के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। यह बैंकों को भविष्य में परिसंपत्ति की हानि से बचाने में मदद करता है। एक उच्च PCR बेहतर होता है, क्योंकि यह संभावित हानि के लिए बेहतर तैयारी का संकेत देता है।
- **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NNPA):**
  - **NNPA = सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ – प्रोविजनिंग**
  - यह बैंक द्वारा किए गए प्रोविजनिंग का मूल्याँकन करने के बाद NPA को दर्शाता है।

बैंक की माँग देयताएँ:

- **चालू खाता, बचत खाता (CASA) तथा डिमांड ड्राफ्ट** शेष माँग देनदारियों का हिस्सा हैं।
- सावधि जमा और दावा न किए गए जमा में अतिदेय शेष भी इसी श्रेणी में आते हैं।

ऋण तथा इससे संबंधित शर्तें

- **औपचारिक क्षेत्र ऋण**:
  - बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा प्रदान किए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित।
- **अनौपचारिक क्षेत्र ऋण**:
  - साहूकारों, व्यापारियों और नियोक्ताओं द्वारा बिना विनियमन के दिए गए ऋण।
- **ऋण संबंधी शर्तें**:
  - शामिल है:
    - **ब्याज दर**: ऋण की दर
    - **कोलैट्रल**: सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई परिसंपत्ति (जैसे- भूमि, सोना, नकदी आदि)
    - **दस्तावेज**: ऋण स्वीकृति के लिए आवश्यक दस्तावेज।
    - **पुनर्भुगतान प्रणाली**: पुनर्भुगतान की संरचना और समय।
- **कोलैट्रल**:
  - **परिभाषा**: ऋण चुकाए जाने तक ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी जाने वाली गारंटी, जैसे- संपत्ति, पशुधन या बैंक जमा शामिल हैं।
- **टीज़र ऋण**:
  - प्रोत्साहन के रूप में कम प्रारंभिक ब्याज दरों की प्रस्तुत करने वाले ऋण।
  - **जोखिम**: सबप्राइम ऋण से संबंधित है। **(UPSC 2011)**
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ**:
  - **भारतीय एजेंसियाँ (सेबी द्वारा विनियमित):** क्रिसिल, ICRA, CARE, SMERA, फिच इंडिया, ब्रिकवर्क रेटिंग्स।
  - **वैश्विक एजेंसियाँ**: फिच रेटिंग्स, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स। **(UPSC 2022)**

बैंकिंग विनियमन के लिए बेसल मानदंड

- **पृष्ठभूमि**:
  - बेसल मानदंड **"बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल समिति" (BCBS)** के तहत वैश्विक बैंकिंग मानकों को विनियमित करते हैं।
  - भारत वर्तमान में बेसल III मानदंडों का पालन करता है।

(UPSC 2015)

Search On TG: @apna_pdf

- **बेसल III आवश्यकताएँ**:
  - **पूँजी पर्याप्तता**:
    - टियर 1 और टियर 2 परिसंपत्तियाँ जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का कम-से-कम 10.5% होना चाहिए।
  - **टियर - 1 पूँजी**:
    - **परिभाषा:** प्राथमिक वित्तपोषण स्रोत, जिसमें शेयरधारकों की इक्विटी और प्रतिधारित आय शामिल है।
  - **टियर- 2 पूँजी:**
    - **घटक:** पुनर्मूल्याँकन भंडार, हाइब्रिड पूँजी उपकरण, अधीनस्थ अवधि ऋण आदि।
    - **विश्वसनीयता:** टियर 1 पूँजी की तुलना में कम तरलता और विश्वसनीयता।
- **तरलता कवरेज अनुपात (LCR)**:
  - **परिभाषा**: यह सुनिश्चित करता है, कि वित्तीय तनाव के दौरान बैंक 30 दिनों तक अपनी साख बनाए रखने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखें।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

- **नरसिंह समिति (वर्ष 1991 और 1998)**:
  - कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सुदृढ़ बैंकों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र) के विलय का समर्थन किया।
  - बैंक परिचालन में सरकारी हस्तक्षेप कम करने की सिफारिश की।
- **CAMEL पैरामीटर्स (बैंक प्रदर्शन मूल्याँकन ढाँचा):**
  - **पूँजी पर्याप्तता (C):** यह सुनिश्चित करता है कि बैंक जोखिमों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूँजी संग्रह बनाए रखें।

  पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) = बैंक की पूँजी/जोखिम - भारित परिसंपत्तियाँ × 100
    - बैंक की पूँजी= टियर 1+ टियर 2 परिसंपत्ति
    - बेसल III मानदंडों के अनुसार न्यूनतम सीएआर: **10.5%**.
  - **परिसंपत्ति गुणवत्ता (A):** ऋण और अग्रिम की गुणवत्ता की जाँच करती है।
  - **प्रबंधन दक्षता (M):** शासन और परिचालन सुदृढ़ता पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **आय की गुणवत्ता (E):** लाभप्रदता और स्थिरता को मापती है।
  - **तरलता (L):** अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का आकलन करती है।

मिशन इंद्रधनुष:

- **A7-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB)) की चुनौतियों के समाधान के लिए व्यापक रणनीति (ABCDEF&G):**

1. **नियुक्तियाँ (Appointments):** सीईओ और एमडी की भूमिकाओं का पृथक्करण।
2. **बैंक बोर्ड ब्यूरो (Bank Board Bureau):** नियुक्तियों की निगरानी के लिए एक बोर्ड ब्यूरो (BBB) की स्थापना।
3. **पूँजीकरण (Capitalization):** बेसल III मानदंडों को पूरा करने के लिए ₹70,000 करोड़ का निवेश।
4. **तनाव में कमी (De-stressing):** NPAs. को संबोधित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को तनावमुक्त करना।
5. **रोज़गार (Employment):** नियुक्ति में बढ़ी स्वायत्तता।
6. **जवाबदेही के लिए रूपरेखा (Framework for Accountability):** प्रमुख निष्पादन संकेतक (KPI) का उपयोग।
7. **प्रशासन सुधार (Governance Reforms):** ज्ञान संगम जैसे सम्मेलनों को प्रोत्साहन।

- सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के सुधार के लिए गठित पी. जे. नायक समिति ने इसका सुझाव दिया था।

Search On TG: @apna_pdf

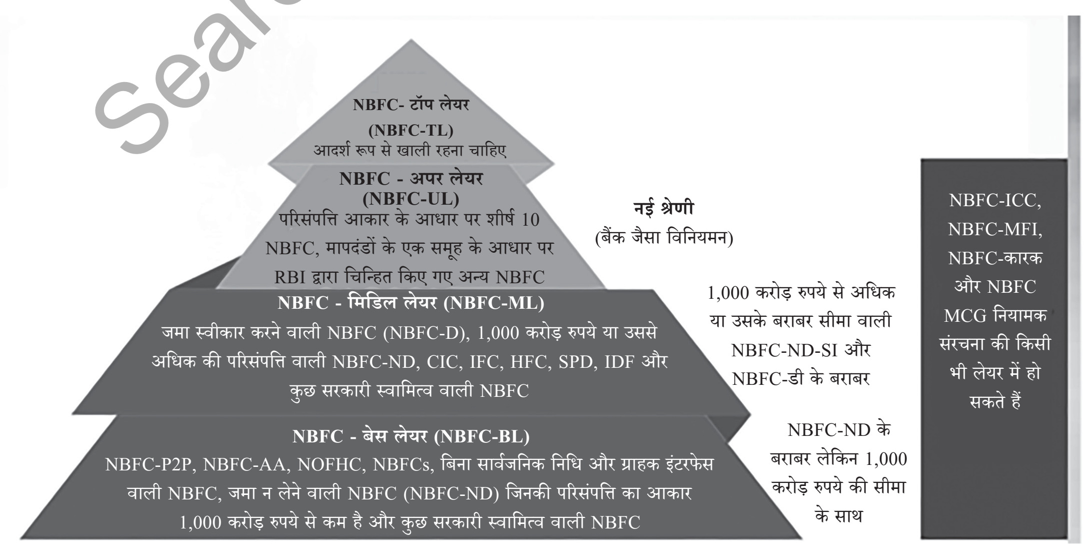

- **NBFC के लिए स्केल-आधारित विनियमन:**
    - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू किए गए स्केल-आधारित विनियमन (SBR) का उद्देश्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को उनके आकार और प्रणालीगत महत्त्व के आधार पर विनियमित करना है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि, अधिक महत्त्वपूर्ण NBFC को कठोर विनियामक आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है, जबकि छोटी NBFC को सरल मानदंडों के अधीन कार्य करना पड़ता है।
- **विभेदित दृष्टिकोण**: NBFC को उनकी परिसंपत्ति के आकार और प्रणालीगत प्रभाव के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:
    - **टीयर- 1:** प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण NBFC (SI-NBFCs), जिनका वित्तीय प्रणाली पर विशेष प्रभाव है।
    - **टीयर- 2:** मध्यम आकार की NBFC।
    - **टीयर- 3:** छोटी NBFC।
    - **टीयर- 4:** विशिष्टता-आधारित NBFC।
- **विनियामक आवश्यकताएँ**: बड़ी NBFC को उच्च पूँजी पर्याप्तता, तरलता अनुपात और प्रकटीकरण मानदंड बनाए रखने की आवश्यकता होती है। छोटी NBFC को अपेक्षाकृत सरल मानदंडों का सामना करना पड़ता है।
- **प्रशासन और जोखिम प्रबंधन**: बड़ी NBFC को मजबूत जोखिम प्रबंधन और निगम प्रशासन प्रक्रियों को अपनाना चाहिए। टियर- 1 NBFC पर ऋण, बाजार और तरलता जैसे जोखिमों के लिए कठोरतापूर्वक निगरानी की जाती है।
- **पूँजी पर्याप्तता और तरलता**: टियर- 1 NBFC के लिए पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) अधिक है, जो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, SI-NBFC को रबी दिशा-निर्देशों के आधार पर 15% या उससे अधिक का CAR बनाए रखना आवश्यक है।
- **SI-NBFC के लिए डेटा:** RBI के हालिया आँकड़ों के अनुसार, प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (SI-NBFC) की संयुक्त परिसंपत्ति का आकार ₹500 करोड़ से अधिक है और उन्हें कठोर पूँजी पर्याप्तता और तरलता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।

बैंक बोर्ड ब्यूरो (Bank Board Bureau-BBB)

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकारी नियंत्रण से अलग करने के लिए बिचौलिए के रूप में कार्य करता है।
- **कार्य:**
    - PSB में वरिष्ठ भूमिकाओं के लिए नियुक्तियों की सिफारिश करता है।
    - पूँजी एकत्रण और प्रदर्शन में सुधार के लिए रणनीति विकसित करता है।
- वर्ष 2022 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

कोर बैंकिंग समाधान (CBS):

- एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो शाखा-रहित, केंद्रीकृत बैंकिंग को सक्षम बनाता है।
- **उदाहरण:**
    - **फिनेकल (Finacle)**: ICICI बैंक द्वारा प्रयोग किया जाता है।
    - **ई-कुबेर**: RBI द्वारा प्रयोग किया जाता है।
- **विशेषताएँ**: वास्तविक समय पर लेनदेन, विभिन्न शाखाओं में खाता प्रबंधन, 24/7 सेवा।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA)

- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित स्वतंत्र नियामक।
- **संगठन:**
    - अध्यक्ष + अन्य 15 सदस्य
- **शक्तियाँ/कार्य** :
    - लेखा परीक्षा/ लेखा में कदाचार की जाँच करता है।
    - सूचीबद्ध तथा गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को शामिल करता है:
        - प्रदत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) $\geq$ ₹500 करोड़
        - वार्षिक टर्न-ओवर $\geq$ ₹1,000 करोड़

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO):

- निगम प्रशासन पर नरेश चंद्र समिति की सिफारिश पर स्थापित।
- **उद्देश्य:** व्हाइट-कॉलर अपराधों की जाँच करना।
- **नियामक:** निगम मामलों का मंत्रालय।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC)

- दिवाला और दिवालियापन संबंधी मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए रूपरेखा।
- **डिफ़ॉल्ट सीमा**: न्यूनतम डिफॉल्ट ₹1 करोड़।
- **समाधान समयरेखा**:
    - **180 दिन** (270 दिनों तक विस्तार योग्य)।
    - यदि कोई समाधान प्राप्त नहीं होता है, तो परिसंपत्ति नष्ट कर दी जाती है।
- **शामिल नहीं है:** विलफुल डिफ़ॉल्टर
- **प्रमुख संकेतक:**
    - **NCLT**: निर्णायक प्राधिकारी
    - **दिवाला पेशेवर (Insolvency Professionals-IPs)**: मामलों का प्रबंधन
    - **सूचना उपयोगिताएँ (IUs)**: सूचना विषमता में कमी
    - **IBBI**: भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड एक विनियामक संस्था है।
- **मुख्य परिभाषाएँ:**
    - **दिवाला**: देय होने पर ऋण चुकाने में असमर्थता।
    - **दिवालियापन**: दिवालियेपन की कानूनी घोषणाI
    - **बेल-इन (Bail-In)**: बैंक की जमा राशि का उपयोग स्वयं को स्थिर करने के लिए किया जाता है।
    - **बेल-आउट (Bail-Out)**: सार्वजनिक धन का उपयोग करके बाह्य बचाव।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA)

- **परिभाषा**: ऐसा ऋण, जिसमें मूलधन/ब्याज 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है।
- **कृषि ऋण के लिए**:
    - **अल्पावधि फसल ऋण**: अतिदेय >2 फसली मौसम।
    - **दीर्घावधि फसल ऋण**: अतिदेय >1 फसली मौसम।

Search On TG: @apna_pdf

स्पेशल मेंशन अकाउंट (SMA)

- वे खाते जो **पहले 90 दिनों में ही अशोध्य परिसंपत्ति** गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं।

एसएमए श्रेणी	अतिदेय अवधि
SMA-0	0-30 दिन
SMA-1	31-60 दिन
SMA -2	61-90 दिन

ऋण खाता वर्गीकरण

वर्गीकरण	वर्गीकरण का आधार
अवमानक परिसंपत्ति (Substandard Asset)	खाता 12 या अधिक महीनों तक NPA बना रहता है।
संदिग्ध परिसंपत्ति (Doubtful Asset)	खाता 12 महीने या उससे अधिक समय तक अवमानक परिसंपत्ति के रूप में बना रहता है।
हानि परिसंपत्ति (Loss Asset)	बैंक या RBI द्वारा ऋण हानि की पहचान की गई है, लेकिन राशि को पूरी तरह से माफ नहीं किया गया है।
माफ़ किया गया ऋण (Loan Write Off)	ऋण को बैंक तुलन पत्र के परिसंपत्ति भाग से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।
पुनर्गठित ऋण (Restructured Loan)	जब मूलधन या ब्याज या अवधि की शर्तों को संशोधित किया जाता है, जिससे ऋणकर्ता ऋण का भुगतान कर सके।
तनावग्रस्त परिसंपत्ति (Stressed Asset)	NPA + बट्टे खाते में डाले गए ऋण + पुनर्गठित ऋण = संकटग्रस्त परिसंपत्तियाँ

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA):**
  - NPA ऐसे ऋण होते हैं, जिनमें ऋणकर्ता ने एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 90 दिन या उससे अधिक) के लिए ब्याज भुगतान या मूलधन की अदायगी में चूक की है। ये ऋण बैंक के बैलेंस शीट पर दिखाई देते हैं, जिनमें संभावित हानियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं।
- **लोन राइट-ऑफ़ (Written-off Loans):**
  - लोन राइट-ऑफ़ उस ऋण को कहते हैं, जिसे बैंक ने घाटे के रूप में मान्यता दी है और अपने बैलेंस शीट से हटा दिया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है, कि ऋण पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, बल्कि बैंक अभी भी इसे वसूलने का प्रयास कर सकता है, लेकिन यह अब बैंक के सक्रिय NPA में शामिल नहीं है। बट्टे खाते में डाले गए ऋण आमतौर पर वे होते हैं, जो लंबे समय तक गैर-निष्पादित रहे हैं और उनकी वसूली असंभव हो जाती है।

ट्विन बैलेंस शीट की समस्या

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और कुछ निगम घरानों तथा निजी संस्थाओं के तुलन पत्र खराब स्थिति में है, अर्थात निजी कंपनियाँ अत्यधिक ऋणग्रस्त तथा संकटग्रस्त हैं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तुलन पत्र में NPA बढ़ रहा है।

- **अति ऋणग्रस्त कंपनियाँ (Over Leveraged companies)**: इन कंपनियों पर ऋण स्तर बहुत अधिक है और इन्हें ब्याज भुगतान करने में समस्या होती है। किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्याँकन करने के लिए मुख्य संकेतक ब्याज कवरेज अनुपात (ICR) को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जाता है:

  ICR = EBIT (ब्याज और कर पूर्व आय)/ब्याज व्यय

  जहाँ, ब्याज व्यय = कंपनी के ऋण पर देय कुल ब्याज; EBIT = ब्याज और कर पूर्व आय।
  - उच्च ICR ऋण सेवा की बेहतर क्षमता को तथा कम ICR ऋणदाताओं के लिए उच्च जोखिम को दर्शाता है। **(UPSC 2020)**
- **सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में बढ़ते** NPA**:** सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक बढ़ते NPA से जूझ रहे हैं, जिससे उनके वित्तीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो रही है। NPA वे ऋण हैं, जो डिफॉल्ट हो चुके हैं या डिफॉल्ट के समीप हैं।

NPA समाधान के लिए उपाय

- **तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए 3R फ्रेमवर्क**
  - **सुधार:** तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का मूल्याँकन और वर्गीकरण करने के लिए परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा **(AQR)** आयोजित की जाती है।
  - **पुनर्गठन:**
    - **रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (SDR)**: ऋणदाताओं को कंपनी की परिसंपत्तियों पर नियंत्रण लेते हुए ऋण को इक्विटी में बदलने की अनुमति देता है।
    - **तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की सतत संरचना (S4A)**: ऋण के उस हिस्से का मूल्याँकन किया जाता है, जो टिकाऊ है तथा गैर-टिकाऊ हिस्से को स्वामित्व में परिवर्तन किए बिना इक्विटी में परिवर्तित करके पुनर्गठित किया जाता है।
    - **संयुक्त ऋणदाता मंच ((JLF)**: तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर सहयोगात्मक निर्णय लेने के लिए एक मंच।
  - **पुनर्प्राप्ति**: बकाया राशि वसूलने के लिए SARFAESI अधिनियम, 2002 और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 का प्रयोग।

के. वी. कामथ समिति: इस समिति की स्थापना COVID-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के उपायों की सिफारिश करने के लिए की गई थी। **[UPSC 2020]**

- **तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की सतत संरचना (S4A)**:
  - **उद्देश्य**: तनावग्रस्त खातों के लिए एक वित्तीय पुनर्गठन उपकरण।
  - **प्रक्रिया**: एक स्वतंत्र अभिकरण, जो टिकाऊ बनाम अस्थाई ऋण का मूल्याँकन करती है। अस्थाई ऋण को स्वामित्व में बदलाव किए बिना इक्विटी में परिवर्तित किया जाता है।
- **अंतर-लेनदार समझौता (ICA)**:
  - प्रोजेक्ट सशक्त के एक भाग के रूप में, ICA ऋणदाताओं के एक समूह द्वारा प्रबंधित ₹50 करोड़ या उससे अधिक की ऋण राशि के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है।
- **बैड बैंक**: यह एक वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से खराब ऋण खरीदने, उन्हें पुनर्गठित करने और घाटे को अवशोषित करने के लिए की जाती है। इसका उद्देश्य बैंकों को अपना **बैलेंस शीट** को संतुलित करने और संकटग्रस्त परिसंपत्तियों से उबरने में मदद करना है।

Search On TG: @apna_pdf

- **बैड बैंक के घटक**:
  - **परिसंपत्ति प्रबंधन**: PSBs से रियायती मूल्य पर NPA खरीदें।
  - **ऋण पुनर्गठन**: तनावग्रस्त ऋणों का पुनर्गठन और वसूली।
  - **ऋण वसूली**: ऋण वसूलने के लिए परिसंपत्ति का विक्रय।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में **"सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्ति पुनर्वास संगठन" (PARA)** को संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक बैड बैंक के रूप में स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। सरकार ने भारत में NPA को कम करने के लिए बैड बैंकों की अवधारणा पर भी विचार किया है।

NARCL और IDRCL: NPA समाधान के लिए प्रमुख संस्थान:

- **राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL)**:
  - **उद्देश्य:** NARCL एक बैड बैंक है, जिसे सरकार ने बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए स्थापित किया है। यह रियायती मूल्य पर NPA खरीदता है और पुनर्गठन या परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से उन्हें हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **स्वामित्व:** यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे बैंकों के बैलेंस शीट को स्वच्छ करने के लिए निर्मित किया गया है।
  - **परिसंपत्ति अधिग्रहण और वित्तपोषण:** NARCL ₹500 करोड़ से अधिक मूल्य की संकटग्रस्त परिसंपत्ति खरीदता है। इसे PSB, सरकार और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) से वित्तपोषण के संयोजन द्वारा पूँजीकृत किया जाता है। यह सरकारी गारंटी अधिगृहीत परिसंपत्तियों की हानि वाले भाग को कवर करती है।
  - **परिचालन मॉडल:** संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के बाद NARCL, IDRCL के समर्थन से या तो परिसमापन या पुनर्गठन के माध्यम से उन्हें हल करने पर कार्य करता है।
- **भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL)**:
  - **उद्देश्य:** IDRCL, NARCL की परिचालन शाखा है। यह बैंकों से NARCL द्वारा अधिगृहीत संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के दैनिक प्रबंधन और समाधान को संभालता है। IDRCL इन परिसंपत्तियों का पुनर्गठन, क्रेता ढूँढ़ने या संपत्ति की बिक्री का प्रबंधन करके उनके मूल्य में सुधार करने का कार्य करता है।
  - **परिचालन ढाँचा:** IDRCL उन बड़ी संकटग्रस्त परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिन्हें NARCL खरीदता है, समाधान पर कार्य करने के लिए एक पेशेवर समूह का उपयोग करता है। यह कुशलतापूर्वक धन की वसूली के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) जैसी अन्य समाधान संगठनों के साथ कार्य करता है।
- **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)**:
  - पूँजी अनुपात, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में कुछ सीमा से नीचे आने वाले बैंकों को **PCA** ढाँचे के तहत रखा जाता है, जो शाखा विस्तार एवं लाभांश भुगतान जैसी कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। **[UPSC 2018]**
  - **PCA** 1 अप्रैल, 2025 से शहरी सहकारी बैंकों के लिए **पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचे (Supervisory Action Framework)** का स्थान लेगा।
- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ARC)**:
  - नरसिंह समिति (वर्ष 1998) द्वारा अनुशंसित, ARC बैंकों से NPA खरीदते हैं, उनके **बैलेंस शीट** को संतुलित करते हैं तथा मूल्य वसूलने के लिए उन्हें पुनः विक्रय करते हैं।
- **ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT)**:
  - एक कानूनी मंच, जहाँ ऋणदाता बंधक परिसंपत्तियों की नीलामी करके बकाया राशि वसूल कर सकते हैं तथा ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRAT) में अपील की सुविधा उपलब्ध है।
- **ई-बिक्रय (e-Bay) पोर्टल**:
  - जब्त की गई परिसंपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी के लिए शुरू किया गया एक मंच, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और परिसंपत्तियों की बिक्री से बेहतर मूल्य की प्राप्ति होगी।

❖ ❖ ❖

Search On TG: @apna_pdf

Join Us
OnlyIAS Nothing Else
OnlyIAS UPSC
OnlyIAS Extended
PW OnlyIAS
9920613613 | pwonlyias.com

4 मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक (भारत के संबंध में "भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934" के तहत भारतीय रिजर्व बैंक) के तहत अर्थव्यवस्था में मुद्रा और ऋण की आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए अपनाई गई रणनीति से है। यह नीति विशिष्ट व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ब्याज दरों और तरलता उपायों जैसे विभिन्न मौद्रिक संसाधनों का प्रयोग करती है।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य

- **आर्थिक विकास में वृद्धि:** निवेश और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करना।
- **मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति नियंत्रण:** मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमा के भीतर रखना और अवस्फीति या संकुचन को रोकना।
- **विनिमय दर स्थिरीकरण:** बाह्य व्यापार और निवेश के लिए एक स्थिर और प्रतिस्पर्धी विनिमय दर बनाए रखने में सहायता करता है।
- **बचत और निवेश का संतुलन:** बचत को प्रोत्साहित करने और उन्हें उत्पादक निवेशों में लगाने के लिए ब्याज दर परिदृश्य को संरेखित करना।
- **रोज़गार सृजन:** रोज़गार सृजन के लिए अनुकूल आर्थिक परिदृश्य निर्मित करता है।

मौद्रिक नीति का वर्गीकरण

- **विस्तारवादी मौद्रिक नीति [UPSC 2019, 2020]**
  - **उद्देश्य:** आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना।
  - **अन्य नाम:** डविश नीति
  - **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - ब्याज दरों में कमी (रेपो दर, बैंक दर, SLR, सीमांत स्थायी सुविधा)।
    - बैंकिंग प्रणाली में तरलता लाता है, जिससे बैंक अधिक ऋण देने में सक्षम होते हैं।
    - कुल माँग में वृद्धि होती है और निवेश को बढ़ावा मिलता है।
  - **संदर्भ:** आर्थिक मंदी या मंदी के दौरान विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया।
  - **उदाहरण:** 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट
- **संकुचनकारी मौद्रिक नीति**
  - **उद्देश्य:** मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति को कम करना।
  - **अन्य नाम: हॉकिश नीति**
  - **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - ब्याज दरों में वृद्धि (रेपो दर, बैंक दर, SLR, MSF)।
    - अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है, जिससे व्यय और निवेश के लिए उपलब्ध ऋण कम हो जाता है।
    - समग्र माँग पर अंकुश लगाता है, जिससे मुद्रास्फीति स्थिर होती है।
  - **संदर्भ:** उच्च मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाया गया।
  - **उदाहरण:** COVID-19 के पश्चात् मुद्रास्फीति के दौर में आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि।

मौद्रिक नीति समिति

घटक	विवरण
स्थापना	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत गठित, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था।
उद्देश्य	मूल्य स्थिरता प्राप्त करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर निर्धारित करना और मौद्रिक नीति का मार्गदर्शन करना।
संरचना	**समिति में छह सदस्य शामिल हैं:** • **आरबीआई प्रतिनिधि (3):** गवर्नर (अध्यक्ष), डिप्टी गवर्नर (मौद्रिक नीति) और एक अन्य अधिकारी। • **सरकार द्वारा नामित (3):** केंद्र सरकार द्वारा नामित अर्थशास्त्र या संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ।
निर्णय प्रक्रिया	• निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। • प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है, आरबीआई के गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है।
बैठकों की आवृत्ति	वर्ष में कम-से-कम चार बार (तिमाही) या आवश्यकतानुसार
सदस्यों का कार्यकाल	मनोनीत सदस्य चार वर्षों के लिए या आगामी सूचना तक अपनी सेवा प्रदान करते हैं।
लक्ष्य	भारत सरकार और आरबीआई के बीच समझौते के अनुसार मुद्रास्फीति लक्ष्य (CPI-समग्र) को बनाए रखना।

Search On TG: @apna_pdf

मुद्रास्फीति लक्ष्य	• सरकार द्वारा आरबीआई के परामर्श से तय किया जाता है। • **वर्तमान लक्ष्य:** 4% (+/- 2%) (2021-2026 के लिए समझौते के अनुसार)।
विधिक ढाँचा	आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के आधार पर निर्णय और कार्रवाई।
सार्वजनिक संचार	• आरबीआई मौद्रिक नीति समिति का संकल्प प्रकाशित करता है, जिसमें निर्णयों के औचित्य का विवरण दिया जाता है। • मौद्रिक नीति समिति की बैठकों के मिनट्स 14 दिनों के अंतराल पर जारी किए जाते हैं।

मौद्रिक नीति समिति की मुख्य विशेषताएँ (UPSC 2017)

- **जवाबदेही**: आरबीआई को मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूर्ण करने में किसी भी विफलता के बारे में सरकार को बताना चाहिए और सुधारात्मक उपाय सुझाने चाहिए।
- **मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचा**: यह प्राथमिक लक्ष्य के रूप में मूल्य स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करती है, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक विकास से समझौता न किया जाए।
- **पारदर्शिता**: पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चर्चाओं और निर्णयों के विस्तृत रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।
- **मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण और मौद्रिक नीति समिति की भूमिका**
  - भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से, लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचे के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है।
  - वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जिसमें +/- 2% (यानी 2% से 6% की सीमा) का विचलन संभव है, जो 2021-2026 की अवधि के लिए लागू है।
- **MSP की विफलता के लिए प्रमुख स्थितियाँ**
  - आरबीआई अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) के अनुसार, यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों (यानी विफलता के तीन चक्र) के लिए 2%-6% की लक्ष्य सीमा से बाहर रहती है, तो मौद्रिक नीति समिति (MSP) को विफल माना जाता है।
- **विफलता के परिणाम**
  - **जवाबदेही:** मौद्रिक नीति समिति की विफलता पर आरबीआई को भारत सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें शामिल होगा:
    - असफलता के कारण
    - प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई
    - लक्ष्य सीमा के भीतर मुद्रास्फीति को बहाल करने की समयरेखा।

उर्जित पटेल समिति (2014) और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

उर्जित पटेल समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें सरकार के सहयोग से मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा निर्धारित की गई। यह रूपरेखा मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता बढ़ाने और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर करने हेतु तैयार की गई थी।

- **मुद्रास्फीति लक्ष्य: 4% +/- 2%**
  - इसका तात्पर्य यह है, कि मुद्रास्फीति 2% से 6% के बीच हो सकती है, लेकिन केंद्रीय बैंक का लक्ष्य मध्यम अवधि में 4% की औसत मुद्रास्फीति बनाए रखना है।
- **मौद्रिक नीति समिति (MPC)**:
  - मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, कि मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर रहे। समिति के निर्णय आर्थिक आँकड़ों पर आधारित होते हैं और यह मुद्रास्फीति के लक्ष्य से विचलित होने पर उचित कार्रवाई करने हेतु उत्तरदायी हैं। **[UPSC 2022]**

यदि मुद्रास्फीति लक्ष्य से अधिक है, तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर मुद्रा आपूर्ति को कम कर सकता है, जिससे अतिरिक्त तरलता समाप्त हो जाएगी।

मौद्रिक नीति के उपकरण

ऐसे कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरण हैं, जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए किया जाता है। **(UPSC-2015)**

- **तरलता समायोजन सुविधा (The Liquidity Adjustment Facility-LAF):** LAF रिज़र्व बैंक के परिचालन को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली में/से तरलता बढ़ाता या अवशोषित करता है। इसमें ओवरनाइट, टर्म रेपो/रिवर्स रेपो (निश्चित और परिवर्तनीय दरें), SDF तथा MSF शामिल हैं। LAF के अलावा तरलता प्रबंधन उपकरणों में एकमुश्त खुला बाजार संचालन (OMO), विदेशी मुद्रा स्वैप और बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS) शामिल हैं।
- **रेपो दर (Repo Rate):** वह ब्याज दर, जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के विरुद्ध सभी LAF प्रतिभागियों को तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत तरलता प्रदान करता है।
- **रिवर्स रेपो दर:** वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक (Collateral) के रूप में रखकर बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है। सावधि जमा सुविधा (SDF) की शुरुआत के बाद, स्थिर दर रिवर्स रेपो परिचालन RBI के विवेक पर समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है।
- **सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility- MSF) दर:** वह दंडात्मक दर जिस पर बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में पूर्वनिर्धारित सीमा (2%) तक की कमी करके रिज़र्व बैंक से रात्रिकालीन आधार पर ऋण ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता के विरुद्ध एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है। एमएसएफ दर को पॉलिसी रेपो दर से 25 आधार अंक ऊपर रखा गया है। **(UPSC-2014)**
- **स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर:** वह दर, जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक सभी एलएएफ प्रतिभागियों से रात्रिकालीन आधार पर संपार्श्विक जमा स्वीकार करता है। तरलता प्रबंधन में अपनी भूमिका के अलावा एसडीएफ एक वित्तीय स्थिरता उपकरण भी है। **एसडीएफ दर को नीति रेपो दर से 25 आधार अंक कम रखा गया है।** अप्रैल 2022 में SDF की शुरुआत के साथ, SDF दर ने स्थिर रिवर्स रेपो दर को LAF गलियारे के निचले स्तर के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया।

Search On TG: @apna_pdf

- **LAF गलियारा:** इसकी ऊपरी सीमा के रूप में सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और निचली सीमा के रूप में स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर है, गलियारे के बीच में नीति रेपो दर है।
- **सूक्ष्म समायोजन संचालन:** आरक्षित रखरखाव अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित तरलता परिवर्तन से निपटने के लिए, मुख्य तरलता संचालन को रात्रिभर और/या लंबी अवधि के सूक्ष्म समायोजन संचालन द्वारा समर्थित किया जाता है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो रिज़र्व बैंक 14 दिनों से अधिक की दीर्घकालिक परिवर्तनीय दर रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी आयोजित करता है।
- **मुख्य तरलता प्रबंधन उपकरण:** नकद आरक्षित अनुपात (CRR) चक्र के अनुसार 14 दिन की टर्म रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी (जो बदलती दरों पर होती है) मुख्य तरलता प्रबंधन का साधन है। यह बैंकों की छोटी अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है।
- **बैंक दर:** वह दर, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्र या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या पुनः छूट देने के लिए तैयार रहता है। बैंक दर उन बैंकों पर लगाए जाने वाले दंडात्मक दर के रूप में कार्य करती हैं, जो अपने आरक्षित आवश्यकताओं (नकद आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात) को पूरा नहीं कर पाते हैं। बैंक दर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा-49 के तहत लागू किया जाता है। यह दर एमएसएफ दर के साथ संरेखित है और नीति रेपो दर में परिवर्तन के साथ-साथ एमएसएफ दर में परिवर्तन होने पर स्वचालित रूप से बदल जाती है।
- **नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio-CRR):** यह वह औसत राशि है, जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपनी निवल माँग और समय देयताओं (NDTL) के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में बनाए रखना होता है। यह प्रतिशत रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाता है। CRR का उपयोग केंद्रीय बैंक करता है, जिसमें बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा को वह नियंत्रित करता है। **(UPSC-2014)**
- **सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio-SLR):** प्रत्येक बैंक को भारत में ऐसी परिसंपत्तियाँ रखनी होती हैं, जिनकी कुल कीमत उनके NDTL के कुल मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। यह प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाता है। ये परिसंपत्तियाँ सामान्यतः गैर-बाधित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और सोने के रूप में रखी जाती हैं। **(UPSC- 2015)**

सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec)

- इसे केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जारी करती हैं।
- अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों (जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम होती है) को ट्रेजरी बिल्स (Treasury Bills) कहा जाता है।
- दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों (जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक होती है) को सरकारी बॉण्ड (Government Bonds) या दिनांकित प्रतिभूतियाँ (Dated Securities) कहा जाता है।
- ट्रेजरी बिल्स राज्य सरकारों द्वारा जारी नहीं किए जाते, जबकि सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा जारी किए जाते हैं।

बाज़ार परिचालन

खुले बाजार की क्रियाएँ (OMO)

खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा खुले बाजार में सरकारी बॉण्ड की खरीद और बिक्री से है। जब आरबीआई सरकारी बॉण्ड खरीदता है, तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ जाती है और जब वह सरकारी बॉण्ड बेचता है, तो धन की आपूर्ति कम हो जाती है। **(UPSC 2013)**

खुले बाजार की क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं:

- **पूर्णतः खुले बाजार की क्रियाएँ (Outright Open Market Operations):** प्रकृति में स्थायी, बॉण्ड की पुनर्खरीद या वापस बेचने के लिए केंद्रीय बैंक की ओर से कोई प्रतिबद्धता नहीं।
- **रेपो खुले बाजार की क्रियाएँ (Repo Open Market Operations):**
    - **रेपो दर:** आरबीआई बॉण्ड खरीदता है और उन्हें भविष्य में एक निश्चित तारीख पर एक निर्दिष्ट मूल्य पर वापस बेचने के लिए सहमत होता है।
    - **रिवर्स रेपो:** आरबीआई बॉण्ड को भविष्य में एक निश्चित तारीख में एक निर्दिष्ट मूल्य पर पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ बेचता है।

उपर्युक्त परिचालन अर्थव्यवस्था में आवश्यकतानुसार धन डालने या अवशोषित करके तरलता को विनियमित करने में सहायता करते हैं।

बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS):

बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूतियों जैसे- ट्रेजरी बिल या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करके बाजार से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना है। इन प्रतिभूतियों की बिक्री से एकत्रित धनराशि आरबीआई के पास रखी जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति प्रभावी रूप से कम हो जाती है। वित्तीय प्रणाली को स्थिर करने के लिए अधिशेष तरलता की अवधि के दौरान इसका उपयोग किया जाता है।

ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist)

ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई द्वारा की गई एक विशेष प्रकार की खुले बाजार की क्रिया है, जहाँ केंद्रीय बैंक, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs) बेचता है। इस बिक्री से एकत्रित धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया प्रचलन में सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि को बदलकर परिणामी वक्र को प्रबंधित करने में मदद करती है। इनका मुख्य उद्देश्य ब्याज दरों को प्रबंधित करते हुए अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखना है।

ऑपरेशन ट्विस्ट में केंद्रीय बैंक निम्नलिखित कार्य करता है:

- धन जुटाने के लिए अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ (जैसे- ट्रेजरी बिल) बेचना।
- उन निधियों का उपयोग दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ (जैसे- 10 वर्षीय ट्रेजरी बॉण्ड) खरीदने के लिए करना।

यह कार्रवाई यील्ड वक्र को समतल करने के लिए निर्मित की गई है, जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक बॉण्ड के बीच ब्याज दरों में अंतर को संदर्भित करता है, मुख्य रूप से:

- दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को खरीदकर, केंद्रीय बैंक उनकी कीमतों को बढ़ाता है तथा उनकी यील्ड (ब्याज दरें) को कम करता है।

Search On TG: @apna_pdf

- अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बेचकर केंद्रीय बैंक उनकी आपूर्ति बढ़ाता है, जिससे उनकी कीमतें कम होती हैं और उनकी यील्ड बढ़ती है।

दीर्घकालिक बॉण्ड यील्ड और ब्याज दरों पर प्रभाव

ऑपरेशन ट्विस्ट का मुख्य उद्देश्य अल्पकालिक ब्याज दरों को प्रभावित किए बिना दीर्घकालिक ब्याज दरों, मुख्य रूप से बॉण्ड यील्ड को कम करना है। दीर्घकालिक बॉण्ड खरीदने पर, केंद्रीय बैंक उनकी माँग बढ़ाता है जिससे बॉण्ड की कीमत बढ़ जाती है। जब बॉण्ड की कीमत बढ़ती है, तो उनकी यील्ड (ब्याज दर) घट जाती है, क्योंकि यील्ड और बॉण्ड की कीमत एक-दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

दीर्घकालिक बॉण्ड यील्ड में कमी से अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार के लाभ होते हैं:

- **ऋण लेने की निम्न लागत:** जैसे-जैसे दीर्घकालिक यील्ड कम होती है, व्यवसाय और परिवारों के लिए बुनियादी ढाँचे और निवेश जैसी दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए ऋण लेना अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है।
- **निवेश को बढ़ावा:** ऋण लागत कम होने से निवेश गतिविधियाँ बढ़ती हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **कमज़ोर मुद्रा:** कम दीर्घकालिक दरें मुद्रा के मूल्यह्रास का कारण बनती हैं, क्योंकि विदेशी निवेशक कहीं और अधिक रिटर्न की अपेक्षा करते हैं। इससे निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।

स्टरलाइजेशन (Sterilization)

स्टरलाइजेशन वह प्रक्रिया है, जिसे केंद्रीय बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) घरेलू धन आपूर्ति पर विदेशी मुद्रा हस्तक्षेपों के प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए अपनाता है। इस प्रभाव को कम करने के लिए, RBI मुख्य रूप से निम्नलिखित के माध्यम से स्टरलाइजेशन कार्य करता है:

- **खुला बाजार परिचालन (OMO):** तरलता को अवशोषित करने या बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना।
- **MSS बॉण्ड:** अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए बाजार स्थिरीकरण योजना बॉण्ड जारी करना।
- **जब रुपए का अवमूल्यन होता है:** यदि रुपया अवमूल्यित (Depreciate) होता है, तो केंद्रीय बैंक बाजार में डॉलर बेच सकता है, जिससे रुपए की आपूर्ति बढ़ती है और मुद्रा को स्थिर करने में मदद मिलती है।
- **रुपए की मूल्य वृद्धि होने पर:** यदि रुपए की मूल्य वृद्धि (Appreciate) होती है, तो केंद्रीय बैंक डॉलर खरीद सकता है जिससे उसके घाटे में वृद्धि होती है और माँग बढ़ती है। यह कार्रवाई घरेलू मुद्रा की अत्यधिक मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए की जाती है।

स्टेरलाइज़ेशन ऑपरेशन आमतौर पर खुले बाजार की क्रियाओं (OMOs) द्वारा संचालित किया जाता है। **[UPSC 2023, 2022]**

मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण

- **सीमांत आवश्यकताएँ (Marginal Requirements):** वाणिज्यिक बैंकों को संपार्श्विक के बाजार मूल्य और उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण की राशि के बीच एक सीमांत रेखा बनाए रखना आवश्यक है। यह सीमांत रेखा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। जब RBI धन के प्रवाह को प्रतिबंधित करना चाहता है, तो वह सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के लिए ऋण देना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत, यह अधिक ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तारवादी नीति के दौरान सीमांत आवश्यकता को कम करता है।
- **चयनात्मक ऋण नियंत्रण (Selective Credit Control-SCC):**
  - चयनात्मक ऋण नियंत्रण से तात्पर्य विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को प्रभावित करने की केंद्रीय बैंक की क्षमता से है। यह उपकरण या तो:
    - कृषि या बुनियादी ढाँचे जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकता है।
    - विलासिता वस्तुएँ या सट्टा गतिविधियों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण को प्रतिबंधित कर सकता है।

लक्षित क्षेत्रों तक ऋण पहुँच को नियंत्रित करके आरबीआई सीमित तरीके से आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है।

- **नैतिक अनुनय (Moral Suasion):**
  - नैतिक दबाव एक गैर-दबावपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए करता है।
  - आरबीआई गवर्नर इस उपकरण का प्रयोग बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं:
    - रेपो दर में कटौती को उनकी ऋण दरों में स्थानांतरित करें।
    - वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएँ खोलें।
    - कृषि या लघु उद्योगों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्धारित सीमा से अधिक ऋण देना (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण)।
    - जागरूकता और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए वित्तीय साक्षरता का विकास करें।

नैतिक अनुनय वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को प्रभावित करने के लिए आरबीआई के अधिकार और विश्वसनीयता का लाभ उठाते हुए, नियमों को बाध्य करने के बजाय अनुनय पर निर्भर करता है।

Search On TG: @apna_pdf

मौद्रिक नीति के उपकरण या साधन

उपकरण / साधन	उद्देश्य	प्रकार
खुले बाजार की प्रक्रियाएँ (OMOs)	तरलता को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री	मात्रात्मक उपकरण
रेपो रेट (Repo Rate)	वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि	मात्रात्मक उपकरण
रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate)	बैंकों से ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता का अवशोषण	मात्रात्मक उपकरण
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)	अप्रत्याशित तरलता प्रभावों से सुरक्षा निर्माण	मात्रात्मक उपकरण
बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS)	सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करके अतिरिक्त तरलता का अवशोषण	मात्रात्मक उपकरण

ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist)	ब्याज दरों को स्थिर करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता संरचना का समायोजन	मात्रात्मक उपकरण
स्टरलाइज़ेशन (Sterilization)	खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से मुद्रा की अस्थिरता का नियंत्रण	मात्रात्मक उपकरण
सीमांत आवश्यकताएँ (Marginal Requirements)	ऋणों के लिए आवश्यक सीमांत सीमा को समायोजित करके ऋण प्रवाह को नियंत्रित करता है।	गुणात्मक उपकरण
चयनात्मक ऋण नियंत्रण (SCC)	प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण को निर्देशित करता है या गैर-प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण को प्रतिबंधित करता है।	गुणात्मक उपकरण
नैतिक अनुनय (Moral Suasion)	विधिक प्रवर्तन के बिना वाणिज्यिक बैंकों के ऋण व्यवहार को प्रभावित करता है।	गुणात्मक उपकरण

[UPSC 2022, 2023]

वर्तमान भारत में मौद्रिक नीति

भारत में मौद्रिक नीति घरेलू और वैश्विक स्तर पर परिवर्तित आर्थिक गतिशीलता के लिए विकसित हुई है। **भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)** मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करता है। प्रमुख रणनीतियाँ इस प्रकार हैं:

मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण

- **विनिमय दर स्थिरता:** यह दृष्टिकोण सामान्यतः सिंगापुर जैसी निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है, जहाँ केंद्रीय बैंक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा को स्थिर करता है। इसका उद्देश्य स्थानीय मुद्रा को अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले एक निश्चित मूल्य पर बनाए रखना है।
- **एकाधिक संकेतक:** इस रणनीति के तहत केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास, रोजगार, मुद्रास्फीति नियंत्रण और विनिमय दर स्थिरता जैसे कई संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। RBI ने 2016 तक इस मॉडल का पालन किया।
- **नम्य मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT)/मूल्य स्थिरता:** वर्ष 2016 से भारत ने एक नम्य मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे को अपनाया है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। इसका लक्ष्य मुद्रास्फीति को एक अपेक्षित सीमा तक बनाए रखना है, साथ ही आर्थिक विकास और रोजगार के लिए द्वितीयक लाभ पैदा करना है। उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट (2013-14) ने इस मॉडल का प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में RBI अधिनियम की धारा-45 में संशोधन करके लागू किया गया था।

मौद्रिक नीति के स्वरूप

- **समायोजनात्मक (Accommodative Stance)**
  - **उद्देश्य**: आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नीतिगत दरें कम करता है, आमतौर पर उन स्थितियों में जब अर्थव्यवस्था धीमी चल रही हो।
  - **परिणाम**: निम्न ब्याज दरें ऋण लेने और व्यय को बढ़ावा देती हैं, आर्थिक गतिविधियान को प्रोत्साहित करती हैं।
- **तटस्थ (Neutral Stance)**
  - **उद्देश्य**: आरबीआई आर्थिक स्थितियों के आधार पर नीतिगत दरों को समायोजित करने में लचीलापन बनाए रखता है।
  - **परिणाम**: आरबीआई मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को स्थिर करने के उद्देश्य से या तो दरें बढ़ा सकता है या कम कर सकता है।
- **कैलिब्रेटेड टाइटनिंग या राजकोषीय समेकन (Calibrated Tightening)**
  - **उद्देश्य**: आरबीआई बढ़ती मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए नीतिगत दरें बढ़ाता है या उन्हें अपरिवर्तित रखता है।
  - **परिणाम**: इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, लेकिन अल्पावधि में आर्थिक गतिविधि कम हो सकती है।

मौद्रिक नीति संचरण

मौद्रिक नीति संचरण से तात्पर्य है, कि केंद्रीय बैंक की नीतिगत कार्रवाइयाँ अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं। प्रमुख चैनल जिनके माध्यम से मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ब्याज दर चैनल**
  - मौद्रिक सहजता (ब्याज दरों में कमी) पूँजी की लागत को कम करती है, जिससे व्यापार निवेश और खपत को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत कठोर नीति दरों को बढ़ाती है, जिससे माँग और मुद्रास्फीति कम होती है।
- **विनिमय दर चैनल**
  - कम ब्याज दरों के कारण मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। हालाँकि, इससे आयात की लागत बढ़ सकती है, विशेषकर कच्चे तेल जैसी प्रमुख वस्तुओं की।
- **ऋण चैनल**
  - विस्तारवादी नीति से बैंक ऋण तथा अर्थव्यवस्था में निवेश और उत्पादन बढ़ता है।
- **परिसंपत्ति मूल्य चैनल**
  - कम ब्याज दरें परिसंपत्ति की कीमतों को बढ़ावा दे सकती हैं, जो घरेलू और व्यावसायिक संपत्ति को बढ़ाती है, जिससे आवास में आगे की खपत और निवेश को बढ़ावा मिलता है।
- **अपेक्षा चैनल**
  - स्पष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करके, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को नियंत्रित करता है, जिससे आर्थिक निर्णय लेने संबंधी विश्वास में सुधार होता है।

Search On TG: @apna_pdf

मौद्रिक नीति संचरण कोर मुद्रास्फीति को 4 वर्ष के निचले स्तर पर लाने में स्पष्ट है

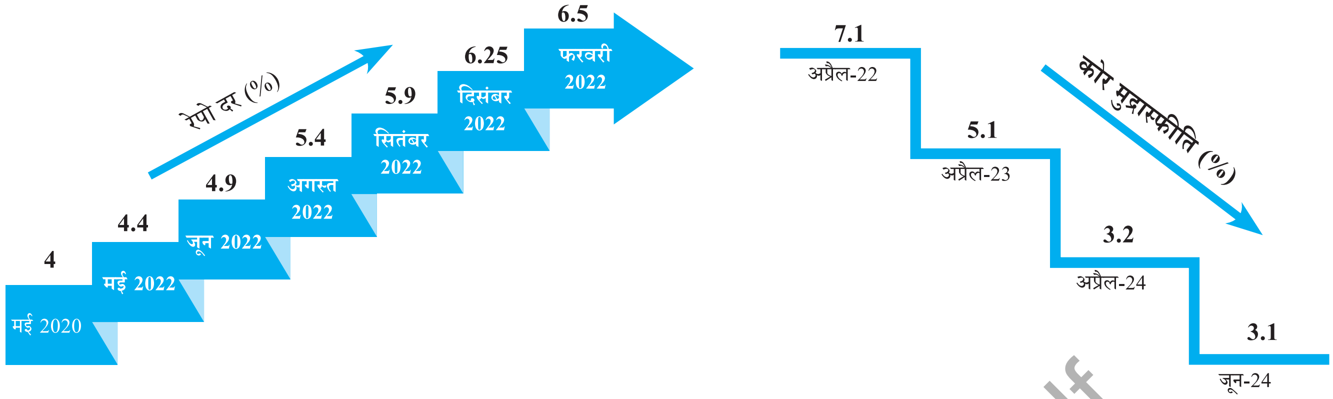

चित्र: मौद्रिक नीति संचरण

गैर-परंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण

- **शून्य ब्याज दर नीति (ZIRP):** इसमें केंद्रीय बैंक ऋण लेने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शून्य के समीप अल्पकालिक ब्याज दरें निर्धारित करता है। हालाँकि, यह एक तरलता जाल की ओर ले जा सकता है, जहाँ व्यवसाय और व्यक्ति सस्ते ऋण की उपलब्धता के बावजूद व्यय करने हेतु तैयार नहीं होते हैं।
- **नकारात्मक ब्याज दर नीति (NIRP):** इसके तहत, नकदी जमा करने के बजाय व्यय और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नाममात्र ब्याज दरें शून्य से नीचे निर्धारित की जाती हैं। जापान और स्वीडन जैसे देशों ने आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए इस नीति का उपयोग किया है।
- **हेलीकाप्टर मनी:** इस अपरंपरागत साधन में आर्थिक माँग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आमतौर पर अधिक व्यय या कर कटौती के माध्यम से सीधे तौर पर मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की जाती है।

बैंकों की ऋण दरें

- **आंतरिक बेंचमार्क ऋण दर (IBLR):** इन दरों की बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति, जमा राशि और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए गणना की जाती है। उदाहरण: बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR), आधार दर, सीमांत ऋण लागत दर (MCLR) |
  - **2010 तक:** बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट
  - **2010-2016:** आधार दर
  - **2016 से:** अस्थायी दर ऋण के लिए वित्त की सीमांत ऋण लागत दर (MCLR)।
- आंतरिक बेंचमार्क प्रणाली के तहत ब्याज दर निर्धारण प्रक्रियाओं की अपारदर्शिता मौद्रिक नीति के ऋण दरों पर प्रभाव को बाधित करती है। इसलिए, आरबीआई ने 2019 में बाह्य बेंचमार्क प्रणाली प्रारंभ की।
  - बाह्य बेंचमार्किंग खुदरा अस्थायी दर ऋण और MSME ऋण के लिए अनिवार्य है।
- MCLR, जो प्रत्येक बैंक के लिए एक आंतरिक प्रणाली थी, के विपरीत बाह्य बेंचमार्किंग के तहत RBI ने बैंकों को चार बाह्य बेंचमार्किंग तंत्रों में से चुनने का विकल्प दिया है:
  - RBI रेपो दर
  - 91-दिन का ट्रेजरी बिल यील्ड
  - 182-दिन का ट्रेजरी बिल यील्ड
  - फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर।

मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में सामान्य वृद्धि से है, जो मुद्रा की क्रय शक्ति को कम कर देती है। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रा की प्रत्येक इकाई कम वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदती है, जिससे नकदी स्वामित्व के वास्तविक मूल्य में गिरावट आती है।

भारत में **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** मुद्रास्फीति को मापने के लिए उत्तरदायी है तथा यह समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को भी मापता है। मुद्रास्फीति को आमतौर पर एक नकारात्मक संकेतक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और समग्र आर्थिक स्थिरता को हानि पहुँचा सकती है।

मुद्रास्फीति के प्रकार

1. मुद्रास्फीति के कारणों पर आधारित

- **माँग-प्रेरित मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation)**
  - इस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है, जब वस्तुओं और सेवाओं की माँग बाजार में उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाती है। बढ़ी हुई माँग कीमतों को ऊपर की ओर धकेलती है।
  - **कारण:** **(UPSC-2021)**
    - **विस्तारवादी नीतियाँ:** सरकारी व्यय में वृद्धि या कर कटौती से कुल माँग में वृद्धि होती है।
    - **राजकोषीय प्रोत्साहन:** सरकार द्वारा व्यय के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबंधी प्रयास।
    - **रुपए का अवमूल्यन:** कमज़ोर मुद्रा आयातित वस्तुओं को अधिक महंगा बनाती है, लागत बढ़ाती है और संभावित रूप से माँग-प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण बनती है।

Search On TG: @apna_pdf

- निम्न ब्याज दरें: जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें कम करता है, तो उपभोक्ता व्यय बढ़ता है और व्यवसाय निवेश बढ़ाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति दबाव पैदा होता है।

- **लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation)**
  - यह मुद्रास्फीति उत्पादन लागत में वृद्धि से प्रेरित है, जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर उच्च कीमतों के रूप में डाला जाता है।
  - **कारण**:
    - **वेतन में वृद्धि**: श्रमिकों के लिए उच्च वेतन से व्यवसायों की उत्पादन लागत में वृद्धि होती है।
    - **कच्चे माल की बढ़ती कीमतें**: उदाहरण के लिए, तेल की कीमतों में वृद्धि से परिवहन और उत्पादन की लागत बढ़ सकती है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।
    - **आपूर्ति शृंखला में व्यवधान**: प्राकृतिक आपदाएँ या महामारी (जैसे- COVID-19) जैसी घटनाएँ वस्तुओं की उपलब्धता को कम कर सकती हैं, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं।
- **मौद्रिक मुद्रास्फीति (Monetary Inflation)**
  - इस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है, जब केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। यदि वस्तुओं और सेवाओं में एकसमान वृद्धि के बिना अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा शामिल की जाती है, तो इससे माँग और कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए, मुद्रा का प्रचलन कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।**(UPSC-2015)**
  - **कारण**:
    - केंद्रीय बैंक अधिक मुद्रा छापते हैं या ब्याज दरों को अत्यधिक कम कर देते हैं, जिससे तरलता बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बढ़ जाता है।
    - बजट घाटे को वित्तपोषित करने के लिए नई मुद्रा का सृजन सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाता है, जिससे कुल माँग में वृद्धि होती है।

(UPSC- 2013, 2021)

- **आपूर्ति शृंखला में व्यवधान (Supply Chain Disruptions)**
  - प्राकृतिक आपदाएँ या वैश्विक संकट (जैसे- कोविड-19 महामारी) जैसी घटनाएँ वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित कर सकती हैं। जब वस्तुओं की आपूर्ति कम हो जाती है और माँग वही रहती है या बढ़ जाती है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत ने हाल के दिनों में लगातार और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का अनुभव किया है क्योंकि खाद्य आपूर्ति शृंखला में संरचनात्मक बाधाएँ हैं। **(UPSC-2011)**
  - **उदाहरण**: COVID-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर आपूर्ति शृंखलाएँ बाधित हुईं, जिससे विभिन्न वस्तुओं की कमी हो गई और कीमतों में बढ़ोतरी हुई।
- **आयातित मुद्रास्फीति (Imported Inflation)**
  - आयातित मुद्रास्फीति तब होती है, जब किसी देश की मुद्रा का मूल्यह्रास होता है, जिससे विदेशी वस्तुएँ अधिक महंगी हो जाती हैं। यदि कोई देश कच्चे माल या तैयार उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर करता है, तो घरेलू मुद्रा के कमजोर होने पर इन वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है।
  - **उदाहरण:** अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के मूल्यह्रास से कच्चे तेल जैसे आयात अधिक महंगे हो जाते हैं, जिससे देश में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है।

2. गति के आधार पर

- **क्रीपिंग मुद्रास्फीति (Creeping Inflation): 1-4%**
  - यह धीमी और क्रमिक मुद्रास्फीति है, जो आर्थिक स्थिरता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालती है। 1-4% वार्षिक मुद्रास्फीति दर को अक्सर प्रबंधनीय माना जाता है और आमतौर पर यह नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय नहीं है।
- **वॉकिंग मुद्रास्फीति (Walking Inflation): 2-10%**
  - इस सीमा में मुद्रास्फीति अभी भी प्रबंधनीय है, लेकिन यह केंद्रीय बैंकों को चिंता में डाल देती है। यह वह स्तर है, जिस पर केंद्रीय बैंक अक्सर मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करते हैं।
- **रनिंग मुद्रास्फीति (Running Inflation): 10-20%**
  - इस स्तर पर मुद्रास्फीति अधिक स्पष्ट है, जो आर्थिक विकास को नुकसान पहुँचा सकती है। व्यवसाय लागत को प्राप्त करने के लिए कीमतें बढ़ा सकते हैं और उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक आय में कमी महसूस हो सकती है। नीति निर्माताओं को इस पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता होती है।
- **गैलोपिंग मुद्रास्फीति (Galloping Inflation): 20%-1000%**
  - इस प्रकार की मुद्रास्फीति, जो आमतौर पर 20% और 1000% के बीच होती है, अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है। इससे अक्सर मुद्रा में विश्वास की हानि होती है, जिससे बढ़ती कीमतों का दुष्चक्र शुरू हो सकता है।
- **हाइपरइन्फ्लेशन (Hyperinflation)**
  - यह अत्यधिक और अनियंत्रित मुद्रास्फीति है, जिसकी दर आमतौर पर प्रति वर्ष 1000% से अधिक होती है। इससे अक्सर मुद्रा का पतन होता है और गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। प्रमुख उदाहरणों में 1920 के दशक में जर्मनी, 2000 के दशक में जिम्बाब्वे और 2010 के दशक में वेनेजुएला शामिल हैं।

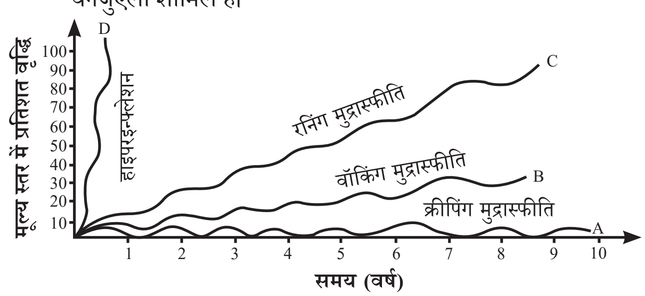

चित्र: मुद्रास्फीति के प्रकार

प्रमुख नियम और शब्दावलियाँ

- **स्कूफ्लेशन (Skewflation)**:
  - ऐसा तब होता है जब कुछ वस्तुओं की कीमतों में विषम वृद्धि होती है, जबकि अन्य की कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं।
  - **उदाहरण**: खराब फसल के कारण प्याज की कीमतों में मौसमी वृद्धि, जबकि अन्य खाद्य कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

Search On TG: @apna_pdf

- **स्टैगफ्लेशन (Stagflation)**:
  - ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ-साथ होती है, जिसमें आमतौर पर उच्च बेरोजगारी और धीमी आर्थिक वृद्धि होती है। बढ़ती कीमतों और गिरती वृद्धि का यह संयोजन नीति निर्माताओं के लिए चुनौतीपूर्ण परिदृश्य निर्मित करता है।
  - **उदाहरण**: मुद्रास्फीति बढ़ती है, लेकिन रोजगार वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि रुक जाती है, जैसा कि मंदी के दौरान कुछ अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया है।
- **अवस्फीति (Disinflation)**:
  - अवस्फीति से तात्पर्य मुद्रास्फीति की दर में कमी से है। इसका तात्पर्य यह नहीं है, कि कीमतें गिर रही हैं, बल्कि जिस दर से वे बढ़ती हैं वह धीमी हो जाती है।
  - **उदाहरण**: यदि मुद्रास्फीति की दर 8% से घटकर 6% हो जाए, तो यह अवस्फीति है।
- **अपस्फीति (Deflation)**:
  - अपस्फीति मुद्रास्फीति के विपरीत है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में गिरावट को संदर्भित करती है। यह अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी से जुड़ा होता है।
  - **उदाहरण**: उपभोक्ता कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट, जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी दर और व्यय कम हो जाता है।
- **मंदी (Depression)**:
  - आर्थिक मंदी आर्थिक गतिविधियों में लंबे समय तक चलने वाली मंदी है, जो कई वर्षों तक बनी रहती है। इसकी विशेषता उच्च बेरोजगारी, निम्न उपभोक्ता माँग और कम औद्योगिक उत्पादन है।
- **पुनर्मुद्रास्फीति (Reflation):**
  - यह संकुचन की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है, जो अक्सर माँग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि या करों में कटौती के माध्यम से की जाती है।
- **स्फीतिकारी अंतराल (Inflationary Gap)**:
  - यह तब होता है, जब वस्तुओं और सेवाओं की माँग अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है। इससे कीमतों पर दबाव बढ़ता है।
  - **सूत्र:** स्फीतिकारी अंतराल = वास्तविक जीडीपी - संभावित जीडीपी
- **अपस्फीतिकारी अंतराल (Deflationary Gap):**
  - यह स्फीतिकारी अंतराल के विपरीत है, जहाँ माँग अर्थव्यवस्था के संभावित उत्पादन से कम हो जाती है, जिससे कीमतें कम हो जाती हैं और आर्थिक स्थिरता आती है।
- **बॉटलनेक मुद्रास्फीति (Bottleneck Inflation):**
  - ऐसा तब होता है, जब वस्तुओं की आपूर्ति में भारी गिरावट आती है जबकि माँग अपरिवर्तित बनी रहती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं।
  - **उदाहरण**: बाधित आपूर्ति शृंखला के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी।
- **मुद्रास्फीति कर (Inflation Tax):**
  - कीमतों में वृद्धि के कारण **मजदूरी बढ़ जाती है, मजदूरी बढ़ने पर** इस वृद्धि पर कर लगता है, जिससे सरकार के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न होता है।
- **मुद्रास्फीति प्रीमियम (Inflation Premium):**
  - ऋणकर्ताओं को मुद्रास्फीति से लाभ होता है, क्योंकि वास्तविक ब्याज दर (साममात्र ब्याज दर घटाकर मुद्रास्फीति) कम होती है। यह ऋण लेने वालों के लिए "बोनस" बनाता है।
- **मुद्रास्फीति स्पाइरल (Inflation spiral):**
  - यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मजदूरी बढ़ने से कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप और भी अधिक मजदूरी की माँग होती है, जिससे मुद्रास्फीति का चक्र बन जाता है।
- **पूर्ण नियोजन (Full Employment):**
  - पूर्ण नियोजन एक ऐसी स्थिति है, जिसमें अर्थव्यवस्था में सभी उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है तथा बेरोजगारी दर अपनी प्राकृतिक दर पर है, जिसमें घर्षणात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी शामिल है।
- **कोबवेब परिघटना (Cobweb Phenomenon):**
  - यह घटना दालों जैसे कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव की व्याख्या करती है, जहाँ कीमतों में वृद्धि से अगली फसल ऋतु में अधिक उत्पादन होता है, जिसके बाद कीमतों में गिरावट होती है और अगली फसल ऋतु में कम उत्पादन होता है, जिससे यह चक्र जारी रहता है।

कोर मुद्रास्फीति एवं हेडलाइन मुद्रास्फीति

- **हेडलाइन मुद्रास्फीति**:
  - यह अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी सभी वस्तुएँ और सेवाएँ शामिल हैं, जो अस्थिर होती हैं। हालाँकि यह मूल्य प्रवृत्तियों की छवि प्रदान करता है, लेकिन यह हमेशा दीर्घकालिक मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।
- **कोर मुद्रास्फीति**:
  - कोर मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थ और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुएँ शामिल नहीं होती हैं। यह अंतर्निहित मूल्य रुझानों की स्पष्ट छवि प्रदान करने के लिए मुद्रास्फीति सूचकांक के अधिक स्थिर घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **कोर-कोर मुद्रास्फीति**:
  - इसमें न केवल खाद्य पदार्थ और ऊर्जा, बल्कि परिवहन और संचार जैसी वस्तुएँ भी शामिल नहीं हैं। इसका उपयोग अक्सर अधिक परिष्कृत नीति विश्लेषण के लिए किया जाता है, क्योंकि यह दीर्घकालिक रुझानों पर ध्यान केंद्रित करता है और अस्थायी विचलन को दूर करता है।
- **परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति**:
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में प्रस्तुत किए गए इस मुद्रास्फीति में ईंधन, खाद्य पदार्थ और कुछ अन्य आवश्यक उत्पादों जैसी अस्थिर वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्निहित मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों की बेहतर समझ प्रदान करना है, जो अल्पकालिक मूल्य वृद्धि से प्रेरित नहीं हैं।

Search On TG: @apna_pdf

फिलिप्स वक्र

फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। जैसे-जैसे बेरोजगारी घटती है, तो मुद्रास्फीति बढ़ती है तथा जब बेरोजगारी बढ़ती है, तो मुद्रास्फीति कम होती है। इससे अनुसार कम बेरोजगारी मजदूरी पर ऊपर की ओर दबाव डालती है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती माँग के कारण उच्च मुद्रास्फीति प्राप्त होती है।

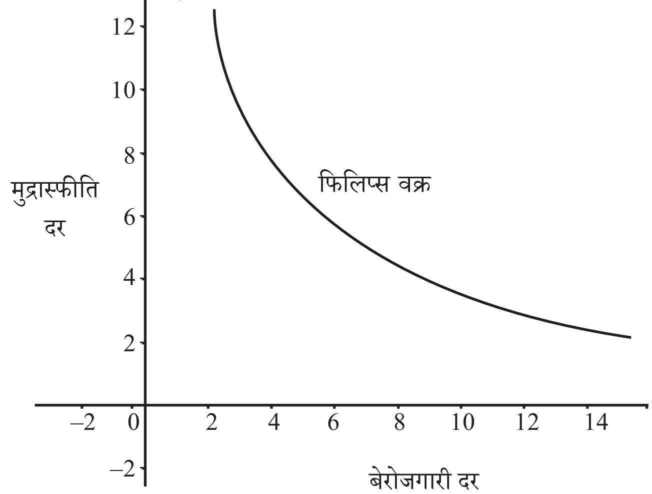

मुद्रास्फीति सूचकांक और संकेतक

- **जीडीपी अपस्फीतिक (अंतर्निहित मूल्य अपस्फीतिक): जीडीपी अपस्फीतिक (GDP Deflator)** मुद्रास्फीति की एक व्यापक माप है, जो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है।
  - **सूत्र**: **जीडीपी अपस्फीतिक = (नाममात्र जीडीपी/वास्तविक जीडीपी)×100**
  - **व्याख्या**:
    - **= 1**: कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं
    - **> 1**: मुद्रास्फीति में वृद्धि
    - **<1**: अपस्फीति (मुद्रास्फीति में कमी)
- **थोक मूल्य सूचकांक (WPI)**

आधार वर्ष	2011-12
उद्देश्य	थोक स्तर (खुदरा से पहले) पर मूल्य परिवर्तन को मापता है।
शामिल	केवल वस्तुएँ (सेवाएँ नहीं)
प्रमुख घटक	• **निर्मित उत्पाद**: 64% • **प्राथमिक वस्तुएँ:** 23% • **ईंधन और विद्युत**: 13%
प्रकाशन	आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)**

यह वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है।

आधार वर्ष	2011-12
उद्देश्य	उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में परिवर्तन को मापता है।
प्रमुख घटक	• **खाद्य और पेय पदार्थ**: 45.86% • **मिश्रित**: 28.32% • **आवास**: 10.07% • **ईंधन और विद्युत**: 6.84% • **कपड़े और जूते**: 6.53% • **पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थ**: 2.38%
प्रकार	• **सीपीआई संयुक्त** (ग्रामीण + शहरी) • **औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (CPI-IW)** • **कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई (CPI-AL)**

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन को मापता है और विनिर्माण वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है।

आधार वर्ष	2011-12
उद्देश्य	औद्योगिक क्षेत्रों में विकास को मापने का कार्य करता है।
प्रमुख घटक	• **विनिर्माण**: 77.63% • **खनन**: 14.37% • **विद्युत**: 7.9%
कोर उद्योग	रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक (आईआईपी में 40.27% भार)

- **उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)**

PPI बनाम WPI	PPI	WPI
मुख्य केंद्र	कीमतें उत्पादकों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्त होती हैं।	थोक स्तर पर कीमतें
शामिल	सेवाएँ शामिल हैं	केवल वस्तुएँ शामिल हैं
अपवाद	अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर	इसमें कर और वितरण लागत शामिल हो सकती है
बहुविध गणना	नहीं शामिल हैं	इसमें कुछ बहुविध गणनाएँ भी शामिल हैं।

- **आधार प्रभाव और मुद्रास्फीति**

आधार प्रभाव यह दर्शाता है कि पिछले वर्ष के मूल्य स्तर मुद्रास्फीति की गणना को कैसे प्रभावित करते हैं। यदि आधार वर्ष में मुद्रास्फीति कम थी, तो कीमतों में थोड़ी वृद्धि चालू वित्त वर्ष के लिए उच्च मुद्रास्फीति दर प्रदर्शित कर सकती है।

उदाहरण	2010 कीमत	2011 कीमत	2012 कीमत	मुद्रास्फीति (2011)	मुद्रास्फीति (2012)
प्याज	₹100	₹110	₹120	10%	9.09%

Search On TG: @apna_pdf

मुद्रास्फीति से निपटने के उपाय

मौद्रिक नीति के उपाय

कार्रवाई	प्रभाव
बैंक दर में वृद्धि	ऋण लेना महँगा हो जाता है, ऋण सृजन कम हो जाता है।
ब्याज दरों में वृद्धि	व्यय तथा मुद्रा की माँग को कम करता है और बचत में वृद्धि करता है।**(UPSC-2013)**
खुला बाजार की क्रियाएँ	अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करता है।
रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि	मुद्रा आपूर्ति को मजबूत करके मुद्रास्फीति के दबाव को कम करता है।

राजकोषीय नीति के उपाय

कार्रवाई	प्रभाव
करों में वृद्धि	उपभोक्ता माँग कम हो जाती है, मुद्रास्फीति धीमी हो जाती है।
सरकारी व्यय में कमी	कुल माँग को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है।
कर सीमा का विस्तार	सरकारी राजस्व में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने में मदद करता है।

अन्य उपाय

कार्रवाई	प्रभाव
मूल्य नियंत्रण	अल्पकालिक राहत, लेकिन बाजार को अव्यवस्थित कर सकती है।
आयात नियंत्रण	आयात से मुद्रास्फीति के दबाव को कम करता है।
वेतन प्रतिबंध	वेतन-मूल्य में उतार-चढ़ाव या विचलन को रोकता है।

Search On TG: @apna_pdf

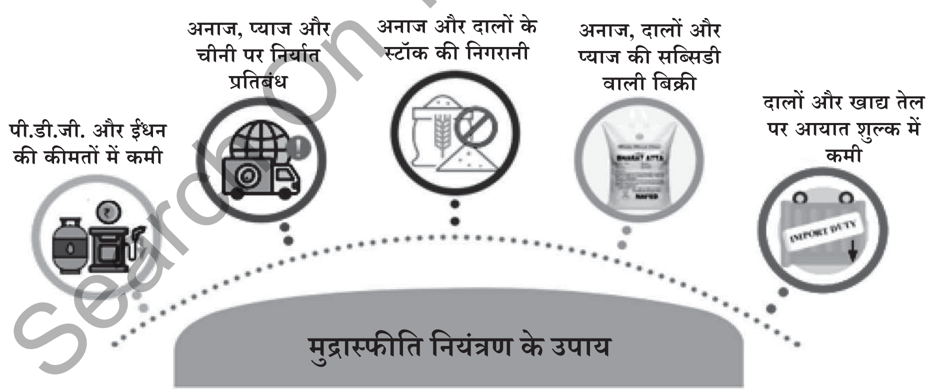

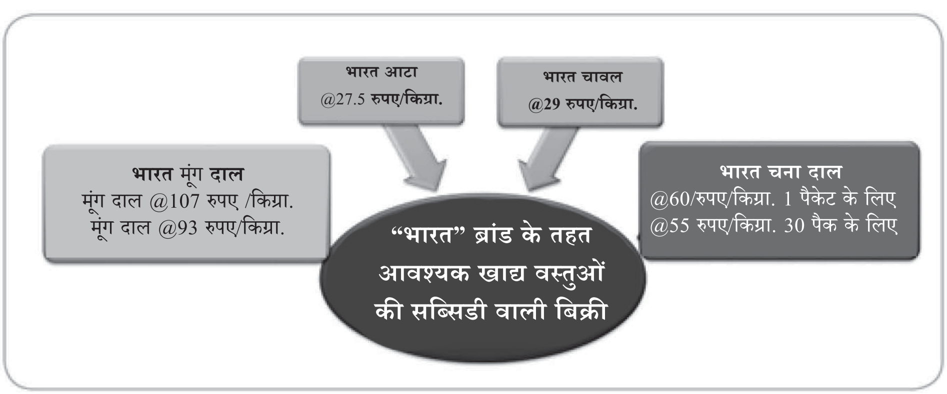

मूल्य-मजदूरी चक्र (Price-Wage Spiral)

मूल्य-मजदूरी चक्र एक ऐसी घटना है, जिसमें बढ़ती मजदूरी और बढ़ती कीमतें एक फीडबैक लूप बनाती हैं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे को आगे बढ़ाता है। यह तब होता है जब:

- बढ़ती कीमतों के कारण जीवन-यापन की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए श्रमिक उच्च वेतन की माँग करते हैं।
- नियोक्ता उच्च वेतन लागत को कवर करने के लिए कीमतें बढ़ाते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप, आगे और अधिक वेतन बढ़ जाता है क्योंकि श्रमिक अब उच्च कीमतों की लागत को संतुलित करने के लिए अधिक माँग करते हैं, जिससे चक्र जारी रहता है।

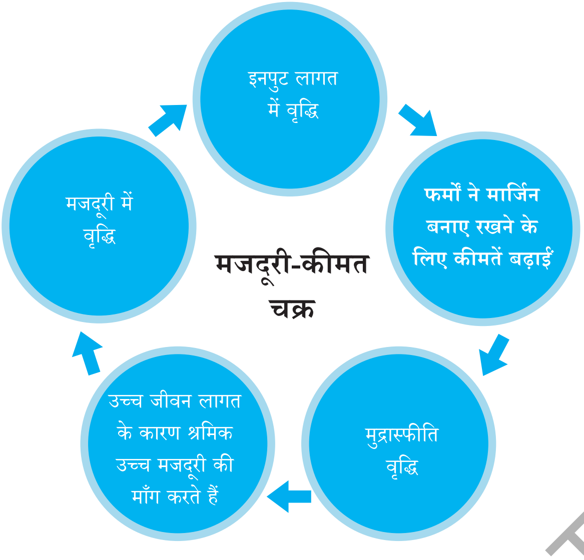

मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति

नीति	विवरण	उद्देश्य
मौद्रिक नीति	आरबीआई द्वारा प्रबंधित, यह धन आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है।	मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था को स्थिर करना।
मुद्रास्फीति के लक्ष्य	RBI का लक्ष्य एक विशिष्ट मुद्रास्फीति दर है, जो वर्तमान में 4% ± 2% निर्धारित है।	मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
राजकोषीय नीति	सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए कर नीतियों और व्यय का उपयोग करती है।	मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

मुद्रास्फीति का प्रभाव

समूह	प्रभाव	परिणाम
उपभोक्ता	क्रय शक्ति में कमी, जीवनयापन की उच्च लागत।	नकारात्मक
लेनदार/ऋणकर्ता	ऋण दिए गए धन पर क्रय शक्ति की हानि।	नकारात्मक
देनदार (UPSC-2013)	मुद्रास्फीति के कारण ऋण के वास्तविक बोझ में कमी।	सकारात्मक
निवेशक	मूल्य वृद्धि के कारण अल्पकालिक लाभ; अनिश्चित दीर्घकालिक प्रभाव।	मिश्रित
वेतन अर्जक	मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में, वेतन मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं रहता है।	नकारात्मक
बचतकर्ता	मुद्रास्फीति के कारण बचत मूल्य में कमी।	नकारात्मक
करदाता	ब्रैकेट क्रिप और बढ़ते अप्रत्यक्ष करों के कारण कर का बोझ अधिक।	नकारात्मक
विनिमय दर	घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन	मिश्रित
व्यापार संतुलन	अल्पकालिक सुधार, लेकिन आयात निर्भरता के कारण दीर्घकालिक स्थिति खराब हो सकती है।	मिश्रित
रोज़गार	अल्पकालिक वृद्धि, दीर्घकालिक प्रभाव आर्थिक नीतियों पर निर्भर करते हैं।	मिश्रित
जनता का मनोबल	असमानता एवं आर्थिक अनिश्चितता के कारण मनोबल में कमी।	नकारात्मक

❖ ❖ ❖

Search On TG: @apna_pdf

5 सरकारी बजट और राजकोषीय नीति

सरकारी बजट

- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित एक वार्षिक वित्तीय विवरण है।
- इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का अनुमान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- आर्थिक मामलों का विभाग केंदीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। **[UPSC 2015]**

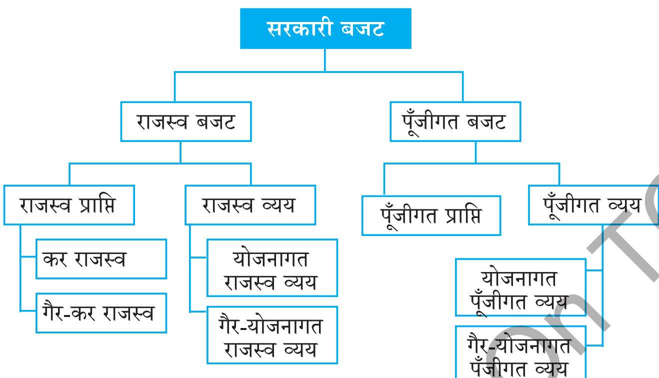

बजट खातों का वर्गीकरण

बजट को दो मुख्य खातों में विभाजित किया जाता है:

- **राजस्व खाता (या राजस्व बजट):** राजस्व खाता सरकार की वर्तमान प्राप्तियों और इन प्राप्तियों से पूरा किए जा सकने वाले व्यय को दर्शाता है।
- **पूँजी खाता (या पूँजी बजट):** इसमें सरकार की संपत्तियों और देनदारियों से संबंधित लेखा-जोखा शामिल होता है।

विशेषता	राजस्व बजट	पूँजीगत बजट [UPSC 2016]
केंद्र	दिन-प्रतिदिन के खर्च और प्राप्तियाँ	दीर्घकालिक निवेश और परिसंपत्ति निर्माण
आय	कर, शुल्क, जुर्माना, आदि।	ऋण, अधिशेष, विशिष्ट शुल्क
व्यय	वेतन, प्रशासन, सब्सिडी, सामाजिक कार्यक्रम	अवसंरचना, पूँजी परियोजनाएँ
उद्देश्य	राजकोषीय स्थिरता	आर्थिक विकास
प्रभाव	अल्पकालिक आर्थिक गतिविधि	दीर्घकालिक आर्थिक विकास

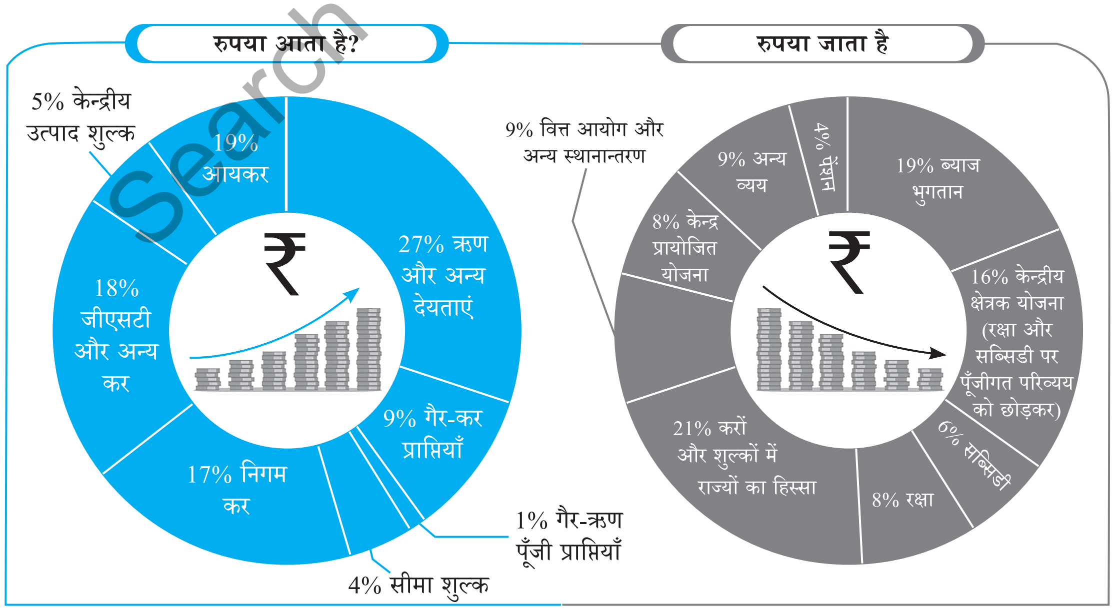

चित्र: प्राप्तियाँ तथा व्यय अवलोकन (बजट 2024-25 के अनुसार)

Search On TG: @apna_pdf

सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य

सरकार निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देती है:

- **सरकारी बजट का आवंटन कार्य**
  - **सार्वजनिक वस्तुएँ:** सरकार **गैर-बहिष्करणीय**, गैर-प्रतिद्वंद्वी वस्तुएँ जैसे रक्षा और सड़क सेवाएँ आदि प्रदान करती है, जिन्हें निजी बाजार मुफ़्त में लोगों को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं।
  - **सार्वजनिक प्रावधान एवं उत्पादन:** सार्वजनिक प्रावधान बजट द्वारा वित्तपोषित होते हैं, जिनमें कोई प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता शुल्क नहीं होता है। सार्वजनिक उत्पादन में प्रत्यक्ष सरकारी उत्पादन शामिल होता है जबकि सार्वजनिक वस्तुएँ सार्वजनिक वित्तपोषण के तहत निजी क्षेत्र द्वारा भी प्रदान की जा सकती हैं।
- **पुनर्वितरण कार्य:**
  - सरकार करों और हस्तांतरणों के माध्यम से आय का पुनर्वितरण करती है, जो प्रयोज्य आय को प्रभावित करता है और निष्पक्ष आय वितरण को बढ़ावा देता है।
- **स्थिरीकरण कार्य:**
  - सरकार समग्र माँग को प्रभावित करके अर्थव्यवस्था को स्थिर करती है:
    - **माँग में कमी:** माँग में वृद्धि और बेरोजगारी को कम करने के लिए हस्तक्षेप।
    - **अतिरिक्त माँग:** मुद्रास्फीति को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक नीतियाँ।

यह संरचित दृष्टिकोण संसाधनों का प्रबंधन करने, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित और उचित वितरण प्राप्त करने में सहायता करता है, जो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का मूल है।

सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के अलावा बजट में निम्नलिखित जानकारियाँ भी शामिल होती है:

- राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों का अनुमान;
- राजस्व वृद्धि के साधन;
- व्यय का अनुमान;
- एक समाप्त होते वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी घाटे या अधिशेष के कारण; और
- आगामी वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ, अर्थात कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएँ, व्यय कार्यक्रम और नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरुआत।

राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ गैर-प्रतिदेय सरकारी प्राप्तियाँ हैं, जो किसी प्रकार की देयता का निर्माण नहीं करती हैं और मुख्य रूप से चालू व्ययों को निधि देती हैं। राजस्व प्राप्तियाँ वित्त विधेयक में कर प्रस्तावों से प्रभावित होती हैं।

- **घटक:** इनके प्रमुख घटक कर राजस्व और गैर-कर राजस्व हैं।

कर राजस्व

- कर राजस्व सरकार की आय का मुख्य स्रोत है, जो कराधान से प्राप्त होता है।

श्रेणी	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
परिभाषा	ऐसे कर, जो व्यक्तियों या संगठनों द्वारा सीधे सरकार को भुगतान किए जाते हैं।	ऐसे कर, जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाए जाते हैं।
उदाहरण	• **व्यक्तिगत आयकर:** व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। • **निगम कर:** फर्मों के मुनाफे पर लगाया जाता है। • **अन्य प्रत्यक्ष कर** : संपत्ति कर, उपहार कर, और संपत्ति शुल्क (अब समाप्त, न्यूनतम राजस्व योगदान)।	**उत्पाद शुल्क:** घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं पर शुल्क **सीमा शुल्क:** आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर कर **वस्तु एवं सेवा कर:** वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया कर

गैर-कर राजस्व

इसमें करों के अलावा अन्य स्रोतों से सरकार द्वारा अर्जित आवर्ती आय शामिल है।

- **उदाहरण:**
  - **ब्याज प्राप्तियाँ:** केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से।
  - **लाभांश और लाभ:** कंपनियों में सरकारी निवेश से आय।
  - **शुल्क और प्रभार:** सरकारी सेवाओं (जैसे-लाइसेंस, पासपोर्ट) से राजस्व।
  - **जुर्माना और दंड:** कानून के उल्लंघन (जैसे- यातायात जुर्माना) से एकत्र किया गया।
  - **सार्वजनिक उद्यमों से लाभ:** राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों से आय।
  - **रॉयल्टी और लाइसेंस:** संसाधन उपयोग के लिए भुगतान (जैसे-खनिज, प्रसारण)।
  - **अनुदान और दान:** विदेशी देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त अथवा दी गई मुद्रा।
  - **वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री:** सरकार द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं/सेवाओं से आय।
  - **संपत्ति आय:** सरकारी संपत्तियों के किराए, पट्टे या बिक्री से राजस्व।

पूँजीगत प्राप्तियाँ

सरकार के लिए पूँजीगत प्राप्तियों में ऋण या परिसंपत्ति की बिक्री से मौद्रिक लाभ, विभिन्न देनदारियाँ या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

- **ऋण:** यह वह धनराशि है जिसमें कोई व्यक्ति, कंपनी या सरकार किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण लेती है।
- **सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विनिवेश जैसी परिसंपत्तियों की बिक्री के परिणामस्वरूप सरकार की कुल वित्तीय संपत्तियों में कमी आती है। इस विनिवेश का तात्पर्य सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी शेयरों की बिक्री से है।

Search On TG: @apna_pdf

विनिवेश का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सरकार के शेयरों की बिक्री से है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत **निवेश और प्रबंधन विभाग (DIPAM)** केंद्र सरकार के इक्विटी निवेशों के प्रबंधन से जुड़े सभी मामलों को देखता है जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश का कार्य भी शामिल है।

ऋण-सृजन और गैर-ऋण सृजन प्राप्तियाँ

- **ऋण प्राप्तियाँ:** ये वे प्राप्तियाँ हैं जो सरकार के लिए वित्तीय देनदारियाँ उत्पन्न करती हैं। उदाहरण: ऋण।
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** ये वे प्राप्तियाँ हैं जो सरकार के लिए कोई वित्तीय देनदारी या देयता उत्पन्न नहीं करतीं हैं, किंतु सरकार की कुल वित्तीय संपत्तियों में कमी आती है। जैसे- सरकार की संपत्तियों की बिक्री।

पूँजीगत प्राप्तियों के निहितार्थ

- **ऋण (Loans):** ऋण देनदारियों को बढ़ाता है, क्योंकि इसे चुकाने और उस पर ब्याज देने का दायित्व होता है।
- **परिसंपत्ति की बिक्री (Asset Sales):** परिसंपत्ति की बिक्री सरकार की वित्तीय संपत्ति के आधार को कम करती है और उन परिसंपत्तियों से भविष्य में होने वाली आय की संभावना को घटा सकती है।

सरकारी व्यय

राजस्व व्यय

- यह व्यय को दर्शाता है जो केंद्रीय सरकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- **इसमें शामिल हैं:** सरकारी विभागों और सेवाओं के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक व्यय, जैसे- वेतन, पेंशन आदि, सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान, राज्य सरकारों और अन्य पक्षों को वितरित किए गए अनुदान।
- **वर्गीकरण:** राजस्व व्यय की मुख्य मदें इस प्रकार हैं:
  - **ब्याज भुगतान:** बाजार ऋण, बाह्य ऋण, और विभिन्न आरक्षित कोषों पर ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक है।
  - **रक्षा सेवाएँ:** राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे प्रतिबद्ध व्यय (committed expenditure) माना जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर कटौती की संभावना नहीं होती है।
  - **सब्सिडी:** कल्याण को बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण नीति उपकरण। ये परोक्ष (implicit) हो सकती हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की कम कीमत, या प्रत्यक्ष (explicit), आदि निर्यात, ऋण पर ब्याज, भोजन, और उर्वरकों पर सब्सिडी।
  - **वेतन और पेंशन:** सरकारी कर्मचारियों के लिए।
  - **राज्यों और स्थानीय निकायों को अनुदान:** राज्यों और स्थानीय निकायों को प्रदान किए गए अनुदान।

पूँजीगत व्यय

- यह सरकारी व्यय को संदर्भित करता है, जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। इसमें शामिल हैं:
  - भूमि, भवन, मशीनरी और उपकरणों का अधिग्रहण, शेयरों में निवेश, केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और अन्य पक्षों को दिए गए ऋण तथा अग्रिम।

Search On TG: @apna_pdf

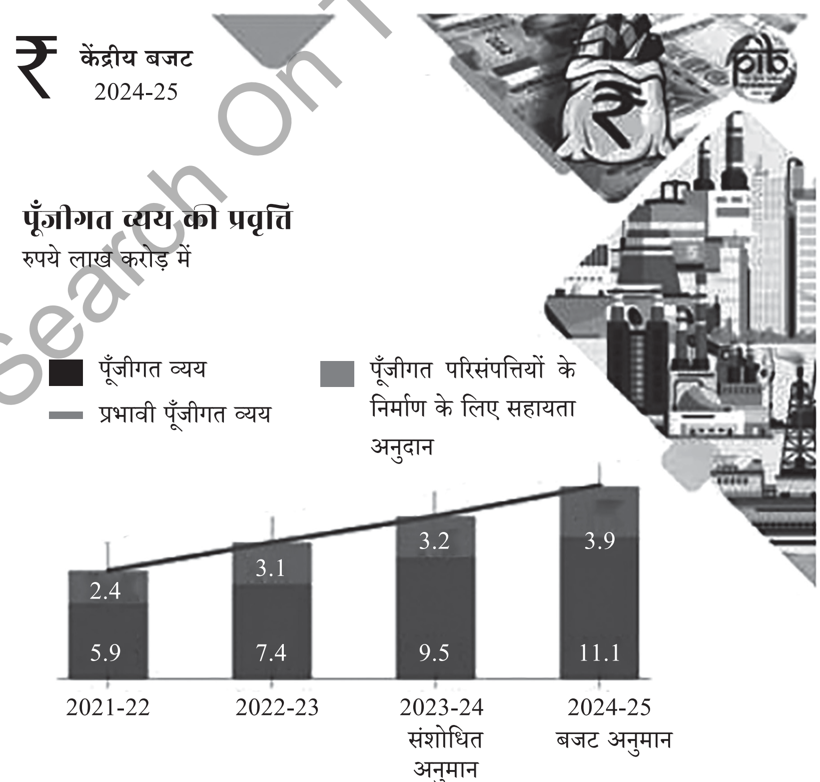

चित्र: पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति

तालिका: कुल सरकारी प्राप्तियाँ और व्यय

श्रेणी	परिभाषा	घटक
राजस्व प्राप्तियाँ	सरकार द्वारा प्राप्त आय, जो किसी प्रकार की देयता (Liability) को उत्पन्न नहीं करती या संपत्ति को कम नहीं करती।	• **कर राजस्व:** प्रत्यक्ष कर (आयकर, निगम कर) अप्रत्यक्ष कर (GST, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क) • **गैर-कर राजस्व:** ब्याज प्राप्तियाँ, पीएसयू से लाभांश, शुल्क और जुर्माने
पूँजी प्राप्तियाँ	सरकार द्वारा प्राप्त आय, जो या तो देयता उत्पन्न करती है या परिसंपत्तियों को कम करती है।	• **ऋण और ऋणी:** आंतरिक ऋणी (बाजार ऋण, ट्रेजरी बिल), बाह्य ऋणी (विदेशी सरकारों से ऋण) • **गैर-ऋण प्राप्तियाँ :** विनिवेश आय, पूर्व में दिए गए ऋण की वसूली
राजस्व व्यय	विभागों के सामान्य कार्यों तथा सेवाएँ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किया गया व्यय, जो किसी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता।	• वेतन और पेंशन • ब्याज भुगतान • सब्सिडी • राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को अनुदान
पूँजीगत व्यय	सरकार द्वारा परिसंपत्ति निर्माण या अधिगृहीत करने और देनदारियों को कम करने के लिए किया गया व्यय, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है।	• बुनियादी ढाँचे का विकास • भूमि, भवन, मशीनरी का अधिग्रहण • राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र को ऋण • ऋण की अदायगी

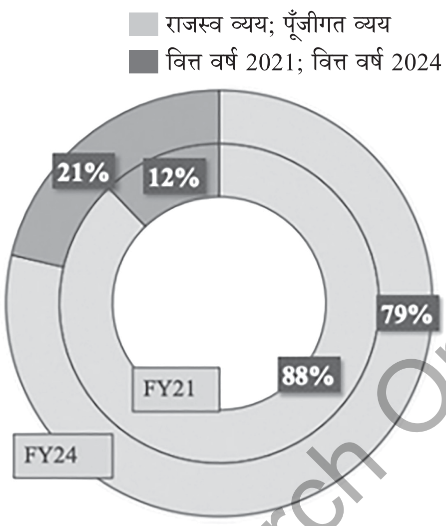

चित्र: राजस्व और पूँजीगत व्यय का भाग

बजट के प्रकार

सरकार के राजस्व संग्रह और व्यय के बीच संबंधों के आधार पर बजट के प्रकारों को परिभाषित किया जाता है:

- **संतुलित बजट:** राजस्व = व्यय
  - एक संतुलित बजट एक तटस्थ राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है।
- **अधिशेष बजट:** राजस्व > व्यय
  - एक अधिशेष बजट संकुचनकारी राजकोषीय स्थिति का संकेत देता है।
- **घाटे का बजट:** राजस्व < व्यय
  - घाटे का बजट विस्तारवादी राजकोषीय नीति (Expansionary Fiscal Stance) को दर्शाता है। यह आर्थिक मंदी के दौरान आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिक्रिया हो सकता है, हालाँकि यह सरकारी ऋण के संचय का कारण बनता है। घाटे को कम करने के लिए सरकार **राजस्व व्यय घटाने** और **सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने** जैसे उपाय कर सकती है। **[UPSC-2016]**

सरकारी घाटे के मापदंड

मापदंड	सूत्र	विवरण	प्रभाव
राजस्व	राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ	सरकार की वर्तमान आय और व्यय के बीच की कमी को दर्शाता है।	राजस्व घाटा सरकार की बचत में कमी को दर्शाता है, जो अन्य आर्थिक क्षेत्रों से बचत का उपयोग अपने उपभोग व्यय के हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए करती है, जिससे निवेश और उपभोग आवश्यकताओं दोनों के लिए ऋण की प्राप्ति आवश्यक हो जाती है।
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)	सकल राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)	व्यय और गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है, जो सरकार की कुल ऋण आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है।	2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% था, जो ऋण आवश्यकताओं को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का उच्च हिस्सा व्यय के लिए ऋण लेने का सुझाव देता है, जिससे आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है। भारत के राजकोषीय घाटे में पिछले दशक में लगातार वृद्धि नहीं देखी गई है। **(UPSC 2017)**

Search On TG: @apna_pdf

प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)	सकल प्राथमिक घाटा = कुल राजकोषीय घाटा – निवल ब्याज देयताएँ	ब्याज भुगतान को हटाकर, केवल वर्तमान व्यय के लिए आवश्यक ऋण को दर्शाता है।	सरकार की संचालन आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। कम प्राथमिक घाटा बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत देता है।
प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)	प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा – पूँजी निर्माण के लिए दिए गए निवल अनुदान	पूँजी निर्माण पर राजस्व व्यय को छोड़कर राजस्व घाटे को समायोजित करता है, केवल गैर-उत्पादक राजस्व घाटे को चिह्नित करता है।	यह संकेत देता है कि राजस्व घाटा परिसंपत्ति निर्माण में कितना योगदान दे रहा है, जिससे विकासात्मक खर्च का विश्लेषण करने में मदद मिलती है।

निहितार्थ और परिणाम

- ये घाटे के उपाय सरकार के राजकोषीय अनुशासन, ऋण आवश्यकताओं तथा आर्थिक स्थिरता और विकास पर प्रभाव का मूल्याँकन करने हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।
- लगातार घाटे, विशेष रूप से राजस्व घाटे, अस्थिर ऋण, ऋण संचय और अंततः व्यय में कटौती का कारण बन सकते हैं, जो देश में आर्थिक विकास तथा कल्याणकारी नीतियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। **(UPSC 2016)**

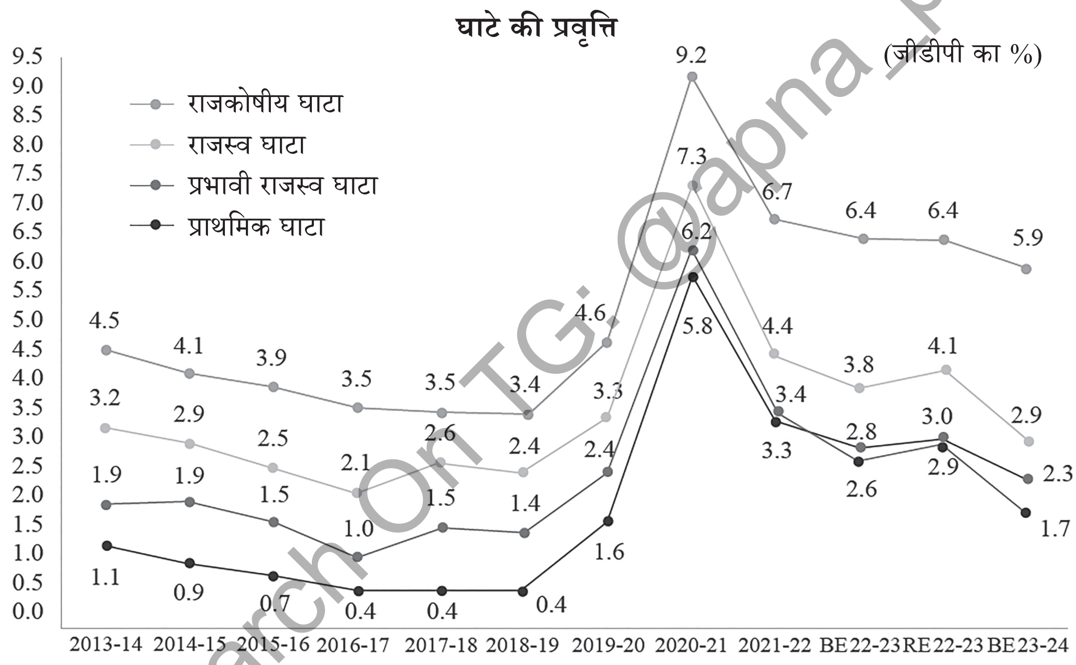

चित्र: सरकार के घाटे की प्रवृत्ति

Search On TG: @apna_pdf

राजकोषीय नीति

परिचय

राजकोषीय नीति में आर्थिक उत्पादन और रोजगार को स्थिर करने के लिए व्यय और कराधान में सरकार द्वारा किए गए समायोजन शामिल हैं। इसका उद्देश्य अधिशेष (राजस्व, व्यय से अधिक है), घाटे (राजस्व, व्यय से कम है) या संतुलित बजट के माध्यम से माँग को प्रभावित करते हुए आर्थिक चक्रों का प्रबंधन करना है।

राजकोषीय नीति के मुख्य घटक

- **कर नीति:** इसमें सरकार द्वारा व्यक्तियों और व्यवसायों से एकत्र किए जाने वाले करों की दरें और प्रकार निर्धारित करना शामिल है।
- **व्यय नीति:** इसमें यह तय करना शामिल है कि सरकार अपने राजस्व को कितना और किन क्षेत्रों में खर्च करती है।
- **निवेश और विनिवेश नीति:** इसमें सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों, जैसे-सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, वित्तीय संस्थानों और संप्रभु धन निधियों का प्रबंधन करना शामिल है।
- **ऋण या अधिशेष प्रबंधन:** इसमें सरकार के राजस्व और व्यय के मध्य के अंतर को पूरा करने के लिए धन ऋण लेना या उसमें बचत शामिल है।

राजकोषीय नीति के प्रकार:

पहलू	विस्तारवादी राजकोषीय नीति (Expansionary Fiscal Policy)	संकुचनकारी राजकोषीय नीति (Contractionary Fiscal Policy)
उद्देश्य	आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना	मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना
उपकरण	• **सरकारी व्यय में वृद्धि:** सार्वजनिक परियोजनाओं, बुनियादी ढाँचे और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अधिक धन आवंटन। • **कर कटौती:** उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए व्यय योग्य आय बढ़ाने के लिए कर में कमी।	• **सरकारी व्यय में कमी:** सार्वजनिक परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धन में कटौती। • **कर वृद्धि:** व्यय योग्य आय को कम करने और खर्च को घटाने के लिए करों में वृद्धि।
प्रभाव (Impact)	• **कुल माँग में वृद्धि:** उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा देना। • **रोजगार सृजन:** रोजगार के अधिक अवसर, जिससे बेरोजगारी में कमी। • **मंदी को रोकना या समाप्त करना:** आर्थिक संकुचन का सामना करना।	• **कुल माँग में कमी:** वस्तुओं और सेवाओं की समग्र माँग को धीमा करना। • **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना:** अर्थव्यवस्था को अत्यधिक तीव्र होने और मुद्रास्फीति के अस्थिर स्तरों का अनुभव करने से रोकना। • **अर्थव्यवस्था को स्थिर करना:** आर्थिक संतुलन बनाए रखना।
उदाहरण (Examples)	• 2008 के वित्तीय संकट के दौरान आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया गया।	• 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के प्रारंभ में अमेरिका जैसे देशों द्वारा उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए इसका प्रयोग किया गया।

चक्रीय और प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति

पहलू	चक्रीय नीति (Pro-cyclical Policy)	प्रति-चक्रीय नीति (Counter-cyclical Policy)
परिभाषा	वित्तीय नीति जो आर्थिक चक्र के साथ संरेखित होती है, उछाल के दौरान विस्तार करती है और मंदी के दौरान संकुचन करती है।	वित्तीय नीति जो चक्र का प्रतिकार करती है, मंदी के दौरान विस्तार करती है और तेजी के दौरान संकुचन करती है, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके।
उद्देश्य	वर्तमान आर्थिक प्रवृत्ति से एकीकरण, जिससे आर्थिक उतार-चढ़ाव या परिवर्तन में वृद्धि हो सकती है।	आर्थिक चक्र में चरम सीमाओं को कम करना, वृद्धि तथा माँग को स्थिर करना।
उछाल/तेजी के दौरान किए जाने योग्य प्रयास	विस्तारवादी उपाय: अधिक व्यय और कर कटौती, जिससे मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ता है।	संकुचनकारी / संकुचनात्मक उपाय: व्यय में कटौती और अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु कर बढ़ोतरी।
मंदी के दौरान कार्रवाई	संकुचनकारी उपाय: व्यय में कटौती और कर बढ़ोतरी, जो मंदी में वृद्धि कर सकते हैं।	विस्तारवादी उपाय: माँग और वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए व्यय में वृद्धि तथा कर कटौती। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि। **[UPSC-2021]**
आर्थिक प्रभाव	तेजी के दौरान अर्थव्यवस्था में अधिक तीव्रता मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है; व्यय में कटौती और कर वृद्धि के कारण मंदी और तीव्र हो सकती है।	चक्रों के बीच माँग को संतुलित करता है; उछाल के दौरान मुद्रास्फीति को सीमित करने और मंदी से निपटने में सहायता करता है।
उदाहरण	तेजी में सार्वजनिक व्यय बढ़ाना और कर कटौती, मुद्रास्फीति तथा परिसंपत्ति बुलबुले (Asset Bubble) का जोखिम।	मंदी के दौरान अधिक व्यय और कर कटौती वाली प्रोत्साहन सुविधाएँ, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए।

Search on TG: @apna_pdf

कराधान प्रणाली (TAXATION SYSTEM):

कर (Tax) एक वित्तीय शुल्क या करारोपण है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों, या अन्य संस्थाओं पर सार्वजनिक व्यय और सरकारी कार्यों को वित्तपोषित करने के लिए लगाया जाता है। यह एक अनिवार्य योगदान है, जो नागरिकों और व्यवसायों द्वारा भुगतान करना आवश्यक होता है तथा यह सरकार के लिए राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

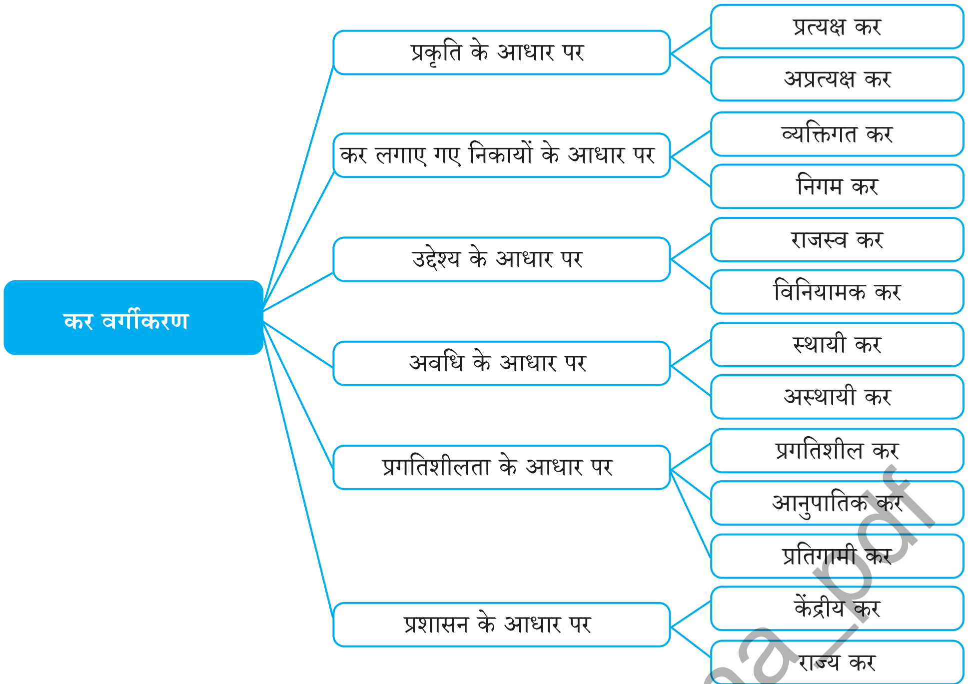

कराधान प्रणाली को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- **प्रगतिशील कराधान प्रणाली (Progressive Taxation System):** अधिक आय पर उच्च कर दर लागू होती है।
- **आनुपातिक कराधान प्रणाली (Proportional Taxation System):** आय के स्तर की परवाह किए बिना कर दर एक निश्चित अनुपात में होती है।

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर एक प्रकार का कर है जो सीधे व्यक्तियों या संगठनों की आय, धन या संपत्ति पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष करों के विपरीत, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं तथा उपभोक्ताओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान किए जाते हैं (जैसे-बिक्री कर या वैट), प्रत्यक्ष कर करदाता द्वारा सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है।

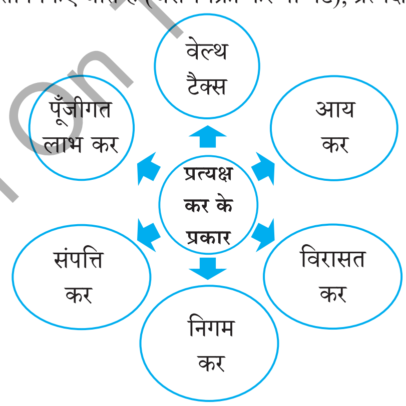

Search on TG: @apna_pdf

भारत में प्रत्यक्ष कराधान के लिए प्रशासनिक संरचना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। इसकी संरचना निम्नलिखित है:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

- CBDT केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत कार्यरत एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- यह भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और नियोजन के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है तथा प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है।

आयकर विभाग

- आयकर विभाग प्रत्यक्ष कर संग्रह करने वाला एक सरकारी संस्थान है।
- इसका नेतृत्व CBDT करता है और यह वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का भाग है।

प्रत्यक्ष कर के प्रकार	विवरण	मुख्य बिंदु
न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT)	"शून्य कर कंपनियों" को संबोधित करने के लिए वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा प्रस्तुत किया गया।	यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियाँ न्यूनतम कर का भुगतान करें, भले ही उनकी सामान्य कर देयता शून्य हो जाए।
पूँजीगत लाभ कर (UPSC-2012)	खरीद लागत से अधिक कीमत पर संपत्ति बेचने से होने वाले लाभ पर कर।	स्टॉक, बॉण्ड, रियल एस्टेट आदि जैसी-परिसंपत्तियों पर लागू होता है।
लाभांश वितरण कर (DDT)	कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को वितरित किए जाने वाले लाभांश पर लगाया जाने वाला कर।	2019-20 के बजट में DDT को समाप्त कर दिया गया।
प्रतिभूति लेनदेन कर (STT)	भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला कर।	स्टॉक, बॉण्ड, म्यूचुअल फंड आदि में लेनदेन पर लागू होता है।

डिजिटल शीर्ष कंपनियों पर वैश्विक कर एवं समतुल्यकरण शुल्क

विविध पहलू	GAFA कर (या डिजिटल शीर्ष कंपनियों पर वैश्विक कर)	समतुल्यकरण शुल्क (भारत)
परिभाषा	Google, Apple, Facebook, Amazon जैसी प्रमुख डिजिटल कंपनियों पर कर	अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर कर
उद्देश्य	महत्त्वपूर्ण उपयोगकर्ता आधार वाले देशों में तकनीकी दिग्गजों द्वारा उचित कर योगदान सुनिश्चित करना	विदेशी और घरेलू डिजिटल फर्मों के लिए कर क्षेत्र को समान बनाना
केंद्र बिन्दु	उच्च डिजिटल राजस्व वाली बड़ी तकनीकी कंपनियाँ	व्यापक डिजिटल सेवाएँ और ई-कॉमर्स लेनदेन
कर आधार	विशिष्ट देशों में डिजिटल सेवाओं से राजस्व	अनिवासी फर्मों द्वारा डिजिटल सेवाओं से सकल राजस्व
कर की दर	देश के अनुसार अलग-अलग होती है (उदाहरण के लिए, फ्रांस में 3%)	भारत में पहले यह 2% था। नवीनतम बजट में 2% लेवी को समाप्त कर दिया गया, जबकि ऑनलाइन विज्ञापन राजस्व पर लगाए गए 6% समतुल्यकरण लेवी को अपरिवर्तित रखा गया।

Search On TG: @apna_pdf

करों की वृद्धि दर (%) एवं नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि				
	नॉमिनल जीडीपी	**निगम कर में वृद्धि**	**आयकर में वृद्धि**	**कर उछाल (Tax Buoyancy)**
2021-22	19.5	55.6	43	2.52
2022-23	15.4	16	20	1.1
2023-24(अप्रैल-अगस्त)	8	15	35.7	1.4

प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2013-14 में 5.62% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 6.11% हो गया है। साथ ही यह वित्त वर्ष 2023-24 में पिछले 24 वर्षों के उच्चतम स्तर 6.64% पर पहुँच गया है।

- कर उछाल को कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह दर्शाता है कि आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन के उत्तर में कर राजस्व कैसे बढ़ता या घटता है।
- **सूत्र: कर उछाल (Tax Buoyancy) = कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन/जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन**
- एक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत में कर उछाल 1.4 होने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2024 में सकल कर राजस्व (जीटीआर) में 13.4% की वृद्धि के कारण है, जो प्रत्यक्ष करों में 15.8% और अप्रत्यक्ष करों में 10.6% की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

व्याख्या (Interpretation)	
उछाल (Buoyancy) > 1	कर राजस्व अर्थव्यवस्था की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है। यह आमतौर पर तब होता है जब कर आधार का विस्तार या तो आर्थिक वृद्धि के कारण या प्रभावी कर प्रशासन और अनुपालन के कारण होता है।
उछाल (Buoyancy) < 1	कर राजस्व अर्थव्यवस्था की तुलना में धीमी गति से बढ़ रहा है। यह कर चोरी, कर दरों में कमी, या कर आधार के संकुचन के कारण हो सकता है।
उछाल (Buoyancy) = 1	कर राजस्व अर्थव्यवस्था की समान दर से बढ़ रहा है।

अप्रत्यक्ष कर

- पहले उत्पाद शुल्क निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता था तथा कराधान तब लागू किया जाता था, जब माल अथवा वस्तुएँ कारखाना परिसर से बाहर निकलती थी।

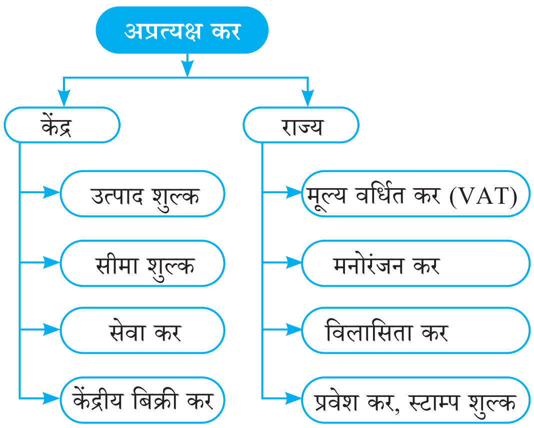

- **सीमा शुल्क** वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है।
- **सेवा कर** सेवाओं के प्रावधान पर लगाया जाता था।
- **केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच उत्पादों की बिक्री** पर केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) लगाया जाता था।
  - हालाँकि, कर राजस्व उस राज्य द्वारा एकत्र किया जाता था, जहाँ से लेनदेन शुरू हुआ। यही कारण है कि इसे मूल-आधारित कर के रूप में संदर्भित किया जाता था।
- **मूल्य वर्धित कर (वैट)** एक राज्य के भीतर माल की बिक्री पर लागू किया गया था। केंद्र सरकार के पास अंतरराज्यीय बिक्री पर कर लगाने का अधिकार नहीं था और वैट केवल उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य पर लगाया जाता था। वैट प्रणाली के तहत, मूल्य शृंखला में प्रत्येक इकाई को अपने संबंधित मूल्य वर्धन के आधार पर सरकार को करों का भुगतान करना आवश्यक था। **(UPSC 2011)**
- **प्रवेश कर,** जिसे पहले भारतीय राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता था, माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही पर लागू होता था। इसे प्राप्त करने वाले राज्य द्वारा अपने कर राजस्व आधार की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है।
- **स्टाम्प ड्यूटी या स्टाम्प शुल्क** एक ऐसा कर है जो सभी कानूनी संपत्ति लेनदेन से संबंधित है। स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान को दर्शाने के लिए दस्तावेज़ पर एक भौतिक स्टाम्प चिपकाना या छापना आवश्यक है। चूँकि इसे अलग-अलग राज्यों द्वारा लगाया जाता है, इसलिए कर की दर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) **[UPSC 2017]**

प्रमुख पहलू	विवरण
जीएसटी परिचय	1 जुलाई, 2017 को विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर प्रणाली में शामिल कर दिया गया।
कर स्लैब	5%, 12%, 18%, 28% तथा आवश्यक वस्तुओं पर शून्य दर।
प्रकार	गंतव्य-आधारित कर, जहाँ वस्तुओं/सेवाओं का उपभोग किया जाता है, वहाँ एकत्र किया जाता है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट	कैस्केडिंग प्रभाव से बचने के लिए खरीद पर भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट, प्रत्येक आपूर्ति चरण में जोड़े गए मूल्य पर लागू किया जाता है।
अनुपालन	व्यवसायों को जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से नियमित रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना चाहिए।
वर्गीकरण	वस्तुओं/सेवाओं को जीएसटी परिषद द्वारा कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है, जो उन्हें समय-समय पर अपडेट करता है।
मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (Anti-Profiteering authority)	यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय उपभोक्ताओं को कम कर दरों/इनपुट क्रेडिट का लाभ दें।
दुहरा जीएसटी मॉडल	केंद्र और राज्य सरकारें दोनों एक ही कर आधार पर जीएसटी लगाती हैं।
जीएसटी परिषद	जीएसटी से संबंधित मुद्दों (दरें, छूट, आदि) पर सिफारिशें करने के लिए गठित।
एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)	अंतरराज्यीय लेनदेन पर लगाया जाता है और केंद्र तथा राज्यों के बीच साझा किया जाता है।
राज्यों को मुआवजा	राज्यों ने 5 वर्षों के लिए जीएसटी के कारण राजस्व हानि की भरपाई की।
इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (ई-वे बिल)	अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर दोनों तरह की आवाजाही के लिए ₹50,000 से अधिक मूल्य के सामान के लिए आवश्यक।
जीएसटीएन	डिजिटल आधार, जो जीएसटी प्रशासन को सुविधाजनक बनाता है, तथा दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
जीएसटी वृद्धि	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीएसटी प्राप्तियों में वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान (आरई) और अनंतिम अनुमान (पीई) की तुलना में 11.0% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान (बीई) में ₹10.62 लाख करोड़ है।

Search on TG: @apna_pdf

जीएसटी के अंतर्गत समाहित अप्रत्यक्ष कर

केंद्रीय कर	राज्य कर
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (CENVAT)	राज्य वैट (मूल्य वर्धित कर)
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	केंद्रीय बिक्री कर
उत्पाद शुल्क (औषधीय और शौचालय संबंधी तैयारी)	विलासिता कर
उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (विशेष महत्त्व की वस्तुएँ)	प्रवेश कर (सभी प्रकार)
उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (वस्त्र और वस्त्र उत्पाद)	मनोरंजन कर
सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (प्रतिपूरक शुल्क, सीवीडी)	विज्ञापनों पर कर
सेवा कर	राज्य अधिभार और उपकर

जीएसटी से बाहर के कर

- मूल सीमा शुल्क
- पेट्रोल और डीजल पर कर
- तंबाकू और शराब पर कर
- संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क
- बिजली शुल्क
- वाहन कर
- संपत्ति कर

Search On TG: @apna_pdf

कर चोरी और कर से बचाव

अंतर संबंधी प्रमुख बिंदु	कर चोरी (UPSC-2021)	कर परिहार
परिभाषा	आय को गलत तरीके से दर्शाकर या छिपाकर देय करों का भुगतान न करने की अवैध प्रथा।	कर देयता को कम करने के लिए कर कानून में खामियों और छूटों का कानूनी उपयोग।
वैधता	कानून के तहत अवैध और दंडनीय।	कानूनी लेकिन अनैतिक माना जाता है; कर कानून के प्रावधानों का रणनीतिक रूप से उपयोग करता है।
उपयोग की जाने वाली विधियाँ	आय को कम करके दिखाना, खर्च बढ़ाना, संपत्ति छिपाना, काला धन।	कटौतियों, छूटों, कर क्रेडिट और खामियों का लाभ उठाना।
उद्देश्य	कानूनों का उल्लंघन करके कर भुगतान से बचना या कम करना।	कानूनी सीमाओं के भीतर कर देयता को कम करना।
परिणाम	कानूनी दंड, जुर्माना और संभावित कारावास क्योंकि कर चोरी के कारण राज्य के खजाने को राजस्व का नुकसान।	कोई दंड नहीं, लेकिन भविष्य में कानूनी सुधारों को जन्म दे सकता है।
उदाहरण	आय रिकॉर्ड में हेराफेरी करना, विदेशी संपत्ति छिपाना।	विदेशी खातों का उपयोग करना, कर बचत योजनाओं में निवेश करना।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS)

- यह बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उच्च-कर क्षेत्राधिकार से कम-कर वाले क्षेत्रों में लाभ स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियों को संदर्भित करता है जिससे उनका समग्र कर बोझ कम हो जाता है।
- **प्रभाव:** ये रणनीतियाँ उच्च-कर वाले देशों के कर आधार को नष्ट कर देती हैं, जिससे सरकारी राजस्व कम हो जाता है।
- **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की रूपरेखा:**
    - ओईसीडी की **आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण** परियोजना कर से बचने के लिए देशों को दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
    - प्रमुख उपायों में पारदर्शिता आवश्यकताएँ, प्रमुख सूचनाएँ तथा स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विनियमों को कठोर करना शामिल है।
    - भारत एक सक्रिय भागीदार है, जो अपने कर आधार की सुरक्षा के लिए बीईपीएस मानदंडों को लागू कर रहा है।

स्थानांतरण मूल्य निर्धारण और अग्रिम निर्णय प्राधिकरण

- **स्थानांतरण मूल्य निर्धारण:**
  - इसमें बहुराष्ट्रीय निगम की सहायक कंपनियों जैसी संबंधित संस्थाओं के बीच लेनदेन का मूल्य निर्धारण शामिल है।
  - **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि लेनदेन **"बाजार दर" (arm's length)** के आधार पर किए जाएँ, अर्थात् ऐसी कीमत पर जो असंबंधित पक्षों के बीच समान परिस्थितियों में होती है।
  - भारत के कर अधिकारी लाभ स्थानांतरण और कर आधार क्षरण को रोकने के लिए **स्थानांतरण मूल्य निर्धारण** की जाँच करते हैं।
- **अग्रिम निर्णय प्राधिकरण(AAR):**
  - AAR करदाताओं को **स्थानांतरण मूल्य निर्धारण** सहित जटिल कर मामलों पर बाध्यकारी सलाह प्रदान करता है।
  - यह कर-संबंधी अनिश्चितताओं को कम करके बहुराष्ट्रीय निगम को योजना बनाने में मदद करता है।

सामान्य कर-परिहार विरोधी नियम (GAAR)

- इसमें कानूनी प्रावधान शामिल हैं जो आक्रामक कर परिहार का मुकाबला करते हैं। ये प्रथाएँ तकनीकी रूप से कानून का पालन करती हैं, लेकिन उसके उद्देश्य को कमजोर करती हैं।
- **उद्देश्य:** वास्तविक आर्थिक गतिविधि के बजाय मुख्य रूप से कर लाभ के लिए निर्मित की गई व्यवस्थाओं को लक्षित करता है।
- **भारत में कार्यान्वयन:** GAAR को कर संबंधी कमियों का लाभ उठाने वाली कर व्यवस्थाओं को हतोत्साहित करके निष्पक्ष कराधान सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

दोहरा कराधान बचाव समझौता (DTAA)

- **परिभाषा:** यह उन संधियों को संदर्भित करता है जो दो या अधिक देशों के बीच इस उद्देश्य से की जाती हैं कि एक ही आय पर दुहरा कराधान रोका जा सके।
- **उद्देश्य:** डीटीएए विदेशों में भुगतान किए गए करों के लिए कर छूट या क्रेडिट के माध्यम से राहत प्रदान करके निवेश को बढ़ावा देता है।
- **हालिया के घटनाक्रम:** भारत ने संधि के दुरुपयोग को रोकने और आर्थिक उपस्थिति के आधार पर निष्पक्ष कर आवंटन के प्रावधानों को मजबूत करते हुए **आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण** विरोधी सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न देशों के साथ डीटीएए को संशोधित किया है।

वैश्विक न्यूनतम निगम कर (GMCT)

- **उद्देश्य:** बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) को बिना किसी महत्त्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के कम कर क्षेत्राधिकार में लाभ स्थानांतरित करने से रोकना।
- **मुख्य रूपरेखा:**
  - **स्तंभ 1:** उन देशों को कर अधिकार आवंटित करता है जहाँ एमएनसी के ग्राहक मौजूद हैं, चाहे उनकी भौतिक उपस्थिति न हो।
  - **स्तंभ 2:** वैश्विक स्तर पर 15% की न्यूनतम निगम कर दर निर्धारित करता है।
- **भारत पर प्रभाव:**
  - **समतुल्यकरण शुल्क:** गूगल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी पर भारत के डिजिटल कर का जीएमसीटी के तहत पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है, जिससे यह वैश्विक कर मानकों के अनुरूप हो।
- **प्रभावी प्रबंधन का स्थान (पीओईएम) नियम:** एक ऐसा स्थान जहाँ किसी इकाई के व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंधन और वाणिज्यिक निर्णय लिए जाते है। यह यह जाँचने में मदद करता है कि क्या कंपनियाँ करों से बचने के लिए विदेशों में शेल सहायक कंपनियाँ स्थापित कर रही हैं।
- **टैक्स हेवेन (Tax Haven):** ऐसे देश जहाँ कर की दरें कम हैं, खाताधारकों को गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा अन्य देशों के साथ कर जानकारी साझा नहीं करते हैं।

कर सुधार: समितियाँ और सिफारिशें

प्रत्यक्ष कर सुधार

समिति	मुख्य अनुशंसाएँ
केलकर समिति (2002)	कर कानूनों को सरल बनाना, कर दरों को तर्कसंगत बनाना, कर आधार को व्यापक बनाना, छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और निगम कर को कम करना।
पार्थसारथी शोम समिति (2012)	GAAR के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा, स्पष्ट कर परिहार मानदंड, विशेषज्ञ पैनल समीक्षा, वैश्विक मानकों के अनुरूप।
अखिलेश रंजन की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष कर संहिता टास्क फोर्स (2017-19)	प्रत्यक्ष कर संहिता पर अखिलेश रंजन समिति ने निगम कर दरों को कम करने, व्यक्तिगत कर स्लैब को तर्कसंगत बनाने, पूँजीगत लाभ कराधान को सरल बनाने और कर छूट को सीमित करने जैसे उपायों के साथ भारत के कर कानूनों को सरल तथा आधुनिक बनाने की सिफारिश की। इसने कर अनुपालन में सरलता, विवाद समाधान में वृद्धि, कर-परिहार विरोधी उपायों और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कर मानदंडों को संरेखित करने पर बल् दिया। समिति ने करदाता सेवाओं में सुधार और पारदर्शिता तथा स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए करदाता अधिकार चार्टर प्रस्तुत करने का भी सुझाव दिया।

अप्रत्यक्ष कर सुधार

समिति	मुख्य अनुशंसाएँ
राजा जे. चेलैया समिति (1991)	वैट लागू करना, राज्य और केंद्रीय करों में सामंजस्य स्थापित करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदान करना और आवश्यक वस्तुओं को कर मुक्त करना।
कल्याणी मेनन सेन समिति (2002)	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को सरल बनाना, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सक्षम बनाना, सिंगल-एकल खिड़की समाधान शुरू करना और टैरिफ कम करना।
टी.आर. रुस्तगी समिति (2011)	सेवा कर संरचना को सरल बनाना, सेवाओं को तर्कसंगत बनाना, आईटीसी को सक्षम बनाना और इलेक्ट्रॉनिक अनुपालन प्रणालियों में सुधार करना।
अरविंद सुब्रमण्यम समिति (2015)	जीएसटी राजस्व-तटस्थ (revenue-neutral) दर की सिफारिश, धातुओं के लिए कम दरों का प्रस्ताव तथा राज्य क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करना।

Search On TG: @apna_pdf

पिछले दशक में भारत के कर-जीडीपी अनुपात की प्रवृत्ति

(UPSC-2017)

भारत के कर-जीडीपी अनुपात में लगातार वृद्धि के बजाय उतार-चढ़ाव का अनुभव हुआ है। वित्त वर्ष 2008 में, यह अनुपात 12.1% पर पहुँच गया था। वित्त वर्ष 2024 में, इसके 11.8% होने का अनुमान है, जो इसमें परिवर्तनशीलता को दर्शाता है।

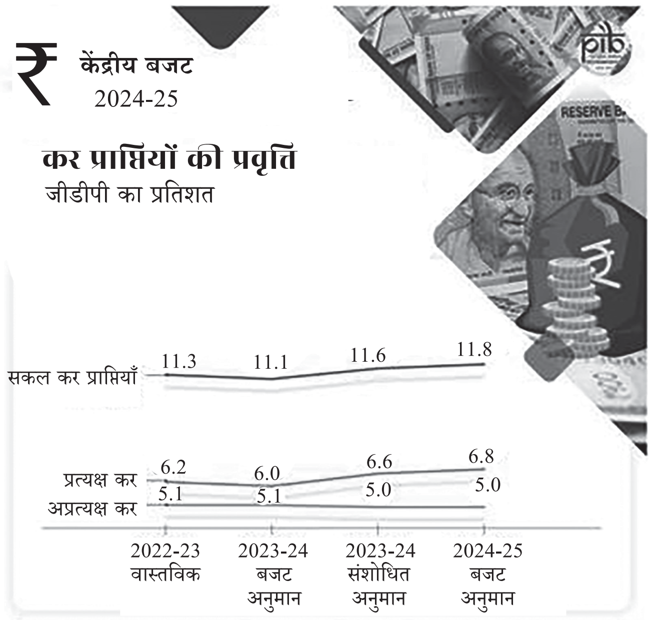

कर-जीडीपी अनुपात में कमी

- **धीमी आर्थिक वृद्धि दर:** कर-जीडीपी अनुपात में गिरावट आर्थिक वृद्धि में मंदी का संकेत दे सकती है, क्योंकि कर राजस्व अक्सर आर्थिक गतिविधि से संबंधित होता है। **(UPSC -2015)**
- **राष्ट्रीय आय का कम न्यायसंगत वितरण:** घटता अनुपात आय वितरण में समस्याओं का भी संकेत दे सकता है, जहाँ आय का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा ऐसे क्षेत्रों या व्यक्तियों में केंद्रित हो सकता है जो कम कर देते हैं या कर से बचते हैं।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) तथा अर्थोपाय अग्रिम (WMA)

एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को सीमित करके, सरकारी ऋण को नियंत्रित और व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देकर भारत में राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। अधिनियम में घाटे को कम करने और राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

एफआरबीएम अधिनियम के उद्देश्य

- **राजकोषीय घाटे को कम करना:** सरकारी खर्च को सीमित करना और राजस्व अंतर को पाटना।
- **सरकारी ऋण को नियंत्रित करना:** ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना।
- **आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना:** अत्यधिक ऋण और मुद्रास्फीति को कम करना।
- **अंतर-पीढ़ीगत समानता:** राजकोषीय बोझ का उचित वितरण सुनिश्चित करना।
- **पारदर्शिता बढ़ाना:** राजकोषीय प्रदर्शन के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करना।
- **मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति योजना:** राजकोषीय नीतियों के 3-5 वर्षों के लिए एक विवरण प्रस्तुत करना।

लक्ष्य

- **राजकोषीय घाटा:** मार्च 2021 तक जीडीपी के 3% तक सीमित, आपात स्थितियों के लिए 0.5% का विचलन प्रावधान।
- **ऋण-जीडीपी अनुपात:** कुल सरकारी ऋण 60% पर सीमित, वित्त वर्ष 2024-25 तक संघ सरकार का ऋण 40% पर।
- **राजकोषीय समेकन:** जीडीपी वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा या आपदाओं जैसी असाधारण स्थितियों के लिए समायोजित वार्षिक राजकोषीय लक्ष्य।

एफआरबीएम के तहत अनिवार्य विवरण

- **मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य:** राजकोषीय संकेतकों के लिए 3-वर्षीय लक्ष्य निर्धारित करना।
- **राजकोषीय नीति रणनीति कथन:** राजकोषीय प्राथमिकताओं और विचलन के औचित्य को रेखांकित करता है।
- **समष्टि अर्थशास्त्र रूपरेखा विवरण:** जीडीपी, राजकोषीय संतुलन और बाहरी स्थितियों पर दृष्टिकोण प्रदान करता है।

लक्ष्यों में छूट

एस्केप क्लॉज राष्ट्रीय आपदाओं या आर्थिक संकट जैसी आपात स्थितियों के दौरान राजकोषीय लक्ष्यों से अस्थायी विचलन की अनुमति देता है। कोविड-19 के दौरान, राज्यों को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से परे ऋण लेने की अनुमति दी गई थी।

राज्यों के लिए प्रमुख एफआरबीएम लक्ष्य और छूट

संकेतक	FRBM लक्ष्य	छूट
राजकोषीय घाटा	जीएसडीपी का 3%	आपात स्थिति (जैसे- राष्ट्रीय आपदाएँ, आर्थिक संकट) के मामले में 0.5% तक विचलन।
ऋण-जीडीपी अनुपात	जीएसडीपी का 25%	आर्थिक व्यवधानों के दौरान छूट, क्रमिक कमी की योजना के साथ।
राजस्व घाटा	वित्त वर्ष 2020 तक शून्य	अप्रत्याशित घटनाओं के कारण राजकोषीय दबाव अधिक होने पर अनुकूल।

राज्यों के लिए अग्रिम अर्थोपाय (WMA)

WMA भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा राज्य सरकारों को उनके अस्थायी राजस्व-व्यय अंतर को पाटने के लिए प्रदान की जाने वाली एक अल्पकालिक तरलता सुविधा है। यह नियमित राजस्व प्राप्त होने तक नकदी प्रवाह के असंतुलन को प्रबंधित करने में मदद करता है।

- **सीमाएँ:** राज्यों की राजकोषीय स्थितियों के आधार पर आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- **अल्पकालिक ऋण:** आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक के लिए।
- **ब्याज दरें:** आमतौर पर बाजार दरों से कम होती हैं।

Search on TG: @apna_pdf

सरकारी ऋण और घाटा

सरकारी ऋण बजटीय घाटे (जहाँ व्यय राजस्व से अधिक होता है) से उत्पन्न होता है, जिसे आमतौर पर निम्नलिखित द्वारा वित्तपोषित किया जाता है:

1. **कराधान:** अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए सरकार कर दरें बढ़ाती है या नए कर लगाती है।
2. **ऋण:** सरकार अक्सर बॉण्ड जारी करती है जिससे पुनर्भुगतान का बोझ भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित हो जाता है, जिन्हें उच्च करों का सामना करना पड़ सकता है।
3. **मुद्रा छापना:** मुद्रास्फीति जोखिमों के कारण कम प्रचलित है।

संभावित बोझ के रूप में ऋण

- **अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव:** ऋण भविष्य की खपत को कम कर सकता है क्योंकि पुनर्भुगतान भावी पीढ़ियों पर बोझ डालता है, संभावित रूप से राष्ट्रीय बचत और निजी क्षेत्र के पूँजी निर्माण को कम करता है।
- **क्राउडिंग आउट:** सरकार के ऋण निजी निवेश के लिए उपलब्ध निधियों को कम कर सकते हैं, मुख्य रूप से अगर यह निगम बॉण्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालाँकि, उत्पादक सरकारी खर्च से राष्ट्रीय आय में वृद्धि इस प्रभाव को कम कर सकती है।

गैर-वित्तीय ऋण (UPSC-2020)

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, गैर-वित्तीय ऋण में शामिल हैं:

1. परिवारों द्वारा लिए गए आवास ऋण।
2. क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि।
3. ट्रेजरी बिल, अल्पकालिक सार्वजनिक ऋण का एक रूप।

रिकार्डियन समतुल्यता: यह सिद्धांत तर्क देता है कि जब सरकार ऋण लेती है, तो दूरदर्शी उपभोक्ता भविष्य में उच्च करों की अपेक्षा करते हैं और अपनी बचत बढ़ाते हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि कराधान और ऋण लेना राष्ट्रीय बचत को प्रभावित किए बिना सरकारी व्यय को वित्तपोषित करने के समान तरीके हैं।

भारत में सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य सरकार द्वारा अपने खर्चों को पूरा करने और राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने के लिए किए गए ऋण से है। घरेलू वित्तीय बचत का एक हिस्सा सरकारी ऋण में लगाया जाता है, जिससे आंतरिक ऋण का निर्माण होता है। यह सरकारी प्रतिभूतियों, लघु बचत योजनाओं और भविष्य निधि जैसे उपकरणों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। (UPSC-2022)

भारत में सार्वजनिक ऋण के उद्देश्य

1. **सरकारी व्यय का वित्तपोषण:** आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचे और कल्याणकारी परियोजनाओं को निधि प्रदान करना।
2. **राजकोषीय घाटे को कम करना:** तत्काल कर बढ़ाए बिना राजस्व-व्यय के अंतर को संबोधित करना।
3. **मौद्रिक नीति का समर्थन:** आरबीआई को तरलता का प्रबंधन करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपकरण प्रदान करना।
4. **अर्थव्यवस्था को स्थिर करना:** आर्थिक मंदी के दौरान खर्च का समर्थन करने के लिए एक प्रति-चक्रीय उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है।

सार्वजनिक ऋण के प्रकार (UPSC-2022)

- **आंतरिक ऋण**
  - **सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी-सेक):** बजट घाटे के वित्तपोषण के लिए घरेलू स्तर पर जारी किए गए दीर्घकालिक बॉण्ड।
  - **ट्रेजरी बिल (टी-बिल):** 91, 182 और 364 दिनों की परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋण।
  - **अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए):** अल्पकालिक नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए आरबीआई से अस्थायी ऋण।
  - **बाजार ऋण:** इसमें दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाए गए ऋण शामिल हैं, जो आंतरिक ऋण का एक महत्त्वपूर्ण घटक है और नीलामी में बाजार-निर्धारित दरों पर जारी किए जाते हैं।
- **बाह्य ऋण**
  - **बहुपक्षीय ऋण:** विश्व बैंक, आईएमएफ और एशियाई विकास बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं से ऋण।
  - **द्विपक्षीय ऋण:** विदेशी सरकारों से ऋण।
  - **वाणिज्यिक ऋण:** अंतरराष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण।
  - **निर्यात ऋण:** आयात के लिए विदेशी निर्यातकों या बैंकों द्वारा प्रदान किया गया वित्तपोषण।

सरकार के ऋण और देयताओं के घटक

ऋण श्रेणी	विवरण
बाजार ऋणी	सबसे बड़ा हिस्सा; इसमें ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियाँ जैसी सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
बैंकों/संस्थाओं से ऋण	विशिष्ट परियोजनाओं या अल्पकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए घरेलू बैंकों से ऋण।
बाह्य ऋण	विश्व बैंक, एडीबी जैसी संस्थाओं से और सॉवरेन बॉण्ड के माध्यम से विदेशी ऋण।
लघु बचत और भविष्य निधि	पीपीएफ, एनएससी जैसी योजनाओं से प्राप्त निधि; सरकारी व्यय को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग की जाती है।
राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	राज्यों द्वारा परियोजनाओं के लिए जारी की जाती है; कभी-कभी केंद्र सरकार द्वारा समर्थित होती है।
लघु बचत के विरुद्ध प्रतिभूतियाँ	छोटी बचत संग्रह के आधार पर जारी किए गए साधन।
ट्रेजरी बिल	तत्काल सरकारी वित्तपोषण के लिए अल्पकालिक ऋण (<1 वर्ष की परिपक्वता)।
आरबीआई को विशेष प्रतिभूतियाँ	विशिष्ट परिस्थितियों में आरबीआई को जारी किए गए बॉण्ड।
अन्य देयताएँ	इसमें लक्षित उद्देश्यों के लिए जारी किए गए तेल और उर्वरक बॉण्ड शामिल हैं।

Search On TG: @apna_pdf

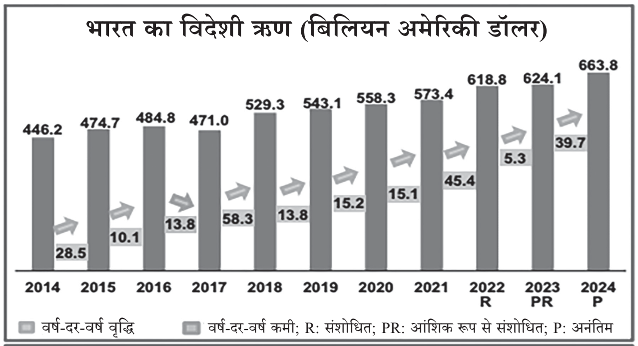

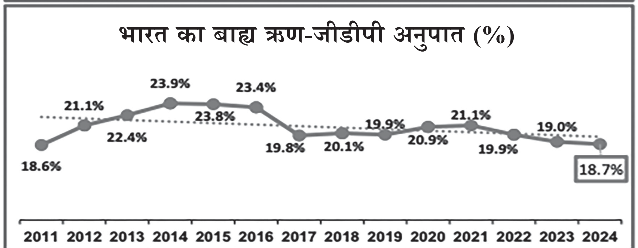

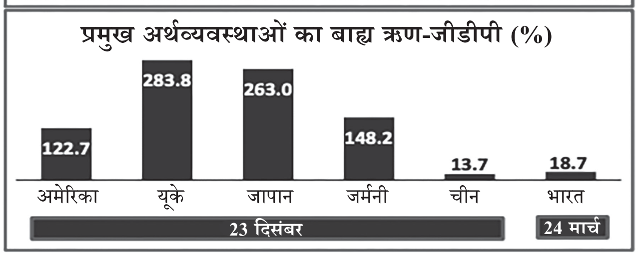

भारत का बाह्य एवं सामान्य सरकारी ऋण अवलोकन (वित्त वर्ष 2024)

- **बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात:**
  - वित्त वर्ष 2024 में घटकर 18.7% हो गया (वित्त वर्ष 2023 में 19% से), जो 2011 में 18.6% के बाद से पिछले 13 वर्षों का सबसे निचला स्तर है।
  - मार्च 2024 तक कुल बाह्य ऋण $663.8 बिलियन था, जो कि वार्षिक आधार पर $39.7 बिलियन की वृद्धि (2014 के बाद तीसरा उच्चतम) दर्शाता है।
  - अमेरिकी डॉलर की वृद्धि से मूल्यांकन प्रभावों को छोड़कर, बाह्य ऋण में $8.7 बिलियन की वृद्धि हुई होगी।
- **ऋण संरचना:**
  - **दीर्घकालिक ऋण (परिपक्वता >1 वर्ष):** वर्ष दर वर्ष 9.2% की वृद्धि।
  - **अल्पकालिक ऋण:** वर्ष दर वर्ष 4.6% की गिरावट।
  - **जमा लेने वाले निगम (केंद्रीय बैंक को छोड़कर):** बाह्य ऋण का 28.1% हिस्सा, वित्त वर्ष 2024 में 14.3% की मजबूत वार्षिक वृद्धि के साथ।
  - **सामान्य सरकारी ऋण:** बाह्य ऋण का 22.4% हिस्सा, $148.7 बिलियन (वर्ष दर वर्ष 11.5% की वृद्धि)।
- **वैश्विक तुलना:**
  - शीर्ष छह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में बाह्य ऋण के मामले में दूसरे स्थान पर है, जबकि ब्रिटेन का बाह्य ऋण अनुपात सर्वाधिक (283.8%) है। (दिसंबर 2023 तक)
  - भारत का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सामान्य सरकारी ऋण (वित्त वर्ष 2024 में 82.5%) जर्मनी (63.7%) के बाद दूसरा सबसे कम है।
- **वैश्विक प्रवृत्ति और अनुमान:**
  - **जर्मनी** में 2015 से सामान्य सरकारी ऋण और जीडीपी अनुपात में लगातार गिरावट देखी गई है।
  - **चीन** ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जो 2015 से अपने अनुपात को लगभग दुगुना कर रहा है।
  - **भारत का भविष्य आउटलुक (RBI):** रणनीतिक राजकोषीय नीतियों और अनुकूल ब्याज दरों के कारण सामान्य सरकारी ऋण और जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2024 में 82.5% से घटकर वित्त वर्ष 2031 में 73.4% होने की उम्मीद है। कुल 82.5% में से केंद्रीय सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात 56.8% है, जो शेष राज्यों का संयुक्त हिस्सा है।
  - इसके विपरीत, अन्य प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उनके ऋण-जीडीपी अनुपात में वृद्धि देखने का अनुमान है।

भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और संबद्ध संस्थान

संस्थान	सार्वजनिक ऋण प्रबंधन में भूमिका
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)	भारत के आंतरिक ऋण का प्रबंधन करता है, सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करता है और ब्याज दरों को प्रभावित करने वाली मौद्रिक नीति की देखरेख करता है।
वित्त मंत्रालय	राजकोषीय नीति और ऋण रणनीति निर्धारित करता है; बाह्य ऋण ऋण की देखरेख करता है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संबंध बनाए रखता है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)	सरकारी प्रतिभूतियों सहित प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करता है, जिससे बाजार में पारदर्शिता और निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित होता है।
सार्वजनिक ऋण कार्यालय (PDO)	भारतीय रिज़र्व बैंक के तहत कार्यरत, यह सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम और सेवा प्रबंधन, जैसे ब्याज और मूलधन भुगतान, का कार्य संभालता है।
FRBM समीक्षा समिति	राजकोषीय अनुशासन और बजट लक्ष्यों के पालन की निगरानी करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रबंधन नीतियों को प्रभावित करती है।
बैंक और वित्तीय संस्थान	सरकारी प्रतिभूतियों के प्रमुख खरीदार; उनकी भागीदारी सरकारी ऋण और ऋण नीलामी का समर्थन करती है।

सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी)

- स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन संगठन (पीडीएमए) बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में 2016 में स्थापित।
- इसका उद्देश्य सरकारी ऋण प्रबंधन को आरबीआई से एक स्वायत्त संगठन को हस्तांतरित करना है।

Search On TG: @apna_pdf

संरचना:

- आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव (बजट) के नेतृत्व में।
- एक प्रमुख समिति द्वारा समर्थित और नकदी एवं ऋण प्रबंधन पर निगरानी समूह द्वारा पर्यवेक्षित।

उत्तरदायित्व:

- ऋण प्रबंधन रणनीति विकसित करना और नकदी शेष का प्रबंधन करना।
- सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार में तरलता सुनिश्चित करना।
- पूँजी बाजारों पर सलाह देना और एक केंद्रीकृत ऋण डेटाबेस बनाना।

घाटे का मुद्रीकरण और घाटे का वित्तपोषण

[UPSC 2022]

पहलू	घाटे का मुद्रीकरण	घाटे का वित्तपोषण
परिभाषा	नई मुद्रा निर्माण द्वारा वित्तपोषण (केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है)।	ऋण लेकर या प्रतिभूतियाँ जारी करके बजट घाटे का वित्तपोषण करना।
प्राथमिक योगदानकर्ता	केंद्रीय बैंक (राजकीय कोष के साथ सहयोग करता है)।	सरकार (राजकीय कोष/ वित्त मंत्रालय)।
तंत्र	खुले बाजार संचालन, नए धन के माध्यम से प्रत्यक्ष ऋण।	बॉण्ड, ट्रेजरी बिल या मुद्रा छापकर ऋण लेना।
धन का स्रोत	केंद्रीय बैंक द्वारा नव निर्मित मुद्रा।	सार्वजनिक संस्थानों या अन्य सरकारों से ऋण ली गई मुद्रा।
मुद्रास्फीति का प्रभाव	बजट घाटे को वित्तपोषित करने के लिए नई मुद्रा का निर्माण सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी है, क्योंकि यह सीधे धन की आपूर्ति को बढ़ाता है। **[UPSC- 2013, 2021]**	इससे धन की आपूर्ति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है।
विनिमय दर प्रभाव	मुद्रा मूल्यह्रास में योगदान दे सकता है।	बाजार स्थिति, मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था से प्रभावित।

भारत में घाटे का मुद्रीकरण 1997 तक प्रचलन में था। तब केंद्रीय बैंक स्वचालित रूप से सरकारी घाटे का मुद्रीकरण कर देता था। यह कार्य वह एड-हॉक (ad-hoc) ट्रेजरी बिल जारी करके करता है।

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC)

[UPSC-2016]

FSDC की स्थापना दिसंबर 2010 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट के जवाब में एक गैर-सांविधिक उपाय के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की वित्तीय स्थिरता के लिए प्रणालीगत जोखिमों को संबोधित करना था। वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर रघुराम राजन समिति (2008) ने पहली बार FSDC के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।

संरचना

- **अध्यक्ष: वित्त मंत्री**
- FSDC के सदस्यों में नीचे सूचीबद्ध वित्तीय क्षेत्र नियामकों के प्रमुख शामिल हैं:
  - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
  - बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA)
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
  - पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
  - अन्य सदस्य वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव हैं।
- **FSDC में शामिल किए गए नए सदस्यों में शामिल हैं:**
  - आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) हेतु उत्तरदायी राज्य मंत्री।
  - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव।
  - राजस्व सचिव।
  - भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष।

संघ से राज्य सरकारों को वित्त हस्तांतरण

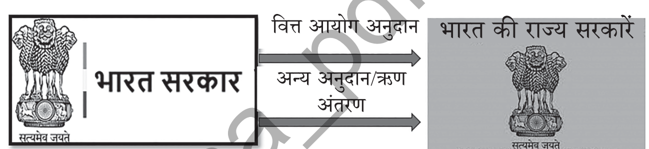

15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशें (2021-26)

- ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण
  - **राज्यों के लिए केंद्रीय करों का हिस्सा:** राज्यों को केंद्रीय करों की विभाजन योग्य राशि का 41% देने करने की सिफारिश की गई है।
  - **विभाजन योग्य राशि (विभाज्य पूल) से बाहर:** राशि में कर संग्रह व्यय, उपकर और अधिभार, संघ राज्यक्षेत्रों से राजस्व और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क जैसी लागतें शामिल नहीं हैं।

क्षैतिज वितरण के मापदंड

मानक	भार (%)
आय अंतराल	45
जनसंख्या (2011 जनगणना)	15
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन	12.5
राज्य क्षेत्र	15
वन और पारिस्थितिकी	10
कर और राजकोषीय प्रयास	2.5

सहायता अनुदान (अनुच्छेद 275)

यह अनुच्छेद राज्यों, विशेषकर आदिवासी और अविकसित क्षेत्रों के लिए न्यायसंगत प्रशासन और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है। (ये भारत के समेकित कोष और बंधे हुए अनुदानों पर लगाए जाते हैं)

- **जरूरतमंद राज्यों को सहायता अनुदान (Grants-in-Aid):**
  - संसद वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों की सहायता के लिए भारत के समेकित कोष से धन आवंटित कर सकती है।
  - संसद द्वारा निर्धारित राशि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग हो सकती है।

Search On TG: @apna_pdf

- **अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान:**
  - अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विकास योजनाओं के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं।
- **असम को विशेष सहायता:**
  - **असम को निम्नलिखित के लिए अनुदान आवंटित किए जाते हैं:**
    - आदिवासी क्षेत्रों में पिछले प्रशासनिक व्यय को कवर करना (छठी अनुसूची के अनुसार)।
    - प्रशासन मानकों को बेहतर बनाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएँ।
- **स्वायत्त राज्य के लिए प्रावधान (अनुच्छेद 244ए):**
  - **यदि स्वायत्त राज्य का गठन होता है:**
    - असम के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों के लिए निर्धारित धनराशि को राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अनुसार असम और स्वायत्त राज्य के बीच साझा किया जाएगा।
    - स्वायत्त राज्य को अपने प्रशासनिक मानकों को असम के मानकों के अनुरूप बनाने के लिए विकास योजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त होगा।
- **राष्ट्रपति और संसद की भूमिका:**
  - जब तक संसद कानून नहीं बनाती, राष्ट्रपति आदेशों के माध्यम से अनुदान निर्धारित कर सकते हैं।
  - वित्त आयोग के गठन के बाद, राष्ट्रपति भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद।

राजस्व घाटा अनुदान

- 41% धनराशि आवंटित करने के बाद, कुछ राज्यों को राजस्व घाटा का सामना करना पड़ता है।
- वित्त आयोग धन हस्तांतरण के बाद राजस्व अंतर को कम करने के लिए अनुदान का सुझाव देता है।
- ये सिफारिशें राजकोषीय क्षमता संबंधी मुद्दों से निपटने हेतु ठीक करने के लिए तैयार की गई हैं, ताकि अपर्याप्त राजस्व संग्रह या अधिक व्यय के लिए प्रोत्साहन से बचा जा सके।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, 15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों के लिए ऐसे अनुदानों की सिफारिश की है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, इन अनुदानों के लिए पात्र राज्यों की संख्या घटकर छह हो जाने का अनुमान है।

स्थानीय निकाय अनुदान

- **कुल आवंटन:** स्थानीय सरकारों के लिए पाँच वर्ष की अवधि (2021-22 से 2025-26) में कुल ₹4,36,361 करोड़ की संस्तुति की गई है।
- **उपयोग:** इन निधियों का 60% पेयजल और स्वच्छता जैसी प्राथमिकताओं के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 40% धनराशि स्थानीय निकायों के विवेकाधिकार पर बिना शर्त उपयोग के लिए है।
- **शहरी-ग्रामीण वितरण में बदलाव:** शहरी और ग्रामीण निकायों के बीच वितरण अनुपात इस अवधि में 67.5: 32.5 से बदलकर 65: 35 हो जाएगा।
- **राज्य-स्तरीय वितरण मानदंड:** निधियों का आवंटन राज्यों की 90% आबादी और 10% क्षेत्र के आधार पर किया जाता है।

आपदा प्रबंधन अनुदान

- **केंद्र-राज्य अंशदान अनुपात:** अनुशंसित अंशदान अनुपात केंद्र द्वारा 75% और राज्यों द्वारा 25% है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है।
- **निधि आवंटन:** राज्यों को निधियों का कुल आवंटन 80% राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और 20% राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) में विभाजित किया गया है।

क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान [UPSC-2015]

ये अनुदान मुख्य रूप से निम्नलिखित मानदंडों से संबंधित प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन हैं:

- **स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान:** स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए आवंटित।
- **स्कूल शिक्षा अनुदान:** स्कूल शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने पर केंद्रित।
- **उच्चतर शिक्षा अनुदान:** गुणवत्ता और अवसंरचना विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से |
- **कृषि सुधार कार्यान्वयन:** ये प्रोत्साहन चार प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हैं- भूमि पट्टा सुधार; कृषि में सतत और कुशल जल उपयोग; निर्यात संवर्धन; आत्मनिर्भर भारत पहल में योगदान, विशेष रूप से तिलहन, दलहन और काष्ठ आधारित उत्पादों में।

राज्य-विशिष्ट अनुदान

- राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं और वित्तीय कमियों को पूरा करने के लिए निर्मित किया गया है, जो कि फॉर्मूला-आधारित 41% आवंटन और अन्य क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों द्वारा शामिल किए गए क्षेत्रों या विषयों से पृथक है।
- सभी 28 राज्यों के लिए प्रायोजित है।
- **मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं:**
  - विभिन्न सामाजिक कल्याण आवश्यकताओं को संबोधित करना।
  - प्रशासनिक अभिशासन और संबंधित बुनियादी ढाँचे में सुधार करना।
  - जल संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना।
  - सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण करना।
  - उच्च लागत वाली भौतिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का विकास और रख-रखाव करना।
  - राज्यों के भीतर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना।

केंद्र से राज्य सरकारों को अतिरिक्त हस्तांतरण

नियमित हस्तांतरण के अलावा, राज्यों को केंद्र सरकार से कई अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता मिलती है। इसमें विशेष सहायता अनुदान, अनुदान और ऋण दोनों में अतिरिक्त केंद्रीय सहायता तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से वित्तीय सहायता शामिल है।

❖ ❖ ❖

Search On TG: @apna_pdf

6 भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान

खुली अर्थव्यवस्था (OPEN ECONOMY)

वह अर्थव्यवस्था जो वस्तुओं, सेवाओं और वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार जैसे विभिन्न माध्यमों के सहयोग से अन्य देशों के साथ अंतःक्रिया करती है, इसके विपरीत बंद अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीं होता है।

खुली अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ संबंध

- **आउटपुट बाजार:** यह विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार है, जो उपभोक्ताओं और उत्पादकों को घरेलू और विदेशी वस्तुओं के बीच व्यापक विकल्प प्रदान करता है।
- **वित्तीय बाजार:** यह अन्य देशों से वित्तीय परिसंपत्तियाँ खरीदने की क्षमता को निरूपित करता है, जो निवेशकों को घरेलू और विदेशी परिसंपत्तियों के बीच चयन का विकल्प प्रदान करता है।
- **श्रम बाजार:** कंपनियाँ उत्पादन स्थान चुन सकती हैं तथा और श्रमिक यह चुन सकते हैं कि उन्हें कहाँ कार्य करना है।

व्यापार और समग्र माँग

विदेशी व्यापार समग्र माँग को दो तरीकों से प्रभावित करता है:

- **रिसाव (Leakage)**: विदेशी वस्तुओं की खरीद से आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव होता है, जिससे समग्र माँग कम हो जाती है।
- **अंतःक्षेपण (Injection)**: निर्यात चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण के रूप में प्रवेश करता है, जिससे समग्र माँग बढ़ जाती है।

अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली (IMS) की आवश्यकता

- **विनिमय में स्थिरता:** अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बिना किसी बड़े उतार-चढ़ाव के विश्वसनीय मुद्रा विनिमय की आवश्यकता होती है। IMS वैश्विक व्यापार और निवेश का समर्थन करते हुए यह स्थिरता प्रदान करता है।
- **परिवर्तनीयता और विश्वास:** एक स्थिर IMS यह सुनिश्चित करता है कि मुद्राएँ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय हैं, जिससे यह विश्वास स्थापित होता है कि विदेशी लेनदेन में मुद्रा का मूल्य बना रहेगा।
- **असंतुलन को रोकना:** विनिमय दरों और मौद्रिक नीतियों का प्रबंधन करके, IMS वैश्विक आर्थिक असंतुलन को रोकने में मदद करता है, जिससे मुद्रा संकट का जोखिम कम होता है।

IMS के कार्य:

- **मुद्रा विनिमय और दर स्थिरता**: स्थिर मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है और अत्यधिक अस्थिरता से बचाने के लिए विनिमय दरों को विनियमित करने में सहायता करता है।
- **संकट निवारण एवं प्रबंधन**: यह सामान्यतः IMF जैसी संस्थाओं द्वारा समर्थित फ्रेमवर्क के माध्यम से भुगतान संतुलन के मुद्दों को हल करने में सहायता करता है।
- **तरलता समर्थन**: वैश्विक तरलता सुनिश्चित करने और मुद्रा की कमी का प्रबंधन करने के लिए ऋण सुविधाएँ और भंडार प्रदान करता है।
- **आर्थिक एकीकरण**: सहयोग और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में समग्र स्थिरता और विकास को बढ़ावा देता है।

भुगतान संतुलन (Balance of Payments-BOP)

यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन-देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। यह किसी राष्ट्र के वित्तीय स्वास्थ्य और बाह्य आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।

BOP के घटक

- **चालू खाता**
- **पूँजी खाता**
- **वित्तीय खाता** (बॉण्ड और इक्विटी शेयर जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों पर नज़र रखने के लिए नए लेखांकन मानकों के तहत प्रस्तुत किया गया)। उल्लेखनीय है कि भारत में वित्तीय खाते को पूँजी खाते के एक हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

चालू खाता

- एक निश्चित अवधि में पूँजी और वित्तीय खाता लेनदेन को छोड़कर, वस्तुओं, सेवाओं और आय के प्रवाह को रिकॉर्ड करता है। इसके घटक नीचे सूचीबद्ध हैं। **[UPSC 2014]**
- **दृश्यमान व्यापार:**
  - **निर्यात:** दूसरे देशों को भेजी गई वस्तुएँ।
  - **उदाहरण:** भारत में आयोजित उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का आना निर्यात के समान था। **[UPSC 2011]**
    - वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% है, जबकि वैश्विक सेवा निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग **4.3%** है। **[UPSC 2023]**
    - भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य: **यूएसए>यूएई> नीदरलैंड>यू.के.> चीन** (अगस्त, 2024)

Search On TG: @apna_pdf

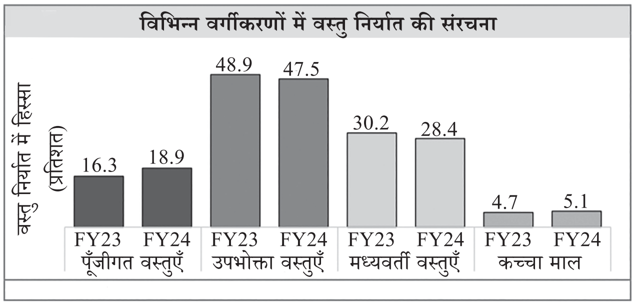

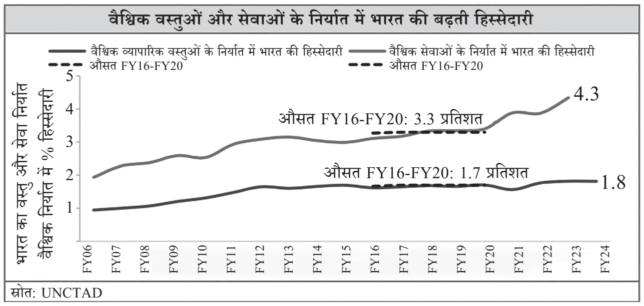

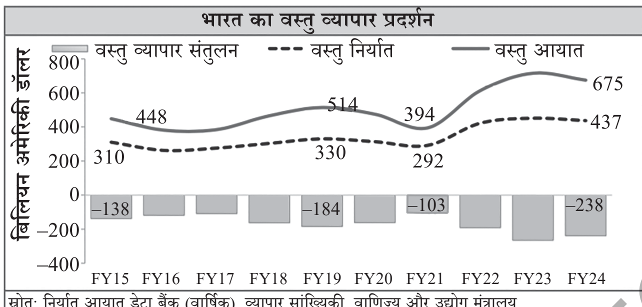

- ❍ **आयात:** अन्य देशों से लाया गया सामान।
  - भारत के शीर्ष आयातों में कच्चा तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ शामिल हैं।
  - शीर्ष आयात गंतव्य: **चीन, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब।**
- **अदृश्य व्यापार:**
  - ❍ **कारक आय:** उत्पादन के कारकों जैसे- मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभांश से आय।
  - ❍ **गैर-कारक आय:** पर्यटन, परिवहन और आईटी जैसी सेवाएँ। उदाहरण: भारत में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों की यात्रा निर्यात के बराबर थी। **(UPSC 2011)**
    - **उदाहरण:** भारत का IT निर्यात निवल सेवा आय में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
  - ❍ **स्थानान्तरण:** एकतरफ़ा प्रवाह जैसे-प्रेषण, अनुदान और विदेशी सहायता।

भारत में प्रेषण (Remittances Into India)

- भारत विश्व में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है, जिसे कुल वैश्विक धन प्रेषण प्रवाह का लगभग 14% प्राप्त होता है। यू.एस.ए., यू.ए.ई. शीर्ष दो राष्ट्र हैं; सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, यू.के. भारत में धन प्रेषण के अन्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हैं।
- **स्रोत:** विश्व स्तर पर सभी धन प्रेषण राष्ट्रों में सर्वाधिक योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी का है।

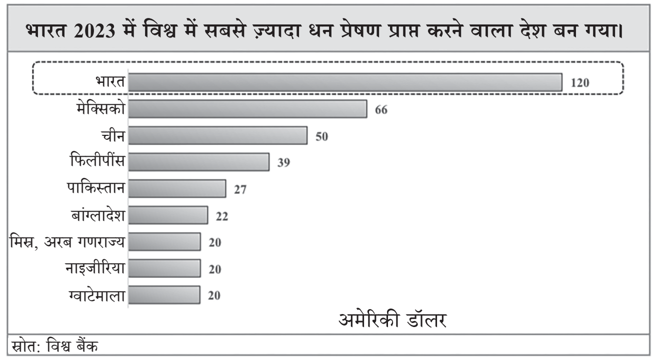

चालू खाता शेष (Current Account Balance-CAB)

- **घाटा:** यह तब होता है जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है।
- **सूत्र:**
  - ❍ **चालू खाता घाटा (CAD)** = व्यापार अंतर (निर्यात – आयात) + शुद्ध चालू हस्तांतरण + शुद्ध कारक आय।
  - ❍ वित्त वर्ष 2024 में भारत का CAD घटकर $23.2 बिलियन (जीडीपी का 0.7%) रह गया, जो पिछले वर्ष $67 बिलियन (जीडीपी का 2%) था। वित्त वर्ष 2024 में CAD में सुधार को वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में दर्ज CAD में अधिशेष द्वारा समर्थित किया गया है, जो व्यापारिक व्यापार घाटे में कमी, शुद्ध सेवा निर्यात में वृद्धि और बढ़ते प्रेषण के आधार पर है।
- **अधिशेष:** यह तब होता है जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है। अधिशेष का अर्थ है कि देश अन्य देशों के लिए ऋणदाता है, जबकि घाटा ऋण लेने का संकेत देता है।

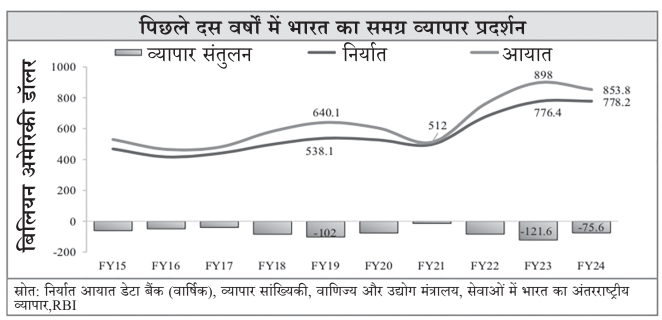

CAD को प्रभावित करने वाले कारक:

1. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव।
2. घरेलू खपत और आयात निर्भरता।
3. पूँजी प्रवाह और बचत दरें।
4. सापेक्ष मुद्रास्फीति दरें।
5. नीतिगत हस्तक्षेप (जैसे- निर्यात प्रोत्साहन)।

तालिका : भारत के व्यापार के प्रमुख पहलू (कैलेंडर वर्ष के अनुसार) करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप **[UPSC 2011]**

Search On TG: @apna_pdf

- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना।
- निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना।
- FDI और FPI को आकर्षित करना।
- कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा पहलों का विस्तार करना।

पूँजी खाता

यह देश में और देश से बाहर, मुख्य रूप से निवेश और ऋण के माध्यम से पूँजी प्रवाह पर निगरानी रखता है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: **[UPSC 2013]**

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):**
  - देश के बाहर व्यवसायों में दीर्घकालिक निवेश। इसमें प्रबंधन नियंत्रण और परिसंपत्तियों का स्वामित्व शामिल है। 10% तक के निवेश को RBI और SEBI द्वारा FPI के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इससे अधिक को FDI माना जाता है।
  - भारत में शुद्ध एफडीआई प्रवाह वित्त वर्ष 2023 के दौरान $42.0 बिलियन से घटकर वित्त वर्ष 2024 में $26.5 बिलियन हो गया | यह वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही के $33 बिलियन से वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में बढ़कर $42 बिलियन हो गया है।
  - हाल के वर्षों में FDI प्रवाह में गिरावट का कारण विकसित देशों में उच्च ब्याज दरों और तेजी से बढ़ते शेयर बाजार के कारण भारत से आकर्षक निकासी भी है।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध FDI प्रवाह में गिरावट

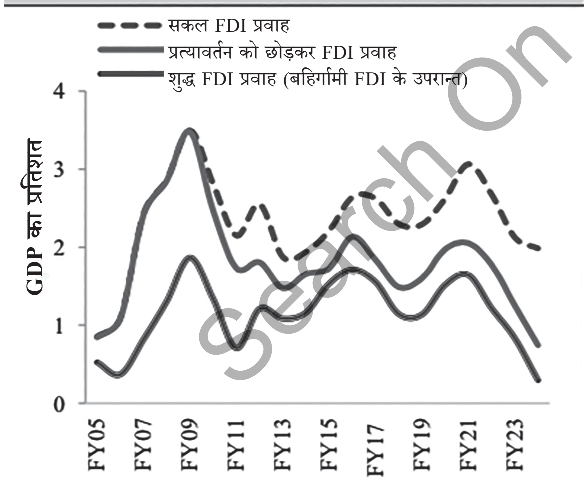

- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI):**
  - स्टॉक और बॉण्ड जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों में अल्पकालिक निवेश।
  - भारत में वित्त वर्ष 2024 में $44.1 बिलियन का धनात्मक शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह देखा गया, जिसे मजबूत आर्थिक विकास, स्थिर व्यावसायिक परिदृश्य और निवेशकों के बढ़ते विश्वास का समर्थन प्राप्त हुआ।

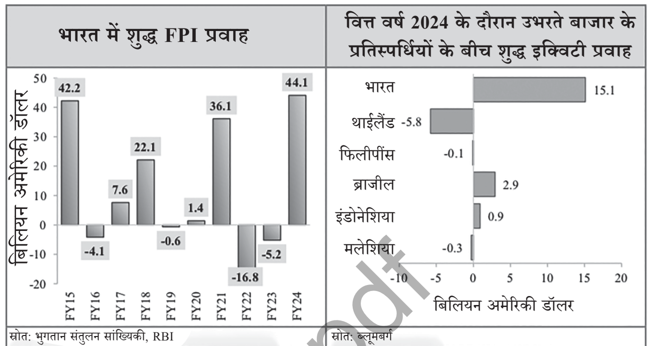

- **बाह्य सहायता:**
  - द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण। व्यापार ऋण: व्यापार से संबंधित लेन-देन के लिए अल्पकालिक ऋण
- **बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ECB):**
  - इक्विटी में परिवर्तनीय ऋण साधन।
  - **मुख्य बिंदु:** अल्पकालिक **ECB** पर भारत की कम निर्भरता वैश्विक वित्तीय संकटों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करती है [**UPSC 2020**].
- **विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (FCCB):**
  - ऋण लिखत इक्विटी में परिवर्तनीय।
- **NRI जमा:**
  - भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीयों की जमा राशियाँ।

पूँजी खाता अधिशेष

- **घाटा:** विदेशी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उच्चतर बहिर्वाह का संकेत देता है।
- **अधिशेष:** घरेलू परिसंपत्तियों की बिक्री या ऋण के कारण होने वाले अंतर्वाह को दर्शाता है।
  - चालू खाता घाटे को वित्तपोषित करने के लिए स्थिर पूँजी प्रवाह लागू है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, निवल पूँजी प्रवाह पिछले वर्ष के $58.9 बिलियन के बजाय $86.3 बिलियन रहा, जो मुख्य रूप से एफपीआई, एफडीआई प्रवाह और बैंकिंग पूँजी (एनआरआई जमा सहित) के निवल प्रवाह से प्रेरित था।

चालू और पूँजी खातों का सारांश

खाते के प्रकार	मुख्य अवयव	उदाहरण
चालू खाता	**दृश्यमान व्यापार:** वस्तुओं का निर्यात और आयात।	इस्पात का निर्यात, कच्चे तेल का आयात।
	अदृश्य व्यापार: सेवाएँ, आय और स्थानान्तरण।	सॉफ्टवेयर निर्यात, पर्यटन आय, विदेशी प्रेषण।
	आय: विदेश से ब्याज, लाभांश।	विदेशी बॉण्ड में निवेश पर प्राप्त आय।

Search On TG: @apna_pdf

	स्थानांतरण: अनुदान, प्रेषण, उपहार।	NRI प्रेषण, विदेशी सहायता।
पूँजी खाता	**प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)**: व्यवसायों में दीर्घकालिक निवेश।	विदेश में कंपनी स्थापित करना या कंपनी का अधिग्रहण करना।
	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI): प्रतिभूतियों में अल्पकालिक निवेश।	स्टॉक और बॉण्ड की खरीद।
	ऋण और ऋण: बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ECB), बहुपक्षीय ऋण।	विश्व बैंक या IMF से ऋण।
	NRI जमा: भारतीय बैंकों में अनिवासी निवेश।	भारतीय बैंकों में NRI द्वारा सावधि जमा।
	आरक्षित निधियाँ एवं देयताएँ: केंद्रीय बैंक की आरक्षित परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले लेनदेन।	विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन।

विनिमय (लेन-देन) वर्गीकरण

- **ऋण और ब्याज**
  - **ऋण**: इन्हें पूँजी खाते में दर्ज किया जाता है क्योंकि ये दीर्घकालिक पूँजी के अंतर्वाह या बहिर्वाह को दर्शाते हैं।
    - **उदाहरण:** किसी भारतीय कंपनी को ऋण प्रदान करने वाली विदेशी संस्था पूँजी प्रवाह है।
  - **ब्याज:** चालू खाते में आय के अंतर्गत दर्ज किया जाता है क्योंकि यह निवेश या ऋण से प्राप्त आय को दर्शाता है।
    - **उदाहरण:** बाह्य ऋण पर ब्याज भुगतान।
- **उपहार और अनुदान**
  - स्थानान्तरण के अंतर्गत चालू खाते में दर्ज किया जाता है। ये एकतरफा लेन-देन हैं, जिस पर कोई दायित्व नहीं होता है।
    - **उदाहरण:** विदेशी सहायता या व्यक्तिगत धन प्रेषण।
- **प्रेषण**
  - स्थानान्तरण के भाग के रूप में चालू खाते के अंतर्गत वर्गीकृत। इनमें वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष आदान-प्रदान के बिना धन का हस्तांतरण शामिल होता है।
    - **उदाहरण:** एक NRI जब भारत में अपने परिवार को पैसा भेजता है।
- **वर्गीकरण के लिए तर्क**
  - ऋण में पूँजी का स्थानांतरण शामिल होता है तथा यह सीधे वित्तीय स्थिरता और निवेश से जुड़ा होता है।
  - ब्याज, उपहार और धन प्रेषण आय या हस्तांतरण प्रवाह हैं तथा इसलिए इन्हें चालू खाते में दर्ज किया जाता है।

चालू और पूँजी खाता परिवर्तनीयता

मुद्रा परिवर्तनीयता वह सीमा है जिस तक किसी देश की घरेलू मुद्रा को किसी अन्य मुद्रा या सोने में बदला जा सकता है। भारत पूँजी खाते पर आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति देता है जबकि चालू खाता 1994 से पूरी तरह परिवर्तनीय है। पूँजी प्रवाह को पूर्णतः उदार बनाना, पूँजी पलायन और प्रत्याशित हमलों जैसे जोखिमों के कारण एक विवादित मुद्दा बना हुआ है।

चालू खाता परिवर्तनीयता

चालू खाता परिवर्तनीयता, वस्तुओं, सेवाओं और आय के व्यापार से संबंधित लेनदेन के लिए घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में मुक्त विनिमय की अनुमति देती है।

- **शुरुआत**: 1994 में IMF के अनुच्छेद VIII दायित्वों के ढाँचे के तहत।
- **समिति की सिफ़ारिशें**:
  - **सुखमय चक्रवर्ती समिति (1985):** चालू खाता परिवर्तनीयता को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की वकालत की गई।
  - **वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर नरसिंह समिति (1991):** प्रस्तावित सुधार से विनिमय दर प्रणाली अधिक खुली होगी तथा चालू खाते पर अंततः परिवर्तनीयता आएगी।

पूँजी खाता परिवर्तनीयता

भारत ने विदेशी निवेश और ऋण के लिए विशिष्ट छूट के साथ आंशिक पूँजी खाता परिवर्तनीयता बनाए रखी है।

- **तारापोर समिति I (1997)**
  - तीन वर्षों में पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा गया।
  - व्यापक आर्थिक स्थिरता के अनुशंसित मानक:
    - राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का < 3.5%
    - मुद्रास्फीति < 5%
    - सकल NPA < 5%
    - पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार **[UPSC 2011]**
- **तारापोर समिति II (2006)**
  - संस्थाओं और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने पर बल दिया गया।
  - ECB के उदारीकरण और बैंकिंग क्षेत्र में और अधिक सुधार का सुझाव दिया गया।

त्रुटियाँ और लोप

सभी अंतरराष्ट्रीय लेन-देन का सही ढंग से दस्तावेजीकरण करना कठिन है। इस प्रकार, हमारे पास BOP का एक तीसरा तत्त्व है (चालू और पूँजी खातों के अलावा) जिसे त्रुटियाँ और लोप कहा जाता है।

तालिका: भारत के व्यापार के मुख्य पहलू (कैलेंडर वर्षवार)

	2020	2021	2022
निर्यात प्रदर्शन (प्रतिशत में)			
विश्व व्यापार निर्यात में हिस्सेदारी	1.6	1.8	1.8
विश्व वाणिज्यिक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी	4.1	4.0	4.4
विश्व व्यापारिक साथ ही सेवा निर्यात में हिस्सेदारी	2.1	2.2	2.4

Search On TG: @apna_pdf

आयात प्रदर्शन (प्रतिशत में)			
विश्व व्यापार आयात में हिस्सेदारी	2.1	2.5	2.8
विश्व वाणिज्यिक सेवा आयात में हिस्सेदारी	3.3	3.5	4.0
विश्व व्यापारिक साथ ही सेवा आयात में हिस्सेदारी	2.3	2.7	3.0
विश्व व्यापार में भारत का स्थान			
व्यापारिक निर्यात	21.0	18.0	18.0
व्यापारिक आयात	14.0	10.0	9.0
सेवा निर्यात	7.0	8.0	7.0
सेवा आयात	10.0	10.0	8.0

स्रोत: DGFT, विदेश व्यापार सांख्यिकी पर मासिक बुलेटिन, अप्रैल 2024

मुद्रा और बाह्य क्षेत्र

विदेशी मुद्रा भंडार

विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मुद्रा स्थिरता और बाह्य दायित्वों के प्रबंधन के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ हैं।

वर्तमान स्थिति (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)

- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $652.87 बिलियन (मार्च 2024) रहा, जो वित्त वर्ष 2024 के दौरान $68 बिलियन की वृद्धि दर्शाता है। **(UPSC 2013)**।
- यह लगभग 12 महीने का आयात कवर प्रदान करता है, जो आर्थिक स्थिरता का एक मजबूत संकेतक है। **(UPSC 2016)**।

$$\text{आयात कवर (महीने में)} = \frac{\text{विदेशी मुद्रा भंडार}}{\text{मासिक आयात व्यय}}$$

  - **उदाहरण:** $652 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार और $54 बिलियन प्रति माह के आयात के लिए, आयात कवर = 12 महीने।

विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना

अवयव	विवरण
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA)	सबसे बड़ा भाग; डॉलर , यूरो, येन, आदि में रखा गया **(UPSC 2019)**।
सोने का भंडार	विविधीकरण और वित्तीय सुरक्षा के लिए रखा जाता है।
विशेष आहरण अधिकार (SDR)	IMF-निर्मित आरक्षित परिसंपत्ति; मुद्राओं की एक टोकरी के आधार पर मूल्याँकन **(UPSC 2020)**।
आरक्षित अंश स्थिति	भारत के IMF कोटे का भाग, जो तत्काल निकासी के लिए उपलब्ध होता है **(UPSC 2020)**।

विदेशी ऋण

बाह्य ऋण से तात्पर्य बैंकों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और संप्रभु राष्ट्रों सहित विदेशी ऋणदाताओं से लिए गए ऋण से है।

वर्तमान स्थिति (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)

- बाह्य ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 18.7% रहा, जो धारणीय ऋण स्तर को दर्शाता है। **(UPSC 2019)**
- ऋण सेवा अनुपात 5.5% पर प्रबंधनीय बना रहा।

बाह्य ऋण के प्रकार

प्रकार	विवरण
अल्पकालिक ऋण	1 वर्ष या उससे कम की परिपक्वता। **(UPSC 2019)**
दीर्घकालिक ऋण	परिपक्वता 1 वर्ष से अधिक।
संप्रभु ऋण	विदेशी मुद्रा में जारी किए गए सरकारी बॉण्ड।

भारत का विदेशी ऋण

- **सबसे बड़ा घटक:** वाणिज्यिक ऋण।
- **प्रमुख मुद्राएँ:** डॉलर > भारतीय रुपया > SDR> येन > यूरो। **(UPSC 2019)**

मुद्रा संकट

मुद्रा संकट तब उत्पन्न होता है जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य काफी कम हो जाता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। इसका संबंध प्रायः निम्न विदेशी मुद्रा भंडार, उच्च बाह्य ऋण और प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों से होता है।

भुगतान संतुलन (BoP) और मुद्रा

भुगतान संतुलन किसी देश और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक विनियमों का दस्तावेज़ करता है।

प्रमुख घटक

प्रकार	विवरण
स्वायत्त लेन-देन	निर्यात, आयात और FDI अंतर्वाह को शामिल किया जाता है; भुगतान संतुलन से स्वतंत्र। **(UPSC 2013)**
समायोजन लेन-देन	भुगतान संतुलन में अंतराल को दूर करना, जैसे कि RBI के आरक्षित लेन-देन। **(UPSC 2020)**

विदेशी विनिमय दर

विनिमय दर एक मुद्रा के मूल्य को दूसरी मुद्रा के संदर्भ में प्रतिबिंबित करती है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए महत्त्वपूर्ण है।

विनिमय दर तंत्र के प्रकार

तंत्र	विवरण
निश्चित दर (Fixed Rate)	सरकार मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती है; अवमूल्यन से निर्यात बढ़ता है। **(UPSC 2021)**
लोचदार दर (Flexible Rate)	माँग-आपूर्ति गतिशीलता द्वारा बाजार-संचालित दर **(UPSC 2021)**
प्रबंधित फ़्लोटिंग दर (Managed Floating Rate)	केंद्रीय बैंक अस्थिरता को कम करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं **(UPSC 2021)**
अधिकीलित तिरती (Pegged Float)	मुद्रा से संबंधित या सीमित उतार-चढ़ाव वाली टोकरी या समूह। **(UPSC 2021)**

Search On TG: @apna_pdf

विनिमय दरों के निर्धारक

कारक	मुद्रा पर प्रभाव
माँग एवं आपूर्ति	उच्च माँग से मुद्रा का मूल्य बढ़ता है; अधिक आपूर्ति से मूल्यह्रास होता है। **(UPSC 2012)**
ब्याज दरें	उच्च ब्याज दरें विदेशी निवेश को आकर्षित करती हैं, जिससे मुद्रा मजबूत होती है। **(UPSC 2022)**
मुद्रास्फीति	निम्न मुद्रास्फीति मुद्रा को स्थिर करती है; उच्च मुद्रास्फीति इसे कमजोर करती है। **(UPSC 2022)**

NEER और REER

- **NEER (नॉमिनल/सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर):** किसी मुद्रा का अन्य मुद्राओं के सापेक्ष भारित औसत। **(UPSC 2022)**।

$$\text{NEER} = \sum\left(\frac{\text{घरेलू मुद्रा की विनिमय दर}}{\text{विदेशी मुद्रा की विनिमय दर}} \times \text{व्यापार भारांश}\right)$$

- **REER (वास्तविक प्रभावी विनिमय दर):** व्यापारिक साझेदारों के साथ मुद्रास्फीति अंतर के लिए समायोजित NEER। **(UPSC 2022)**

$$\text{REER} = \text{NEER} \times \frac{\text{घरेलू मूल्य सूचकांक}}{\text{विदेशी मूल्य सूचकांक}}$$

40-मुद्रा NEER और REER सूचकांक की गतिविधि (व्यापार आधारित भार) (आधार वर्ष 2015-16 = 100)

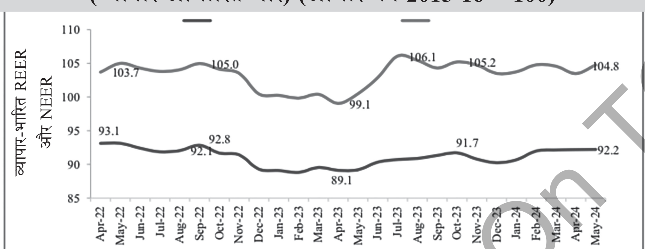

स्रोत: तालिका संख्या 202, 'भारतीय रुपये के वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (NEER) के सूचकांक (40-मुद्रा द्विपक्षीय भार, मासिक औसत), बाहरी क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, RBI

- **उदाहरण**:
  - **आधार वर्ष NEER = 100 रुपये/डॉलर; वर्तमान NEER = 105 रुपये/डॉलर:** यह मुद्राओं की व्यापार-भारित सूची के मुकाबले रुपये में सांकेतिक वृद्धि को दर्शाता है।
  - **घरेलू मुद्रास्फीति = 6%, विदेशी मुद्रास्फीति = 2%:** REER में वृद्धि का कारण बनता है, जिसकी गणना इस प्रकार की जाती है: REER=NEER×(घरेलू मूल्य सूचकांक/विदेशी मूल्य सूचकांक)
  - **निहितार्थ:** बढ़ती REER (100 रुपये/डॉलर से 109.17 रुपये/डॉलर) भारतीय निर्यात की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले सस्ता हो जाता है और डॉलर में खरीदारी करने वाला उपभोक्ता उसी डॉलर में अधिक सामान खरीद सकता है।
- **क्रय शक्ति समता (PPP)**
  - वस्तुओं की एक सूची की लागत के आधार पर मुद्राओं की तुलना करता है।
  - **भारत की रैंक:** PPP के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। **(UPSC 2019)**

विदेशी मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय और ब्याज दर विनिमय

विशेषता	मुद्रा विनिमय	विदेशी मुद्रा विनिमय	ब्याज दर विनिमय
अवधि	मध्यम से दीर्घावधि	लघु अवधि	मध्यम से दीर्घावधि
मूलधन विनिमय	हाँ	हाँ	नहीं
ब्याज भुगतान	विभिन्न मुद्राएँ	एकल मुद्रा	एकल मुद्रा

मुद्रा विनिमय के उदाहरण

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जापान के सेंट्रल बैंक के साथ मुद्रा विनिमय समझौता किया है।
- **राशि:** ₹10,000 करोड़ (INR) और ¥100 बिलियन (JPY)।
- **विनिमय दर:** ₹1 = ¥1

प्रक्रिया:

1. **आरंभिक विनिमय:** RBI जापानी सेंट्रल बैंक को ₹10,000 करोड़ देता है और शुरुआत में ¥100 बिलियन प्राप्त करता है।
2. **ब्याज भुगतान:**
   - RBI जापान को एक समर्थित ब्याज दर (उदाहरण के लिए, 1%) पर ¥100 बिलियन पर ब्याज का भुगतान करता है।
   - जापान RBI को एक समर्थित ब्याज दर (उदाहरण के लिए, 3%) पर ₹10,000 करोड़ पर ब्याज का भुगतान करता है।
3. **अंतिम विनिमय:** परिपक्वता अवधि पूरी होने पर, मूल राशि को उसी विनिमय दर (₹1 = ¥1) पर वापस कर दिया जाता है।

- **उदाहरण:**
  - यह भारत को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के विरुद्ध बचाव करने तथा जापान से आयात के वित्तपोषण के लिए जापानी येन का उपयोग करने की अनुमति देता है।
  - जापान को भारत में अपने परिचालन के लिए भारतीय रुपये से लाभ मिलता है।

विदेशी मुद्रा विनिमय के उदाहरण

- **परिदृश्य**:
  - एक भारतीय निर्यातक को $10 मिलियन का राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन उसे परिचालन के लिए भारतीय रुपये की आवश्यकता होती है।
  - निर्यातक किसी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय में प्रवेश कर सकता है।
- **प्रक्रिया**:
  - निर्यातक $10 मिलियन को ₹800 करोड़ (₹80/USD पर) में बदल देता है।
  - विनिमय समझौते में यह सुनिश्चित किया गया है कि बैंक तीन महीने बाद $10 मिलियन लौटाएगा, जबकि निर्यातक ₹800 करोड़ लौटाएगा।
  - दोनों पक्ष अवधि के लिए ब्याज या शुल्क पर सहमत होते हैं।

Search on TG: @apna_pdf

- **उदाहरण**:
  - निर्यातक को अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं के लिए तत्काल भारतीय रुपया तरलता प्राप्त हो जाती है।
  - बैंक अपनी विदेशी मुद्रा तरलता का प्रबंधन करते समय शुल्क अर्जित करता है।

ब्याज दर विनिमय के उदाहरण

- **परिदृश्य**:
  - एक बड़ी भारतीय कंपनी के पास MCLR (सीमांत ऋण लागत दर) से जुड़ी परिवर्तनीय ब्याज दर पर ₹1,000 करोड़ का ऋण है, जो वर्तमान में 8% है।
  - कंपनी को ब्याज दरों में वृद्धि का अनुमान है और वह 8.5% की स्थिर दर पर निर्धारित करना पसंद करती है।
- **प्रक्रिया**:
  - कंपनी एक भारतीय बैंक के साथ ब्याज दर विनिमय में प्रवेश करती है।
  - **विनिमय के अंतर्गत:**
    - कंपनी बैंक को 8.5% परिवर्तनीय ब्याज का भुगतान जारी रखती है।
    - बैंक कंपनी से निर्धारित 8.5% प्राप्त करते हुए परिवर्तनीय ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत होता है।
  - यदि MCLR 9% तक बढ़ जाती है, तो भी कंपनी को 8.5% की सहमत निश्चित दर का भुगतान करके लाभ होगा।
- **उदाहरण**:
  - कंपनी अपनी वित्तीय स्थिरता का प्रबंधन करते हुए बढ़ती ब्याज दरों के जोखिम को कम करती है।

विदेशी निवेश के तरीके

- **अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स (ADRs) और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स (GDRs)**
  - **अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स (ADRs):** ADRs यू.एस. बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले परक्राम्य प्रमाणपत्र हैं, जो विदेशी कंपनियों के शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका कारोबार NYSE या NASDAQ जैसे यू.एस. स्टॉक एक्सचेंजों पर होता है।
  - **उदाहरण**: इन्फोसिस के ADRs न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, जिससे अमेरिकी निवेशक सीमा पार लेनदेन किए बिना कंपनी में निवेश कर सकते हैं।
  - **ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स (GDR):** GDR अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र हैं जो विदेशी कंपनियों के शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका व्यापार यू.एस. के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है।
  - **उदाहरण**: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यूरोपीय पूँजी बाजारों तक पहुँचने के लिए GDR जारी किए है।
- **पार्टिसिपेटरी नोट्स (P-Notes)**
  - पार्टिसिपेटरी नोट्स वित्तीय साधन हैं जिनका उपयोग विदेशी निवेशक सेबी के साथ सीधे पंजीकरण किए बिना भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए करते हैं। पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा जारी **P-Notes** की धन शोधन और कर चोरी में संभावित दुरुपयोग की संवीक्षा की जाती है।
- **मसाला बॉण्ड**
  - मसाला बॉण्ड भारत के बाहर जारी किए जाने वाले रुपए-मूल्यवर्ग बॉण्ड (Rupee-Denominated Bonds) हैं, जो जारीकर्ताओं को भारतीय मुद्रा में धन जुटाने की अनुमति देते हैं। ये बॉण्ड भारतीय कंपनियों के लिए मुद्रा जोखिम को कम करने में मदद करते हैं, जबकि रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देते हैं।
  - **उदाहरण**: HDFC और NTPC ने वैश्विक बाजारों में सफलतापूर्वक मसाला बॉण्ड जारी किए हैं।
- **बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ECB)**
  - ECB भारतीय संस्थाओं द्वारा अनिवासी ऋणदाताओं से लिया गया ऋण है। RBI द्वारा विनियमित, ECB का उपयोग परियोजनाओं, बुनियादी ढाँचे के विकास, या विदेशी अधिग्रहणों को निधि देने के लिए किया जाता है।
- **सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB)**
  - SGB सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जिनका मूल्य ग्राम सोने में अंकित होता है। ये निवेशकों को एक निश्चित ब्याज दर पर मिलते हैं और वे भौतिक सोने के भंडारण से जुड़े जोखिम और लागत से बच जाते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस नीति का उद्देश्य भौतिक सोने के आयात की माँग को कम करना है।

व्यापार समझौता (TRADE AGREEMENT)

भारत ने अन्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों को एकीकरण के स्तर के आधार निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

- **अधिमान्य व्यापार समझौता (Preferential Trade Agreement-PTA)**
  - यह एक व्यापारिक समूह है, जिसमें दो या दो से अधिक देश कुछ उत्पादों पर टैरिफ कम करने पर सहमत होते हैं, जिससे एक-दूसरे के बाजारों में अधिमान्य (Preferential) पहुँच प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, जून 2009 से लागू भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौता भारत और मर्कोसुर सदस्य देशों के बीच चुनिंदा वस्तुओं पर टैरिफ रियायतें प्रदान करता है।
- **सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (Generalized System of Preferences-GSP)**
  - औद्योगिक देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली वरीयता योजना।
  - इसमें सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्रों (Most Favoured Nations-MFN) के लिए टैरिफ में कमी की जाती है या लाभार्थी देशों द्वारा निर्यात किए गए पात्र उत्पादों को दाता देशों के बाजारों में शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

Search On TG: @apna_pdf

- **मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA)**
  - यह एक व्यापारिक समूह है जो सदस्य देशों के बीच व्यापार की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं (यदि सभी नहीं) पर टैरिफ, आयात कोटा और वरीयता को समाप्त करता है।
  - **उदाहरण**: **भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISFTA):** वर्ष 2000 से लागू, जो विभिन्न उत्पादों तक शुल्क मुक्त पहुँच की अनुमति देता है।
  - **दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA):** इसका उद्देश्य सार्क देशों के बीच अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के लिए शुल्क कम करना है।
  - **भारत-आसियान FTA:** भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाता है।
  - वर्ष 2022 में **भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA।**
- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (Comprehensive Economic Cooperation Agreement-CECA)/ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement-CEPA)**
  - ये समझौते वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों को शामिल करते हैं। उदाहरणों में शामिल हैं:
    - **भारत-सिंगापुर CECA (2005):** व्यापार, निवेश और सेवा सहयोग को सुगम बनाता है।
    - **भारत-यूएई CEPA(2022)**
    - **भारत-जापान CEPA(2011):** अधिकांश वस्तुओं पर प्रशुल्क समाप्त करके व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है।
- **सीमा शुल्क संघ (Customs Union)**
  - सीमा शुल्क संघ में सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को हटाना और गैर-सदस्यों देशों के साथ एक सामान्य बाह्य टैरिफ अपनाना शामिल है। भारत किसी भी सीमा शुल्क संघ का हिस्सा नहीं है, हालाँकि यूरोपीय संघ इस अवधारणा का उदाहरण है।
- **साझा बाजार (Common Market**): एक साझा बाजार सदस्य देशों के बीच श्रम और पूँजी सहित उत्पादन के कारकों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देकर सीमा शुल्क संघ का विस्तार करता है।भारत किसी भी साझा बाजार का हिस्सा नहीं है, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है।
- **आर्थिक संघ (Economic Union)**
  - आर्थिक संघ में एक साझा बाजार, सामंजस्यपूर्ण आर्थिक नीतियाँ और सदस्य देशों के बीच एक साझा मुद्रा शामिल होती है। यूरोज़ोन (Eurozone) इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

विदेश व्यापार के लिए सरकारी योजनाएँ

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 व्यापार, निवेश और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलों पर बल देता है, जो निम्नलिखित हैं:

- **निर्यात ऋण विकास योजना (NIRVIK):** NIRVIK, जो भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) द्वारा शुरू की गई है, निर्यातकों के लिए ऋण की उपलब्धता को बढ़ाती है और ऋण प्रक्रिया को सरल बनाती है। यह उच्च बीमा कवर, छोटे निर्यातकों के लिए कम प्रीमियम और दावों के सरल निपटान की सुविधा प्रदान करती है।
- **भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS):** SEIS सेवा प्रदाताओं को शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स प्रदान करके सेवा निर्यात को प्रोत्साहित करता है, जो हस्तांतरणीय हैं और जिनका उपयोग केंद्रीय शुल्कों और करों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs):** SEZ अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित SEZs निर्यात केंद्र बनाने का लक्ष्य रखते हैं। 2024 तक भारत के SEZs नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और विनिर्माण निर्यात में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (TIES):** TIES व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निर्यात अवसंरचना की स्थापना या उन्नयन के लिए सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **कृषि निर्यात नीति, 2018:** इस नीति का लक्ष्य 2022 तक कृषि निर्यात को दुगुना करके $60 बिलियन (विस्तारित समय-सीमा) करना और वैश्विक कृषि-निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना है। यह निर्यात प्रतिबंधों को हटाने तथा मूल्य-वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP):** RoDTEP भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (MEIS) की जगह लेती है, जो अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं किए गए करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करती है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है |

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ

परिचय

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ, जिन्हें आमतौर पर IFI कहा जाता है, कई देशों के सहयोग से गठित वित्तीय प्रतिष्ठान हैं। ये संस्थाएँ अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करती हैं।

ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (Bretton Woods Conference)

जुलाई 1944, में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव रखी।

- **तिथि और स्थान:** यह सम्मेलन 1 जुलाई से 22 जुलाई, 1944 तक आयोजित हुआ। आयोजन स्थल था - ब्रेटन वुड्स में माउंट वाशिंगटन होटल, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- **प्रतिभागी:** इस सम्मेलन में 44 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। प्रमुख हस्तियों में जॉन मेनार्ड कीन्स (UK) और हैरी डेक्सटर व्हाइट (USA) शामिल थे।
- **लक्ष्य:** युद्ध काल के दौरान अनुभव की गई आर्थिक अराजकता को रोकने के लिए एक नया अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय ढाँचा तैयार करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिरता पैदा करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- **निर्मित संस्थाएँ:**
  - **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)**
    - **उद्देश्य:** अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना।

Search On TG: @apna_pdf

- **मुख्य वित्तीय तंत्र:** भुगतान संतुलन के मुद्दों का सामना करने वाले देशों के लिए अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - **विश्व बैंक (IBRD - अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक)**
    - **उद्देश्य:** गरीबी उन्मूलन और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्निर्माण और विकास को वित्तपोषित करना।
    - **मुख्य वित्तीय तंत्र:** निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण।
- **स्थिर विनिमय दर प्रणाली:**
  - **संरचना:** वैश्विक मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से जोड़ा गया, जो सोने में परिवर्तनीय था ($35 प्रति औंस)।
  - **उद्देश्य:** प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन को रोकना और स्थिरता को बढ़ावा देना

विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक समूह (World Bank Group-WBG) एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जो वैश्विक आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है।

- **स्थापना:** विश्व बैंक समूह की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- **उद्देश्य:** विश्व बैंक समूह का प्राथमिक उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
- **सदस्य देश:** विश्व बैंक समूह में 189 सदस्य देश शामिल हैं।
- **विश्व बैंक समूह के अंतर्गत संस्थाएँ:**
  - अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD)
  - अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association-IDA)
  - अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation-IFC)
  - बहुपक्षीय निवेश गारंटी संगठन (Multilateral Investment Guarantee Agency-MIGA)
  - अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID)
- **प्रमुख रिपोर्ट्स:**
  - ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) (प्रकाशन बंद) **(UPSC 2016)**
  - मानव पूँजी सूचकांक (Human Capital Index)
  - विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report)
- **विश्व बैंक की शेयरधारिता:** संयुक्त राज्य अमेरिका 16.41% वोटों के साथ सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है, उसके बाद जापान (7.87%), जर्मनी (4.49%), यूनाइटेड किंगडम (4.31%) और फ्रांस (4.31%) हैं। शेष शेयर अन्य सदस्य देशों के बीच विभाजित हैं।

विश्व बैंक समूह के भीतर संस्थान

मापदंड	IBRD	IDA	IFC	MIGA	ICSID
स्थापना वर्ष	1944	1960	1956	1988	1966
उद्देश्य	मध्यम-आय वाले राष्ट्रों के लिए विकास ऋण	सबसे गरीब राष्ट्रों के लिए रियायती ऋण	निजी क्षेत्र का विकास	राजनीतिक जोखिम बीमा	निवेश विवादों के लिए मध्यस्थता
मुख्य कार्यक्षेत्र	अवसंरचना, विकास	गरीबी उन्मूलन, सामाजिक क्षेत्र	निजी निवेश	एफडीआई स्थिरता	विवाद समाधान
लक्ष्यित देश	मध्यम-आय, निम्न-आय वाले देश	सबसे गरीब देश	विकासशील देश	विकासशील देश	विकासशील देश
भारत की सदस्यता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF)

- **स्थापना:** 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में |
- **प्राथमिक उद्देश्य:** अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, विनिमय दरों को स्थिर करना तथा भुगतान संतुलन बनाए रखने के लिए सदस्य देशों को संसाधन प्रदान करना।
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन डी.सी. (यू.एस.ए.)

IMF के उद्देश्य

- अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना |
- वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाना।
- उच्च रोज़गार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- वैश्विक गरीबी को कम करना और व्यापक आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- विकासशील देशों के लिए नीतिगत सुझाव, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना और एक विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली स्थापित करना।

प्रमुख कार्य

- **वित्तीय सहायता:** भुगतान संतुलन की समस्या वाले सदस्य राष्ट्रों को मुद्राओं को स्थिर करने तथा विकास को समर्थन देने के लिए विशिष्ट शर्तों के साथ ऋण का उपयोग करके धन उपलब्ध कराता है। **[UPSC 2011]**
- **निगरानी तंत्र:** सदस्य राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की निगरानी करता है, जोखिमों का आकलन करता है और स्थिरता के लिए नीतियों पर सुझाव देता है।
- **क्षमता विकास:** सदस्य देशों में शासन, वित्तीय प्रणालियों तथा आर्थिक ढाँचे को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

Search On TG: @apna_pdf

शासन संरचना

- **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स:** मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से एक गवर्नर होता है। कोटा समीक्षा और नई सदस्यता जैसे महत्त्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी देता है।
- **मंत्रिस्तरीय समितियाँ:**
    - **अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (IMFC):** वैश्विक आर्थिक प्रबंधन पर चर्चा करती है और IMF संचालन पर सलाह देती है। विश्व बैंक IMFC की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता है। **[UPSC 2016]**
    - **विकास समिति:** उभरते बाजारों और विकासशील देशों में आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

आईएमएफ सदस्यता और कोटा

- **सदस्यता:** आईएमएफ के समझौते के लेखों से सहमत होने वाला कोई भी राष्ट्र शामिल हो सकता है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक (IBRD) में शामिल होने के लिए आईएमएफ में सदस्यता आवश्यक है।
- **कोटा प्रणाली:**
    - प्रत्येक सदस्य जीडीपी, खुलेपन, आर्थिक परिवर्तनशीलता और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार के आधार पर कोटा में योगदान देता है।
    - कोटा (जीडीपी 50%, खुलापन 30%, आर्थिक परिवर्तनशीलता 15%, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार 5%) मतदान शक्ति और आईएमएफ संसाधनों तक पहुँच को निर्धारित करता है।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी और फ्रांस शीर्ष पाँच शेयरधारक और मतदाता हैं। भारत 8वें स्थान पर है।
    - कोटा की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा सदस्य आर्थिक परिवर्तनों के आधार पर समायोजन का अनुरोध कर सकते हैं।

विशेष आहरण अधिकार (SDR)

- **एसडीआर:** यह मुद्रा नहीं, बल्कि सदस्य देशों के भंडार के पूरक के लिए वर्ष 1969 में बनाई गई एक आरक्षित परिसंपत्ति है।
- **मूल्य संरचना:** पाँच प्रमुख मुद्राओं (USD, यूरो, RMB, JPY, GBP) की टोकरी या सूची। एसडीआर मूल्य की समीक्षा प्रत्येक पाँच वर्ष में की जाती है।

आईएमएफ बेलआउट (IMF Bailouts)

- **उद्देश्य:** गंभीर आर्थिक संकट वाले देशों को वित्तीय सहायता, मुद्रा संकट का समाधान, ऋण प्रबंधन और संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा देना।
- **प्रमुख शर्तें:** देशों को आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहिए, जैसे- राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता, राज्य उद्यमों में संरचनात्मक परिवर्तन और विनियामक सुधार।

भारत और आईएमएफ

- **संस्थापक सदस्य:** भारत 1945 में आईएमएफ में शामिल हुआ और तब से उसे विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है।
- **महत्त्वपूर्ण सहायता:**
    - विभाजन के बाद वित्तीय समायोजन और 1965 तथा 1971 के संकटों के लिए ऋण।
    - संरचनात्मक सुधारों की शर्त पर विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करने के लिए 1990 के दशक में आपातकालीन ऋण।
- **वर्तमान स्थिति:** भारत के पास कोटा में 13,114 मिलियन एसडीआर है, जो कोटा आकार में 8वें (2.75%) तथा मतदान शक्ति द्वारा 8वें (2.63%) स्थान पर है। भारत को वर्ष 1993 से आईएमएफ की सहायता की आवश्यकता नहीं हुई है।

प्रमुख IMF ऋण सुविधाएँ (UPSC 2022)

तंत्र	उद्देश्य	शर्तें	पात्रता	पुनर्भुगतान की अवधि
स्टैंड-बाय प्रणाली (SBA)	BOP संकट के लिए अल्पकालिक समर्थन।	नीतिगत समायोजन पर सशर्त।	सभी सदस्य देश।	3¼ से 5 वर्ष
फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन (FCL)	मजबूत बुनियादी ढाँचे वाले देशों के लिए; वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है।	पूर्व-योग्यता; कोई चालू शर्तें नहीं।	बेहतर नीतियों वाले देशों का चयन।	3 से 5 वर्ष
एहतियाती और तरलता रेखा (PLL)	मध्यम भेद्यताओं वाले देशों को सहायता प्रदान करता है।	नीति समायोजन पर शर्तें	मजबूत बुनियादी ढाँचे वाले देश	3 से 5 वर्ष
विस्तारित निधि सुविधा (EFF)	भुगतान संतुलन संकटों में संरचनात्मक मुद्दों के लिए मध्यम तथा दीर्घकालिक समर्थन।	संरचनात्मक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता।	सभी सदस्य देश	4½ से 10 वर्ष
त्वरित वित्तपोषण साधन (RFI)	तत्काल भुगतान संतुलन आवश्यकताओं और आपात स्थितियों के लिए त्वरित सहायता।	कोई पूर्व शर्त नहीं	तात्कालिक संकट का सामना कर रहे सभी सदस्य	3¼ से 5 वर्ष
त्वरित ऋण सुविधा (RCF)	निम्न आय वाले देशों की तत्काल भुगतान संतुलन आवश्यकताओं के लिए रियायती, त्वरित सहायता।	कोई पूर्व शर्त नहीं	निम्न आय वाले देश	5½ से 10 वर्ष

Search On TG: @apna_pdf

व्यापार एकीकरण तंत्र (TIM)	बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण से भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करता है।	IMF समर्थित कार्यक्रमों से संबद्ध	विकासशील देश	अंतर्निहित कार्यक्रम शर्तों के साथ संरेखित।
विशेष आहरण अधिकार (SDRs)	आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए आरक्षित परिसंपत्ति का आवंटन।	IMF आवंटन के आधार पर, कोई शर्त नहीं।	सभी सदस्य देश	कोई पुनर्भुगतान नहीं; IMF आवंटन के आधार पर।
गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट (PRGT)	निम्न आय वाले देशों में गरीबी उन्मूलन और विकास नीतियों का समर्थन करने वाला रियायती ढाँचा।	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित।	निम्न आय वाले देश	5½ से 10 वर्ष
आरक्षित अंश स्थिति (RTP)	यह सदस्यों को बिना किसी शर्त के, अपने IMF कोटे के हिस्से तक तात्कालिक पहुँच प्रदान करता है।	बिना किसी शर्त के तत्काल उपयोग	सभी सदस्य देश	कोई पुनर्भुगतान नहीं क्योंकि यह कोटे का हिस्सा है।

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO)

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) एकमात्र वैश्विक संगठन है, जो राष्ट्रों के बीच व्यापार विनियम स्थापित करने के लिए समर्पित है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार यथासंभव सुचारू रूप से, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो। इसके मूल में WTO समझौते हैं, जिन पर विश्व के अधिकांश व्यापारिक राष्ट्रों द्वारा वार्ता की जाती है और उन्हें अपनाया जाता है एवं उनकी संबंधित सरकारों द्वारा पुष्टि की जाती है।
- **सदस्यता**
  - WTO में यूरोपीय संघ सहित 166 सदस्य राष्ट्र और ईरान, इराक, भूटान तथा लीबिया जैसे 22 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। WTO में सदस्यता को वैश्विक व्यापार प्रणाली में एकीकरण की पहचान माना जाता है।
- **सिद्धांत:**
  - **भेदभाव न करना (Non-discrimination):** सदस्यों को अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, यह सिद्धांत सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) व्यवहार में निहित है। सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों के लिए समान व्यवहार लागू होता है।
  - **पारस्परिकता (Reciprocity):** सदस्य अपने बाजार खोलने तथा अन्य सदस्यों द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई के बदले में रियायतें देने पर सहमत होते हैं।
  - **बाजार पहुँच:** यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यापार बाधाएँ उत्तरोत्तर कम होती जाए तथा व्यापार प्रवाह सरल/उदार हो।
  - **नियम-आधारित व्यापार प्रणाली:** राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधों के लिए एक पूर्वानुमानित और पारदर्शी ढाँचा प्रदान करती है।
  - **आर्थिक विकास:** विकासशील और अल्प-विकसित देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली में एकीकृत करके उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
  - **व्यापार विवाद समाधान:** सदस्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जिससे तनाव कम होता है और सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **WTO के उद्देश्य**
  - व्यापार बाधाओं को कम करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना।
  - गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना।
  - नियम-आधारित व्यापार प्रणाली स्थापित करना।
  - वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
  - व्यापार विवादों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से हल करना।

विश्व व्यापार संगठन का इतिहास

- **प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT):**
  - 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयात कोटा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और व्यापारिक व्यापार पर शुल्क कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई।
  - विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तक व्यापार के लिए एक अनंतिम ढाँचे के रूप में संचालित।
- **अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन (ITO):**
  - IMF और विश्व बैंक के साथ ब्रेटन वुड्स में तीसरे स्तंभ के रूप में प्रस्तावित।
  - 1948 में **हवाना चार्टर** में व्यापार, निवेश, सेवाओं और रोजगार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए मसौदा तैयार किया गया।
  - **यू.एस. सीनेट** द्वारा **हवाना चार्टर** की पुष्टि करने से इनकार करने के कारण यह लागू नहीं हो सका।
- **गैट (GATT) राउंड:**
  - 1947 से 1994 के बीच GATT के तहत बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के आठ दौर आयोजित किए गए, जिनमें वैश्विक व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर क्रमिक रूप से चर्चा की गई।
  - GATT की संस्थागत सीमाओं और औपचारिक विवाद समाधान तंत्र की कमी के कारण 1995 में WTO की स्थापना हुई।

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना

WTO की स्थापना **1 जनवरी, 1995 को उरुग्वे दौर (1986-94)** के समापन के साथ GATT के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। इसने वैश्विक व्यापार शासन के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित को शामिल किया:

Search On TG: @apna_pdf

- सेवाओं में व्यापार (सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता - GATS)।
- बौद्धिक संपदा अधिकार (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलू - TRIPS)।
- अधिक मजबूत विवाद निपटान तंत्र।

विश्व व्यापार संगठन के शासन की संरचना:

- **भूमिका:** WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय।
- **बैठक:** प्रत्येक दो वर्ष में बैठक होती है।
- **संरचना:** इसमें सभी WTO सदस्य (देश या सीमा शुल्क संघ) शामिल हैं।
- **प्राधिकरण:** बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत सभी मामलों की देखरेख करता है।
- **सामान्य परिषद (General Council):**
  - **स्थान:** जिनेवा, स्विटजरलैंड।
  - **भूमिका:** मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों के बीच उच्चतम स्तर का निर्णय लेने वाला निकाय।
  - **संरचना:** सभी सदस्य सरकारों के प्रतिनिधि (आमतौर पर राजदूत)।
  - **अतिरिक्त कार्य:** व्यापार नीति समीक्षा निकाय (TPRB) और विवाद निपटान निकाय (DSB) के रूप में कार्य करता है।
- **सामान्य परिषद को रिपोर्ट करने वाली परिषदें:**
  - **वस्तु परिषद:** माल व्यापार समझौतों के लिए उत्तरदायी है।
  - **सेवा परिषद:** सेवा व्यापार समझौतों से संबंधित कार्य करती है।
  - **ट्रिप्स परिषद:** बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं का प्रबंधन करती है।
  - **नोट:** तीनों परिषदों में WTO के सभी सदस्य शामिल हैं।
- **विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body-DSB):**
  - विवाद निपटान निकाय (DSB): विवादों के निपटान को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं पर समझ के तहत सदस्यों के बीच विवादों को हल करता है।
- **अपीलीय निकाय:**
  - DSU (विवाद निपटान इकाई) के अनुच्छेद 17 के तहत 1995 में स्थापित।
  - सात सदस्यों से बना है।
  - पैनल रिपोर्ट द्वारा अपीलों का निपटान।

विश्व व्यापार संगठन की कार्य-प्रणाली में चुनौतियाँ

- **सर्वसम्मति तंत्र से USA का पीछे हटना:** 2019 में अपीलीय निकाय में नियुक्तियों को रोकने के संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले ने WTO की विवाद समाधान प्रणाली को गंभीर रूप से बाधित कर दिया। इस कार्रवाई ने WTO की समस्या का समाधान करने में असमर्थता के प्रति व्यापक असंतोष को उजागर किया:
  - **सब्सिडी प्रणाली:** अमेरिका का अनुचित चीनी सब्सिडी का दावा।
  - **औद्योगिक नीतियाँ:** राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं पर चिंताएँ।
  - **सर्वसम्मति तंत्र:** सदस्यों के बीच सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता अक्सर निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करती है।
- **उभरते मुद्दों को संबोधित करने में अप्रभाविता:** डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स और जलवायु परिवर्तन से संबंधित व्यापार नीतियों जैसी आधुनिक व्यापार चुनौतियों का समाधान करने में असमर्थता के लिए WTO की आलोचना की गई है।
  - विकासशील देशों का तर्क है कि WTO के नियम अक्सर विकसित देशों का पक्ष लेते हैं, जिससे असमानताएँ बनी रहती हैं।
- **दोहा विकास एजेंडा गतिरोध**
  - विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2001 में शुरू किया गया।
  - कृषि सब्सिडी, बाजार पहुँच और विकासशील देशों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय जैसे मुद्दे अनसुलझे हैं।
- **अपीलीय निकाय अप्रभाविता**
  - व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए महत्त्वपूर्ण अपीलीय निकाय, अमेरिका द्वारा नियुक्तियों को अवरुद्ध करने के कारण 2019 से कार्यात्मक नहीं है।
  - इससे विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान तंत्र की विश्वसनीयता कम हो गई है।
- **क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTAs) का उदय**
  - ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) जैसे RTAs के प्रसार ने बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं से ध्यान हटा दिया है।
- **महामारी-प्रेरित व्यापार व्यावधान**
  - कोविड-19 ने संकट के दौरान वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के प्रबंधन में WTO की सीमित भूमिका पर प्रकाश डाला और सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया।
- **विशेष एवं विभेदक व्यवहार (S&DT)**
  - विकसित राष्ट्रों ने भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को S&DT प्रदान करने के मानदंडों पर लगातार सवाल उठाए हैं।
  - इस क्षेत्र में सुधार की माँग से सदस्यों के बीच मतभेद पैदा हो गया है।

विश्व व्यापार संगठन में राष्ट्रीय प्रबंध

- राष्ट्रीय व्यवहार (National Treatment) विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अंतर्गत एक मौलिक सिद्धांत है जो सदस्य देश के बाजार में प्रवेश करने के बाद विदेशी और घरेलू उत्पादों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है।
- **सिद्धांत की परिभाषा:** आयातित और घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
- **भेदभाव का उन्मूलन:** विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों का दायित्व है कि वे विदेशी और घरेलू उत्पादों के बीच भेदभाव से बचें, जिससे सभी को समान अवसर उपलब्ध हो सकें।

Search On TG: @apna_pdf

- **बाजार तक पहुँच:** यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी उत्पादों को सदस्य देश के बाजार में घरेलू उत्पादों के समान ही पहुँच प्राप्त हो।
- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा:** इसका उद्देश्य ऐसे भेदभावपूर्ण उपायों को रोककर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना है, जो विदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में घरेलू उत्पादकों को लाभ पहुँचा सकते हैं।
- **गैर-भेदभाव संबंधी प्रतिबद्धता:** यह सर्वाधिक **वरीयता प्राप्त राष्ट्र (MFN)** के रूप में व्यवहार का अभिन्न अंग है, यह इस बात पर बल देती है कि WTO सदस्य अन्य सभी सदस्यों को सर्वोत्तम व्यापार शर्तें प्रदान करें।

विश्व व्यापार संगठन में सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (MFN) का दर्जा

- **सिद्धांत की परिभाषा:** MFN का दर्जा यह सुनिश्चित करता है कि एक देश अपनी सर्वोत्तम व्यापार शर्तों को किसी सदस्य देश को प्रदान करता है तथा ये शर्तें अन्य सभी सदस्यों पर लागू होती हैं।
- **गैर-भेदभाव:** यह भेदभावपूर्ण व्यापार प्रक्रियाओं को रोकता है और विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
- **स्वतः विस्तार:** एक सदस्य को दिए गए व्यापार लाभ स्वतः अन्य सभी सदस्यों को भी प्रदान कर दिए जाते हैं।

कृषि क्षेत्र में WTO के विभिन्न समझौते

WTO के तहत वर्ष 1995 से प्रभावी कृषि समझौते (AoA) का उद्देश्य एक निष्पक्ष और बाजारोन्मुख कृषि व्यापार प्रणाली निर्मित करना है। यह निम्नलिखित तीन स्तंभों के द्वारा संरचित है:

1. बाजार पहुँच

- प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- विकसित देशों ने प्रशुल्क में महत्त्वपूर्ण कटौती करने की प्रतिबद्धता जताई, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक लचीलापन था।
- विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM) विकासशील देशों को आयात में उछाल या कीमतों में गिरावट से किसानों की रक्षा के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने की अनुमति देता है।

2. घरेलू सहायता

- किसानों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को अलग-अलग "**बॉक्स**" में वर्गीकृत किया गया है, जो उनके व्यापार-विकृत प्रभाव को दर्शाता है:
  - **ग्रीन बॉक्स:** इसमें अनुसंधान, कीट नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण जैसी गैर-व्यापार-विकृत सब्सिडी शामिल हैं। उदाहरण: फसल बीमा और सिंचाई कार्यक्रम।
  - **ब्लू बॉक्स:** उत्पादन सीमित करने वाली सब्सिडी को व्यापार को कम नुकसान पहुँचाने वाला माना जाता है। यूरोपीय संघ में यह आम है।
  - **एम्बर बॉक्स:** व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी में कटौती की प्रतिबद्धता होती है। भारत का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कार्यक्रम, जो फसलों के लिए निश्चित मूल्य की गारंटी देता है, इसी श्रेणी में आता है।
  - **डी मिनिमिस:** न्यूनतम व्यापार-विकृत समर्थन, विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन मूल्य का 10% और विकसित देशों के लिए 5% तक सीमित है। भारत सीमित आगत सब्सिडी के लिए इस प्रावधान का उपयोग करता है।

3. निर्यात सब्सिडी

- निर्यात को कृत्रिम रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने वाली सब्सिडी को कम करने का लक्ष्य।
- विकसित देशों ने 2015 (**नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन**) के बाद इन सब्सिडी को समाप्त कर दिया, जबकि विकासशील देशों के पास इन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 2030 तक का समय है।

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत भारत की भूमिका और चुनौतियाँ

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अपने किसानों की रक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक व्यापार नियमों को आकार देने में सक्रिय रहा है। WTO के अंतर्गत भारत की भूमिका और चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

1. सार्वजनिक भंडारण और खाद्य सुरक्षा

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)** के तहत कार्यक्रमों में **एम्बर बॉक्स** सीमा से अधिक **MSP** पर खाद्यान्नों की खरीद शामिल है। भारत इन कार्यक्रमों में छूट की वकालत करता है।
- **पीस क्लॉज़ (Peace Clause) (बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, 2013)** भारत जैसे विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी सीमा को बिना किसी विवाद का सामना किए उल्लंघन करने की अनुमति देता है, बशर्ते पारदर्शिता की आवश्यकताएँ पूरी की जाएँ।

2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

- **MSP** यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को फसलों के लिए गारंटीकृत/उचित मूल्य मिले, जिससे आय स्थिर हो और संकट कम हो।
- यह सीधे बाजार की कीमतों को प्रभावित करता है, इसे **एम्बर बॉक्स** के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। भारत की बढ़ती **MSP** अक्सर अनुमेय सीमा का उल्लंघन करती है, जिसके लिए राजनयिक वार्ता की आवश्यकता होती है।

3. विशेष और विभेदक उपचार (S&DT)

- भारत ने विकासात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापार-विकृत करने वाले उपायों को लागू करने में विकासशील देशों से लचीलेपन की माँग की।

4. पारदर्शिता में चुनौतियाँ

- **WTO** ने सब्सिडी डेटा की नियमित अधिसूचना अनिवार्य कर दी है। भारत द्वारा देरी से प्रस्तुतियाँ देने की आलोचना की गई है, जिससे इसकी विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।

5. निर्यात सब्सिडी

- भारत चीनी जैसी वस्तुओं के लिए सीमित निर्यात सब्सिडी प्रदान करता है, लेकिन 2030 तक इन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Search On TG: @apna_pdf

WTO व्यापार संबंधी सुरक्षा उपाय

सुरक्षा	विवरण	प्रमुख वैश्विक उदाहरण	भारत की भूमिका	परिणाम
डंपिंग रोधी उपाय	अनुचित रूप से कम कीमतों पर माल की डंपिंग का प्रतिकार करने के उपाय।	**भारत बनाम चीन (इस्पात उद्योग):** भारत ने घरेलू इस्पात निर्माताओं को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए 2015 में चीनी इस्पात आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाया।	भारत ने व्यापारिक साझेदारों द्वारा अनुचित मूल्य निर्धारण प्रक्रियाओं का मुकाबला करने के लिए, विशेष रूप से इस्पात, वस्त्र और रसायन जैसे क्षेत्रों में डंपिंग-रोधी उपायों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है।	भारत ने अपने इस्पात उद्योग को अनुचित चीनी आयात से बचाने के लिए सफलतापूर्वक डंपिंग-रोधी शुल्क लगाया।
प्रतिकारी उपाय (Countervailing Measures)	विदेशी उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के प्रभाव का प्रतिकार करने के उपाय।	**भारत बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (सोलर सेल):** भारत ने सोलर सेल पर अमेरिकी सब्सिडी को चुनौती देते हुए दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी उत्पादकों को अनुचित लाभ देकर WTO नियमों का उल्लंघन किया है।	भारत ने अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए चीन जैसे देशों द्वारा सब्सिडी वाले सामानों पर भी प्रतिकारी शुल्क लगाया है।	भारत यह केस हार गया। WTO ने फैसला सुनाया कि भारत WTO के नियमों के तहत सौर सेल में अमेरिकी सब्सिडी के खिलाफ व्यापार बाधाएँ नहीं लगा सकता।
सुरक्षा उपाय	घरेलू उद्योगों को आयात में अचानक वृद्धि से बचाने के लिए आपातकालीन उपाय।	**चीनी सौर पैनलों पर भारत के सुरक्षा उपाय (2018):** भारत ने अपने घरेलू सौर विनिर्माण क्षेत्र को आयात में अचानक वृद्धि से बचाने के लिए चीन से सौर पैनल आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाया।	भारत ने इस उपाय का उपयोग अपने घरेलू उद्योग को सस्ते आयात के अप्रत्याशित प्रवाह से बचाने के लिए किया जो स्थानीय उत्पादन को नुकसान पहुँचा सकता है।	सुरक्षा उपाय भारत द्वारा लागू किया गया था; WTO ने अस्थायी सुरक्षात्मक उपाय करने के भारत के अधिकार को बरकरार रखा।
प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) 1994)	देशों को कुछ शर्तों के तहत प्रशुल्क, कोटा और अन्य सुरक्षात्मक उपाय लागू करने की अनुमति देता है।	**संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के व्यापार संबंध (इस्पात प्रशुल्क):** 2018 में, अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सहित इस्पात आयात पर प्रशुल्क लगाया।	भारत ने इन प्रशुल्कों को WTO में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने GATT प्रावधानों का उल्लंघन किया है, और ऐसे प्रशुल्क से संबंधित व्यापार विवादों में समर्थन प्राप्त किया।	WTO ने भारत का पक्ष लिया और पाया कि इस्पात पर अमेरिकी प्रशुल्क ने व्यापार प्रथाओं और प्रतिबंध लगाने पर डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन किया है।
व्यापार-संबंधित निवेश उपाय (TRIMs)	व्यापार को प्रभावित करने वाले निवेश प्रतिबंधों से संबंधित विनियम।	**भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीतियाँ:** भारत ने TRIMs को लागू किया है, जैसे कि विदेशी कंपनियों को खुदरा और रक्षा संबंधी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर घटकों का एक निश्चित प्रतिशत स्रोत प्राप्त करने की आवश्यकता है।	भारत ने निवेश आकर्षित करने के लिए समय-समय पर अपनी FDI नीतियों को समायोजित किया है, तथा व्यापार को विकृत करने वाले प्रतिबंधों से बचने के लिए WTO TRIMs दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया है।	भारत की FDI नीति में परिवर्तन WTO TRIMs नियमों के अनुरूप थे, तथा FDI नीति से संबंधित कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अपवाद (GATT अनुच्छेद XX)	उन उपायों की अनुमति देता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या पर्यावरण संरक्षण कारणों से व्यापार को प्रतिबंधित करते हैं।	**आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) खाद्य पदार्थों पर भारत का प्रतिबंध:** भारत ने GATT **अनुच्छेद XX** को लागू करते हुए अपनी जैव विविधता और उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जीएम खाद्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।	भारत ने अतीत में सार्वजनिक स्वास्थ्य अपवादों का उपयोग किया है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य पर WTO नियमों के अनुरूप आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMO) और कीटनाशकों पर प्रतिबंध शामिल हैं।	कोई बड़ा विवाद नहीं; जीएम खाद्य पदार्थों के संबंध में भारत द्वारा अनुच्छेद XX के उपयोग को कुछ मामलों में WTO द्वारा बरकरार रखा गया है।
स्वच्छता और फ़ाइटोसैनिटरी उपाय (SPS समझौता)	खाद्य सुरक्षा और जीव/पादप स्वास्थ्य से संबंधित जोखिमों से मानव, जीव और पादप जीवन की रक्षा के लिए नियम।	**चीनी पोल्ट्री आयात पर भारत का प्रतिबंध (2007):** भारत ने SPS उपायों के तहत इस कदम को उचित ठहराते हुए, बर्ड फ्लू पर चिंताओं के कारण चीन से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।	भारत ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से कृषि आयात के संदर्भ में, उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए अक्सर SPS उपायों का उपयोग किया है।	WTO ने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए SPS उपायों का उपयोग करने के भारत के अधिकार को बरकरार रखा, यह फैसला देते हुए कि प्रतिबंध वैज्ञानिक रूप से उचित था।

Search on TG: @apna_pdf

WTO से संबंधित प्रमुख शब्द

शब्द	विवरण
सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (MFN)	GATT में एक क्लॉज देशों के बीच गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार सुनिश्चित करता है, तथा उन्हें सदस्यों के बीच सर्वोत्तम व्यापार शर्तें प्रदान करता है।
डम्पिंग	घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर सामान बेचने की प्रक्रिया, अक्सर डंपिंग-रोधी शुल्क का कारण बनती है।
डंपिंग-रोधी शुल्क की वैधता अवधि	डंपिंग-रोधी शुल्क 5 वर्ष तक चलता है, जब तक कि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता या सूर्यास्त समीक्षा के माध्यम से बढ़ाया नहीं जाता।
सूर्यास्त समीक्षा	यह निर्धारित करने के लिए समीक्षा प्रक्रिया कि क्या डंपिंग-रोधी शुल्क जारी रहना चाहिए; वैधता को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
व्यापार उपचार महानिदेशालय	भारत में डंपिंग-रोधी, प्रतिकारी शुल्कों और सुरक्षा उपायों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी।
पीस क्लॉज (Peace Clause)	यदि विकासशील देश खाद्य खरीद कार्यक्रमों पर सब्सिडी सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें WTO विवाद कार्रवाइयों से बचाता है।
ऋण सेवा अनुपात	ऋण सेवा भुगतान **(मूलधन + ब्याज)** का निर्यात आय के सापेक्ष अनुपात। निम्न अनुपात वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है।
डी मिनिमिस क्लॉज	विश्व व्यापार संगठन के नियम के अनुसार एम्बर बॉक्स समर्थन विकसित देशों के लिए 5% तथा विकासशील देशों के लिए 10% तक सीमित है, जिससे व्यापार विकृतियों को न्यूनतम किया जा सके।
बाजार पहुँच	किसी देश में माल के प्रवेश के लिए शर्तों (प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क उपायों) को संदर्भित करता है, जो मुक्त और पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा देता है।
G-33	यह विकासशील देशों का एक मंच है, जिसका गठन विश्व व्यापार संगठन कानकून मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान कृषि व्यापार वार्ता में विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। भारत, पाकिस्तान आदि G-33 का हिस्सा हैं, जो 47 विकासशील और अल्पविकसित देशों का समूह है।

UNCTAD (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन)

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1964 में स्थापित UNCTAD का लक्ष्य विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना है। इसका उद्देश्य 195 सदस्य देशों के साथ वैश्वीकरण को अधिक समावेशी और सभी के लिए लाभकारी बनाना है। UNCTAD के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सतत विकास शामिल हैं।

- **संरचना और तंत्र**
  - **व्यापार और विकास बोर्ड (TDB):** वह शासी निकाय जो रणनीतिक दिशा निर्धारित करता है।
  - **विशिष्ट उपसमितियाँ:** निवेश, व्यापार नीतियों और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित।
  - **सचिवालय:** "विश्व निवेश रिपोर्ट" और "व्यापार एवं विकास रिपोर्ट" जैसी रिपोर्ट्स के माध्यम से डेटा और अनुसंधान प्रदान करता है।
- **हालिया घटनाक्रम और रिपोर्टें**
  1. **विश्व निवेश रिपोर्ट (2023):** भारत में पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित हो रहा है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में यह अधिक है।
  2. **व्यापार और विकास रिपोर्ट (2023):** नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित भारत की हरित पहल को इसके सतत विकास के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी।
  3. **डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (2023):** भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, विशेष रूप से फिनटेक और ई-कॉमर्स पर प्रकाश डाला गया, हालाँकि डिजिटल विभाजन और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं।
- **वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका**
  - **निर्यात और FDI:** भारत को विशेष रूप से आईटी सेवाओं और फार्मास्यूटिकल्स में निर्यात वृद्धि के लिए पहचाना जाता है। देश FDI के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में से एक है, मुख्य रूप से तकनीकी क्षेत्र में।
  - **आपूर्ति शृंखला और विनिर्माण:** भारत अपने प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है।
  - **हरित व्यापार:** नवीकरणीय ऊर्जा की ओर भारत का कदम उसे हरित व्यापार में एक उभरता हुआ देश बनाता है, जिसमें सौर ऊर्जा और संधारणीय उद्योगों में महत्त्वपूर्ण संभावनाएँ हैं।
- **भारत के लिए संभावनाएँ:**
  - **सेवा निर्यात:** भारत के व्यापार अधिशेष में योगदान देने वाले IT और अन्य सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि की उम्मीद है।
  - **वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ:** घरेलू सुधारों से भारत वैश्विक विनिर्माण के लिए एक केन्द्रीकृत हब बनने के लिए तैयार है।
  - **डिजिटल अर्थव्यवस्था नेतृत्व:** भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार में अग्रणी बनने के लिए तैयार है, हालाँकि डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए नियामक ढाँचे की आवश्यकता है।

IPR, वैश्विक संस्थान और तंत्र तथा भारत का IPR ढाँचा

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) रचनाकारों को उनके आविष्कारों, साहित्यिक कार्यों, ट्रेडमार्क और अन्य बौद्धिक संपत्तियों पर विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। ये अधिकार रचनाकारों को सीमित अवधि के लिए उनके नवाचारों से लाभ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, जिससे रचनात्मकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

Search On TG: @apna_pdf

IPR मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 27 पर आधारित है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण से लाभ प्राप्त करने का अधिकार देता है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्गीकरण

वर्ग	विवरण
कॉपीराइट	मूल साहित्यिक, कलात्मक और संगीतमय कृतियों को रचनाकार की मृत्यु के बाद 50+ वर्षों तक संरक्षित रखता है।
ट्रेडमार्क	उत्पादों/सेवाओं की पहचान करने वाले विशिष्ट चिह्नों, लोगो या अभिव्यक्तियों की सुरक्षा करता है। जब तक यह विशिष्ट बना रहता है, संरक्षण अनिश्चित काल तक बना रहता है।
भौगोलिक उपदर्शन या संकेतक (GI)	वस्तुओं की पहचान उनकी भौगोलिक उत्पत्ति (उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग चाय) से जुड़ी विशिष्ट विशेषताओं के साथ करता है।
पेटेंट	नवीनता और औद्योगिक प्रयोज्यता की शर्तों के अधीन, आविष्कारक को दाखिल करने की तारीख से 20 वर्षों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करके आविष्कारों की सुरक्षा करता है।
औद्योगिक डिजाइन	सौंदर्य संबंधी मूल्य वाले उत्पादों के दृश्य डिज़ाइन, आकार और रंग की सुरक्षा करता है।
ट्रेड सीक्रेट (Trade Secrets)	विनिर्माण प्रक्रियाओं या व्यावसायिक रणनीतियों जैसी गोपनीय व्यावसायिक सूचनाओं की सुरक्षा करता है, जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती है।
एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन	यह सुनिश्चित करना कि डिज़ाइन को अनुमति के बिना कॉपी या पुन: प्रस्तुत नहीं किया गया है।
पादप किस्में	ट्रिप्स (TRIPS) सदस्यों को नई पादप किस्मों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है, यद्यपि संरक्षण की विधि (पेटेंट, सुई जेनेरिस प्रणाली या इनके संयोजन के माध्यम से) को अलग-अलग देशों के विवेकाधिकार के तहत छोड़ दिया जाता है।

प्रमुख शब्दावली

- **एवरग्रीनिंग**
  - एवरग्रीनिंग से तात्पर्य मौजूदा आविष्कारों में मामूली संशोधन के लिए नए पेटेंट प्राप्त करना है, जिससे पेटेंट की अवधि प्रभावी रूप से 20 वर्षों से अधिक हो जाती है। भारत अपने पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(d) के माध्यम से इसका समाधान करता है, जो ज्ञात पदार्थों के पेटेंट को रोकता है जब तक कि वे प्रभावकारिता में महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं दिखाते हैं।
- **अनिवार्य लाइसेंसिंग**
  - ट्रिप्स के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में अनिवार्य लाइसेंसिंग किसी देश को पेटेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद का उपयोग करने की अनुमति देता है, विशेष रूप से राष्ट्रीय आपात स्थिति या सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के मामले में।

बौद्धिक संपदा अधिकारों पर वैश्विक सम्मेलन

कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और संधियाँ वैश्विक बौद्धिक संपदा संरक्षण की नींव रखती हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **पेरिस सम्मेलन (1883)**
  - **उद्देश्य**: औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन सबसे पुराने अंतरराष्ट्रीय IP समझौतों में से एक है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सदस्य देशों में आविष्कार, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन संरक्षित रहें।
  - **महत्त्व**: यह राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धांत को स्थापित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी नागरिकों को मेजबान देश के नागरिकों के समान ही बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त हों।
  - **भारत की भागीदारी**: भारत 1998 में पेरिस सम्मेलन का सदस्य बना।
- **बर्न सम्मेलन (1886)**
  - **उद्देश्य**: साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों के संरक्षण के लिए बर्न सम्मेलन एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य किसी भी सदस्य देश में निर्मित कृतियों के लिए औपचारिक पंजीकरण की आवश्यकता के बिना, स्वतः कॉपीराइट संरक्षण प्रदान करना है।
  - **महत्त्व**: यह सुनिश्चित करता है कि लेखकों की कृतियाँ सभी सदस्य देशों में संरक्षित रहें तथा यह कॉपीराइट संरक्षण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।
  - **भारत की भागीदारी**: भारत बर्न सम्मेलन का सदस्य है, जिसमें वह 1928 में शामिल हुआ था।

ट्रिप्स(TRIPS) समझौता (1995)

- **उद्देश्य**: विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा प्रशासित बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स) सभी WTO सदस्य देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है।
- **महत्त्व**: ट्रिप्स वैश्विक बौद्धिक संपदा कानूनों को सुसंगत बनाने तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **भारत का अनुपालन**: भारत पेटेंट अधिनियम (1970) और वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम (1999) जैसे कानूनों को लागू करके ट्रिप्स का अनुपालन करता है।
- **ट्रिप्स समझौता और भारत का अनुपालन**
  - भारत के **भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** को ट्रिप्स समझौते के अनुपालन के लिए अधिनियमित किया गया था, जिससे GI उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मान्यता और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक (CGPDT) भारत में GI पंजीकरण के लिए प्रमुख प्राधिकारी है।

Search On TG: @apna_pdf

WIPO (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन)

1967 से संयुक्त राष्ट्र की विशेष संगठन WIPO, बौद्धिक संपदा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों का प्रशासन करने वाली प्राथमिक वैश्विक संस्था है। यह निम्नलिखित तंत्रों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण को बढ़ावा देता है:

- अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए पेटेंट सहयोग संधि (**PCT**)।
- अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए **मैड्रिड प्रोटोकॉल**।
- औद्योगिक डिजाइनों की सुरक्षा के लिए **हेग समझौता**।
- **WIPO की भूमिका**
  - **विश्व बौद्धिक संपदा दिवस (26 अप्रैल):** विश्व भर में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा के महत्त्व को बढ़ावा देता है।
  - बौद्धिक संपदा मानकों और प्रवर्तन को नियंत्रित करने वाली 26 अंतरराष्ट्रीय संधियों का प्रशासन करता है।
- **WIPO की वैश्विक भूमिका और भारत की भागीदारी**
  - भारत 1975 से WIPO का सदस्य रहा है और वैश्विक बौद्धिक संपदा व्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत WIPO द्वारा प्रशासित विभिन्न संधियों और समझौतों में भी शामिल है, जिसमें **पेटेंट सहयोग संधि (PCT)** महत्त्वपूर्ण है, जो अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदनों की अनुमति देती है।
- **भारत का IPR ढाँचा**
  - भारत ने एक मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्था स्थापित की है जो वैश्विक मानकों, विशेषकर ट्रिप्स समझौते के अनुरूप है। भारत का IPR ढाँचा ज्ञान और आवश्यक वस्तुओं तक जनता की पहुँच की रक्षा करते हुए नवाचार को बढ़ावा देता है।

भारतीय पेटेंट कानून के प्रमुख प्रावधान

प्रावधान	विवरण
पेटेंट	पेटेंट प्राप्त करने के लिए, किसी आविष्कार को नवीन होना चाहिए, उसमें आविष्कारात्मक कदम शामिल होना चाहिए, तथा वह औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए।
संशोधन (2005)	ट्रिप्स के अनुरूप खाद्य एवं औषधि जैसे क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट संरक्षण का विस्तार किया गया।
अनिवार्य लाइसेंसिंग	यह कानून पेटेंट धारक की सहमति के बिना सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों या राष्ट्रीय हित में पेटेंट किए गए आविष्कारों के उपयोग की अनुमति देता है।
धारा 3(d)	यह छोटे-मोटे संशोधनों पर पेटेंट की अनुमति नहीं देकर एवरग्रीनिंग को रोकता है, जब तक कि वे महत्त्वपूर्ण प्रभावकारिता प्रदर्शित न करें।

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021

प्रावधान	विवरण
शुल्क में कमी	अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की फीस कम की गई।
त्वरित परीक्षण	पेटेंट परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लघु और माध्यम उद्यमों, महिला आवेदकों और अन्य लोगों के लिए उपलब्ध।

भारत में भौगोलिक संकेतक (GI)

भौगोलिक संकेतक (GI) ऐसे टैग हैं जिनका उपयोग उन उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जाता है जिनकी गुणवत्ता या विशेषताएँ उनके भौगोलिक मूल से निकटता पूर्वक जुड़ी होती हैं। भारत वस्तुओं के **भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999** के माध्यम से इनके संरक्षण में सक्रिय रहा है।

भौगोलिक संकेतक (उपदर्शन) उत्पाद	संबंधित क्षेत्र
बासमती चावल	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश
दार्जिलिंग चाय	दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
चंदेरी कपड़ा	मध्य प्रदेश
मैसूर सिल्क	कर्नाटक
कुल्लू शॉल	हिमाचल प्रदेश
काँगड़ा चाय	हिमाचल प्रदेश

भारत के IPR कानून

कानून	संरक्षण का क्षेत्र	विवरण
पेटेंट अधिनियम, 1970 (2005 में संशोधित)	**पेटेंट**	यह भारत में आविष्कारों के संरक्षण को नियंत्रित करता है, तथा आवेदन करने से 20 वर्ष तक के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। ट्रिप्स के अनुपालन हेतु इसे 2005 में संशोधित किया गया तथा इसमें उत्पाद पेटेंट, अनिवार्य लाइसेंसिंग और एवरग्रीनिंग की रोकथाम के प्रावधान शामिल किए गए।
कॉपीराइट अधिनियम, 1957	**कॉपीराइट**	यह मूल साहित्यिक, नाटकों, संगीतमय और कलात्मक कृतियों के साथ-साथ ध्वनि रिकॉर्डिंग, फिल्म तथा कंप्यूटर प्रोग्राम के रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करता है। कॉपीराइट की अवधि लेखक के जीवन काल के अतिरिक्त 60 वर्ष है।
ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999	**ट्रेडमार्क**	भारत में ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, सामूहिक चिह्न और प्रमाणन चिह्नों के पंजीकरण, संरक्षण तथा प्रवर्तन को विनियमित करता है।

Search On TG: @apna_pdf

डिज़ाइन अधिनियम, 2000	**औद्योगिक डिजाइन**	सौंदर्य संबंधी मूल्य वाले उत्पादों के दृश्य डिज़ाइन, आकार और विन्यास की सुरक्षा करता है। संरक्षण 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	**भौगोलिक संकेतक (GI)**	यह भारत में GI के पंजीकरण को नियंत्रित करता है, जो विशिष्ट क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले सामानों की पहचान करता है, जिनकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण अद्वितीय गुण या प्रतिष्ठा होती है।
सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिज़ाइन अधिनियम, 2000	**इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन**	एकीकृत सर्किट के लेआउट के अद्वितीय डिजाइन की रक्षा करता है, सेमीकंडक्टर उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देता है।
पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001	**पादप किस्में**	यह नए पौधों की किस्मों, किसानों के अधिकारों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है तथा कृषि जैव विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
ट्रेड सीक्रेट कानून (गोपनीय जानकारी)	**ट्रेड सीक्रेट**	भारत में ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन इसमें अनुबंध कानून के तहत संरक्षण और अनुचित प्रतिस्पर्धा और वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंधित अन्य प्रावधान शामिल हैं।

भारतीय IPR कानून की मुख्य विशेषताएँ

- **पेटेंट योग्यता मानदंड:** पेटेंट उन आविष्कारों के लिए दिए जाते हैं जो नए, आवश्यक और औद्योगिक रूप से प्रयोज्य होते हैं। पेटेंट अधिनियम की धारा 3(d) पेटेंट को एवरग्रीनिंग होने से रोकती है।
- **कॉपीराइट अवधि:** कॉपीराइट लेखक के जीवनकाल के अलावा 60 वर्षों तक वैध होते हैं।
- **TRIPS अनुपालन:** भारत के कानून TRIPS समझौते द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, विशेष रूप से पेटेंट, कॉपीराइट और भौगोलिक संकेतक के संबंध में।

इन कानूनों को विभिन्न निकायों द्वारा लागू किया जाता है, जैसे-कि पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय (CGPDTM), जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय संगठन

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)**
  - **स्थापना:** 2014 में ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) द्वारा।
  - **मुख्यालय:** शंघाई, चीन
  - **सदस्यता:**
    - प्रारंभ में ब्रिक्स देशों द्वारा गठित।
    - नए सदस्यों में बांग्लादेश, यूएई और मिस्र (2024 तक) शामिल हैं।
- **मतदान अधिकार:**
  - **समतावादी संरचना:** आईएमएफ या विश्व बैंक के विपरीत, सभी संस्थापक सदस्यों के लिए समान मतदान शक्ति।
  - संस्थापक सदस्य के रूप में भारत के पास 18.98% की शेयरधारिता और मतदान शक्ति है।
- **उद्देश्य:**
  - बुनियादी ढाँचे के सतत विकास को बढ़ावा देना; विकास और विकासशील देशों में वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करना।
- **भारत की भूमिका:**
  - मुंबई मेट्रो, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रेल और बिहार की ग्रामीण सड़कों जैसी प्रमुख परियोजनाओं को वित्त पोषित किया।
  - ग्रामीण रोजगार के लिए 2020 में $1 बिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- **स्थापना:** 2001 में एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधन के रूप में।
- **मुख्यालय:** बीजिंग, चीन
- **सदस्य:** भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस सहित 10 देश।
- **आर्थिक उद्देश्य:**
  - क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार संवर्धन और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना।
  - विशेष रूप से मध्य एशियाई देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा की वकालत करना।
- **भारत की भूमिका:**
  - **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC)** जैसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
  - मध्य एशिया के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाना।

हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा [इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF)]

- **स्थापना:** मई 2022 में अमेरिका द्वारा।
- **सदस्य:** भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आसियान देशों सहित 14 देश।
- **मुख्य स्तंभ:**
  - व्यापार सुगमता।
  - आपूर्ति शृंखला में लचीलापन।
  - स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन।
  - **निष्पक्ष अर्थव्यवस्था:** कर और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय।
- **भारत की भूमिका:**

Search On TG: @apna_pdf

- आपूर्ति शृंखला लचीलापन का समर्थन करती है, किन्तु बाजार पहुँच और प्रतिबद्धताओं संबंधी चिंताओं के कारण व्यापार क्षेत्र से बाहर।

बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W)

- **स्थापना:** 2021 में G7 देशों द्वारा।
- **उद्देश्य:**
  - चीन की बेल्ट और रोड पहल (BRI) के विरोध या उत्तर में निर्मित।
  - निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अवसंरचना के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित।
  - पारदर्शी और जलवायु-लचीली (climate-resilient) परियोजनाओं का लक्ष्य।
- **भारत की भूमिका:**
  - वैश्विक स्तर पर सतत बुनियादी ढाँचा विकास सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी।

ब्लू डॉट नेटवर्क

- **स्थापना:** 2019 में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से।
- **उद्देश्य:**
  - पारदर्शिता, स्थिरता और वित्तीय सुदृढ़ता के आधार पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को प्रमाणित करना।
  - चीन की BRI को काउंटर करने हेतु निर्मित।
- **भारत की भूमिका:**
  - वैश्विक मानकों का पालन करने वाली अवसंरचना विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल का समर्थन।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)

- **स्थापना:** वर्ष 1961 में
- **उद्देश्य:** आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करना।
- **सदस्यता:** 38 उच्च-आय वाले राष्ट्र; भारत सदस्य नहीं है लेकिन एक प्रमुख भागीदार है।
- **भारत की भूमिका:**
  - कराधान, आर्थिक नीति और डेटा-साझाकरण के क्षेत्रों में सहयोग।
- **प्रमुख रिपोर्ट:**
  - गवर्नमेंट एट अ ग्लांस
  - बेटर लाइफ इंडेक्स
  - इकोनॉमिक आउटलुक

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)

- **स्थापना:** 2015
- **मुख्यालय:** बीजिंग, चीन
- **सदस्यता:** 105 देश, भारत (8% वोटिंग शेयर के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक)।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - सतत अवसंरचना वित्तपोषण प्रदान करता है।
  - भारत ने चेन्नई मेट्रो और मुंबई शहरी परिवहन जैसी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्राप्त किया।
- **समतावादी मतदान:**
  - सभी सदस्यों को उनके वित्तीय योगदान के आधार पर वोट मिलते हैं।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक [बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (BIS)]

- **स्थापना:** वर्ष 1930
- **मुख्यालय:** बेसल, स्विट्ज़रलैंड
- **भूमिका:**
  - केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है।
  - वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता की निगरानी करता है।
- **सदस्यता:** 60 केंद्रीय बैंक, जिनमें भारत भी शामिल है।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB)

- **स्थापना:** 2009 में G20 के तहत।
- **उद्देश्य:**
  - वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए नीतिगत सिफारिशें और निगरानी करना।
- **भारत की भूमिका:**
  - RBI, वित्त मंत्रालय और SEBI द्वारा प्रतिनिधित्व।

बहुपक्षीय संगठनों में भारत की भूमिका

- विभिन्न पहलों में सक्रिय भागीदारी करता है, जो निम्न को बढ़ावा देती हैं:
  - सतत अवसंरचना (जैसे- AIIB, NDB)
  - क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (जैसे- SCO, INSTC)
  - आर्थिक लचीलापन (जैसे- IMF, IPEF)
- वैश्विक वित्तीय संस्थानों में समतावादी मतदान संरचनाओं का समर्थन करता है।

तालिका: बहुपक्षीय संगठन और मतदान कोटा

संगठन का नाम	शीर्ष 4 सदस्य और मतदान कोटा (%)	भारत का कोटा (%)	मुख्य विशेषताएँ
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	अमेरिका (16.5), जापान (6.1), चीन (6.1), जर्मनी (5.3)	2.75	कोटा-आधारित प्रणाली; आर्थिक आकार और प्रभाव को दर्शाता है।
विश्व बैंक	अमेरिका (15.5), जापान (7.1), चीन (5.8), जर्मनी (4.4)	3.2	पूँजी सदस्यता के आधार पर मतदान।
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)	सभी BRICS सदस्यों के लिए समान (20% प्रत्येक)	20.0	समतावादी; BRICS सदस्यों के बीच समानता को बढ़ावा देता है।

Search On TG: @apna_pdf

एशियाई विकास बैंक (ADB)	जापान (15.6), अमेरिका (15.6), चीन (6.4), भारत (6.3)	6.3	जापान और अमेरिका के बीच साझा नेतृत्व।
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)	चीन (26.6), भारत (7.6), रूस (5.9), जर्मनी (4.2)	7.6	चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक।
यूरोपीय निवेश बैंक (EIB)	यूरोपीय संघ के सदस्यों के योगदान के आधार पर	सदस्य नहीं	सतत परियोजनाओं में सबसे बड़ा बहुपक्षीय ऋणदाता।

महत्त्वपूर्ण संगठन और भारत में वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाएँ

जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA)

- **स्थापना**: 1974 (जापान के आधिकारिक विकास सहायता कार्यक्रम के तहत)।
- **उद्देश्य**: ऋण, अनुदान और तकनीकी सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों में सामाजिक-आर्थिक सतत विकास को बढ़ावा देना।
- **भारत में प्रमुख परियोजनाएँ**:
  1. **मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना (मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल - MAHSR)**:
     - **वित्तपोषण**: 0.1% ब्याज दर पर 50 वर्षों के लिए ₹1.1 लाख करोड़ का ऋण।
     - **उद्देश्य**: भारत का पहला हाई-स्पीड रेल गलियारा।
  2. **दिल्ली मेट्रो परियोजना:**
     - विभिन्न चरणों में महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण, सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा देना।
  3. **मुंबई मेट्रो लाइन-3:**
     - भूमिगत मेट्रो कनेक्टिविटी का विकास।
  4. **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC):**
     - पंजाब से पश्चिम बंगाल तक का पूर्वी गलियारा।
  5. **गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम:**
     - गंगा नदी को स्वच्छ और संरक्षित करने हेतु व्यापक प्रयास।

एशियाई विकास बैंक (ADB)

- **स्थापना**: वर्ष 1966
- **मुख्यालय**: मनीला, फिलीपींस
- **उद्देश्य**: एशिया-प्रशांत में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- **भारत में प्रमुख परियोजनाएँ**:
  1. **ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर (ECEC)**:
     - वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ तटीय क्षेत्रों को जोड़ना।
     - इसमें विजाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा शामिल है।
  2. **बंगलूरू मेट्रो**:
     - सतत शहरी परिवहन समाधान के लिए वित्तपोषण।
  3. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत ग्रामीण सड़कों का विकास:**
     - अंतिम मील कनेक्टिविटी को मजबूत करना।
  4. **चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा**:
     - तमिलनाडु में व्यापार और औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु अवसंरचना विकास।

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)

- **स्थापना**: वर्ष 2015
- **मुख्यालय**: बीजिंग, चीन
- **उद्देश्य**: बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं को वित्तपोषण और सतत विकास को बढ़ावा देना।
- **भारत में प्रमुख परियोजनाएँ**:
  1. **मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (MUTP):**
     - उपनगरीय रेलवे सेवाओं के उन्नयन के लिए वित्तपोषण।
  2. **बंगलूरू मेट्रो:**
     - शहरी पारगमन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तार।
  3. **चेन्नई मेट्रो विस्तार**:
     - बेहतर कनेक्टिविटी के लिए $356.67 मिलियन का ऋण।
  4. **राजस्थान सोलर पावर प्रोजेक्ट**:
     - नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा।
  5. **स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण**:
     - भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचे के लिए COVID-19 के समय सहयोग और समर्थन।

विश्व बैंक समूह

- **स्थापना**: वर्ष 1944
- **मुख्यालय**: वाशिंगटन डी.सी., यूएसए
- **उद्देश्य**: विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए ऋण, अनुदान और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना।
- **भारत में प्रमुख परियोजनाएँ**:
  1. **राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना**:
     - स्वच्छ गंगा पहल के लिए समर्थन।
  2. **ग्रामीण विद्युतीकरण (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)**:
     - ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण।
  3. **स्किल इंडिया मिशन ऑपरेशन (SIMO)**:
     - रोजगार योग्य कौशल और प्रशिक्षण केंद्रों का विकास।
  4. **अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन) योजना [AMRUT (अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन)]**:
     - शहरी नवीनीकरण और सतत शहर विकास पर ध्यान केंद्रित।

Search On TG: @apna_pdf

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

- **स्थापना**: वर्ष 1944
- **मुख्यालय**: वाशिंगटन डी.सी., यूएसए
- **उद्देश्य**: वित्तीय स्थिरता, भुगतान संतुलन सहायता और आर्थिक नीति परामर्श।
- **भारत को सहयोग**:
  1. **1991 के आर्थिक संकट के बाद संरचनात्मक सुधार**:
     - भुगतान संतुलन संकट को दूर करने के लिए भारत को वित्तीय सहायता प्रदान किया।
  2. **GST कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता।**

यूरोपीय निवेश बैंक (EIB)

- **स्थापना**: वर्ष 1958
- **मुख्यालय**: लक्ज़मबर्ग
- **उद्देश्य**: सतत विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करना।
- **भारत में प्रमुख परियोजनाएँ**:
  1. **बंगलूरू मेट्रो चरण-II**:
     - शहरी परिवहन अवसंरचना का विस्तार।
  2. **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ**:
     - भारत की सौर और पवन ऊर्जा पहलों का समर्थन।

हरित जलवायु निधि [ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)]

- **स्थापना**: 2010 (UNFCCC के तहत)।
- **उद्देश्य**: जलवायु परिवर्तन प्रभावों को कम करने वाली परियोजनाओं का वित्तपोषण।
- **भारत में प्रमुख परियोजनाएँ**:
  1. **मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा परियोजना:**
     - स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना।
  2. **जलवायु अनुकूल कृषि**:
     - भारतीय कृषि में अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देना।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO)

- **स्थापना**: वर्ष 1966
- **मुख्यालय**: वियना, ऑस्ट्रिया
- **उद्देश्य**: औद्योगिक विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना।
- **भारत में प्रमुख परियोजनाएँ**:
  1. **MSMEs में ऊर्जा दक्षता**:
     - औद्योगिक क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने पर ध्यान केंद्रित।
  2. **पारिस्थितिकी-औद्योगिक पार्क**:
     - हरित और सतत औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना।

Search on TG: @apna_pdf

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH

UPSC OPTIONAL COURSE 2025 Hinglish / हिन्दी

Anthropology | PSIR | History | Sociology
Geography | Public Administration | Mathematics | हिन्दी साहित्य

Starts From ₹ 8,999/-

COUPON CODE PWOIAS500

FOR EXTRA DISCOUNT

9920613613 | pw.live

7 वित्तीय बाजार

वित्तीय बाजार क्रेताओं और विक्रेताओं को स्टॉक, बॉण्ड, कमोडिटी, डेरिवेटिव एवं मुद्राओं जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार करने के लिए एक साथ लाता है। इसके घटक **मुद्रा बाजार, पूँजी बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार हैं।**

मुद्रा बाजार (MONEY MARKET)

मुद्रा बाजार 1 वर्ष या उससे कम की समयावधि के लिए अल्पावधि ऋण/ऋण लेने और देने से संबंधित है। यह **भारतीय रिजर्व बैंक** (RBI) को **मौद्रिक नीति लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।** RBI मुद्रा बाजारों का विनियामक है, चाहे वे प्रतिभूतियाँ सरकारी हों या निगम।

मुद्रा बाजार के साधन

सरकार द्वारा जारी

- **ट्रेजरी बिल (Treasury bills):**
  - अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ जो जारी किए जाने की तिथि से एक वर्ष या उससे कम समय में परिपक्व हो जाती हैं।
  - **वे शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ (zero coupon securities) होती हैं** और उन पर **कोई ब्याज नहीं** मिलता है।
  - इसके बजाय, उन्हें **बट्टे पर जारी किया जाता है** और परिपक्वता अवधि पूरे होने पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। वर्तमान में ये **तीन अवधियों में जारी किए जाते हैं** अर्थात् **91-दिन, 182-दिन और 364-दिन।**
  - प्राथमिक बाजार में **'ट्रेजरी बिल'** और **'भारत सरकार के ऋण बॉण्ड'** में निवेश करने के लिए खुदरा निवेशक के लिए डीमैट खाता खोलना अनिवार्य है। **[UPSC 2018, 2021]**
- **नकदी प्रबंधन बिल (Cash Management Bills-CMB):**
  - **भारत सरकार द्वारा अपनी अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे RBI के परामर्श से जारी किया जाता है।**
  - **परिपक्वता** अवधि **91 दिनों से कम होती है।**
- **राज्य विकास ऋण (State Development Loans - SDL):**
  - राज्य सरकारें भी बाजार से ऋण जुटाती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDLs) कहा जाता है।
  - SDL **दिनांकित प्रतिभूतियाँ हैं।** इन पर ब्याज अर्ध-वार्षिक अंतराल पर दिया जाता है और मूलधन को परिपक्वता की तिथि पर वापस किया जाता है।
  - राज्य सरकारों द्वारा जारी SDL **वैधानिक तरलता अनुपात** (SLR) **के** भी **पात्र होते हैं।** ये मार्केट रेपो के माध्यम से ऋणी या RBI से एलएएफ (LAF) के तहत पात्र इकाइयों द्वारा ऋणी के लिए भी संपार्श्विक के रूप में मान्य होते हैं।
- **वेज एंड मीन्स एडवांसेस/अग्रिम अर्थोपाय (Ways and Means Advances-WMA):**
  - यह सरकार द्वारा अस्थायी नकदी प्रवाह असंतुलन को पूरा करने के लिए RBI से लिया गया अल्पकालिक ऋण है। इस पर रेपो दर लागू होती है और यदि 90 दिनों की पुनर्भुगतान अवधि पार हो जाती है, तो 2% का ओवरड्राफ्ट दंड भुगतान करना होता है।
  - इसे अग्रिम की तिथि से तीन माह के भीतर चुकाना होता है। यदि पुनर्भुगतान की अवधि 90 दिनों से अधिक हो जाती है, तो 2% की दर से ओवरड्राफ्ट दंड लागू होता है। **(UPSC 2012)**

निगमों द्वारा जारी

- **जमा प्रमाणपत्र (Certificates of Deposits, CD)** **[UPSC 2020]**
  - **परिभाषा:** ये वाणिज्यिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों एवं स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) और IFCI जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए विनिमय योग्य आवधिक जमा हैं।
  - **उद्देश्य:** इसे बैंकों द्वारा अल्पकालिक धन जुटाने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर जब जमा वृद्धि कम हो लेकिन ऋण की माँग अधिक हो।
- **विशेषताएँ:**
  - **न्यूनतम मूल्यवर्ग:** ₹1 लाख।
  - ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।
  - द्वितीयक बाजार में व्यापार योग्य

उदाहरण: अगर किसी बैंक को धन की आवश्यकता होती है, तो वह 6% ब्याज दर पर छह महीने के लिए ₹10 करोड़ के जमा प्रमाणपत्र जारी करता है। एक निगम संस्था इन जमा प्रमाणपत्रों को खरीदती है और परिपक्वता पर ब्याज अर्जित करती है।

- **वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper)** **[UPSC 2020]**
  - **परिभाषा:** यह एक असुरक्षित और अल्पकालिक ऋण साधन है जिसे निगम्स, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs) द्वारा जारी किया जाता है।
  - **उद्देश्य:** खातों की प्राप्तियाँ (Accounts Receivable), इन्वेंटरी या अल्पकालिक नकदी प्रवाह असंतुलन को वित्त पोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **विशेषताएँ:**
  - **परिपक्वता अवधि:** 7 दिन से 1 वर्ष।
  - फेस वैल्यू से छूट पर जारी किया जाता है।
  - न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग: A-3

Search on TG: @apna_pdf

उदाहरण: एक कंपनी ₹50 करोड़ के **वाणिज्यिक पत्र** को 90 दिनों के लिए 7% छूट पर जारी करती है। निवेशक इसे ₹46.5 करोड़ में खरीदते हैं और परिपक्वता पर ₹50 करोड़ प्राप्त करते हैं।

- **वाणिज्यिक बिल (Commercial Bill):**
  - **परिभाषा:** विक्रेता (आहरणकर्ता) द्वारा क्रेता (आहरणकर्ता) को वितरित माल के लिए जारी किए गए अल्पकालिक परक्राम्य लिखत पत्र।
  - ये बिल **30 दिन, 60 दिन या 90 दिन की परिपक्वता अवधि के होते हैं।**

ऋणगत साधन (Borrowing Instruments)

- **कॉल मनी (Call Money):**
  - **परिभाषा:** एक दिन की अवधि के लिए ऋण उधार लिए और दिए जाते है।
  - **उद्देश्य:** बैंकों को अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना।
  - **उदाहरण:** यदि किसी बैंक को नकद आरक्षित आवश्यकता (Cash Reserve Requirement) में कमी का सामना करना पड़ता है, तो वह ₹100 करोड़ को एक दिन के लिए ,माँग मुद्रा के रूप में ऋण लेता है और अगले दिन इसे मामूली ब्याज के साथ चुकाता है। **[UPSC 2020]**
- **नोटिस मनी (Notice Money):**
  - **परिभाषा:** 2 से 14 दिनों के लिए धन ऋण लेना और देना
  - **उद्देश्य:** बैंकों को अल्पकालिक तरलता असंतुलन का प्रबंधन करने में मदद करना
  - **उदाहरण:** एक बैंक तत्काल दायित्वों को पूरा करने के लिए ₹25 करोड़ सात दिनों के लिए ऋण लेता है और अधिशेष प्राप्त होने पर इसे चुका देता है।
- **सावधि मुद्रा (Term Money): 14 दिनों से अधिक समय के लिए** धन ऋण देने और लेने के लिए।
- **संपार्श्विक ऋण एवं ऋण दायित्व (Collateralized Borrowing and Lending Obligation-CBLO):**
  - **परिभाषा:** क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) द्वारा शुरू किया गया उपकरण, उन संस्थाओं के लिए अल्पकालिक ऋण और ऋण की सुविधा प्रदान करता है, जो कॉल मनी मार्केट तक पहुँचने में असमर्थ हैं।
- **इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ** हैं:
  - **संपार्श्विक आधारित**: ऋणकर्ता धन प्राप्त करने के लिए कोलेटरल के रूप में सरकारी बॉण्ड जैसी प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हैं।
  - बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियों के लिए खुला है।
  - RBI द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। **[UPSC 2024]**
  - **अंतर-निगम जमा बाजार (Inter-Corporate Deposit Market):** यह एक निगम द्वारा दूसरे निगम को दिया जाने वाला असुरक्षित ऋण है।

पूँजी बाजार (CAPITAL MARKET):

इसका तात्पर्य **1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता अवधि** वाले फंड के बाजार से है; इसमें **इक्विटी (शेयर) बाजार** और **ऋण (बॉण्ड) बाजार** शामिल हैं। RBI दीर्घकालिक **सरकारी प्रतिभूतियों को नियंत्रित करता है** जबकि **दीर्घकालिक निगम ऋण बाजार भारतीय प्रतिभूति विनिमय और बोर्ड (SEBI)** के दायरे **में** आता है। **[UPSC 2023]**

प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार

प्राथमिक बाजार	द्वितीयक बाजार
• जारीकर्ता पहली बार निवेशकों को प्रतिभूतियाँ जारी करके पूँजी जुटाते हैं।	• यह केवल पहले से जारी प्रतिभूतियों में ही व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
• वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण करता है।	• परिसंपत्तियों को विपणन योग्य बनाता है।
• यह पूँजी निर्माण को सीधे तौर पर बढ़ावा देता है - क्योंकि धन का प्रवाह सीधे बचतकर्ताओं से निवेशकों की ओर होता है।	• शेयरों की तरलता बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से पूँजी निर्माण को बढ़ावा देता है।
• यहाँ केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है, प्रतिभूतियों को यहाँ बेचा नहीं जा सकता।	• यहाँ खरीद-फरोख्त दोनों होती है।
• कीमतें कंपनी द्वारा तय और निर्धारित की जाती हैं।	• कीमतें प्रतिभूति की माँग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती हैं।
• इसका कोई निश्चित भौगोलिक स्थान नहीं होता है।	• विशिष्ट स्थानों पर स्थित होते हैं।

प्राथमिक बाजार में पूँजी जुटाने के तरीके

- **सरकारी निर्गम (Public Issue)**: **सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है,** पूँजी जुटाने का सबसे व्यापक आधार वाला और सबसे प्रतिष्ठित तरीका है।
- **अधिकार निर्गम (Rights Issue)**: किसी कंपनी के **मौजूदा शेयरधारकों से पूँजी जुटाना-** यह अधिमान्य प्रकार का निर्गम है जो केवल जनता की एक निश्चित श्रेणी तक ही सीमित होता है।
- **निजी प्लेसमेंट (Private Placement): जब कोई कंपनी निवेशकों के एक विशेष समूह (संख्या में 49 से अधिक नहीं**) को शेयर और परिवर्तनीय प्रतिभूतियों जैसी वित्तीय प्रतिभूतियाँ जारी करती है।

अधिमान्य आवंटन (Preferential Allotment): जब एक सूचीबद्ध कंपनी (Listed Company) एक चुनिंदा समूह (जो संस्थान या प्रमोटर हो सकते हैं) को एक निश्चित मूल्य पर प्रतिभूतियाँ जारी करती है।

अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (Qualified Institutional Placement): एक सूचीबद्ध कंपनी योग्य संस्थागत खरीदारों को जारी कर सकती है: इक्विटी शेयर, पूर्ण और आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर या कोई भी प्रतिभूति (वारंट के अलावा) जो इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो।

Search On TG: @apna_pdf

पूँजी के विभिन्न प्रकार

- **अधिकृत पूँजी (Authorised Capital):** यह शेयरों की वह अधिकतम संख्या है जिसे किसी कंपनी को कानूनी तौर पर जारी करने की अनुमति है।
- **निर्गमित पूँजी (Issued Capital):** वे शेयर जो वास्तव में कंपनी द्वारा शेयरधारकों को जारी किए गए हैं।
- **अंशदान पूँजी (Subscribed Capital):** अधिकृत पूँजी का वह हिस्सा जिसे संभावित शेयरधारक कंपनी के खजाने से खरीदने के लिए सहमत हुए हैं।
- **चुकता पूँजी (Paid-up Capital):** अंशदान पूँजी का वह भाग जिसके लिए कंपनी ने सब्सक्राइबर्स से भुगतान प्राप्त किया है।

पूँजी बाजार के साधन (Instruments of Capital Market)

आधार	ऋण	हिस्सेदारी
आर्थिक	ऋण में निवेश करना। उदाहरण - बॉण्ड, डिबेंचर।	कंपनी के शेयरों में निवेश करना। उदाहरण- शेयर
स्वामित्व	नहीं, वे कंपनी के लेनदार हैं।	हाँ, उनके पास स्वामित्व का अधिकार होता है।
जोखिम	कम जोखिम	उच्च जोखिम
वापसी का प्रकार	ब्याज का भुगतान करना।	शेयर लाभांश
वापसी की प्रकृति	निश्चित और नियमित	अनियमित (कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर)
बाजार	ऋण बाजार	पूँजी बाजार
परिसमापन के दौरान दावा	पहला दावा	अंतिम दावा
कर लाभ	ब्याज पर कर छूट होती है।	लाभांश पर कर से छूट नहीं मिलती।
पूँजीगत लाभ कर	इक्विटी की बिक्री पर सीजीटी लगाया जाता है।	ऋणों के पुनर्भुगतान पर सीजीटी नहीं लगता है।
परिवर्तनीयता	ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है।	इक्विटी को ऋण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
आकर्षक	मंदी के दौर में	तेजी के दौर में

ऋण बाजार के प्रमुख साधन (DEBT MARKET INSTRUMENT)

बॉण्ड

यह एक प्रकार का ऋण है जो किसी विशिष्ट भौतिक परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूत होता है; डिबेंचर की तुलना में इसकी ब्याज दरें कम होती हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं:

ब्याज दर संरचना के आधार पर (Based on Interest Rate Structure)

- **निश्चित दर बॉण्ड (Fixed Rate Bonds)**: ये ऐसे बॉण्ड हैं जिन पर कूपन दर बॉण्ड के पूरे जीवन काल (अर्थात परिपक्वता तक) के लिए निश्चित होती है।
- **फ्लोटिंग दर बॉण्ड (Floating Rate Bonds):** इसमें एक परिवर्तनीय कूपन दर होती है जिसे पूर्व-घोषित अंतराल पर (जैसे, हर छह महीने या एक वर्ष में) बदला जाता है।
- **जीरो कूपन बॉण्ड (Zero Coupon Bonds):** बट्टे पर बेचे जाते हैं और अंकित मूल्य पर पुनर्खरीद किए जाते हैं जिससे परिपक्वता पर लाभ मिलता है। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। **[UPSC 2020]**
- **ऋणात्मक प्रतिफल बॉण्ड (Negative Yield Bonds):** ये ऋण उपकरण हैं जो निवेशक को बॉण्ड के खरीद मूल्य से कम परिपक्वता राशि का भुगतान करते हैं; वे अनिश्चितता के दौर में निवेश को आकर्षित करते हैं, क्योंकि निवेशक अपनी पूँजी को भारी गिरावट से बचाने की कोशिश करते हैं।
- **परिवर्तनीय बॉण्ड (Convertible bonds)**: यह एक प्रकार की हाइब्रिड ऋण प्रतिभूति (hybrid debt security) है जो बॉण्डधारकों को अपने बॉण्ड को जारीकर्ता कंपनी के पूर्व निर्धारित संख्या में इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने का विकल्प देता है। **[UPSC 2022]**
  - **दोहरा लाभ (Dual Benefit):** नियमित बॉण्ड की तरह निश्चित ब्याज और इक्विटी वृद्धि की संभावना प्रदान करता है।
  - **परिवर्तन विकल्प (Conversion Option):** पूर्व-निर्धारित कीमत और समय पर शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है।
  - **कम ब्याज दरें (Lower Interest Rates):** इक्विटी में परिवर्तन के विकल्प के कारण नियमित बॉण्ड की तुलना में आमतौर पर कूपन दरें कम होती हैं।
  - **निवेशक अपील (Investor Appeal):** स्थिर आय चाहने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक है, कंपनी की इक्विटी वृद्धि में भाग लेने का अवसर मिलता है। महँगाई बढ़ने पर बॉण्डधारकों को कीमतों के साथ समायोजन करने का भी अवसर मिलता है।
- **विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (Foreign Currency Convertible Bonds)** ये भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए बॉण्ड हैं, जो निश्चित ब्याज भुगतान प्रदान करते हैं और पूर्व-निर्धारित कीमत पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तित होने का विकल्प देते हैं। ये बॉण्ड निवेशकों को नियमित आय और शेयरों में परिवर्तन के माध्यम से पूँजी लाभ की संभावना प्रदान करते हैं। जारी करने वाली कंपनी विदेशी मुद्रा में पूँजी जुटाने का लाभ उठाती है जबकि निवेशकों को कंपनी के अच्छे प्रदर्शन की स्थिति में इक्विटी वृद्धि का लाभ मिलता है।

परिपक्वता के आधार पर (Based on Maturity)

- **स्थायी बॉण्ड/कंसोल बॉण्ड (Perpetual Bonds/Consol Bonds):** जारीकर्ता को खरीदार को मूल राशि वापस नहीं करनी पड़ती है। इस प्रकार के निवेश की कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है और ग्राहकों को स्थायी रूप से स्थिर ब्याज भुगतान का लाभ मिलता है।
- **धारक बॉण्ड (Bearer Bonds):** यह एक निश्चित आय वाली प्रतिभूति है जिसका स्वामित्व पंजीकृत स्वामी के बजाय धारक या वाहक के पास होता है।

Search On TG: @apna_pdf

मुद्रास्फीति संरक्षण पर आधारित (Based on Inflation Protection)

- **पूँजी सूचकांकित बॉण्ड (Capital Indexed Bonds)**: ये ऐसे बॉण्ड हैं जिनका मूलधन मुद्रास्फीति के स्वीकृत सूचकांक से जुड़ा होता है ताकि निवेशकों के मूलधन को मुद्रास्फीति से बचाया जा सके।
- **मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्ड (Inflation Indexed Bonds, IIBs)**- ऐसे बॉण्ड जिनमें कूपन प्रवाह (ब्याज) और मूल राशि दोनों को मुद्रास्फीति के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है। सरकार IIB के माध्यम से अपने ऋण पर कूपन दरों को कम कर सकती है; IIB पर ब्याज भुगतान और पूँजीगत लाभ पर मौजूदा कर प्रावधान लागू होंगे। **[UPSC 2022]**
- **कॉल/पुट ऑप्शन वाले बॉण्ड (Bonds with Call/ Put Options):** बॉण्ड को वैकल्पिकता की विशेषताओं के साथ भी जारी किया जा सकता है। इसमें जारीकर्ता के पास बॉण्ड की परिपक्वता (Maturity) से पहले इसे वापस खरीदने का विकल्प (Call option) होता है या निवेशक के पास परिपक्वता से पहले बॉण्ड को जारीकर्ता को बेचने का विकल्प (Put option) होता है।

सरकारी बॉण्ड (Government Bond)

- **सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (Sovereign Gold Bonds):** ये सोने के ग्राम में मूल्यवर्गित सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं; निवेशक नकद में निर्गम मूल्य का भुगतान करते हैं और बॉण्ड को परिपक्वता पर नकद में भुनाया जाता है; **पात्रता:** केवल भारतीय निवासी संस्थाएँ जैसे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थाएँ शामिल हैं।
- **उदय बॉण्ड (Uday Bonds)**: ये डिस्कॉम के ऋण बोझ को कम करने के लिए होते हैं जिसमें राज्य सरकार डिस्कॉम के ऋण दायित्वों का कुछ प्रतिशत वहन करती हैं। सरकार बैंकों को भुगतान करने हेतु धन जुटाने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को उदय बॉण्ड जारी करती है।
- **मुनि बॉण्ड (Muni Bonds):** ये बॉण्ड शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा विभिन्न पूँजी-प्रधान बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के विकास के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। उदाहरण- पहली बार बेंगलुरु नगर निगम ने नगरपालिका बॉण्ड जारी किए।
- **ग्रीन बॉण्ड (Green Bonds):** ऐसे बॉण्ड से प्राप्त राशि का उपयोग विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जलवायु परिवर्तन, जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन को कम करने आदि जैसे ग्रीन प्रोजेक्ट के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। विश्व का पहला ग्रीन बॉण्ड 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, वहीं, नवंबर 2008 में विश्व बैंक द्वारा संस्थागत निवेशकों के लिए पहला ग्रीन बॉण्ड जारी किया गया। भारत का पहला ग्रीन बॉण्ड गाज़ियाबाद नगर निगम ने जारी किया था, वहीं वर्ष 2015 में सौर, पवन, जलविद्युत, बायोमास, और विद्युत् जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ग्रीन बॉण्ड जारी करने वाला यस बैंक भारत का पहला बैंक था। ब्रिक्स-न्यू डेवलपमेंट बैंक ने युआन-ग्रीन बॉण्ड जारी किए (2016)। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संगठन (IREDA) ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज (2018) में भारत का पहला मसाला ग्रीन बॉण्ड लॉन्च किया।

अंतरराष्ट्रीय बॉण्ड

- **मसाला बॉण्ड (Masala bonds):**
  - **परिभाषा:** भारतीय रुपये में विदेशी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बॉण्ड, जो मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत में बुनियादी ढाँचा या विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - विदेशी कंपनियों या संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन भारतीय रुपये में मूल्याँकित होते हैं।
  - अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को बिना मुद्रा जोखिम के भारत में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं।
  - आमतौर पर भारतीय बुनियादी ढाँचा और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- **मुद्रा जोखिम:**
  - निवेशक भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के जोखिम से बचते हैं, लेकिन जारीकर्ता को भारतीय रुपये में बॉण्ड का भुगतान करने का जोखिम होता है, जो विनिमय दर के प्रतिकूल परिवर्तन होने पर महँगा हो सकता है।
- **पांडा बॉण्ड (Panda Bonds):** विदेशी संस्था द्वारा चीनी मुख्यभूमि बाजार में जारी किए गए युआन-मूल्यवर्गित बॉण्ड। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने वर्ष 2005 में पांडा बॉण्ड जारी किए।
- **उरीदाशी मसाला बॉण्ड (Uridashi Masala Bonds):** जापान में जारी किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का मसाला बॉण्ड जिसे जापानी खुदरा निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है।
- **महाराजा बॉण्ड (Maharaja Bonds):** भारत के घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) द्वारा जारी रुपया-मूल्यवर्गित बॉण्ड।

ETF बॉण्ड (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड बॉण्ड)

- **परिभाषा:** ETF बॉण्ड एक प्रकार का एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है, जो मुख्य रूप से बॉण्ड या निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश करता है। यह निवेशकों को एक ही लेन-देन के माध्यम से बॉण्ड का पोर्टफोलियो खरीदने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे शेयर खरीदने की प्रक्रिया। उदाहरण: भारत-ETF, जो CPSE (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों) के AAA रेटेड बॉण्ड में निवेश करता है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **विविधीकरण:** एक विविधीकृत बॉण्ड पोर्टफोलियो में निवेश की सुविधा प्रदान करता है जिससे व्यक्तिगत बॉण्ड के जोखिम को कम किया जा सकता है।
  - **तरलता:** शेयर बाजारों में कारोबार किया जाता है, जिससे यह पारंपरिक बॉण्ड की तुलना में अधिक तरल होते हैं।
  - **निश्चित आय:** मुख्य रूप से सरकारी, निगम या नगरपालिका बॉण्ड में निवेश करते हैं, जो नियमित आय के लिए ब्याज भुगतान प्रदान करते हैं।
  - **कम लागत:** सक्रिय रूप से प्रबंधित बॉण्ड फंड्स की तुलना में प्रबंधन शुल्क आमतौर पर कम होता है।
- **निवेशक अपील:** ETF निवेशकों को बॉण्ड बाजार में निवेश करने का एक सुविधाजनक और किफायती तरीका प्रदान करते हैं, साथ ही स्टॉक्स की तरह ट्रेडिंग का अतिरिक्त लोच भी देते हैं।

Search On TG: @apna_pdf

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme)

[UPSC 2016]

यह योजना नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। यह स्वर्ण जमा करने वालों को उनके धातु खातों पर ब्याज कमाने की सुविधा देती है। एक बार जब स्वर्ण धातु खाते में जमा हो जाता है, तो उस पर ब्याज मिलना शुरू हो जाता है।

उद्देश्य:

- भारतीय घरों में पड़े निष्क्रिय स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना।
- स्वर्ण के आयात पर भारत की निर्भरता कम करना।
- RBI को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इस योजना को लागू करने के लिए पात्र हैं। इस योजना का उद्देश्य स्वर्ण और आभूषण क्षेत्र में FDI को बढ़ावा देना नहीं है।

डिबेंचर (Debentures)

- एक प्रकार का ऋण उपकरण जो भौतिक संपत्तियों या संपार्श्विक द्वारा सुरक्षित नहीं होता है। यह केवल जारीकर्ता की सामान्य साख और प्रतिष्ठा पर आधारित होता है।
  - **परिवर्तनीय (Convertible):** बॉण्ड जो एक विशिष्ट समयावधि के बाद जारीकर्ता निगम के इक्विटी शेयरों में बदल सकते हैं।
  - **गैर-परिवर्तनीय (Non-Convertible):** नियमित डिबेंचर जिन्हें जारीकर्ता निगम की इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

बॉण्ड मूल्य, बॉण्ड यील्ड और ब्याज दर के बीच संबंध

- **बॉण्ड यील्ड/प्राप्ति (Bond Yields):** बॉण्ड की यील्ड उस पर मिलने वाले रिटर्न की प्रभावी दर है। सरल शब्दों में कहें तो बॉण्ड यील्ड निवेशक द्वारा निवेश की गई पूँजी पर मिलने वाला रिटर्न है। बॉण्ड यील्ड बॉण्ड की कीमतों से अलग होती है- दोनों में विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे बॉण्ड की कीमत बढ़ती है, उसकी यील्ड घटती जाती है। इसके विपरीत, जैसे-जैसे यील्ड बढ़ती है, बॉण्ड की कीमत घटती जाती है।
- **बॉण्ड यील्ड** और **ब्याज दरों** में **विपरीत संबंध होता है**। इसका अर्थ है कि जैसे-जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, बॉण्ड की कीमतें घटती हैं और जैसे-जैसे ब्याज दरें घटती हैं, बॉण्ड की कीमतें बढ़ती हैं।
  - क्योंकि मौजूदा बॉण्ड अब बाजार की ब्याज दर की तुलना में कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं, उन्हें छूट पर बेचना पड़ता है ताकि नए बॉण्ड्स द्वारा दी जाने वाली यील्ड से मेल खा सके। यदि किसी बॉण्ड ने मूल रूप से 5% का ब्याज दिया और वर्तमान ब्याज दर 6% है, तो उस बॉण्ड की कीमत घटानी होगी ताकि वह नई बॉण्ड्स के समान यील्ड प्रदान कर सके।
  - यह मूल्य समायोजन यह सुनिश्चित करता है कि मौजूदा बॉण्ड की प्रभावी यील्ड, बाजार की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप हो।
  - इसलिए, **बॉण्ड की कीमत ब्याज दर के विपरीत अनुपात में होती है** और **बॉण्ड यील्ड ब्याज दर के सीधे अनुपात में होती है।**

कुछ प्रमुख अवधारणाएँ

- **भारतीय सरकारी बॉण्ड की यील्ड निम्नलिखित से प्रभावित होती है:**

[UPSC 2021]

  - अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कार्रवाई भारत में आने वाले निवेश को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि से भारत में सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) की माँग में कमी आएगी और इस प्रकार इसकी यील्ड प्रभावित होगी।
  - RBI की कार्रवाई सीधे तौर पर बॉण्ड यील्ड को प्रभावित करती है, क्योंकि यह सीधे तौर पर तरलता से संबंधित है।
  - किसी अर्थव्यवस्था की क्रय क्षमता सीधे मुद्रास्फीति से संबंधित होती है। इसलिए अल्पावधि दरों में कोई भी बदलाव सरकारी प्रतिभूतियों की माँग और कीमत को प्रभावित करेगा और इस तरह यील्ड या प्राप्ति को प्रभावित करेगा।
- **यील्ड वक्र (Yield Curve):** विभिन्न समयावधियों में बॉण्ड्स (समान क्रेडिट रेटिंग वाले) के लिए यील्ड का ग्राफिकल निरूपण।
- **यील्ड व्युत्क्रमण वक्र/ऋणात्मक यील्ड वक्र (Yield Inversion Curve/ Negative Yield Curve):** व्युत्क्रमित यील्ड वक्र एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें दीर्घकालिक ऋण उपकरणों में समान क्रेडिट गुणवत्ता वाले अल्पकालिक ऋण उपकरणों की तुलना में कम प्रतिफल होता है।
- ऋणात्मक यील्ड वक्र तब बनती है जब दीर्घकालिक बॉण्ड यील्ड अल्पकालिक यील्ड से कम होती है, जो अक्सर आर्थिक मंदी या गिरावट का संकेत देती है।
- इसके कारणों में कमजोर आर्थिक विकास की अपेक्षाएँ, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती, कम मुद्रास्फीति, या सुरक्षा की ओर भागने की प्रवृत्ति शामिल होती है। अनिश्चितता या वित्तीय अस्थिरता के समय दीर्घकालिक बॉण्ड की अधिक माँग उनके दाम बढ़ा देती है और यील्ड घटा देती है।
- यह व्युत्क्रमण आमतौर पर अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर निवेशकों के निराशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इक्विटी बाजार के प्रमुख साधन

- **शेयर/इक्विटी:** शेयर किसी निगम या वित्तीय परिसंपत्ति में स्वामित्व की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका स्वामित्व निवेशकों के पास होता है, जो इन इकाइयों के बदले में पूँजी का आदान-प्रदान करते हैं।
- **स्टॉक:** किसी निगम द्वारा शेयरों की बिक्री के माध्यम से जुटाई गई पूँजी।

शेयर प्रकार: सामान्य शेयर तथा अधिमान्य/वरीयता प्राप्त शेयर

विशेषता	सामान्य शेयर	अधिमान्य/वरीयता प्राप्त शेयर
मतदान अधिकार	हाँ	मतदान का अधिकार हो भी सकता है और नहीं भी
लाभांश अधिकार	परिवर्तनीय लाभांश	निश्चित लाभांश दर
परिसंपत्तियों पर दावा	अवशिष्ट दावा	सामान्य शेयरधारकों पर प्राथमिकता का दावा
जोखिम	उच्च जोखिम, उच्च संभावित प्रतिफल	कम जोखिम, कम संभावित प्रतिफल

भारतीय पूँजी बाजार

- स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange): एक भौतिक रूप से विद्यमान संस्थागत व्यवस्था है जहाँ प्रतिभूति स्टॉक मार्केट के उपकरणों (शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर, प्रतिभूतियाँ, आदि) का कारोबार होता है। जैसे बीएसई, एनएसई।
- एंजल इन्वेस्टर (Angel Investor): यह एक निवेशक है जो उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बदले में वे व्यवसाय में शेयर रखना या ऋण के रूप में पूँजी प्रदान करना पसंद कर सकते हैं। ये निवेशक तकनीकी सलाह देते हैं। अपने निवेश से भारी मुनाफा कमाने के बजाय व्यवसाय को सफल बनाने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं

Search On TG: @apna_pdf

- वेंचर कैपिटलिस्ट (Venture Capitalist) [UPSC 2014]: यह एक निजी इक्विटी निवेशक है जो इक्विटी हिस्सेदारी के बदले में उच्च विकास क्षमता प्रदर्शित करने वाली कंपनियों को पूँजी प्रदान करता है। वे एंजेल निवेशकों के विपरीत व्यक्ति के बजाय कंपनी के लाभ में रुचि रखते हैं

डेरिवेटिव (DERIVATIVES)

डेरिवेटिव एक वित्तीय अनुबंध है जिसका मूल्य एक अंतर्निहित परिसंपत्ति, सूचकांक या दर के प्रदर्शन से प्राप्त होता है। अंतर्निहित परिसंपत्ति कुछ भी हो सकती है जैसे स्टॉक्स, बॉण्ड्स, कमोडिटीज, मुद्राएँ, या ब्याज दरें। डेरिवेटिव का मुख्य रूप से उपयोग हेजिंग (जोखिम को कम करने) या सट्टेबाजी (बाजार के उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने) के लिए किया जाता है।

डेरिवेटिव के प्रकार

- **फॉरवर्ड अनुबंध**
  - दो पक्षों के बीच एक निजी समझौता जिसमें भविष्य की किसी तिथि पर आज तय कीमत पर किसी परिसंपत्ति को खरीदा या बेचा जाता है।
  - **विशेषताएँ:**
    - अनुकूलित अनुबंध, मानकीकृत नहीं।
    - एक्सचेंजों पर कारोबार नहीं किया जाता; OTC (ओवर-द-काउंटर)।
    - प्रतिपक्ष जोखिम के कारण डिफॉल्ट का जोखिम
- **वायदा अनुबंध**
  - किसी परिसंपत्ति को किसी निर्दिष्ट भविष्य की तिथि पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने के लिए एक मानकीकृत समझौता।
  - **विशेषताएँ:**
    - एक्सचेंजों (जैसे एनएसई, एमसीएक्स) पर कारोबार किया जाता है।
    - क्लियरिंगहाउस गारंटी के कारण कोई डिफ़ॉल्ट जोखिम नहीं।
    - उच्च तरलता और मानकीकृत शर्तें।
    - हेजिंग या सट्टेबाजी के लिए उपयोग किया जाता है।
  - **वायदा का उदाहरण**
    - **परिदृश्य:** मान लीजिए कि एक व्यापारी का मानना है कि स्टॉक एक्स (वर्तमान में ₹100) की कीमत अगले तीन महीनों में बढ़ जाएगी।
    - **व्यापारी की स्थिति:** व्यापारी 3 महीने में अनुबंध की समाप्ति के साथ स्टॉक एक्स के 100 शेयर ₹100 प्रति शेयर पर खरीदने के लिए वायदा अनुबंध में प्रवेश करता है।
    - **परिणाम 1 (मूल्य वृद्धि):** यदि स्टॉक एक्स की कीमत समाप्ति पर ₹120 तक बढ़ जाती है, तो व्यापारी ₹100 (अनुबंध के अनुसार) पर खरीद सकता है और ₹120 पर बेच सकता है, जिससे उसे प्रति शेयर ₹20 का लाभ होगा।
    - **परिणाम 2 (कीमत में कमी):** यदि स्टॉक एक्स समाप्ति पर ₹80 तक गिर जाता है, तो व्यापारी को अभी भी ₹100 (अनुबंध के अनुसार) पर खरीदना होगा और प्रति शेयर ₹20 का नुकसान उठाना पड़ेगा।
    - वायदा में, दोनों पक्षों को समाप्ति पर अनुबंध का निपटान करने के लिए बाध्य किया जाता है, चाहे बाजार मूल्य अनुकूल हो या नहीं।
- **विकल्प कॉन्ट्रैक्ट्स (Options Contracts):**
  - एक ऐसा अनुबंध जो धारक (होल्डर) को यह अधिकार देता है (लेकिन बाध्यता नहीं) कि वह एक मूलभूत संपत्ति (underlying asset) को पहले से निर्धारित कीमत पर, एक निश्चित समय सीमा के भीतर खरीद (कॉल ऑप्शन) या बेच (पुट ऑप्शन) सके।
- **विशेषताएँ (Characteristics):**
  - **कॉल ऑप्शन (Call Option):** संपत्ति को खरीदने का अधिकार।
  - **पुट ऑप्शन (Put Option):** संपत्ति को बेचने का अधिकार।
  - **विक्रेता (Seller): विकल्प** का विक्रेता अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य होता है, यदि खरीदार (होल्डर) ऑप्शन का उपयोग करने का निर्णय लेता है।
  - **ट्रेडिंग स्थान:** एक्सचेंज पर या ओटीसी (Over-the-Counter) बाजार में व्यापार होता है।
- **कॉल ऑप्शन का उदाहरण**
  - **परिदृश्य:** मान लें कि एक व्यापारी को विश्वास है कि स्टॉक Y (वर्तमान में ₹150) की कीमत अगले महीने में बढ़ जाएगी।
  - **व्यापारी की स्थिति:** व्यापारी ₹160 पर स्टॉक Y के 100 शेयर खरीदने के लिए कॉल ऑप्शन खरीदता है, जिसमें ₹10 प्रति शेयर का प्रीमियम देना होता है। अनुबंध एक महीने में समाप्त हो जाता है।
  - **परिणाम 1 (कीमत में वृद्धि):** यदि स्टॉक Y ₹180 तक बढ़ जाता है, तो व्यापारी ₹160 (स्ट्राइक प्राइस) पर खरीद सकता है, जिससे उसे प्रति शेयर ₹20 का लाभ होगा। ₹10 प्रीमियम घटाने के बाद, शुद्ध लाभ ₹10 प्रति शेयर है।
  - **परिणाम 2 (कीमत में कमी):** यदि स्टॉक Y ₹140 तक गिर जाता है, तो ट्रेडर ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि बाजार मूल्य स्ट्राइक मूल्य से कम है। हानि ₹10 प्रति शेयर भुगतान किए गए प्रीमियम तक सीमित है।
  - **पुट ऑप्शन का उदाहरण**
    - **परिदृश्य:** मान लें कि व्यापारी का मानना है कि स्टॉक Z (वर्तमान में ₹200) अगले महीने में गिर जाएगा।
    - **व्यापारी की स्थिति:** व्यापारी स्टॉक Z के 100 शेयरों को ₹190 पर बेचने के लिए पुट ऑप्शन खरीदता है, और प्रति शेयर ₹12 का प्रीमियम अदा करता है। ऑप्शन एक महीने में समाप्त हो जाता है।
    - **परिणाम 1 (कीमत में कमी):** यदि स्टॉक Z की कीमत ₹160 तक गिर जाती है, तो ट्रेडर ₹190 (स्ट्राइक प्राइस) पर बेच सकता है, जिससे उसे प्रति शेयर ₹30 का लाभ होगा। ₹12 प्रीमियम घटाने के बाद, शुद्ध लाभ ₹18 प्रति शेयर है।
    - **परिणाम 2 (कीमत में वृद्धि):** यदि स्टॉक Z की कीमत ₹210 तक बढ़ जाती है, तो व्यापारी ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है। नुकसान ₹12 प्रीमियम के भुगतान तक सीमित है।
- **स्वैप (Swaps)**
  - डेरिवेटिव अनुबंध जिसमें दो पक्ष नकदी प्रवाह या देनदारियों का आदान-प्रदान करते हैं, जो आमतौर पर ब्याज दरों, मुद्राओं या कमोडिटीज़ से संबंधित होते हैं।

Search On TG: @apna_pdf

- **ब्याज दर स्वैप (Interest Rate Swap):** निश्चित ब्याज दर भुगतान को परिवर्तनीय (फ्लोटिंग) ब्याज दर भुगतान के साथ अदला-बदली करना।
  - **मुद्रा स्वैप (Currency Swap):** अलग-अलग मुद्राओं में नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान।
  - स्वैप मुख्य रूप से ओटीसी (ओवर-द-काउंटर) बाजार में व्यापार किए जाते हैं।
- **वॉरंट्स (Warrants)**
  - लंबी अवधि के विकल्प (1 वर्ष से अधिक की समाप्ति तिथि वाले) जो कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं और धारक को एक निर्दिष्ट मूल्य पर कंपनी का स्टॉक समाप्ति तिथि से पहले खरीदने का अधिकार देते हैं।
  - **विशेषताएँ:**
    - आमतौर पर, कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं।
    - अक्सर कंपनी के लिए पूँजी जुटाने के उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं।

डेरिवेटिव्स का उपयोग

- **हेजिंग (Hedging):**
  - हेजिंग का उपयोग अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में उतार-चढ़ाव से बचाव के लिए किया जाता है।
  - **उदाहरण:** एक किसान फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग अपनी उपज की कीमत तय करने के लिए कर सकता है ताकि वह कीमत गिरने के जोखिम से सुरक्षित रहे।
- **सट्टेबाजी (Speculation):**
  - व्यापारी डेरिवेटिव्स का उपयोग अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में होने वाले परिवर्तनों पर लाभ कमाने के लिए करते हैं।
  - **उदाहरण:** एक व्यापारी स्टॉक की कीमत बढ़ने की उम्मीद में कॉल ऑप्शन खरीद सकता है।
- **आर्बिट्रेज (Arbitrage):**
  - डेरिवेटिव्स का उपयोग आर्बिट्रेज के लिए किया जा सकता है जिसमें व्यापारी एक ही परिसंपत्ति की अलग-अलग बाजारों में कीमत के अंतर का लाभ उठाते हैं।

भारत में डेरिवेटिव्स

भारत में, डेरिवेटिव्स का व्यापार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX), और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) जैसे एक्सचेंजों पर होता है।

- **इक्विटी डेरिवेटिव्स:** स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शन्स और इंडेक्स फ्यूचर्स (जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी)।
- **कमोडिटी डेरिवेटिव्स:** सोना, चाँदी, कच्चा तेल और कृषि उत्पादों जैसे कमोडिटीज पर फ्यूचर्स अनुबंध।
- **मुद्रा डेरिवेटिव्स:** डॉलर/रुपया जैसी मुद्राओं पर फ्यूचर्स और विकल्प अनुबंध।

भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग का उदाहरण

- **फ्यूचर्स अनुबंध का उदाहरण:**
  - एक ट्रेडर 18,000 की कीमत पर निफ्टी 50 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है, यह उम्मीद करते हुए कि इंडेक्स बढ़ेगा। अगर एक्सपायरी तक इंडेक्स 18,500 तक बढ़ता है, तो ट्रेडर को लाभ होगा। अगर यह गिरता है, तो ट्रेडर को नुकसान होगा।
- **विकल्प अनुबंध का उदाहरण:**
  - एक ट्रेडर रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर 2,000 रुपये के स्ट्राइक प्राइस के साथ एक कॉल ऑप्शन खरीदता है, यह उम्मीद करते हुए कि स्टॉक बढ़ेगा। अगर स्टॉक की कीमत 2,200 रुपये तक बढ़ती है, तो ट्रेडर विकल्प का उपयोग कर मुनाफा कमा सकता है।

नियामक ढाँचा

भारत में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वस्तुओं के लिए, सेबी फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (एफएमसी) के सेबी के साथ विलय के बाद कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार को नियंत्रित करता है।

डेरिवेटिव्स के मुख्य लाभ

- **सुविधा:** डेरिवेटिव्स निवेशकों को कम पूँजी के साथ बड़ी पोजीशन नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **जोखिम प्रबंधन:** निवेशक मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए डेरिवेटिव्स का उपयोग कर सकते हैं।
- **तरलता:** विनिमय कारोबार डेरिवेटिव्स उच्च तरलता प्रदान करते हैं।

डेरिवेटिव्स के मुख्य जोखिम

- **प्रतिपक्ष जोखिम:** ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव्स में, यह जोखिम होता है कि दूसरा पक्ष भुगतान में चूक कर सकता है।
- **सुविधा जोखिम:** डेरिवेटिव्स मुनाफे को बढ़ाने की सुविधा देते हैं, लेकिन यह नुकसान को भी बढ़ा सकते हैं।
- **बाजार जोखिम:** डेरिवेटिव्स की कीमतें अंतर्निहित परिसंपत्ति के संचलन के आधार पर तेजी से बदल सकती हैं।

कमोडिटी एक्सचेंज (MCX, NCDEX आदि)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) जैसे वस्तु विनिमय विभिन्न वस्तुओं के व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ये विनिमय किसानों, व्यापारियों, निवेशकों और हेजर्स को उनके मूल्य जोखिमों को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। साथ ही, ये बाजार में माँग और आपूर्ति के आधार पर मूल्य खोज का तंत्र भी प्रदान करते हैं।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा वस्तु विनिमय है, जो मुख्य रूप से सोना, चाँदी, ताँबा, जिंक, कच्चा तेल, गेहूँ, सोयाबीन जैसी वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित है:

- **व्यापार किए जाने वाले साधन (Traded Instruments):**
  - **फ्यूचर्स अनुबंध:** यह एक मानकीकृत अनुबंध होता है जिसमें एक निर्धारित मूल्य पर भविष्य में वस्तु खरीदने या बेचने की सहमति होती है।
  - **वैकल्पिक अनुबंध:** यह एक ऐसा अनुबंध है जो किसी वस्तु को एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने/बेचने का अधिकार (लेकिन बाध्यता नहीं) देता है।
- **बाजार प्रतिभागी (Market Participants):**
  - किसान
  - व्यापारी
  - हेजर्स: वे उद्योग जो मूल्य में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं।
  - सट्टेबाज (Speculators)

Search On TG: @apna_pdf

नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX)

यह भारत का एक प्रमुख विनियम है, जो मुख्य रूप से कृषि उत्पादों जैसे गेहूँ, मक्का, दालें और मसालों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मूल्य तय करने (Price Discovery) और जोखिम प्रबंधन (Risk Management) के लिए एक मंच प्रदान करता है।

- **व्यापार में उपयोग आने वाले साधन (Traded Instruments):**
  - **फ्यूचर्स अनुबंध**: विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे ग्वार, सोयाबीन, और चना (काबुली चना) पर।
  - **ऑप्शन्स अनुबंध:** किसानों और व्यापारियों को मूल्य जोखिम से बचाने के लिए।
- **बाजार भागीदारी (Market Participants):**
  - किसान, व्यापारी, प्रोसेसर और निर्यातक
  - हेज फंड और अन्य निवेशक, जो मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने की संभावना तलाशते हैं।

वस्तु विनिमय

- **मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाव**
  - किसान अपने उत्पाद की कीमतों में अस्थिरता से बचने के लिए **वस्तु विनिमय** का उपयोग कर सकते हैं। इससे वे फसल से पहले ही कीमत तय कर सकते हैं और अधिक आपूर्ति या कम माँग के कारण कीमतों में गिरावट से स्वयं को बचा सकते हैं।
  - **उदाहरण:** एक गेहूँ उगाने वाला किसान अच्छी फसल की उम्मीद करता है, लेकिन चिंतित है कि कटाई के समय अधिक आपूर्ति के कारण कीमतें गिर सकती हैं। किसान MCX या NCDEX पर एक फ्यूचर्स अनुबंध में प्रवेश कर सकता है और फसल कटाई से पहले गेहूँ को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का समझौता कर सकता है। इस प्रकार, किसान अपनी लाभप्रदता सुनिश्चित करता है, भले ही बाजार मूल्य गिर जाए।

मूल्य तय करना (Price Discovery)

वस्तु विनिमय किसानों को उनकी फसलों की मौजूदा बाजार कीमत जानने में मदद करते हैं जिससे वे बेहतर योजना बना सकते हैं। ये विनिमय वास्तविक समय की माँग और आपूर्ति की गतिशीलता के आधार पर पारदर्शी, बाजार-चालित कीमतें प्रदान करते हैं।

- **उदाहरण:** एक कपास किसान NCDEX पर कीमतें देख सकता है कि वर्तमान कीमत उसकी फसल बेचने के लिए अनुकूल है या नहीं। यदि कीमत उचित हो, तो वह अपनी फसल तुरंत बेच सकता है या भविष्य में डिलीवरी के लिए अनुबंध कर सकता है।

व्यापक बाजार तक पहुँच
(Access to a Broader Market)

वस्तु विनिमय किसानों को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ते हैं। यह उन्हें स्थानीय बिचौलियों पर निर्भरता से मुक्त करता है और उनकी फसल के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित करता है।

- **उदाहरण:** स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहे बिना एक दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाला किसान MCX या NCDEX पर व्यापार कर सकता है। इससे किसान को अधिक लाभ मार्जिन सुनिश्चित होता है।

फ्यूचर्स अनुबंध के माध्यम से राजस्व प्रबंधन
(Future Contracts to Manage Revenue)

किसान अपने राजस्व का प्रबंधन करने के लिए फ्यूचर्स अनुबंध का उपयोग कर सकते हैं। ये अनुबंध उन्हें भविष्य में उत्पादित होने वाली फसल के लिए एक निश्चित कीमत तय करने की सुविधा देते हैं।

- **उदाहरण**: सोयाबीन उगाने वाला एक किसान छह महीने में डिलीवरी के लिए एक निश्चित मूल्य पर फ्यूचर्स अनुबंध में प्रवेश कर सकता है। अगर इस अवधि में सोयाबीन की कीमत बढ़ती है, तो किसान को उच्च तय कीमत का लाभ मिलता है।

फ्लेक्सिबल हेजिंग के लिए ऑप्शन्स का उपयोग
(Using Options for Flexible Hedging)

- किसान विकल्प अनुबंध का उपयोग करके मूल्य में गिरावट से बचाव के लिए अधिक लचीलापन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे 'पुट ऑप्शन्स' खरीद सकते हैं, जो न्यूनतम बिक्री मूल्य सुनिश्चित करते हैं।
- **उदाहरण:** एक सरसों बीज किसान NCDEX पर एक 'पुट ऑप्शन' खरीद सकता है। अगर सरसों की बाजार कीमत ऑप्शन के स्ट्राइक मूल्य (पहले से तय कीमत) से नीचे गिरती है, तो किसान इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है और अपनी फसल को स्ट्राइक मूल्य पर बेच सकता है जिससे उसे बड़ा नुकसान नहीं होता।

सरकारी प्रतिभूति बाजार
(Government Securities Market)

- **बॉण्ड (Bond):** बॉण्ड एक ऋण उपकरण है जिसमें एक निवेशक किसी इकाई (आमतौर पर कॉरपोरेट या सरकार) को धन ऋण देता है। यह इकाई तय समय के लिए पूर्व-निर्धारित या परिवर्तित ब्याज दर पर धन ऋण लेती है। बॉण्ड का उपयोग निगमों, नगरपालिकाओं और सरकारों द्वारा परियोजनाओं और गतिविधियों हेतु धन जुटाने के लिए किया जाता है। बॉण्ड धारक जारीकर्ता के लेनदार होते हैं। उदाहरण: यूएस ट्रेजरी बॉण्ड, भारत में जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियाँ

सरकारी प्रतिभूति (Government Security: G-Sec)

सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) एक व्यापार योग्य उपकरण है जिसे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है, जो एक ऋण दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। सरकारी प्रतिभूति अल्पकालिक (ट्रेजरी बिल) या दीर्घकालिक (सरकारी बॉण्ड/दिनांकित प्रतिभूतियाँ) हो सकती है। ये प्रतिभूतियाँ जोखिम-मुक्त मानी जाती हैं और इन्हें "गिल्ट-एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स" भी कहा जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकार
(Types of Government Securities)

1. **ट्रेजरी बिल (Treasury Bills - T-bills)**
   - भारत सरकार द्वारा जारी शॉर्ट-टर्म प्रतिभूतियाँ; अवधि: 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन।
   - ट्रेजरी बिल शून्य-कूपन उपकरण होते हैं, जो छूट पर जारी किए जाते हैं और परिपक्वता पर उनके फेस वैल्यू पर उन्हें भुनाए जाते हैं।
   - **उदाहरण:** ₹100 का ट्रेजरी-बिल ₹98.20 पर जारी किया जा सकता है और परिपक्वता पर ₹100 पर भुनाया जाता है जिससे ₹1.80 का रिटर्न उत्पन्न होता है।

Search On TG: @apna_pdf

2. **नकदी प्रबंधन बिल (Cash Management Bills - CMBs)**
   - 2010 में शुरू किए गए, नकदी प्रबंधन बिल 91 दिनों से कम की अवधि वाले अल्पकालिक उपकरण हैं।
   - इनका उपयोग सरकार द्वारा अस्थायी नकदी प्रवाह असंतुलन प्रबंधन के लिए किया जाता है।

3. **दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ (Dated G-Secs)**
   - दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ, जिनमें तय या परिवर्तित कूपन दर होती है, जो मूल मूल्य पर अर्धवार्षिक रूप से भुगतान की जाती है।
   - अवधि: 5 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक।
   - उदाहरण: 7.17% सरकारी प्रतिभूतियों-2028 में 7.17% कूपन दर है और यह 8 जनवरी, 2028 को परिपक्व होगी।

दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकार (Types of Dated Government Securities)

1. **निश्चित दर बॉण्ड्स (Fixed Rate Bonds)**
   - इन बॉण्ड्स में पूरी अवधि के लिए निश्चित कूपन दर होती है। उदाहरण: 8.24% सरकारी प्रतिभूतियों-2018, जिसे 2008 में जारी किया गया था। इसमें 4.12% अर्धवार्षिक कूपन भुगतान किया गया।

2. **परिवर्तित दर बॉण्ड्स (Floating Rate Bonds - FRBs)**
   - इन बॉण्ड्स की कूपन दर परिवर्तनीय होती है और इसे एक अंतर्निहित सूचकांक (जैसे ट्रेजरी बिल दर) के आधार पर नियमित अंतराल पर रीसेट किया जाता है।
   - उदाहरण: FRB 2024, जिसमें दर 182-दिन के T-बिल नीलामी के अंतिम तीन यील्ड पर आधारित है।

3. **जीरो कूपन बॉण्ड्स (Zero Coupon Bonds)**
   - इन बॉण्ड्स में कोई आवधिक कूपन भुगतान नहीं होता। इन्हें छूट पर जारी किया जाता है और मूल मूल्य पर परिपक्वता पर भुनाया जाता है। विशेष जानकारी: भारत सरकार द्वारा अंतिम बार 1996 में जारी किया गया।

4. **पूंजी सूचकांक बॉण्ड (Capital Indexed Bonds)**
   - इन बॉण्ड्स में मूलधन को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता है जिससे निवेशकों को मुद्रास्फीति के जोखिम से बचाया जाता है। विशेष जानकारी: पहला ऐसा बॉण्ड 1997 में जारी किया गया।

5. **मुद्रास्फीति सूचकांक बॉण्ड (Inflation Indexed Bonds - IIBs)**
   - इन बॉण्ड्स में कूपन भुगतान और मूलधन दोनों को मुद्रास्फीति सूचकांकों (जैसे WPI या CPI) से जोड़ा जाता है। विशेष जानकारी: भारत सरकार ने इसे 2013 में जारी किया।

6. **कॉल/पुट ऑप्शन्स वाले बॉण्ड्स (Bonds with Call/Put Options)**
   - इन बॉण्ड्स में जारीकर्ता को कॉल ऑप्शन (बॉण्ड पहले खरीदने का अधिकार) और निवेशक को पुट ऑप्शन (बॉण्ड पहले बेचने का अधिकार) दिया जाता है। उदाहरण: 6.72% सरकारी प्रभूतियों (2012) में कॉल और पुट दोनों ऑप्शन्स थे और ऐसा पहली बार था।

7. **विशेष प्रतिभूतियाँ (Special Securities)**
   - ये प्रतिभूतियाँ तेल विपणन और उर्वरक कंपनियों जैसी संस्थाओं को सब्सिडी के मुआवजे के रूप में जारी की जाती हैं। ये आमतौर पर लंबी अवधि की होती हैं और इन पर तुलनात्मक सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में थोड़ा अधिक कूपन होता है।

8. **सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज (STRIPS)**
   - यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी सामान्य बॉण्ड से कूपन भुगतान और मूलधन भुगतान को अलग किया जाता है जिससे जीरो कूपन बॉण्ड्स का निर्माण होता है।
   - **उपयोग:** जीरो कूपन यील्ड वक्र बनाने के लिए।

9. **सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स (Sovereign Gold Bonds - SGB)**
   - सोने से संबद्ध बॉण्ड, जिन पर प्रति वर्ष 2.5% की ब्याज दर से भुगतान किया जाता है और जो एक ग्राम सोने की इकाइयों में जारी किए जाते हैं। ये बॉण्ड व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) और ट्रस्टों के लिए सदस्यता की सीमा के साथ 8 वर्ष बाद सोने में भुनाए जा सकते हैं।

10. **राज्य विकास ऋण (State Development Loans - SDLs)**
    - राज्य सरकारें राज्य विकास ऋण जारी करती हैं, जो सरकारी प्रतिभूतियों के समान होती हैं। हालाँकि, ये राज्य-विशिष्ट होती हैं। राज्य विकास ऋण वैधानिक तरलता अनुपात की आवश्यकताओं के लिए भी योग्य होती हैं और इन्हें तरलता समायोजन सुविधा (LAF) या रेपो लेनदेन के तहत ऋणी के लिए संपार्श्विक (कॉलेटरल) के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
    - **उदाहरण:** उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) के तहत पावर वितरण कंपनियों के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियाँ।

नीलामी के माध्यम से जारी [UPSC 2021, 2024]

- सरकारी प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म ई-कुबेर (E-Kuber) के माध्यम से नीलामी द्वारा जारी की जाती हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म में वे वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं जिनके पास रिजर्व बैंक के साथ फंड्स खाता (चालू खाता) और सिक्योरिटीज खाता (SGL) होता है। इसमें वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (UCBs), प्राइमरी डीलर (PDs), बीमा कंपनियाँ और प्रॉविडेंट फंड शामिल हैं।
- गैर-ई-कुबेर सदस्य, जैसे गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, भी इन नीलामियों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या PDs के माध्यम से भाग ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें इन वित्तीय संस्थानों के साथ एक गिल्ट खाता (Gilt Account) खोलना होगा।
- **रिटेल डायरेक्ट स्कीम, 2021:**
  - सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs) बाजार के विकास में एक बड़े कदम के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक-रिटेल डायरेक्ट (RBI-RD) योजना ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर सरकारी प्रतिभूतियों को आम आदमी की पहुँच में ला दिया है। इस योजना के तहत, खुदरा व्यक्तिगत निवेशक भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (RDG) खाता खोल सकते हैं। निवेश के लिए निम्नलिखित मार्ग उपलब्ध हैं:
  - **प्राथमिक सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करना:** निवेशक गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी में बोली लगा सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) जारी करने के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश भी लागू होते हैं।
  - **द्वितीयक बाजार:** निवेशक NDS-OM प्लेटफ़ॉर्म पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं।

Search On TG: @apna_pdf

- **द्वितीयक बाजार में व्यापार के तरीके** सरकारी प्रतिभूति बाजार में लेनदेन मुख्यतः चार माध्यमों से होता है:
  - **एनडीएस-ओएम (Negotiated Dealing System- Order Matching):** यह प्रणाली RBI की स्वामित्व वाली है और इसे सीसीआईएल (Clearing Corporation of India Ltd.) RBI की ओर से संचालित करता है। एनडीएस-ओएम सरकारी प्रतिभूतियों से निपटने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक, स्क्रीन आधारित, गुमनाम, ऑर्डर संचालित ट्रेडिंग सिस्टम है जिसे 2005 में शुरू किया गया था।
  - **ओवर-द-काउंटर (OTC) बाजार:** सरकारी प्रतिभूति में लेनदेन सीधे बैंकों, प्राइमरी डीलर्स (PDs), या वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत करके किया जा सकता है। सौदा आमतौर पर दलालों (ब्रोकर) के माध्यम से पुष्टि किया जाता है और एनडीएस-ओएम पर 15 मिनट के भीतर रिपोर्ट किया जाता है।
  - **NDS-OM-वेब:** 2012 में शुरू किया गया यह प्लेटफ़ॉर्म गिल्ट खाता धारकों (GAHs) को एनडीएस-ओएम तक सीधा पहुँच प्रदान करता है जिससे उन्हें लेनदेन पर बेहतर नियंत्रण और लाइव कोट्स का लाभ मिलता है।
  - **स्टॉक एक्सचेंज:** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) जैसे प्लेटफ़ॉर्म सरकारी प्रतिभूतियों का डिमैट रूप में व्यापार करते हैं जिससे खुदरा निवेशकों को इन बाजारों में भाग लेने का अवसर मिलता है।
- **सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्रमुख भागीदार**
  - **वाणिज्यिक बैंक और प्राइमरी डीलर्स (PDs):** ये बाजार में तरलता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
  - **संस्थागत निवेशक:** बीमा कंपनियाँ, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और सहकारी बैंक।
  - **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs):** उन्हें निर्धारित सीमाओं के भीतर G-Secs में निवेश की अनुमति है।
  - **कॉरपोरेट्स:** अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में भाग लेते हैं।

क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL):

- CCIL सभी सरकारी प्रतिभूतियों लेनदेन के लिए केंद्रीय काउंटरपार्टी के रूप में कार्य करता है। यह खरीदार और विक्रेता के बीच मध्यस्थ बनकर ट्रेड के निपटान (सेटलमेंट) की गारंटी देता है। यह प्रतिभागी-वार (Participant-wise) प्रतिभूतियों और फंड्स की शुद्ध दायित्वों की गणना करता है और निपटान फाइलों को रिजर्व बैंक को अग्रेषित करता है।
- अगर कोई भागीदार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो CCIL आवश्यक धन या प्रतिभूतियाँ प्रदान करता है। CCIL मार्जिन एकत्रित करता है और निपटान सुनिश्चित करने के लिए निपटान गारंटी निधि बनाए रखता है।

एफबीआईएल और एफआईएमएमडीए

- **फाइनेंशियल मानक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL):**
  - **स्थापना:** 9 दिसंबर 2014 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित। 2 जुलाई 2015 को RBI द्वारा स्वतंत्र मानक प्रशासक के रूप में मान्यता प्राप्त।
  - 2018 में FIMMDA से सरकारी प्रतिभूति मूल्यांकन सहित वित्तीय बाजार मानक का प्रशासन संभाला।
  - **प्रायोजक संगठन:** फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA), फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित।
- **प्रमुख कार्य:**
  - भारतीय ब्याज दर और विदेशी मुद्रा मानक का प्रबंधन।
  - मानक से संबंधित नीतियों को लागू करना, जिनमें उनकी समाप्ति (Cessation) और नए मानक पर संक्रमण के दिशा-निर्देश शामिल हैं।
  - मानक की समीक्षा करना ताकि वे आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करें।
  - बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार नए मानक की आवश्यकता का मूल्यांकन करना।

फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA):

- **स्थापना:** FIMMDA की स्थापना 3 जून 1998 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत की गई।
- **सदस्यता:** इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियों जैसे संस्थागत सदस्य शामिल हैं।
- **भूमिका:**
  - बाजार सहभागियों और नियामकों के बीच एक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है।
  - बॉण्ड, धन और डेरिवेटिव बाजारों के लिए बाजार प्रथाओं का विकास करता है।
  - बाजार की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - सरकारी प्रतिभूतियों सहित निश्चित आय प्रतिभूतियों के लिए बाजार प्रथाओं पर संसाधन उपलब्ध कराता है।

विभिन्न प्रकार की निधियाँ

हेज फंड्स (Hedge Funds)

- **अर्थ:** हेज फंड्स निजी निवेश फंड होते हैं, जो मान्यता प्राप्त निवेशकों या संस्थागत निवेशकों से पूँजी एकत्र करते हैं। ये फंड उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं जिनमें लिवरेज, डेरिवेटिव्स और शॉर्ट-सेलिंग शामिल हैं।
- **उदाहरण:** टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट एक प्रसिद्ध हेज फंड है, जो सार्वजनिक और निजी कंपनियों में निवेश करता है। यह अपने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के लिए विकास निवेश और मध्यस्थता जैसी रणनीतियों का उपयोग करता है।
- **जोखिम और प्रतिफल:** टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट एक प्रसिद्ध हेज फंड है जो सार्वजनिक और निजी कंपनियों में निवेश करता है। जोखिम और प्रतिफल: ये फंड अधिक जोखिम लेते हैं और उच्च संभावित रिटर्न देते हैं लेकिन आम तौर पर म्यूचुअल फंड की तुलना में कम विनियमित होते हैं।

Search On TG: @apna_pdf

म्यूचुअल फंड्स

- **अर्थ:** म्यूचुअल फंड्स कई निवेशकों से धन एकत्रित करते हैं और उसे **स्टॉक्स**, **बॉण्ड्स** और अन्य प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। इन फंड्स का प्रबंधन पेशेवर पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किया जाता है।
- **उदाहरण:** HDFC म्यूचुअल फंड और SBI म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार की योजनाएँ पेश करते हैं जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड आदि।
- **विनियमन:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित।
- **म्यूचुअल फंड के प्रकार**
  - **ओपन एंडेड फंड (Mutual Funds):** ये फंड निरंतर आधार पर यूनिटों को खरीदते और बेचते हैं, इसलिए निवेशकों को अपनी सुविधा के अनुसार प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देते हैं।
  - **उदाहरण:** HDFC इक्विटी फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी फंड है, जो निवेशकों को किसी भी समय प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति देता है
  - **क्लोज-एंडेड फंड (Mutual Funds):** आमतौर पर निवेशकों को केवल एक बार यूनिट जारी करते हैं, जब वे एक ऑफर लॉन्च करते हैं, जिसे न्यू फंड ऑफर कहा जाता है।
  - **उदाहरण:** ICICI प्रूडेंशियल फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान एक क्लोज-एंडेड फंड है।

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs)

- **अर्थ:** ETF विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ हैं जो किसी सूचकांक, वस्तु या परिसंपत्तियों के समूह के प्रदर्शन को ट्रैक करती हैं। ये फंड स्टॉक एक्सचेंजों पर स्टॉक की तरह ही व्यापार करते हैं जिससे तरलता और पूरे दिन व्यापार करने की क्षमता मिलती है।
- **उदाहरण:** निफ्टी बीईएस एक ईटीएफ है जो भारत में निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। SPDR S&P 500 ETF यू.एस. में S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है।
- **लाभ:** ETF कम व्यय अनुपात प्रदान करते हैं और निवेशकों को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश हासिल करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं।

सामूहिक निवेश योजनाएँ (CIS)

- **अर्थ:** सामूहिक निवेश योजनाएँ ऐसी निवेश योजनाएँ होती हैं, जो कई निवेशकों से धन एकत्र करके विशेष परिसंपत्तियों जैसे अचल संपत्ति, अवसंरचना आदि में निवेश करती हैं। ये उन लोगों के लिए डिजाइन की गई हैं जो सामूहिक निवेश के अवसर तलाश रहे हैं।
- **उदाहरण:** भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs), जैसे एंबेसी ऑफिस पार्क्स REIT, इस श्रेणी में आते हैं। ये योजनाएँ अचल संपत्ति परिसंपत्तियों में निवेश करती हैं और किराये की आय और पूँजी वृद्धि के माध्यम से रिटर्न प्रदान करती हैं।
- **नियमन:** इन योजनाओं को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है।

सामाजिक उद्यम निधि (Social Venture Fund)

- **अर्थ:** सामाजिक उद्यम निधियाँ ऐसी परियोजनाओं या व्यवसायों का समर्थन करने के लिए बनाई जाती हैं जो सामाजिक मुद्दों को हल करने के साथ-साथ वित्तीय लाभ उत्पन्न करने का उद्देश्य रखती हैं। ये ऐसे निवेशों पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करें।
- **उदाहरण:** इंडिया इन्क्लूसिव इनोवेशन फंड (IIIF), जिसे राष्ट्रीय नवाचार परिषद और MSME मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है, उन उद्यमों में निवेश करता है जो भारत में आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं।
- **उद्देश्य:** इन निधियों का उद्देश्य सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना और निवेशकों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करना है।

वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund)

- **अर्थ:** AIF निजी तौर पर जमा किए गए फंड हैं, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, जो निजी इक्विटी, हेज फंड, उद्यम पूँजी आदि जैसे कई परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करने के लिए पूँजी जुटाते हैं। इन्हें आम तौर पर ट्रस्ट, कंपनियों या LLP के रूप में पेश किया जाता है।
- **उदाहरण:** इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो एक श्रेणी-I AIF है, जो बुनियादी ढाँचे के निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **श्रेणी:**
  - **श्रेणी I:** जो सरकार द्वारा आर्थिक और सामाजिक रूप से व्यवहार्य माने जाने वाले क्षेत्रों में निवेश करता है जैसे वेंचर कैपिटल फंड (एंजेल फंड सहित), सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सेबी के मानदंड हल्के होते हैं।
  - **श्रेणी II:** निजी इक्विटी फंड या ऋण फंड।
  - **श्रेणी III:** AIF जैसे हेज फंड या ऐसे फंड जो अल्पावधि रिटर्न पाने के उद्देश्य से व्यापार करते हैं और अत्यधिक जोखिम उठाते हैं। सेबी के मानदंड बहुत सख्त होते हैं।

Search On TG: @apna_pdf

सॉवरेन गोल्ड फंड

- **अर्थ:** सॉवरेन वेल्थ फंड (SWF) सरकार के स्वामित्व वाले निवेश फंड हैं जो वैश्विक स्तर पर स्टॉक, बॉण्ड, रियल एस्टेट और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं जैसी परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए अधिशेष सरकारी बचत का उपयोग करते हैं।
- **उदाहरण:** राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष (NIF), भारत का संप्रभु धन कोष, मुख्य रूप से भारत में बुनियादी ढाँचे के विकास के वित्तपोषण पर केंद्रित है।
- **कार्य:** ये फंड सरकारों के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को निवेश करने और राष्ट्रीय आय के स्रोतों में विविधता लाने के एक तरीके के रूप में कार्य करते हैं।

तरल वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)

- **अर्थ:** ये फंड हेज फंड के समान ही संचालित होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड मानदंडों के तहत विनियमित होते हैं। उनका लक्ष्य समान निवेश रणनीतियों को बनाए रखते हुए हेज फंडों को तरल विकल्प प्रदान करना है।

उदाहरण: ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, जो AIF के समान संचालित होता है लेकिन सेबी के म्यूचुअल फंड मानदंडों के तहत विनियमित होता है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन फंड (Environment, Social and Governance Funds-ESG)

- **अर्थ:** ESG फंड उन कंपनियों में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानदंडों पर उच्च स्कोर करते हैं। इन फंडों का लक्ष्य उन कंपनियों में निवेश करना है जो पर्यावरण के लिए जिम्मेदार, सामाजिक रूप से समावेशी और अच्छी तरह से शासित हैं।

उदाहरण: भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड, ESG कारकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार टिकाऊ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश सुनिश्चित करता है।

- **प्रभाव:** ये फंड सामाजिक रूप से जागरूक निवेशकों की जरूरतों को पूरा करते हैं जो चाहते हैं कि उनका निवेश उनके मूल्यों के अनुरूप हो, जिसका लक्ष्य वित्तीय रिटर्न और सामाजिक लाभ दोनों हों।

निवेश फंड

आधार	म्यूचुअल फंड	रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITS)/ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) [UPSC 2023]
अर्थ	म्यूचुअल फंड एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो कई लोगों से पैसा एकत्र करती है और उसे स्टॉक, बॉण्ड या अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करती है।	यह एक म्यूचुअल फंड की तरह है, जो बुनियादी ढाँचे/रियल एस्टेट में छोटी मात्रा में धन का प्रत्यक्ष निवेश करने में सक्षम बनाता है ताकि आय का एक छोटा हिस्सा रिटर्न के रूप में अर्जित किया जा सके।
निवेश	सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियाँ	रियल एस्टेट या बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ।
स्टॉक	प्रतिभूति	आय सृजन परियोजनाएँ
अवधि	सतत क्रय-विक्रय, अपेक्षाकृत छोटी अवधि के लिए।	लंबी अवधि के लिए निवेश जैसे 10-15 वर्ष के लिए
बाहर निकलना	इसे किसी भी समय भुनाया जा सकता है, आसानी से बाहर निकला जा सकता है।	योजना बंद होने पर इसे स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत मूल्य पर बेचा जा सकता है।

जमा रसीदें (DEPOSITORY RECEIPTS)

जमा रसीदें एक प्रकार के परक्राम्य वित्तीय उपकरण (Negotiable financial instruments) हैं, जिन्हें किसी कंपनी द्वारा विदेशी न्याय क्षेत्र (foreign jurisdiction) में जारी किया जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो विदेशी निवेशकों से धन जुटाने में मदद करती है, जो अन्यथा घरेलू बाजार में भाग नहीं ले सकते।

पैरामीटर	वैश्विक जमा रसीद (GDR)	भारतीय जमा रसीद (IDR)	अमेरिकन जमा रसीद (ADR)
परक्राम्यता (Negotiability)	पूरी विश्व में परक्राम्य हैं।	केवल भारत के भीतर ही परक्राम्य हैं।	अमेरिकी बैंक द्वारा जारी प्रमाणपत्र जो विदेशी स्टॉक में शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है; अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित।
जारी होने वाला देश	यूरोपीय देश	भारत	अमेरिका
उद्देश्य	कंपनियों को विश्व भर में संसाधन अर्जित करने में सहायता करना	विदेशी कंपनियों को भारत के संसाधन अर्जित करने में सहायता करना	अमेरिकी निवेशकों को विदेशी शेयरों में निवेश करने का आसान और तरल तरीका प्रदान करता है।
जिसमें सूचीबद्ध हैं	लंदन शेयर बाजार	NSE	अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज
आवेदन	GDR का आवेदन भारत सहित विश्व भर की कंपनियों द्वारा किया जाएगा।	भारतीय कंपनियाँ भारतीय डिपोजिटरी रसीदों के लिए आवेदन नहीं करेंगी।	अन्य देशों में स्थित कंपनियाँ अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत हो सकती हैं।

विदेशी निवेश के प्रकार

आधार	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) [UPSC 2012/2020]	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI)	विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) [UPSC 2011]
अर्थ	FDI तब होता है जब कोई कंपनी किसी अन्य देश में किसी व्यावसायिक इकाई में नियंत्रणकारी स्वामित्व ले लेती है।	FPI अनिवासियों द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों जैसे शेयर, सरकारी बॉण्ड आदि में किया गया निवेश है। FPI FDI की तुलना में अधिक तरल और कम जोखिमपूर्ण है	जब कोई विदेशी कंपनी शेयर बाजार के माध्यम से किसी कंपनी में इक्विटी खरीदती है।
निवेश	भौतिक परिसंपत्तियों में निवेश	वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश	वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश
स्वामित्व	गैर-ऋण सृजन में सक्रिय स्वामित्व है [UPSC 2020]	निष्क्रिय स्वामित्व	कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं
प्रकृति	दीर्घकालिक पूँजी, ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी लाता है	अल्पावधि पूँजी लाता है	अल्पावधि पूँजी लाता है

Search On TG: @apna_pdf

उद्देश्य	उद्यम की क्षमता या उत्पादकता बढ़ाने या प्रबंधन नियंत्रण में परिवर्तन करने के लिए	पूँजी उपलब्धता बढ़ाने के लिए	पूँजी उपलब्धता बढ़ाने के लिए
प्रवाह	प्राथमिक बाजार	द्वितीयक बाजार	द्वितीयक बाजार
सट्टे का दायरा	प्रायः सट्टात्मक नहीं होता	सट्टात्मक होता है।	सट्टात्मक होता है।
प्रवेश और निकासी	अपेक्षाकृत कठिन	अपेक्षाकृत आसान	आसान
योग्यता	कंपनी के लाभ	पूँजीगत लाभ	पूँजीगत लाभ
प्रतिबिंबित	भुगतान संतुलन (BOP) के पूँजी खाते में	बीओपी के पूँजी खाते में	बीओपी के पूँजी खाते में

भारत में FDI मार्ग

भारत में विदेशी निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 द्वारा शासित है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए दो मुख्य मार्ग हैं

- **स्वचालित मार्ग (Automatic route):**
    - सरकार/RBI की पूर्व स्वीकृति के बिना FDI की अनुमति होती है।
    - जब तक निवेश प्रतिबंधित क्षेत्रों या विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है तब तक निवेशकों को अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।
    - यह मार्ग अधिकांश क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों के लिए प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाता है।
- **सरकारी मार्ग:**
    - FDI के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से सरकार से मंजूरी की आवश्यकता होती है।
    - यह मार्ग कुछ प्रतिबंधों वाले क्षेत्रों और मामलों पर लागू होता है।

सरकारी मार्ग के तहत निवेश प्रतिबंध

- **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों में इकाइयाँ:** उन देशों में स्थित संस्थाओं से निवेश जिनके साथ भारत भूमि सीमा साझा करता है (उदाहरण के लिए, चीन) को सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को FDI के रूप में निवेश करने की अनुमति नहीं है।
- **स्वामित्व का हस्तांतरण:** यदि किसी विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप स्वामित्व का हस्तांतरण होता है जिससे लाभकारी स्वामित्व उपरोक्त प्रतिबंधों के दायरे में आता है, तो इसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP)

- **DPIIT द्वारा प्रशासित:** वाणिज्य मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग पोर्टल का प्रबंधन करता है।
- **उद्देश्य:** पोर्टल उन अनुप्रयोगों के लिए एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है जो FDI के लिए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत हैं।
- यह प्रणाली आवेदनों के सुचारू प्रसंस्करण को सुनिश्चित करती है और विदेशी निवेश के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है जिसके लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

FDI के प्रमुख साधन

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (FCCBs) [UPSC, 2021]

- **परिभाषा:** एफसीसीबी भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किए गए हाइब्रिड उपकरण हैं। वे ऋण साधन हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद जारीकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- **FDI लिंक:** FCCB को इक्विटी में परिवर्तित होने पर FDI माना जाता है, क्योंकि उनमें कंपनी के शेयरों में विदेशी निवेश शामिल होता है।

विदेशी संस्थागत निवेश (FIIs)

- **परिभाषा:** विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा कंपनियाँ आदि जैसी संस्थाएँ हैं, जो दूसरे देश के वित्तीय बाजारों में निवेश करते हैं।
- **FDI लिंक:** हालाँकि, FII मुख्य रूप से पोर्टफोलियो निवेश में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ शर्तें, जैसे कि इक्विटी हिस्सेदारी का प्रतिशत, उनके निवेश को FDI के अंतर्गत ला सकती हैं यदि वे भारतीय कंपनियों में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी (> 10%) हासिल करते हैं।

ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर)

- **परिभाषा:** जीडीआर वित्तीय साधन हैं जिनका उपयोग कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय बाजारों से पूँजी जुटाने के लिए करती हैं, जो विदेशी बाजार में कंपनी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। (आमतौर पर यू.एस. या यूरोप में)।
- **FDI लिंक:** जीडीआर विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनी में शेयर खरीदने की अनुमति देते हैं, और जब परिवर्तित होते हैं, तो वे FDI में योगदान करते हैं क्योंकि वे भारतीय कंपनियों में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अनिवासी बाह्य (NRE) जमा

- **परिभाषा:** NRE जमा भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा रखे गए बचत खाते हैं, जहाँ जमा को भारतीय रुपये में दर्शाया जाता है।
- **FDI लिंक:** जबकि NRE जमा में विदेशी फंड शामिल होते हैं, उन्हें सीधे FDI के रूप में नहीं गिना जाता है। हालाँकि, NRI द्वारा लाया गया धन अप्रत्यक्ष रूप से भारत में निवेश में योगदान दे सकता है।

निम्नलिखित में FDI की अनुमति नहीं है :

- खुदरा व्यापार (एकल ब्रॉण्ड वाले उत्पाद की खुदरा बिक्री को छोड़कर)
- परमाणु ऊर्जा
- कैसीनो आदि सहित लॉटरी जुआ और सट्टेबाजी;
- चिटफंड; निधि कंपनी;
- कृषि एवं बागान (चाय बागानों को छोड़कर);
- रियल एस्टेट/फार्म हाउस का निर्माण;
- सिगार/तंबाकू का विनिर्माण। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 1991 में विदेशी निवेश शुरू किया गया था।

खुदरा व्यापार में FDI

भारत में घरेलू व्यवसायों की सुरक्षा और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर प्रतिबंध है। हालाँकि, ऐसी विशिष्ट शर्तें हैं जिनके तहत खुदरा क्षेत्र में FDI की अनुमति है।

Search On TG: @apna_pdf

एकल-ब्रॉण्ड खुदरा व्यापार में FDI (SBRT):

- 100% तक FDI की अनुमति।
- इसमें एकल-ब्रॉण्ड उत्पाद खुदरा बिक्री शामिल है, जिसका अर्थ है कि विदेशी कंपनियाँ भारत में केवल अपने ब्रॉण्ड के उत्पाद ही बेच सकती हैं।
- विदेशी कंपनियाँ 100% संचालन का मालिक हो सकती हैं, लेकिन उन्हें 30% उत्पाद स्थानीय रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SME) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं (51% से अधिक निवेश के लिए) से प्राप्त करना होगा।
- **उदाहरण:** एप्पल, नाइकी और आइकिया जैसी कंपनियों ने अपने ब्रॉण्डेड आउटलेट के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश करके इस नीति से लाभ उठाया है।

मल्टी-ब्रॉण्ड खुदरा व्यापार में FDI:

- भारत में प्रतिबंधित। विशिष्ट शर्तों को छोड़कर मल्टी-ब्रॉण्ड खुदरा (उदाहरण के लिए, एक ही छत के नीचे विभिन्न ब्रांड बेचना) के लिए FDI की अनुमति नहीं है।
- सरकार ने मल्टी-ब्रांड रिटेल में 51% तक FDI की अनुमति दी है, लेकिन यह नीति राज्य सरकार की मंजूरी और शर्तों की पूर्ति के अधीन है:
    1. न्यूनतम निवेश सीमा
    2. बुनियादी ढाँचे में निवेश (जैसे कोल्ड स्टोरेज, गोदाम)
    3. कंपनी को 30% उत्पाद भारतीय MSME से प्राप्त करने होंगे

भारत में खुदरा ई-कॉमर्स FDI [UPSC 2022]

रिटेल ई-कॉमर्स का तात्पर्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं को सीधे सामान और सेवाएँ बेचने से है।

- ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है, बशर्ते वे इन्वेंट्री-आधारित खुदरा व्यापार में संलग्न न हों (यानी, ई-कॉमर्स कंपनियाँ इन्वेंट्री नहीं रख सकती हैं या सीधे उत्पाद नहीं बेच सकती हैं)।
- **ई-कॉमर्स बाजार:** अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को संचालित करने की अनुमति है, जहाँ वे सीधे इन्वेंट्री को नियंत्रित किए बिना तीसरे पक्ष के विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं।
- इन्वेंटरी-आधारित ई-कॉमर्स (जहाँ एक कंपनी माल का मालिक है और उसे बेचती है) को भारत में FDI की अनुमति नहीं है।
- **वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट डील (2018):**
    - वैश्विक खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट ने भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में लगभग 16 बिलियन डॉलर में 77% हिस्सेदारी हासिल कर ली। यह सौदा मार्केटप्लेस मॉडल के तहत था।
    - यह सौदा महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि यह भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र में सबसे बड़ा FDI था, जो वॉलमार्ट के भारत के खुदरा और ई-कॉमर्स बाजारों में सीधे प्रवेश का प्रतीक था।

महत्त्वपूर्ण शब्दावलियाँ

- **योग्य विदेशी निवेशक (QFI):**
    - **परिभाषा:** किसी विदेशी देश का व्यक्ति, समूह या संघ जो भारत में पोर्टफोलियो निवेश करता है।
    - **मानदंड:** वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) मानकों का पालन करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) का हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए।
- **पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI):**
    - **परिभाषा:** एक पोर्टफोलियो निवेशक जो सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत है।
    - **श्रेणियाँ:** विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) और QFI शामिल हैं, जिन्हें अब FPI के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- **क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस):**
    - **परिभाषा:** सुरक्षा खरीदार (निवेशक) और सुरक्षा विक्रेता के बीच क्रेडिट जोखिम को स्थानांतरित करने के लिए एक क्रेडिट व्युत्पन्न।
    - **सुरक्षा खरीदार:** सुरक्षा विक्रेता को समय-समय पर भुगतान करके क्रेडिट जोखिम को कम करते हैं।
    - **सुरक्षा विक्रेता:** अंतर्निहित परिसंपत्ति को स्थानांतरित किए बिना जोखिम स्थानांतरित करते हैं, जिससे उनके पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिलती है।
- **प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (Initial Public Offers, IPO):** वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई कंपनी धन जुटाने के लिए पहली बार शेयर जारी करती है।
- **बिक्री हेतु प्रस्ताव (Offer for Sale, OFS):** यह कंपनी के प्रवर्तकों को अपने शेयर बेचने का अधिकार देता है; शेयरों का कोई नया निर्गम नहीं होता है।
- **ब्लू-चिप कंपनियाँ (Blue-Chip Companies):** बड़ी और सुप्रतिष्ठित कंपनियाँ जिनका वित्तीय निष्पादन का लंबा इतिहास है।
- **बुलिश बाजार (Bullish Market):** शेयर बाजार के स्वस्थ प्रदर्शन को दर्शाता है जिसमें शेयरधारक लाभ कमाने में सक्षम होते हैं।
- **मंदी का बाजार (Bearish Market):** पूँजी बाजार का खराब प्रदर्शन।
- **सर्किट ब्रेकर (Circuit Breaker):** किसी प्रतिभूति/स्टॉक या समग्र सूचकांक के मूल्य में तीव्र गिरावट या तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए किया जाने वाला उपाय।
- **खुदरा निवेशक (Retail Investor):** वह निवेशक जिसका प्रतिभूतियों में अभिदान का मूल्य 2 लाख से कम है।
- **गिल्ट-एज सिक्योरिटीज (Gilt-Edge Securities):** सरकार द्वारा जारी बॉण्ड जिसमें जोखिम कम होता है।
- **बाजार पूँजीकरण (Market Capitalization):** प्रति शेयर मूल्य को बकाया कुल शेयरों की संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है।
- **ब्रोकर (Brokers):** स्टॉक एक्सचेंज का पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर/प्रतिभूतियाँ खरीदता या बेचता है तथा सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है - ऐसे ब्रोकरों को कमीशन ब्रोकर भी कहा जाता है।
- **जॉबर (Jobber):** जॉबर किसी ब्रोकर का ब्रोकर होता है या वह व्यक्ति होता है जो अन्य ब्रोकरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट प्रतिभूतियों में विशेषज्ञता रखता है।
- **स्क्रिप शेयर (Scrip Share):** बिना किसी शुल्क के मौजूदा शेयरधारकों को दिया गया शेयर - जिसे बोनस शेयर भी कहा जाता है।
- **पेनी स्टॉक (Penny Stocks):** वह शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि तक कम कीमत पर रहता है।

Search On TG: @apna_pdf

- **कर्ब डीलिंग (Kerb Dealing):** शेयरों का वह लेन-देन जो स्टॉक एक्सचेंजों के बाहर होता है - अनौपचारिक रूप से और सामान्य कारोबारी घंटों के बाद होता है।
- **बीटा (Beta):** एक संख्यात्मक मान जो समग्र शेयर बाजार में होने वाले परिवर्तनों के मुकाबले किसी शेयर के उतार-चढ़ाव को मापता है। एक प्रतिभूति जो तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर होती है वह कम बीटा स्टॉक वाली होती है अर्थात इसकी बीटा रेटिंग कम होती है। **[UPSC 2023]**

भारत में शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग सेलिंग

भारत में शॉर्ट सेलिंग

शॉर्ट सेलिंग का तात्पर्य उन प्रतिभूतियों को बेचना है जो विक्रेता के पास नहीं होतीं और उनकी बाद में कम कीमत पर पुनर्खरीद करने का उद्देश्य होता है। भारत में शॉर्ट सेलिंग का विनियमन: सेबी द्वारा किया जाता है।

- **निम्नलिखित को इसकी अनुमति है:**
  - **खुदरा निवेशक:** कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं (केवल दैनंदिन (इंट्राडे) हेतु; सभी पोजीशन उसी दिन समाप्त करनी होती हैं)।
  - **संस्थागत निवेशक:** खुलासा के साथ स्वामित्व वाले ट्रेडों के लिए अनुमति।

भारत में प्रक्रिया

1. **शेयर ऋण लेना:**
   - सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग मैकेनिज्म (SLBM) **के माध्यम से निवेशक शेयर ऋण लेते हैं और उन्हें डिलीवरी के लिए उपयोग करते हैं।**
2. **इंट्राडे स्क्वैरिंग ऑफ़:**
   - खुदरा निवेशकों को शॉर्ट पोजीशन उसी ट्रेडिंग दिन के अंत तक समाप्त करनी होती है।

प्रतिबंध:

- नग्न शॉर्ट सेलिंग **(प्रतिभूतियों को ऋण लिए बिना) निषिद्ध है।**
- **सभी शॉर्ट सेलिंग सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के अधीन है।**

भारत में लॉन्ग सेलिंग

लॉन्ग सेलिंग का तात्पर्य प्रतिभूतियों को खरीदने से है, जिन्हें कीमत बढ़ने के उद्देश्य से रखा जाता है और बाद में बेच दिया जाता है।

भारत में प्रक्रिया:

- डीमैट खाते का उपयोग करके स्टॉक एक्सचेंजों (जैसे NSE या BSE) के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद।
- किसी भी वांछित अवधि के लिए प्रतिभूतियों को डीमैट खाते में रखना।
- लाभ कमाने के लिए कीमतें बढ़ने पर उन्हें एक्सचेंज के माध्यम से बेचना।
- **उदाहरण:** एक खुदरा निवेशक किसी कंपनी के शेयर ₹100 प्रति शेयर के मूल्य पर खरीदता है और बाद में ₹120 पर बेचता है, जिससे प्रति शेयर ₹20 का लाभ होता है।

मुख्य बिंदु:

- लॉन्ग सेलिंग सरल और खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।
- निवेशक लाभांश और दीर्घकालिक पूँजी मूल्य वृद्धि से लाभ उठाते हुए शेयरों को अनिश्चित काल तक भी रख सकते हैं।

कॉल ऑप्शन का उदाहरण:

- **परिदृश्य:** मान लें कि एक ट्रेडर को विश्वास है कि स्टॉक Y (जो वर्तमान में ₹150 पर है) की कीमत अगले महीने बढ़ेगी।
- **व्यापारी की स्थिति:** व्यापारी ₹160 के स्ट्राइक प्राइस पर स्टॉक Y के 100 शेयर खरीदने का कॉल ऑप्शन लेता है और प्रति शेयर ₹10 का प्रीमियम चुकाता है। अनुबंध एक महीने में समाप्त होगा।
- **परिणाम 1 (कीमत बढ़े):** यदि स्टॉक Y ₹180 पर पहुँचता है, तो ट्रेडर ₹160 (स्ट्राइक प्राइस) पर खरीद सकता है, जिससे प्रति शेयर ₹20 का लाभ होगा। ₹10 प्रीमियम घटाने के बाद, शुद्ध लाभ ₹10 प्रति शेयर होगा।
- **परिणाम 2 (कीमत घटे):** यदि स्टॉक Y ₹140 पर पहुँचता है, तो ट्रेडर ऑप्शन का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि बाजार मूल्य स्ट्राइक प्राइस से कम है। नुकसान केवल प्रीमियम तक सीमित रहेगा: ₹10 प्रति शेयर।

पुट ऑप्शन का उदाहरण

- **परिदृश्य:** मान लें कि एक व्यापारी को विश्वास है कि स्टॉक Z (जो वर्तमान में ₹200 पर है) की कीमत अगले महीने घटेगी।
- **व्यापारी की स्थिति:** व्यापारी ₹190 के स्ट्राइक प्राइस पर स्टॉक Z के 100 शेयर बेचने का पुट ऑप्शन खरीदता है और प्रति शेयर ₹12 का प्रीमियम चुकाता है। यह ऑप्शन एक महीने में समाप्त होगा।
- **परिणाम:**
  1. **कीमत घटे (₹160 तक):**
     - व्यापारी ₹190 (स्ट्राइक प्राइस) पर बेच सकता है जबकि बाजार कीमत ₹160 है।
     - प्रति शेयर लाभ: ₹30
     - प्रीमियम घटाने के बाद शुद्ध लाभ: ₹18 प्रति शेयर
  2. **कीमत बढ़े (₹210 तक):**
     - ट्रेडर ऑप्शन का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि बाजार कीमत स्ट्राइक प्राइस से अधिक है।
     - नुकसान केवल प्रीमियम तक सीमित रहेगा: ₹12 प्रति शेयर।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI)

इतिहास

- सेबी की स्थापना 1988 में भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
- यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत एक वैधानिक निकाय बन गया।
- सेबी की स्थापना 1992 के प्रतिभूति घोटाले के बाद पूँजी बाजार को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए एक समर्पित प्राधिकरण की आवश्यकता के जवाब में की गई थी।

SEBI का अधिदेश

सेबी का प्राथमिक कार्य प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।

SEBI के कार्य

SEBI अपने कर्तव्यों को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करता है:

Search On TG: @apna_pdf

1. **नियामक कार्य (Regulatory Functions)**
   - **बाजार मध्यस्थों का पंजीकरण और विनियमन:** स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड आदि जैसे बाजार मध्यस्थों का पंजीकरण और विनियमन।
   - **स्टॉक एक्सचेंज का विनियमन:** यह सुनिश्चित करना कि स्टॉक एक्सचेंज सुचारु रूप से कार्य करें।
   - **निगम अधिग्रहण, विलय और अधिग्रहण की निगरानी:** हेरा-फेरी को रोकने और निष्पक्ष प्रथाएँ सुनिश्चित करने के लिए इनका निरीक्षण।
   - **आंतरिक व्यापार रोकथाम:** यह सुनिश्चित करना कि अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए न किया जाए।
2. **संरक्षात्मक कार्य (Protective Functions)**
   - **निवेशक संरक्षण:** निवेशकों के लिए निष्पक्ष प्रथाएँ सुनिश्चित करना, धोखाधड़ी को रोकना और शिक्षा को बढ़ावा देना।
   - **निवेशक शिकायत निवारण:** निवेशकों की शिकायतों को हल करने के लिए तंत्र जैसे SCORES (SEBI Complaints Redress System) का संचालन।
3. **विकासात्मक कार्य (Developmental Functions)**
   - **वित्तीय बाजारों में नवाचार को प्रोत्साहन:** नए वित्तीय उत्पादों और बाजार अवसंरचना को बढ़ावा देना।
   - **निवेशक जागरूकता कार्यक्रम:** निवेशकों को उनके अधिकारों और बाजार कार्यप्रणाली के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान।
   - **म्यूचुअल फंड्स के लिए दिशा-निर्देश:** म्यूचुअल फंड्स और संस्थागत निवेश को प्रोत्साहित करना।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

- **(SEBI) का संगठनात्मक ढाँचा:**
  - **अध्यक्ष (Chairman):** SEBI का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है, जिसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। **वर्तमान अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच (2022 में नियुक्त)।**
- **SEBI बोर्ड:** SEBI बोर्ड में अध्यक्ष और विभिन्न क्षेत्रों के अन्य सदस्य शामिल होते हैं:
  - **सरकारी प्रतिनिधि:** वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय, निगम मामलों के मंत्रालय, और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधि:**
  - **क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Offices):** सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों में स्थित हैं, जहाँ इसकी नीतियों का स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन किया जाता है।
  - **विभाग और प्रभाग (Divisions and Departments):** SEBI की गतिविधियों को निम्नलिखित प्रभागों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है:
  - **बाजार विनियमन (Market Regulation):** स्टॉक एक्सचेंज और बाजार मध्यस्थों का विनियमन।
  - **निगम वित्त (Corporate Finance):** निगम गवर्नेंस और प्रकटीकरण नियम।
  - **कानूनी मामले (Legal Affairs):** कानूनी मुद्दों और प्रवर्तन कार्यों का प्रबंधन।
  - **निवेशक संरक्षण (Investor Protection):** निवेशक शिकायतों और सुरक्षा का ध्यान रखना।
  - **आर्थिक और नीति विश्लेषण (Economic & Policy Analysis):** अनुसंधान और नीतिगत सिफारिशें।

SEBI की प्रमुख तंत्र और पहलें

1. **प्राथमिक और द्वितीयक बाजार विनियमन:**
   - **IPO और लिस्टिंग दिशानिर्देश:** IPO और लिस्टिंग प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विनियमित करता है।
   - **व्यापार प्रथाएँ:** द्वितीयक बाजार में ब्रोकरों, विश्लेषकों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए नियम निर्धारित करता है।
2. **निगरानी तंत्र (Surveillance Mechanism):**
   - **रियल-टाइम निगरानी:** स्टॉक एक्सचेंज गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।
   - **निलंबन और दंड:** बाजार हेरफेर, अंदरुनी व्यापार या अन्य उल्लंघनों के लिए ब्रोकरों और व्यापारियों को निलंबित करने और दंड लगाने का अधिकार।
3. **निवेशक संरक्षण कोष (Investor Protection Fund - IPF):**
   - ब्रोकर डिफॉल्ट के कारण नुकसान झेलने वाले निवेशकों को मुआवजा प्रदान करने के लिए स्थापित।
4. **प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT):**
   - सेबी के आदेशों और निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने वाला एक स्वतंत्र निकाय।
   - असंतुष्ट पक्षों के लिए शिकायत निवारण मंच।
5. **बाजार मध्यस्थों के लिए आचार संहिता:**
   - ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, और विश्लेषकों जैसे बाजार मध्यस्थों के लिए नैतिक दिशानिर्देश अनिवार्य।
6. **SCORES (SEBI Complaints Redress System):**
   - निवेशकों को बाजार मध्यस्थों और सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म।
7. **म्यूचुअल फंड्स का विनियमन:**
   - म्यूचुअल फंड्स की गतिविधियों की निगरानी, निवेश प्रथाओं, पारदर्शिता और प्रकटीकरण संबंधी विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
8. **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) विनियम:**
   - विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय पूँजी बाजार में भाग लेने के दिशा-निर्देश।
   - विदेशी निवेश को आकर्षित करने और घरेलू हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना।

Search On TG: @apna_pdf

9. बाजार अवसंरचना संस्थान (MIIs):

- स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी आदि का विनियमन, ताकि प्रतिभूति बाजार सुचारु रूप से कार्य करे।

10. निगम गवर्नेंस:

- सूचीबद्ध कंपनियों के लिए निगम गवर्नेंस मानदंड लागू करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, और निवेशकों के हितों की रक्षा करना।

11. निवेशक शिक्षा और जागरूकता:

- NISM (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स) **जैसी पहल और सुरक्षित निवेश प्रथाओं पर सार्वजनिक जागरूकता अभियान।**

भारतीय पूँजी बाजार में प्रमुख प्रवृत्तियाँ (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)

प्रवृत्ति	विवरण
प्राथमिक बाजार में पूँजी जुटाना (Primary Market Mobilisation)	कुल राशि: ₹10.9 लाख करोड़ जुटाई गई, जिसमें 78.8% ऋण निर्गम (Debt Issuances) के माध्यम से।
आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	• 272 IPOs के माध्यम से ₹67,995 करोड़ जुटाए गए। • IPO की संख्या में 66% वृद्धि।
ऋण निर्गम (Debt Issuances)	• कॉरपोरेट ऋण: ₹8.6 लाख करोड़। • सार्वजनिक बॉण्ड जारी करना: ₹19,167 करोड़
REITs और InvITs	• ₹39,024 करोड़ जुटाए गए। • FY23 की तुलना में 5 गुना वृद्धि।
शेयर बाजार का प्रदर्शन (Stock Market Performance)	• निफ्टी 50: 26.8% की वृद्धि। • भारत का MSCI-EM शेयर: 17.7% तक बढ़ा।
बाजार पूँजीकरण (Market Capitalisation)	• कुल: ₹415 लाख करोड़। • मार्केट कैप टू जीडीपी अनुपात: 124%
खुदरा भागीदारी (Retail Participation)	• कुल निवेशक: 9.2 करोड़। • इक्विटी कैश सेगमेंट के टर्नओवर में 35.9% हिस्सेदारी।
म्यूचुअल फंड्स	• कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति (AuM): ₹53.4 लाख करोड़। • 35% वृद्धि। • SIP (सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान): 3 वर्षों में 100% वृद्धि।
प्रौद्योगिकी (Technology)	• T+1 सेटलमेंट अपनाया गया। • ASBA (Application Supported by Blocked Amount) और बेहतर निवेशक संरक्षण उपाय।
डेरिवेटिव्स (Derivatives)	• खुदरा भागीदारी में वृद्धि। • सट्टा उपयोग (Speculative Use) बढ़ रहा है।

वित्त वर्ष 24 में भारतीय पूँजी बाजार उभरते बाजारों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक बनकर उभरा है।

- **प्राथमिक बाजार:** प्राथमिक बाजारों ने वित्त वर्ष 2024 में 10.9 लाख करोड़ रुपये का पूँजी निर्माण किया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 9.3 लाख करोड़ रुपये था।
- **द्वितीयक बाजार:** भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स वित्त वर्ष 2024 के दौरान 26.8 प्रतिशत चढ़ा, जबकि वित्त वर्ष 2023 के दौरान (-)8.2% बढ़ा था।
- **बाजार पूँजीकरण:** भारत का बाजार पूँजीकरण और जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 19 में 77% से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 124% हो गया।
- **म्यूचुअल फंड्स:** वित्त वर्ष 24 के अंत में म्यूचुअल फंड की प्रबंधन के तहत संपत्ति 14 लाख करोड़ बढ़कर 53.4 लाख करोड़ हो गई।
- **व्यवस्थित निवेश योजना:** वार्षिक शुद्ध SIP प्रवाह वित्त वर्ष 2021 में 20.96 लाख करोड़ से दुगुना होकर वित्त वर्ष 2024 में 2 लाख करोड़ हो गया।

गिफ्ट सिटी: भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है।

- **तेजी से विकसित हो रहा बैंकिंग इकोसिस्टम:** मार्च 2024 तक, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों की कुल संपत्ति का आकार 60 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर गया और उनके द्वारा किए गए लेनदेन का संचयी मूल्य 795 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर गया।
- **मजबूत फंड उद्योग:** IFSCA के साथ पंजीकृत संचयी निधि प्रबंधन इकाइयाँ और फंड सितंबर 2022 तक 39 और 33 से बढ़कर मार्च 2024 तक 114 और 120 हो गए।
- **विमान और जहाज पट्टे पर देना:** 31 मार्च 2024 तक, 11 जहाज पट्टे पर देने वाली कंपनियाँ IFSCA के साथ पंजीकृत हैं।
- **विदेशी विश्वविद्यालयों की पहल:** ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय IFSCA के तहत गिफ्ट IFSCA में अपने अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर के लिए अंतिम पंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया।

Search On TG: @apna_pdf

8 भारतीय अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र

पृष्ठभूमि

1947 में समाप्त होने वाली ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की लगभग दो शताब्दियों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने आकार लिया जिसको प्रारंभ में कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में ब्रिटिश औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनर्गठित किया गया था।

- **औपनिवेशिक शासन का प्रभाव:** औपनिवेशिक नीतियों के अंतर्गत हुए शोषण ने भारत की स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक रणनीतियों को काफी हद तक प्रभावित किया है।

औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न आर्थिक विकास

1. **पूर्व-औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था:** भारत आत्मनिर्भर कृषि और वैश्विक हस्तशिल्प बाजारों से समृद्ध था।
2. **औपनिवेशिक नीतियाँ:** ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता देना, भारत को कच्चे माल आपूर्तिकर्ता में बदलना और स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुँचाना।
3. **आर्थिक स्थिरता:** विकास न्यूनतम था और कुल वार्षिक उत्पादन 2% से कम था।

कृषि क्षेत्र

- **कृषि का प्रभुत्व:** कृषि में भारत की लगभग 85% जनसंख्या शामिल थी, लेकिन वह स्थिर बनी रही।
- **राजस्व प्रणाली:** जमींदारी प्रणाली ने सामाजिक तनाव पैदा किया और किसान कल्याण की उपेक्षा की।
- **व्यावसायीकरण:** इसके अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा कर ब्रिटिश उद्योगों के लिए नकदी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **निवेश की कमी:** इस दौरान सिंचाई और बुनियादी ढाँचे का विकास नहीं हुआ था।

औद्योगिक क्षेत्र

- **हस्तशिल्प का पतन:** स्वदेशी उद्योगों का स्थान ब्रिटिश वस्तुओं ने ले लिया, जिससे बेरोजगारी में काफी वृद्धि हो गई।
- **आधुनिक उद्योग:** इसमें विकास मुख्यतः कपड़ा और इस्पात जैसे ब्रिटिश के लाभ वाले क्षेत्रों तक ही सीमित था।
- **पूँजीगत वस्तुओं की अनुपस्थिति:** औद्योगिक बुनियादी ढाँचे की कमी ने आगामी विकास में बाधा उत्पन्न की।

विदेशी व्यापार

- **व्यापारिक संरचना:** भारत ने कच्चे माल का निर्यात किया और ब्रिटिश वस्तुओं का आयात किया, जिससे व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार सुनिश्चित हो गया।
- **निर्यात अधिशेष:** धन को ब्रिटेन भेजा जा रहा था जिससे घरेलू स्तर पर इसकी कमी उत्पन्न हुई।

जनसांख्यिकीय स्थितियाँ

1. **जनसंख्या वृद्धि: वर्ष** 1881 में जनगणना शुरू हुई जिससे असमान वृद्धि और उच्च मृत्यु दर का पता चला।
2. **सामाजिक संकेतक:** साक्षरता 16% से नीचे थी और जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी।
3. **जीवन स्तर:** व्यापक गरीबी ने जनसांख्यिकीय चुनौतियों को और बढ़ा दिया।

व्यावसायिक संरचना

- **कार्यबल का वितरण:** कृषि क्षेत्र में 70-75%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% और सेवा क्षेत्र में 15-20% कार्यबल।
- **क्षेत्रीय भिन्नताएँ:** दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्रों की ओर सीमित परिवर्तन देखा गया।

अवसंरचना विकास

- **उद्देश्य:** रेलवे, बंदरगाह और टेलीग्राफ जैसी बुनियादी संरचनाएँ औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करती थीं।
- **सड़कें:** सैन्य और सामग्री परिवहन के लिए बनाई गई थीं, लेकिन सार्वजनिक जरूरतों के लिए अपर्याप्त थीं।
- **रेलवे:** रेलवे के विकास से संसाधन का दोहन हुआ। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हुई।
- **संचार:** टेलीग्राफ ने औपनिवेशिक नियंत्रण को प्राथमिकता दी; डाक सेवाएँ अपर्याप्त थीं।

भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग

भारत ने 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसके साथ 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेताओं ने समाजवाद और पूँजीवाद के मिश्रण वाले एक उत्तम आर्थिक मॉडल को अपनाने का लक्ष्य रखा। इस दृष्टिकोण ने सार्वजनिक क्षेत्र की ताकत, निजी संपत्ति के अधिकार, और सरकारी योजना का समर्थन किया, जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव (1948), भारतीय संविधान के नीति-निदेशक सिद्धांतों एवं योजना आयोग की पंचवर्षीय योजनाओं (1950 से) में परिलक्षित हुआ।

आर्थिक प्रणालियों के प्रकार

- **बाजार अर्थव्यवस्था (पूँजीवाद):** माँग द्वारा संचालित उत्पादन; संपत्ति की असमानता अक्सर गरीबों की आधारभूत आवश्यकताओं को बाहर कर देती है।

Search On TG: @apna_pdf

- **समाजवादी अर्थव्यवस्था:** सरकार द्वारा संचालित निर्णय; सार्वजनिक स्वामित्व सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है।
- **मिश्रित अर्थव्यवस्था:** कल्याण और आर्थिक विकास को संतुलित करते हुए बाजार दक्षता को सरकार द्वारा विनियमित आवश्यक सेवाओं के साथ जोड़ती है।

आर्थिक नियोजन ढाँचा

- **योजना या नियोजन:** विशिष्ट अवधियों में लक्ष्यों और उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करते हुए, संसाधन उपयोग के लिए रणनीतियाँ निर्धारित करना।
- **पंचवर्षीय योजनाएँ:** प्रत्येक अवधि के लिए लक्षित उद्देश्यों के साथ सोवियत शैली की योजना अपनाई गई।
- **बहुआयामी (परिप्रेक्ष्य) योजनाएँ:** दीर्घकालिक लक्ष्य (20 वर्ष), अल्पकालिक योजनाओं द्वारा समर्थित होती हैं।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का सारांश [UPSC 2019]

योजना	अवधि	प्रमुख क्षेत्र	प्रमुख उपलब्धियाँ / विशेषताएँ
पहली पंचवर्षीय योजना	1951 – 1956	कृषि, सिंचाई और ऊर्जा	सामुदायिक विकास, भाखड़ा और हीराकुड जैसे बाँध
दूसरी पंचवर्षीय योजना	1956 – 1961	औद्योगीकरण (भारी उद्योग)	सार्वजनिक क्षेत्र पर बल, इस्पात संयंत्रों की स्थापना
तीसरी पंचवर्षीय योजना	1961 – 1966	कृषि, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता	हरित क्रांति की शुरुआत, उर्वरकों पर ध्यान
योजना अवकाश	1966 – 1969	युद्ध और सूखे के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर ध्यान	उच्च उपज वाले बीज (HYV seeds), सूखा न्यूनीकरण जैसे विशेष कार्यक्रम
चौथी पंचवर्षीय योजना	1969 – 1974	स्थिरता के साथ विकास, गरीबी उन्मूलन	बैंकों का राष्ट्रीयकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रमों की शुरुआत।
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना	1974 – 1978	गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत और गरीबी हटाओ पर ध्यान
रोलिंग योजनाएँ	1978 – 1980	राजनीतिक अस्थिरता के कारण वार्षिक योजनाएँ	अल्पकालिक उद्देश्यों के आधार पर परियोजनाएँ जारी रहीं
छठी पंचवर्षीय योजना	1980 – 1985	गरीबी में कमी और तकनीकी आत्मनिर्भरता	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) पर ध्यान, नाबार्ड की स्थापना
सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985 – 1990	रोज़गार सृजन, उत्पादकता	कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि
वार्षिक पंचवर्षीय योजनाएँ	1990 – 1992	खाड़ी युद्ध और राजकोषीय मुद्दों के कारण संकट का समाधान	आर्थिक सुधार शुरू किए गए
आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992–1997	आर्थिक उदारीकरण, मानव संसाधन विकास	उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण (LPG) सुधारों की शुरुआत, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान
नौवीं पंचवर्षीय योजना	1997–2002	सतत और न्यायसंगत विकास	कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे पर ध्यान
दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002–2007	गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन में कमी	प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना, सामाजिक क्षेत्र में निवेश
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	2007–2012	समावेशी विकास	शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, ग्रामीण रोजगार पर ध्यान
बारहवीं पंचवर्षीय योजना	2012–2017 [UPSC 2014]	तीव्र, सतत और समावेशी विकास	ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे और कौशल विकास पर ध्यान

भारत में कृषि विकास

अवलोकन और महत्त्व

- कृषि क्षेत्र 42.3% जनसंख्या को आजीविका प्रदान करता है और भारत की सकल घरेलू उत्पाद (चालू कीमतों पर) में 18.2% योगदान देता है। पिछले पाँच वर्षों में, इसने 4.18% प्रति वर्ष की विकास दर बनाए रखी है। हालाँकि, खराब मानसून और अल-नीनो प्रभाव के कारण 2023-24 में विकास दर धीमी होकर 1.4% हो गई।
- भारत चावल, गेहूँ और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा दूध, दालों एवं मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हालाँकि, खंडित भूमि जोत, कम मशीनीकरण और वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता जैसी चुनौतियों के कारण फसल की पैदावार वैश्विक मानकों से नीचे बनी हुई है।

फसल उत्पादन और विविधीकरण:

- वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 329.7 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ। हालाँकि, मौसम परिवर्तनशीलता के कारण वर्ष 2023-24 में यह थोड़ा कम होकर 328.8 मिलियन टन रह गया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) और फसल विविधीकरण कार्यक्रम जैसी सरकारी पहल जल की अधिक खपत वाली फसलों से दलहन, तिलहन और पोषक अनाज की ओर परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था ने दलहन और तिलहन (जैसे, उत्पादन लागत से 89% अधिक MSP वाली दाल) के लिए महत्त्वपूर्ण MSP वृद्धि के साथ विविधीकरण को प्रोत्साहित किया है।

Search On TG: @apna_pdf

पशुधन और मत्स्य पालन

- पशुधन कृषि में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन गया है। वर्ष 2022-23 में कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 30.38% हो गई है। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - देशी नस्ल सुधार के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
  - पशुधन प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM)।
  - मत्स्य पालन बुनियादी ढाँचे के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), जिसने वर्ष 2022-23 में मत्स्य उत्पादन में 7.4% की वृद्धि का समर्थन किया है।

स्थिरता और आधुनिकीकरण

- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत प्रति बूँद अधिक फसल (पीडीएमसी) जैसी योजनाएँ कुशल जल उपयोग और जैविक खेती प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं।
- डिजिटल कृषि मिशन और ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) बेहतर मूल्य, लागत प्रबंधन तथा किसानों के लिए निर्णय लेने के उपकरणों के माध्यम से कृषि को बदल रहे हैं।

खाद्य प्रबंधन और वितरण

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत, सरकार ने अपने खाद्यान्न भंडार का 40% लगभग दो-तिहाई आबादी को मुफ़्त में वितरित किया।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) संकट के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जैसे कि COVID-19 महामारी।

चुनौतियाँ और आगे की राह

- कम उत्पादकता, खंडित जोत और फसल के बाद के नुकसान का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है। मशीनीकरण और गुणवत्तापूर्ण लागत तक पहुँच में सुधार की आवश्यकता है।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना आवश्यक है, वर्ष 2022-23 में कृषि में सकल पूँजी निर्माण (GCF) 19.04% की दर से बढ़ा रहा है।

कृषि पर टैक्स

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) के अनुसार, किसी भी कृषि गतिविधि से उत्पन्न आय को सरकार द्वारा कर से छूट दी गई है, क्योंकि इसे किसी व्यक्ति की कुल आय के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाता है।
- सरकार घरेलू तेल पेराई उद्योग के हितों की रक्षा के लिए खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क लगाती है। **[UPSC 2018]**

Search on TG: @apna_pdf

भारतीय कृषि के हालिया परिदृश्य

पहलू	विवरण
कृषि उत्पादन	चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (2022 – 23) में 18.3% का योगदान देता है। स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 3% की वृद्धि (FY22) थी। कुल खाद्यान्न उत्पादन: 330.5 मिलियन मीट्रिक टन (2022 - 23) (तीसरा अग्रिम अनुमान), और बागवानी उत्पादन: 350.87 मिलियन मीट्रिक टन (2022 -23)।
कृषि निर्यात	वित्त वर्ष 2024 में निर्यात: समुद्री उत्पाद ($1.7 बिलियन), भैंस का माँस ($0.83 बिलियन), चीनी ($0.71 बिलियन)। कृषि निर्यात में FY22 में 19.92% की वृद्धि देखी गई, जो $50.21 बिलियन तक पहुँच गया। प्रमुख निर्यातों में चावल, मसाले और चीनी शामिल हैं।
सिंचित क्षेत्र	141 मिलियन हेक्टेयर सकल बोए गए क्षेत्र (2022-23) में से 52% (73 मिलियन हेक्टेयर) में सिंचाई की सुविधा है। चावल और गेहूँ सर्वाधिक सिंचित फसलें हैं। पीएमकेएसवाई के तहत, 32.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है।
बढ़ती आय और माँग	प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018 के $2,036 डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 में $3,277 डॉलर रहने का अनुमान है। प्रसंस्करण क्षेत्र से वर्ष 2025-26 तक $535 बिलियन डॉलर का उत्पादन प्राप्त करने की उम्मीद है, जिससे वर्ष 2024 तक 9 मिलियन रोजगार सृजित होंगे।
ऋण और निवेश	कृषि के लिए संस्थागत ऋण $226 बिलियन डॉलर (2021-22) तक पहुँच गया। कृषि अवसंरचना कोष के तहत फसल कटाई के बाद समर्थन और सामुदायिक खेतों को $1.66 बिलियन प्राप्त हुए।
भूमि जोत	कुल परिचालन जोत: 146.45 मिलियन (2015 - 16), 2010-11 से 5.86% की वृद्धि। औसत जोत का आकार: 1.08 हेक्टेयर (2015-16), 1.15 हेक्टेयर (2010 -11) से कम। लघु एवं सीमांत जोत कुल जोत का 86.08% है। परिचालन जोत में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 13.96% (2015 - 16) हो गई।

लघु कृषक बड़े खेत (SFLF) एक सामूहिक गतिविधि मॉडल है, जिसमें एक क्षेत्र के कई सीमांत किसान स्वयं को समूहों में संगठित करते हैं और चयनित कृषि कार्यों को समन्वयित एवं सुसंगत बनाते हैं। [UPSC 2023]

प्रमुख फसलें और फसल प्रतिरूप

- **फसल सघनता:** प्रति वर्ष भूमि के एक टुकड़े में खेती की जाने वाली फसलों की संख्या होती है।
- **फसल प्रतिरूप:** किसी विशेष समय पर किसी क्षेत्र में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें आदि।

फसल प्रतिरूप के प्रकार

मापदंड	परिभाषा	मुख्य विशेषताएँ
बहु फसलीकरण	भूमि के एक ही टुकड़े पर क्रमबद्ध तरीके से एक वर्ष में दो से अधिक फसलें उगाना।	उदाहरण- गेहूँ-चावल-मक्का जैसी फसलों की क्रमबद्ध खेती।
अंतर शस्यन	अलग-अलग पंक्ति व्यवस्था के साथ एक साथ दो या अधिक फसलें उगाना।	उदाहरण- मक्का के साथ बीन्स, सरसों के साथ गेहूँ।
मिश्रित फसल प्रणाली	इसे पॉलीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है; बिना किसी विशिष्ट कतार व्यवस्था के एक साथ दो या दो से अधिक फसलें लगाना।	उदाहरण- कपास + मूँगफली या गेहूँ + सरसों।
पट्टीदार कृषि प्रणाली	एक ही भूमि पर वैकल्पिक समानांतर पट्टियों में फसल उगाना।	उदाहरण- मक्का और सोयाबीन।
समोच्च रेखीय कृषि	जल अवरोध उत्पन्न करने के लिए ऊँचाई समोच्च रेखाओं के साथ जुताई/रोपण करना।	इसका उपयोग अक्सर ढलान वाले क्षेत्रों में चाय, कॉफी जैसी फसलों की खेती के लिए किया जाता है।

भारत में प्रमुख फसलों का उत्पादन

फसल	उत्पादन (2023-24)	विशेषता	क्षेत्रफल (2022-23)	वर्षा-आधारित बनाम सिंचित
चावल	137.8 मिलियन टन	निरंतर वृद्धि; 2021-22 में कुल उत्पादन (135.54 मिलियन टन)।	43.79 मिलियन हेक्टेयर	50% सिंचित; पूर्वी भारत में मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर।
गेहूँ	113.3 मिलियन टन	स्थिर वृद्धि; जलवायु परिवर्तनों के कारण मामूली उतार-चढ़ाव के साथ स्थिर वृद्धि; 2020-21 में उच्च उत्पादन।	30.5 मिलियन हेक्टेयर	मुख्य रूप से सिंचित (90% से अधिक)।
कपास	325.2 लाख गाँठ या बेल्स	2019-20 में 365.19 लाख बेल्स के उच्च उत्पादन के साथ परिवर्तन।	120.69 लाख हेक्टेयर	67% वर्षा आधारित; 33% सिंचित।
गन्ना	455.3 मिलियन टन	निरंतर वृद्धि; वैश्विक बाजार में मुख्य योगदानकर्ता।	5.56 मिलियन हेक्टेयर	मुख्य रूप से सिंचित (>90%)
मक्का	37.6 मिलियन टन	स्थिर प्रवृत्ति; पशु आहार और औद्योगिक उपयोग के लिए व्यापक रूप से उपयोग।	9.8 मिलियन हेक्टेयर	85% वर्षा आधारित
दलहन	24.2 मिलियन टन	सरकार की नीतियों जैसे- न्यूनतम समर्थन मूल्य, के समर्थन द्वारा स्थिर वृद्धि।	29.17 मिलियन हेक्टेयर	मुख्य रूप से वर्षा आधारित (>80%)।
सोयाबीन	13.06 मिलियन टन	मौसमी परिवर्तनशीलता; खाद्य तेल उत्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण।	12.1 मिलियन हेक्टेयर	100% वर्षा आधारित
मूँगफली	10.18 मिलियन टन	उच्च परिवर्तन; गुजरात में उच्चतम उत्पादन दर्ज।	4.6 मिलियन हेक्टेयर	70% वर्षा आधारित; 30% सिंचित।
रेपसीड और सरसों	13.25 मिलियन टन	स्थिर वृद्धि; राजस्थान द्वारा सर्वाधिक योगदान।	6.3 मिलियन हेक्टेयर	मुख्य रूप से सिंचित (60%)
मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी)	17.5 मिलियन टन	जलवायु अनुकूल फसल के रूप में सरकारी प्रयासों के कारण पुनरुत्थान।	12.5 मिलियन हेक्टेयर	85% वर्षा आधारित
फल	112.73 मिलियन टन	निरंतर वृद्धि; भारत आम और केले के उत्पादन में अग्रणी।	8.5 मिलियन हेक्टेयर	मुख्य रूप से सिंचित (>80%)
सब्जियाँ	205.80 मिलियन टन	स्थिर वृद्धि; आलू और टमाटर का महत्त्वपूर्ण योगदान।	10 मिलियन हेक्टेयर	मुख्य रूप से सिंचित (>75%)
चाय	1,382.03 मिलियन किग्रा.	उत्पादन में मामूली उतार-चढ़ाव; असम और पश्चिम बंगाल अग्रणी।	0.58 मिलियन हेक्टेयर	विशिष्ट जलवायु क्षेत्रों की आवश्यकता
कॉफी	3.74 लाख टन	स्थिर प्रवृत्ति; कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का प्रभुत्व।	0.44 मिलियन हेक्टेयर	मुख्य रूप से वर्षा आधारित, लेकिन नियंत्रित सिंचाई की आवश्यकता।
तंबाकू	800 मिलियन किग्रा.	वैश्विक तंबाकू विरोधी नीतियों के कारण उत्पादन में थोड़ी कमी।	0.35 मिलियन हेक्टेयर	70% सिंचित क्षेत्र

Search on TG: @apna_pdf

कृषि प्रणाली

कृषि प्रणाली	विवरण	मुख्य विशेषताएँ (भारत, 2023)
आर्द्रभूमि कृषि	जलयुक्त मृदा या झीलों, तालाबों या नहरों जैसे जल स्रोतों का उपयोग करके सिंचाई की जाती है।	भारत के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 12% शामिल है।
शुष्क भूमि कृषि	फसल उत्पादन के लिए नमी संरक्षण महत्त्वपूर्ण होने के साथ, पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करता है।	यह 68% कृषि योग्य क्षेत्र को कवर करता है; 44% खाद्यान्न उत्पादन करता है।
वर्षा आधारित कृषि	750 मिमी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, विविध फसल प्रणालियों का समर्थन करते हैं।	शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 52% हिस्सा वर्षा आधारित कृषि के अंतर्गत आता है।
मिश्रित कृषि	विविध आय के लिए फसल उत्पादन को पशुधन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के साथ जोड़ता है।	ग्रामीण परिवारों में लोकप्रिय; कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 20% योगदान देता है।

हरित क्रांति

पहलू	विवरण
उत्पत्ति और विकास	भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में फसल उत्पादन में भारी गिरावट के कारण, वर्ष 1957-58 में शुरू हुई। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP) और उच्च उपज किस्मों के कार्यक्रम (HYVP) सरकारी पहलें शुरू की गई।
मुख्य विशेषताएँ	हरित क्रांति ने पानी के पंप, हल और ट्रैक्टर जैसी मशीनरी के साथ कृषि के मशीनीकरण के साथ-साथ बहु-फसलीय, उच्च उपज वाली किस्मों (HYV) तथा रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया।
सकारात्मक प्रभाव	कृषि उत्पादकता में वृद्धि, विशेष रूप से गेहूँ और चावल में; खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आर्थिक विकास, बुनियादी ढाँचे में सुधार और कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार के अधिक अवसर बढ़े।
नकारात्मक प्रभाव	गहन कृषि के कारण मिट्टी का कटाव, पानी की कमी और जैव विविधता की हानि जैसे पर्यावरणीय मुद्दे। रसायनों के अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी और जल प्रदूषण में योगदान दिया। इससे असमानता भी बढ़ी, धनी किसानों को छोटे किसानों की तुलना में अधिक लाभ हुआ।
चुनौतियाँ	प्रमुख चुनौतियों में भूमि जोत में कमी (0.10 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति), जल की कमी (भारत अपने 90% से अधिक जल संसाधनों का उपयोग सिंचाई के लिए करता है) और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जैसे चावल की पैदावार में कमी शामिल हैं। उत्पादकता में वृद्धि मुख्य अनाज तक सीमित थी, दालों और वाणिज्यिक फसलों पर कम ध्यान दिया गया।
हरित क्रांति 2.0	यह नया चरण जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु-अनुकूल फसलों के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी और सतत कृषि पर केंद्रित है। स्थिरता पर जोर देते हुए, यह जैविक खेती, कृषि पारिस्थितिकी और एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देता है जिसका लक्ष्य पारिस्थितिक और आर्थिक दोनों चुनौतियों का समाधान करना है।

Search on TG: @apna_pdf

बागवानी

बागवानी (Horticulture) को मोटे तौर पर निम्नलिखित उप-विषयों में वर्गीकृत किया गया है-

1. **पोमोलॉजी:** फलों का अध्ययन और खेती।
2. **ओलेरीकल्चर:** सब्जियों का अध्ययन और खेती।
3. **फ्लोरीकल्चर:** फूलों का अध्ययन और खेती।
4. **भूदृश्य (लैंडस्केप) बागवानी:** सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक और कार्यात्मक बाह्य स्थानों को डिजाइन करने के लिए पौधों का उपयोग किया जाता है।

प्रमुख बागवानी फसलों का अवलोकन

फसल	खेती के अंतर्गत क्षेत्र	उत्पादन (2022-23)	शीर्ष उत्पादक राज्य	निर्यात
फल	25 मिलियन हेक्टेयर	99 मिलियन टन (लगभग)	उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	**प्रमुख निर्यात:** आम, केला, अंगूर।

फसल	खेती के अंतर्गत क्षेत्र	उत्पादन (2022-23)	शीर्ष उत्पादक राज्य	निर्यात
सब्जियाँ	13 मिलियन हेक्टेयर	185 मिलियन टन (लगभग)	पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा	निर्यात की जाने वाली सब्जियों में प्याज व टमाटर शामिल हैं।
मसाले	4.8 मिलियन हेक्टेयर	9 मिलियन टन (लगभग)	केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	**प्रमुख निर्यात:** काली मिर्च, इलायची, हल्दी।
फूल	0.3 मिलियन हेक्टेयर	1.9 मिलियन टन (लगभग)	तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल	**फूल और पौधे निर्यात**: चमेली, गुलाब।
नारियल	2.2 मिलियन हेक्टेयर	19 बिलियन टन (लगभग)	केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक	**निर्यात किए जाने वाले उत्पाद**: खोपरा, नारियल तेल।
काजू	1.5 मिलियन हेक्टेयर	8.1 लाख टन (लगभग)	केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र	**प्रमुख निर्यात**: काजू, काजू की गिरी।
चाय	0.4 मिलियन हेक्टेयर	1,325 मिलियन किलोग्राम (लगभग)	असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु	**निर्यात:** यू.के., रूस, यू.एस. को चाय।
कॉफी	0.4 मिलियन हेक्टेयर	340 हज़ार टन (लगभग)	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु	**प्रमुख निर्यात:** इटली, जर्मनी, यू.एस

बागवानी के लिए सरकारी पहल

- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH):** वर्ष 2014 -15 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। सरकार लागत का 85% (उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्रों के लिए 100%) वहन करती है।

MIDH के उद्देश्य	• उत्पादन और आय में सुधार के लिए किसान समूह (FIG, FPO, FPC) बनाना। • उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और पानी के उपयोग के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ावा देना। • बागवानी क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देना।
MIDH के अंतर्गत उप-मिशन	• **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM):** 18 राज्यों और 6 संघ राज्यक्षेत्रों में बागवानी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। • **उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH)**: उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों में बागवानी का विकास करता है। • **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB):** संपूर्ण भारत में विभिन्न बागवानी परियोजनाओं को लागू करता है।
रणनीतियाँ	• उत्पादन से विपणन तक "शुरू से अंत तक (End-to-End)" दृष्टिकोण । • शीत शृंखला (कोल्ड चेन) अवसंरचना प्रबंधन, बेहतर खेती, कटाई और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना। • किसान संगठनों को समर्थन देना और जैविक खेती को बढ़ावा देना।
प्रमुख गतिविधियाँ	• गुणवत्ता युक्त बीजों के लिए नर्सरी और ऊतक संवर्धन इकाइयों की स्थापना करना। • उद्यान क्षेत्रों का विस्तार करना और पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस को बढ़ावा देना। • मधुमक्खी पालन और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। • फसल कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन बुनियादी ढाँचे में सुधार करना।

Search On TG: @apna_pdf

भारत में बीज क्षेत्र

गुणवत्तापूर्ण बीजों का महत्त्व

- **महत्त्वपूर्ण लागत:** बीज की गुणवत्ता अन्य कृषि लागत की प्रभावशीलता को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
- **उत्पादन में योगदान:** गुणवत्तायुक्त बीज कुल फसल उत्पादन में 15-20% का योगदान देते हैं, जो उत्पादक के कुशल प्रबंधन के साथ संभावित रूप से 45% तक बढ़ सकता है।

भारतीय बीज उद्योग का विकास

- **प्रारंभिक पहल:**
    - 1960 के दशक में राष्ट्रीय बीज निगम (National Seeds Corporation) की स्थापना ने संगठित बीज क्षेत्र की नींव रखी।
    - तीन चरणों में कार्यान्वित राष्ट्रीय बीज परियोजना (1977 - 1991) ने एक संरचित बीज उद्योग बनाने में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित किया।
- **नई बीज विकास नीति (1988 - 89):**
    - इसने उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक बीजों के लिए रास्ते खोले।
    - निजी और बहुराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित किया, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया।
- **तकनीकी उन्नति:**
    - वर्ष 2002 में बीटी कपास की शुरुआत ने उत्पादकता में क्रांतिकारी परिवर्तन किया।
    - उच्च गुणवत्ता वाले संकर बीजों और उन्नत प्रौद्योगिकियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया।

बीज उत्पादन प्रणाली

भारतीय बीज कार्यक्रम तीन चरणों वाली सीमित पीढ़ियों की प्रणाली का पालन करता है:

- **प्रजनक बीज:**
  - ICAR द्वारा उत्पादित और अनुसंधान संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा समर्थित नाभिकीय बीज की संतति।
  - उच्च आनवांशिक शुद्धता सुनिश्चित करता है तथा आधार बीज के स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- **आधार बीज:**
  - NSC, SFCI, तथा राज्य बीज निगमों द्वारा उत्पादित प्रजनक बीज की संतति।
  - भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों को पूरा करना होगा।
- **प्रमाणित बीज:**
  - आधार बीज की संतति, किसानों को वितरित की जाती है।
  - भौतिक शुद्धता, अंकुरण दर, तथा आनुवंशिक पहचान के लिए परीक्षण किया जाता है।

भारत में प्रजातीय संरक्षण

- **क़ानूनी ढाँचा:**
  - विश्व व्यापार संगठन के तहत ट्रिप्स समझौते के दायित्वों के अनुरूप, "पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001"।
- **पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण:**
  - **2005 से परिचालन में है, जिसके प्रमुख कार्य हैं:**
    - पौधों की किस्मों को पंजीकृत करना।
    - हितधारकों के बीच लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करना।
    - पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करना।
  - **अनिवार्य लाइसेंसिंग:** आवश्यकता पड़ने पर बीजों या प्रचार सामग्री तक सार्वजनिक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।

बीज प्रमाणीकरण प्रणाली

- **उद्देश्य:**
  - भौतिक पहचान और आनुवंशिक शुद्धता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करें।
  - बीज उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कानूनी रूप से स्वीकृति।
- **मानक और प्रक्रिया:**
  - प्रमाणन में क्षेत्र निरीक्षण, बीज परीक्षण और भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणन मानकों (1988) का पालन शामिल है।
  - स्वायत्त बीज प्रमाणन एजेंसियों द्वारा संचालित, जो बिना लाभ - हानि के आधार पर संचालन किया जाता है।

- **बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर):** यह मापता है कि कुल फसल क्षेत्र में से कितने क्षेत्र में प्रमाणित बीजों की बुवाई की गई, जबकि खेत में बचाए गए बीजों की बुवाई की गई। बीज प्रतिस्थापन अनुपात जितना अधिक होगा, उत्पादन और उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। **[UPSC 2015]**
- एक गाँव को " **बीज गाँव** " कहा जाता है यदि किसानों का एक प्रशिक्षित समूह विभिन्न फसलों के लिए बीज पैदा करता है और किफायती मूल्य पर अपनी, अपने साथी ग्रामीणों और आसपास के गाँवों के ग्रामीणों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

सिंचाई

हालाँकि, भारत में विश्व की 17% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, लेकिन हमारे पास विश्व के जल संसाधनों का कुल 4% ही है।

सिंचाई जल उत्पादकता: फसल उत्पादन और प्रयुक्त सिंचाई जल का अनुपात।

लघु सिंचाई योजनाएँ	2000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र
मध्यम सिंचाई योजनाएँ	2000 हेक्टेयर < कृषि योग्य कमांड क्षेत्र < 10,000 हेक्टेयर
वृहत सिंचाई योजनाएँ	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र > 10000 हेक्टेयर

सिंचाई के प्रकार

सिंचाई के प्रकार	विवरण	भारत में आवृत क्षेत्र	प्रमुख क्षेत्र / राज्य
नहर सिंचाई	नदियों से नहरों में पानी लाया जाता है और कृषि क्षेत्रों में वितरित किया जाता है।	कुल सिंचित क्षेत्र का ~22%	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार
ट्यूबवेल / बोरवेल	बिजली या डीजल पंपों द्वारा उठाए गए भूमिगत जल का उपयोग करता है।	कुल सिंचित क्षेत्र का ~46%	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान
टैंक सिंचाई	प्राकृतिक या मानव निर्मित टैंकों में संगृहीत जल।	कुल सिंचित क्षेत्र का ~4%	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा
फव्वारा (स्प्रिन्कलर) सिंचाई	पानी को पाइपों के माध्यम से वितरित किया जाता है और फसलों पर छिड़का जाता है।	कुल सिंचित क्षेत्र का ~2%	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश
टपक सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) **[UPSC 2016]**	नलिकाओं और उत्सर्जकों की एक प्रणाली के माध्यम से पौधों की जड़ों को सीधे पानी प्रदान करता है।	कुल सिंचित क्षेत्र का ~4%	महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
कुआँ और अन्य स्रोत	इसमें खुले कुएँ और अन्य छोटे जल स्रोत शामिल हैं।	कुल सिंचित क्षेत्र का ~22%	राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु
अन्य आधुनिक विधियाँ	उर्वरीकरण (फर्टिगेशन) और रेन गन जैसी उन्नत विधियाँ।	कुल सिंचित क्षेत्र का <2%	बागवानी और नकदी फसलों वाले राज्यों में

Search On TG: @apna_pdf

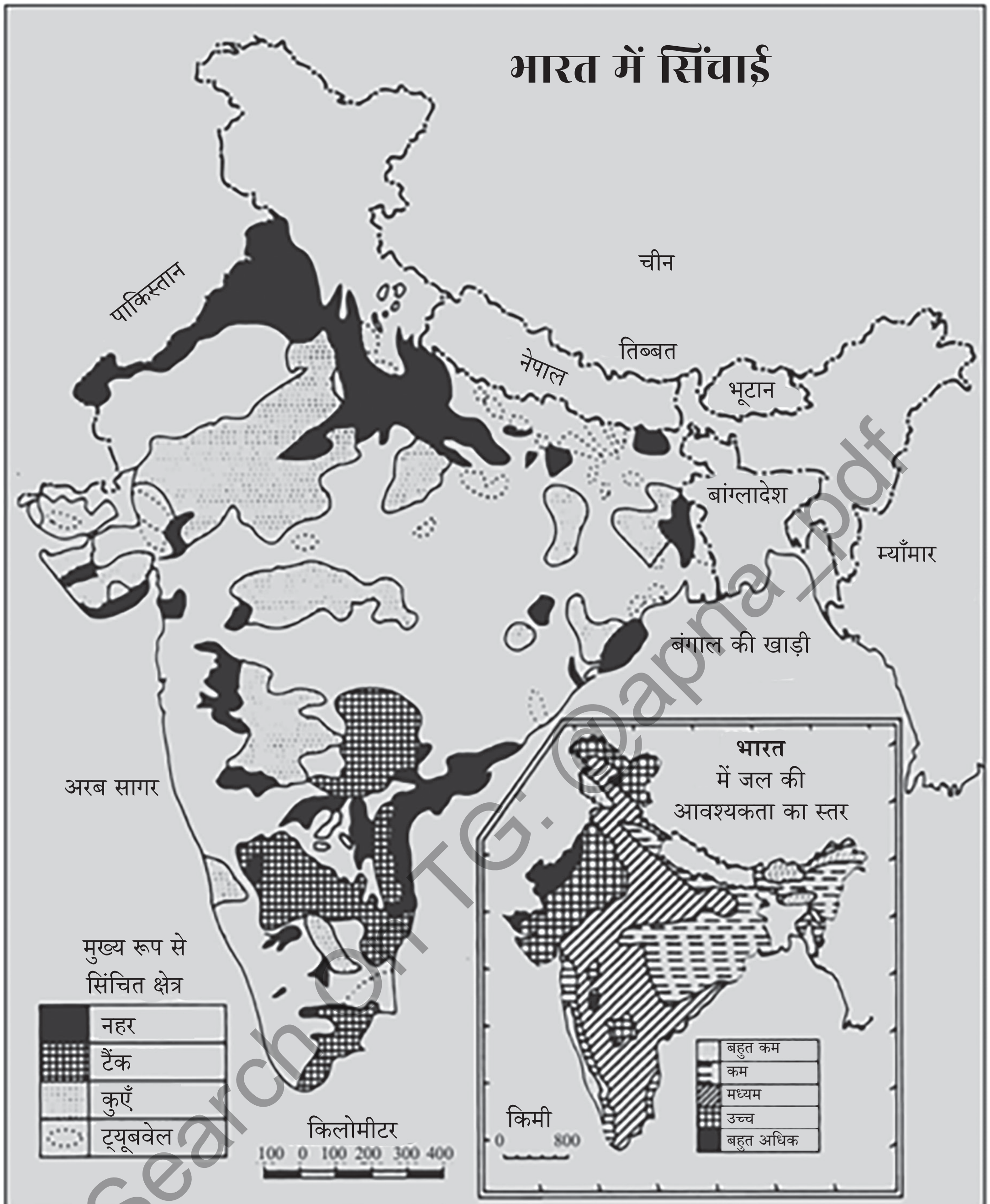

Search on TG: @apna_pdf

सिंचाई संबंधी प्रमुख सरकारी पहलें

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई):**
  - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) - जल संसाधन मंत्रालय।
  - एकीकृत जलसंभर(वाटरशेड) प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) - भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय)।
  - खेत पर जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम) - कृषि और सहकारिता विभाग
  - **उद्देश्य**
    - **अभिसरण:** क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश को समेकित करना।
    - **हर खेत को पानी:** सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना।
    - **प्रति बूँद अधिक फसल:** सतत सिंचाई और जल-बचत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना। (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)
    - **वहनीयता:** जलभृतों का संभरण, स्थायी जल संरक्षण को अपनाना और उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना।
    - **निजी निवेश:** सिंचाई प्रणालियों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
  - **विकेंद्रीकृत नियोजन:**
    - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना निधियों तक पहुँचने के लिए जिला सिंचाई योजनाओं (डीआईपी) और राज्य सिंचाई योजनाओं (एसआईपी) की तैयारी अनिवार्य है।

- **पर्यवेक्षण:**
  - प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) कार्यान्वयन की देखरेख करती है।
  - नीति आयोग के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) प्रगति की निगरानी करती है।
- **जल बजट:** घरेलू, कृषि और उद्योग क्षेत्र में लागू।
- **खेत-स्तर पर निवेश:** किसानों की भागीदारी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
- **वित्तपोषण:** नाबार्ड के तहत एक दीर्घकालिक सिंचाई कोष प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को गति देता है।

- **राष्ट्रीय जलसंभर (वाटरशेड) परियोजना (नीरांचल):**
  - **उद्देश्य:** सतत प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए तकनीकी सहायता के साथ एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) का समर्थन करना।
  - **विश्व बैंक सहायता:** सतत कृषि पैदावार को बढ़ावा देते हुए मिट्टी, पानी और वन संरक्षण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **एकीकृत (समग्र) दृष्टिकोण:** जलग्रहण क्षेत्रों के भीतर संसाधनों का संरक्षण और पुनरोद्धार, कृषि समुदाय परिणामों में वृद्धि।

अन्य योजनाएँ / कार्यक्रम

योजना/कार्यक्रम	विवरण
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम [UPSC 2015]	• राज्यों को उन्नत प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए वर्ष 1996 - 97 में प्रारंभ (लॉन्च) किया गया। • सिंचाई परियोजनाओं से लाभ में तेजी लाने का लक्ष्य।
कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	• सिंचाई प्रणालियों में जल-उपयोग दक्षता विकसित करने के लिए वर्ष 1974-75 में इसकी शुरुआत हुई।
जल ऋण [UPSC 2021]	• सुरक्षित जल और स्वच्छता के लिए वित्तपोषण को किफायती बनाने के लिए Water.org द्वारा एक ऋण कार्यक्रम। • जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूक्ष्म वित्तीय संसाधनों का उपयोग करता है।
राष्ट्रीय जल मिशन [UPSC 2012]	• जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) का हिस्सा। • जल संरक्षण, अपव्यय को कम करने और समान वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। • शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और तटीय शहरों में समुद्री जल के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

उर्वरक

उर्वरक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रधान और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की आपूर्ति करते हैं। वे कृषि उत्पादन में 15-20% का योगदान देते हैं, जो उचित उत्पादक प्रबंधन के साथ संभावित रूप से 45% तक बढ़ सकता है।

पोषक तत्त्व संरचना:

- **प्राथमिक (वृहत) पोषक तत्त्व:** नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटेशियम (K), कैल्शियम (Ca), मैग्नीशियम (Mg), सल्फर (S)।
- **द्वितीयक (सूक्ष्म) पोषक तत्त्व:** बोरॉन (B), क्लोरीन (Cl), कॉपर (Cu), आयरन (Fe), जिंक (Zn) आदि।
- उर्वरक सांख्यिकी-2022 के आँकड़ों के अनुसार, भारत का NPK अनुपात वर्ष 1991 - 92 में 5.9:2.4:1 से बिगड़कर वर्ष 2021-22 में 7.7:3.1:1 हो गया है, जो अनुशंसित 4:2:1 अनुपात से बहुत खराब स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस असंतुलन के कारण पोषक तत्त्वों की कमी, मृदा का क्षरण और फसल-पैदावार में कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न सकती है।

उर्वरकों के प्रकार

- **नाइट्रोजनयुक्त:** यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट।
- **पोटाशयुक्त:** पोटेशियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर।
- **फॉस्फेटिक:** सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट।
- **नीम लेपित यूरिया:** नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम करता है और दक्षता बढ़ाता है।
  - वर्तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख परिवर्तनकारी निर्णयों में से एक देश में सभी सब्सिडी वाले कृषि ग्रेड यूरिया पर 100% नीम कोटिंग लागू करना था, ताकि पोषक तत्त्व दक्षता, फसल उपज, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सके और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए कृषि ग्रेड यूरिया के परिवर्तन को रोका जा सके।

भारतीय उर्वरक क्षेत्र

- **विश्व में स्थान:** उत्पादन में तीसरा, खपत में दूसरा स्थान।
- **अभाव:** मिट्टी में नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) और पोटेशियम (K) का अभाव है।
- **प्रमुख उत्पादक:** नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इफको, कृभको (KRIBHCO)।

नीति और विनियमन

- **विनियमन:** रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा "उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951" के अंतर्गत विनियमित।
- **निर्भरता:** यूरिया की 80% आवश्यकताएँ घरेलू स्तर पर पूरी की जाती हैं; फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरक आयात पर निर्भर हैं।

सरकारी हस्तक्षेप

- **प्रतिधारण मूल्य निर्धारण योजना (RPS), 1977:** नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों आदि के लिए।
- **नई मूल्य निर्धारण योजना (NPS), 2003:** फीडस्टॉक की कीमतों और पौधों की पुरानी किस्मों के आधार पर सब्सिडी।
- **पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS), 2010:** संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने और राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए पोषक तत्त्व की मात्रा के साथ सब्सिडी को जोड़ता है। उर्वरक विभाग द्वारा कार्यान्वित 22 उर्वरकों (यूरिया के अलावा) पर लागू होता है।
- **नीम लेपित यूरिया नीति (2015):** प्रारंभ में दक्षता बढ़ाने और दुरुपयोग को कम करने के लिए 75% यूरिया उत्पादन के लिए नीम कोटिंग अनिवार्य थी। उर्वरक विभाग (DoF) ने सभी घरेलू उत्पादकों के लिए 100% यूरिया का उत्पादन नीम लेपित यूरिया (NCU) के रूप में करना अनिवार्य कर दिया है।

Search On TG: @apna_pdf

- **नीम लेपित यूरिया के लाभ:**
  - मिट्टी में नाइट्रोजन का धीरे-धीरे रिसाव
  - पौधों द्वारा नाइट्रोजन का बेहतर अवशोषण।
  - कीटनाशकों के उपयोग में कमी।
  - बेहतर उपज।
- **नई यूरिया नीति (2015)**: इसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना है।

यूरिया सहायिकी (सब्सिडी) योजना:

- वर्तमान में किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया के 45 किलोग्राम बैग का मूल्य ₹242 प्रति बैग है (नीम लेपन के शुल्क और लागू करों को छोड़कर)।
- यूरिया की कृषि क्षेत्र पर आपूर्ति की गई लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा शुद्ध बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया निर्माता / आयातकर्ता को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।
- मौजूदा यूरिया नीतियाँ जिनके द्वारा सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है, वे हैं नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) - III, संशोधित एनपीएस - III, नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015, तदनुसार, देश के सभी किसानों को रियायती दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है और वे इस योजना के लाभार्थी हैं।

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी योजना:

- सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर 28 ग्रेड के P&K उर्वरक उपलब्ध करा रही है। P&K उर्वरकों पर सब्सिडी 1 अप्रैल, 2010 से इस योजना द्वारा विनियमित है।
- अपने किसान हितकारी दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर P&K (फ़ॉस्फोरस, पोटेशियम) उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- उर्वरकों और लागत यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए, सरकार ने फॉस्फेटिक एवं पोटासिक (P&KF) उर्वरकों पर 01.10.24 से 31.03.25 तक प्रभावी रबी फसल 2024 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है।
- उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

नीतियों का प्रभाव:

- उत्पादन और खपत बढ़ी, लेकिन राजकोषीय घाटा का सामना करना पड़ा।
- फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के आंशिक विनियंत्रण के बाद उर्वरक उपयोग में असंतुलन (1992)।
- नीम लेपित यूरिया से नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार हुआ, कीटों का हमला कम हुआ और उर्वरक की बर्बादी कम हुई।

विविध तथ्य:

- भारत में उर्वरक की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है; अमोनिया, जो यूरिया की एक उत्पादक सामग्री है, प्राकृतिक गैस से उत्पादित होता है; सल्फर, जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए एक कच्चा माल है, तेल रिफाइनरियों का एक उप-उत्पाद है। **[UPSC 2020]**
- **फर्टिगेशन:** पानी में घुलनशील उर्वरकों को टपक सिंचाई प्रणाली में मिलाना, जहाँ उर्वरक को पौधों की जड़ों में पहुँचाया जाता है। इससे उर्वरकों का अनावश्यक कम हो जाता है। इसके मिट्टी की क्षारीयता को नियंत्रित करने, खरपतवार नियंत्रण और पोषक तत्त्वों की उपयोग दक्षता में वृद्धि करने जैसे लाभ हैं। इससे फसलों की उपज में 25-30% की वृद्धि होती है।
- **बाजार विकास सहायता नीति:** हरी खाद, ग्रामीण क्षेत्रों की जैविक खाद, ठोस/तरल घोल जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड: [UPSC 2017]

- सभी किसानों को 2 वर्ष के अंतराल पर रिपोर्ट कार्ड दिए जाते हैं; इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- नमूने लेने, परीक्षण और रिपोर्टिंग की लागत → केंद्र सरकार द्वारा।
- कृषि शिक्षा प्राप्त युवाओं, स्वयं सहायता समूहों, कृषि उत्पादक संगठनों (FPO) आदि द्वारा ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँगी।
- यह छह फसलों के लिए उर्वरक अनुशंसाओं के दो सेट प्रदान करता है, जिसमें जैविक खाद की अनुशंसाएँ और माँग पर अतिरिक्त फसलों के लिए अनुशंसाएँ शामिल हैं। मिट्टी के नमूनों का परीक्षण 12 मापदंडों के आधार पर किया जाता है-
  - **प्राथमिक पोषक तत्त्व:** नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटेशियम (K)
  - **द्वितीयक पोषक तत्त्व:** सल्फर (S); सूक्ष्म पोषक तत्त्व: जिंक (Zn), आयरन (Fe), कॉपर (Cu), मैंगनीज़ (Mn), बोरॉन (B)।
  - **सूक्ष्म पोषक तत्त्व:** जिंक (Zn), आयरन (Fe), कॉपर (Cu), मैंगनीज़ (Mn), बोरॉन (B)
  - **भौतिक मापदंड:** pH, EC (विद्युत चालकता), OC (कार्बनिक कार्बन)

जैविक खेती तथा जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF)

पहलू	जैविक खेती [UPSC 2018]	जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF)
परिभाषा	कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता और जैव विविधता को अनुकूलित करने के लिए निर्मित की गई एक समग्र प्रणाली है।	पारंपरिक प्रथाओं से प्रेरित रसायन मुक्त खेती की एक विधि, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करती है।
उत्पादन लागत	जैविक खाद, कम्पोस्ट और जैव उर्वरकों की आवश्यकताओं के कारण मध्यम से उच्च।	अत्यंत कम लागत; स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए उत्पादक का उपयोग करके लगभग शून्य व्यय।
रासायनिक उपयोग	सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करता है; जैव उर्वरकों और जैविक कीट नियंत्रण पर निर्भर है।	सिंथेटिक या कृत्रिम उत्पादकों या उर्वरक का प्रयोग नहीं; जीवामृत और बीजामृत का उपयोग करता है।

Search On TG: @apna_pdf

मृदा प्रबंधन	जुताई, हल चलाने और जैविक खाद डालने जैसी प्रथाओं की अनुमति देता है।	मिट्टी में गड़बड़ी से बचा जाता है (जैसे- जुताई या भारी मात्रा में खाद का प्रयोग नहीं करना)। प्राकृतिक मृदा स्वास्थ्य संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है
निराई (खरपतवार निकालना)	खेती की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में निराई को प्रोत्साहित करता है।	मिट्टी के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन को बनाए रखने के लिए निराई -गुड़ाई से बचता है।
कीट नियंत्रण	नीम तेल स्प्रे और प्राकृतिक कीट प्रतिरोधी जैसे गैर-रासायनिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग करता है।	कीट प्रबंधन के लिए बीजामृत (नीम, हरी मिर्च, तम्बाकू) जैसे मिश्रण का उपयोग करता है।
पलवार (मल्चिंग)	मृदा संरक्षण के लिए एक वैकल्पिक विधि।	नमी संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मल्चिंग (पलवार) एक मुख्य अभ्यास है।
जल प्रबंधन	जल दक्षता के प्रबंधन के लिए जैविक तकनीकों पर निर्भर है।	व्हापासा तकनीक की वकालत करता है, जो मिट्टी में पानी और वायु के अणुओं को संतुलित करके मिट्टी की नमी को बनाए रखता है।
फसल उपज	आमतौर पर पारंपरिक खेती की तुलना में कम लेकिन अल्पावधि में प्राकृतिक खेती की तुलना में अधिक उपज देता है ।	प्रारंभ में कम लेकिन समय के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बेहतर होने से इसमें सुधार होता है।
पर्यावरणीय प्रभाव	रासायनिक प्रदूषण को कम करता है और जैव विविधता को संरक्षित करता है।	प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के साथ पूर्ण सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करता है।

जैविक खेती के लिए सरकारी पहल:

- सरकार वर्ष 2015-16 से परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER) के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है।
- पीकेवीवाई को देश भर में पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। MOVCDNER योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में लागू की गई है।
- प्राकृतिक खेती (एनएफ) सहित पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की एक उप योजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) शुरू की गई है।
- बीपीकेपी के तहत, क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा निरंतर सहायता, प्रमाणीकरण तथा अवशेष विश्लेषण के लिए 3 वर्षों के लिए 12200 रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- दोनों योजनाएँ जैविक खेती में लगे किसानों को शुरू से अंत तक समर्थन यानी उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन एवं प्रसंस्करण सहित फसल कटाई के बाद प्रबंधन समर्थन पर जोर देती हैं।
- **प्रमाणीकरण:** सरकार ने क्षेत्रीय परिषद या राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) प्रमाणीकरण के माध्यम से भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) प्रमाणीकरण के लिए 3 वर्ष के लिए 2700 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 8.0 या अधिक हेक्टेयर भूमि वाले व्यक्तिगत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।
  - हालाँकि, एनपीओपी प्रमाणित उत्पादों का निर्यात और घरेलू बाजार में व्यापार किया जा सकता है, लेकिन पीजीएस-इंडिया प्रमाणित उत्पादों का व्यापार केवल घरेलू बाजार में किया जा सकता है।

कृषि वित/ऋण

कृषि ऋण में हिस्सेदारी:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (76%), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (11.9%) और सहकारी समितियाँ (12.1%) कृषि ऋण प्रदान करते हैं; जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (DCCB) ग्रामीण जमा राशि जुटाते हैं और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को वित्तपोषित करते हैं।

[UPSC 2011, 2020]

विभिन्न सरकारी पहलें

पहलू	मुख्य विशेषताएँ पहल
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) **[UPSC 2020]**	कार्यशील पूँजी, कृषि संपत्तियों के रख-रखाव और उपभोग आवश्यकताओं सहित कृषि प्रबंधन के लिए किसानों को अल्पकालिक औपचारिक ऋण प्रदान करता है।
निवेश ऋण	सिंचाई, मशीनीकरण, भूमि विकास, वृक्षारोपण, बागवानी और कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए उपलब्ध है।
ब्याज अनुदान योजना	किसानों को अल्पकालिक ऋण पर रियायती ब्याज दरों की पेशकश करता है।
सूक्ष्म सिंचाई निधि (नाबार्ड)	जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म-सिंचाई तकनीकों को अपनाने का समर्थन करता है।
एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम	ग्रामीण और कृषि विकास के लिए बैंकों को स्वयं सहायता समूहों, विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल)	बैंकों को अपने ANBC का 40% (RRB, सहकारी बैंक, SFB के लिए 75%) कृषि, MSME, निर्यात, शिक्षा और आवास जैसे क्षेत्रों के लिए आवंटित करने का निर्देश देता है।

Search On TG: @apna_pdf

कृषि अवसंरचना निधि	केंद्रीय क्षेत्र की योजना फसल कटाई के बाद और सामुदायिक कृषि अवसंरचना के लिए 3% ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी के साथ ₹1 लाख करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान करती है। यह योजना 2020-21 से 2029-30 तक जारी रहेगी।
नाबार्ड की भूमिका	• एससीबी, आरआरबी और सहकारी बैंकों जैसे ग्रामीण ऋण संस्थानों के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। • SHG बैंक लिंकेज और सूक्ष्म ऋण नवाचारों को बढ़ावा देता है। • आरआईडीएफ और एमसीआईएस के माध्यम से ग्रामीण आवास, बुनियादी ढाँचे एवं अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (SAA) **[UPSC 2012, 2019]**	वर्ष 1989 में लीड बैंक योजना के तहत शुरुआत की गई; नियोजित विकास के लिए ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण बैंक शाखाओं को 15-25 गाँव सौंपे जाते हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति	वार्षिक तौर पर 22 से अधिक फसलों के लिए गारंटीकृत लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है; किसानों को मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाता है।
ऋण प्रवाह के लिए संस्थान	इसमें सहकारी समितियाँ, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।
सेवा क्षेत्र ऋण योजनाएँ (SACP)	लक्षित वित्तीय समावेशन और विकास के लिए इसके तहत वार्षिक ऋण योजनाएँ तैयार की गईं।

भारत में फसल बीमा

योजनाएँ	अवधि	विवरण	समग्रता और प्रभाव
प्रथम व्यक्तिगत दृष्टिकोण योजना	1972-1978	भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा शुरू किया गया। सीमित राज्यों में चयनित फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया।	सीमित फसलों को कवर किया गया, विशिष्ट फसलों के लिए पायलट योजना, सीमित दायरा।
पायलट फसल बीमा योजना (पीसीआईएस)	1979-1984	**'क्षेत्र दृष्टिकोण'** के आधार पर, संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने वाले किसानों को लक्षित किया गया।	किसानों के विशिष्ट समूहों तक ही सीमित; सीमित भौगोलिक क्षेत्र।
व्यापक फसल बीमा योजना (सीसीआईएस)	1985-1999	'समरूप क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर, अल्पकालिक ऋण से जुड़ी पहली राष्ट्रव्यापी योजना।	राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन, विभिन्न फसलों के लिए बीमा प्रदान किया गया।
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस)	1999-2000 से अब तक	व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर लागू, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान से बचाना है।	सभी किसानों को इसमें शामिल किया गया, कई राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में व्यापक फसल कवरेज लागू किया गया।
संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस)	2010-11	योजना को और अधिक किसान-अनुकूल बनाने के लिए 50 जिलों में पायलट आधार पर शुरू किया गया।	लाखों किसानों को कवर किया गया, जिसका उद्देश्य सुगमता और दक्षता में सुधार करना है।
पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस)	2007	फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल मौसम स्थितियों के खिलाफ बीमा प्रदान किया गया।	विभिन्न राज्यों में लागू किया गया, बड़ी संख्या में किसानों और भूमि को इसमें शामिल किया गया।
पायलट नारियल पाम बीमा योजना (सीपीआईएस)	2009-10 और 2010-11	नारियल के पेड़ों का बीमा करने के लिए विभिन्न राज्यों के चयनित क्षेत्रों में लागू किया गया।	हजारों किसानों को इसमें शामिल किया गया, वर्ष 2013 तक दावों का भुगतान किया गया।
राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी)	2013-14 से अब तक	राष्ट्रीय कार्यान्वयन के लिए सुधार के साथ MNAIS, WBCIS और CPIS को विलय कर दिया गया।	किसान और क्षेत्र कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि का लक्ष्य, बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) [UPSC 2016]

विशेषता	विवरण
प्रारंभ	वर्ष 2016
वित्त पोषण	2024-25 में ₹14,600 करोड़
उद्देश्य	किसानों की फसल सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के खिलाफ फसल बीमा कवर प्रदान करता है।

Search On TG: @apna_pdf

पात्रता	ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य, अन्य के लिए स्वैच्छिक (2020 से); प्रीमियम फसल के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होते हैं।
प्रीमियम दरें	ख़रीफ़- 2 %, रबी- 1.5 %, वाणिज्यिक/बागवानी फसलें- 5 %
मुख्य विशेषताएँ	व्यापक कवरेज, सरलीकृत दावा प्रक्रिया, स्थानीय आपदाओं को शामिल करना और सीधे भुगतान।
लाभार्थी	प्रारंभ में ऋणी किसानों के लिए, अब सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक।
पुनर्निर्मित संस्करण (PMFBY 2.0)	विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए दावा प्रक्रिया, दक्षता और अनुकूलनशीलता में सुधार के लिए वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया।
शामिल जोखिम	प्राकृतिक आपदाओं, कटाई के बाद के नुकसान, स्थानीय मुद्दों, बुवाई की विफलता आदि को शामिल करता है।
उद्देश्य	किसानों की आय को स्थिर करना, आधुनिक खेती को बढ़ावा देना, ऋण प्रवाह, खाद्य सुरक्षा और दीर्घकालिक उपज सुनिश्चित करना।
प्रौद्योगिकी एकीकरण	बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए ऐप, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करता है।
पूर्वोत्तर भारत में चुनौतियाँ	प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अवसंरचनात्मक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भारतीय कृषि नीति में प्रमुख संस्थाएँ और उनकी रूपरेखा

आयोग/संस्थान (स्थापना वर्ष)	उद्देश्य	प्रमुख भूमिकाएँ / विशेषताएँ
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) - 1965	विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करना।	• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय। • इसमें एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव, एक आधिकारिक सदस्य और दो गैर-सरकारी सदस्य शामिल होते हैं।
नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) - 1981	कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करना एवं विनियमित करना।	• **वित्तीय संस्थाओं** (जैसे- SCARDB, SCB, RRB, CB) को पुनर्वित्त प्रदान करता है। • **सूक्ष्म वित्त हेतु SHG** - बैंक लिंकेज को बढ़ावा देता है। • आरआईडीएफ के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का समर्थन करता है।
लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC 1994)	कृषि-व्यवसाय और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को बढ़ावा देना।	• राज्यों में कृषि-व्यवसाय परियोजनाओं का विकास करता है। • कृषि विपणन के लिए ई-नाम (e-NAM) मंच को लागू करता है। **[UPSC 2017]**
एपीडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) - 1985	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।	• वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत वैधानिक निकाय। • चीनी के आयात पर नज़र रखता है और निर्यात अवसंरचना विकास को बढ़ावा देता है।
कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)	सहकारी शैली के संगठन बनाकर किसानों को सशक्त बनाना।	• किसानों को सामूहिक रूप से उपज का विपणन करने और बेहतर कीमतों का निर्धारण करने में सक्षम बनाता है।
एग्मार्क (AGMARK) - 1937	गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कृषि उत्पादों को प्रमाणित करना।	• विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय के तहत प्रमाणीकरण। • 222 कृषि वस्तुओं को कवर करता है।

Search On TG: @apna_pdf

खाद्यान्न वितरण

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत **वन नेशन - वन राशन कार्ड** प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पहुँच को निर्धारित करना।
- **परक्राम्य गोदाम रसीदें (Negotiable Warehouse Receipts-NWR)**
  - **स्थापना:** वर्ष 2011, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा।
  - **उद्देश्य:** किसान अपने भंडारण के लिए जारी गोदाम रसीदों के आधार पर बैंकों से ऋण माँग सकते हैं।
  - **विनियमन:** गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA)।
  - **जारी की गई रसीदें:** गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत गोदाम → यह केंद्रीय कानून द्वारा समर्थित पूर्णतः समझौता योग्य दस्तावेज है।
  - इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीद (e-NWR) प्रणाली → 2017 में लॉन्च की गई।

भारतीय खाद्य निगम (FCI):
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत नोडल संगठन है।
- यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और खुले आधार पर खाद्यान्न की खरीद करता है।

कृषि बाजार

- **कृषि उपज बाजार समितियाँ (APMC)**
  - राज्य सरकारों द्वारा स्थापित
  - **उद्देश्य:** बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को समाप्त करना; खाद्य उपज को बाजार में लाया जाना चाहिए; बिक्री नीलामी के माध्यम से की जाती है।
- **ई - नाम**: वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया। यह कृषि उपज के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ देशव्यापी बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है। **[UPSC 2017]**
- कृषि उत्पादों के बाजारों को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। **[UPSC 2015]**

विभिन्न प्रकार की खरीद प्रणाली

प्रकार	परिभाषा	उदाहरण	उद्देश्य
मूल्य समर्थन प्रणाली	सरकार चुनिंदा फसलों के लिए निश्चित मूल्य निर्धारित करती है; यदि बाजार मूल्य इससे नीचे चला जाता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है।	भारत में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (जैसे-गेहूँ, चावल)।	किसानों के लिए उचित आय सुनिश्चित करता है, उन्हें बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाता है।
मूल्य कमी भुगतान	किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई की जाती है।	पीएम-आशा के अंतर्गत पीडीपीएस	किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्रत्यक्ष सरकारी खरीद को कम करता है।
बाजार आश्वासन कार्यक्रम	यदि कीमतें एक निश्चित स्तर से नीचे चली जाती हैं तो सरकार खरीदारों को समर्थन की गारंटी देती है।	निजी खरीदारों का समर्थन करने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम।	किसानों को उचित मूल्य मिले यह सुनिश्चित करते हुए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
राज्य - विशिष्ट एमएसपी प्रणाली	राज्य एमएसपी को केंद्र द्वारा निर्धारित दरों से अधिक घोषित करते हैं।	पंजाब और हरियाणा को केंद्रीय एमएसपी से अधिक बोनस।	एमएसपी नीतियों को राज्य-विशिष्ट फसल प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करता है।
मूल्य स्थिरीकरण कोष	मूल्यों में गिरावट के दौरान हस्तक्षेप करके कीमतों को स्थिर करने के लिए कोष।	भारत की योजना के तहत प्याज और आलू के लिए उपयोग किया जाता है।	किसानों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है।
वस्तु-विशिष्ट समर्थन	अस्थिर फसलों को लक्षित करने वाले एमएसपी जैसे हस्तक्षेप।	गन्ने का एफआरपी, कपास की कीमत में हस्तक्षेप।	किसानों के लिए विशिष्ट वस्तुओं पर उचित लाभ सुनिश्चित करता है।
आय सहायता योजनाएँ	एमएसपी - आधारित प्रणालियों के बजाय किसानों को प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण।	पीएम-किसान: छोटे किसानों को सालाना ₹6,000।	किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गणना कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा विस्तृत लागत निर्धारण पद्धति का उपयोग करके की जाती है। एमएसपी निर्धारित करने के लिए सीएसीपी तीन प्रकार की उत्पादन लागत की गणना करता है- **[UPSC 2015, 2018 , 2019]**

1. **A2 लागत:** इसमें किसान द्वारा सीधे तौर पर खर्च की गई सभी भुगतान लागतें शामिल हैं, जैसे- बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किराये पर लिया गया श्रम, पट्टे पर दी गई भूमि, ईंधन और सिंचाई पर खर्च।
2. **पारिवारिक श्रम (FL):** कृषि में उपयोग किए जाने वाले अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य। यह खेती की प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों के योगदान का प्रतिनिधित्व करता है।
3. **A2 + FL:** यह कुल उत्पादन लागत है, जो A2 और FL का योग है। किसानों को उचित मुआवजा और उचित लाभ मार्जिन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी आमतौर पर **A2 + FL** लागत का 1.5 गुना निर्धारित किया जाता है।

स्वामीनाथन आयोग (2006) ने अधिक व्यापक मूल्याँकन के लिए C2 लागतों को शामिल करने का प्रस्ताव देकर एक संशोधित दृष्टिकोण की सिफारिश की। A2 और FL के साथ, C2 में शामिल हैं:

- स्वामित्व वाली पूँजीगत परिसंपत्तियों (मशीनरी, आदि) के मूल्य पर ब्याज।
- पट्टे पर दी गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया या स्वामित्व वाली भूमि का किराया मूल्य।

C2 लागत पर आधारित एमएसपी का उद्देश्य उत्पादन-संबंधी सभी लागतों को कवर करना और किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित करना है। स्वामीनाथन फार्मूले ने एमएसपी को **C2** लागत का 1.5 गुना निर्धारित करने की सिफारिश की, जो स्वामित्व वाली भूमि और पूँजीगत संपत्तियों के मूल्य सहित भुगतान एवं आरोपित दोनों लागतों के लिए जिम्मेदार है।

Search On TG: @apna_pdf

पहलू	विवरण
अनुशंसा	कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा
अनुमोदन	आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में) द्वारा
नोडल संगठन	भारतीय खाद्य निगम (FCI)
उत्पादन लागत के प्रकार (CACP)	**1. A2: वास्तविक भुगतान की गई लागत।** **2. A2 + FL: वास्तविक भुगतान की गई लागत + पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य।** **3. C2: व्यापक लागत (स्वामित्व वाली भूमि और पूँजी पर अनुमानित किराया और ब्याज शामिल है)।**
सीएसीपी द्वारा लागत पर विचार	**यह एमएसपी की सिफारिश करते समय A2 + FL और C2 दोनों लागतों पर विचार करता है।**
खाद्यान्न की आर्थिक लागत (एफसीआई)	**MSP + बोनस (यदि कोई हो) + खरीद आकस्मिक व्यय + वितरण लागत। [UPSC 2019]**
एमएसपी घोषित	

अनाज (7)	धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी
दालें (5)	चना, अरहर / तूर, मूँग, उड़द, मसूर
तिलहन (8)	मूँगफली, रेपसीड / सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम के बीज, नाइजर के बीज
अन्य	खोपरा, छिलका रहित नारियल, कच्चा कपास, कच्चा जूट
गन्ना	केंद्र द्वारा एफआरपी (उचित एवं लाभकारी मूल्य)। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा शासित। इसके अलावा राज्य क्षेत्रीय अंतरों को समायोजित करने के लिए एसएपी (राज्य सुनिश्चित मूल्य) घोषित कर सकते हैं। **[UPSC 2015]**

किसानों से उचित मूल्य की दुकानों तक खरीद प्रक्रिया:

खाद्यान्नों, मुख्य रूप से गेहूँ और चावल की खरीद में कई चरण शामिल हैं जो किसानों को उचित मूल्य प्रदान करते हुए जनता के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस प्रक्रिया में एफसीआई, राज्य सरकारें और विभिन्न लॉजिस्टिक व्यवस्थाएँ शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को वितरण के लिए अनाज उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) तक पहुँच सके।

1. किसानों से खरीद

- **कटाई की अवधि:** कटाई के मौसम के बाद खरीद शुरू होती है, आमतौर पर रबी फसलीय ऋतु (अप्रैल - मई) में गेहूँ और खरीफ फसलीय ऋतु (अक्तूबर - नवंबर) में चावल के लिए।
- **भारतीय खाद्य निगम (FCI) खरीद केंद्र:** FCI किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज खरीदने के लिए विभिन्न राज्यों में खरीद केंद्र स्थापित करता है।
- **किसानों को भुगतान:** किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान किया जाता है जिसमें **A2 + FL** उत्पादन लागत शामिल होती है, जिससे उन्हें लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित होता है।
- **गुणवत्ता की जाँच:** खरीद से पहले अनाज की गुणवत्ता (खाद्य अनाज निरीक्षण संगठन के माध्यम से) की जाँच की जाती है।
- **भंडारण:** एक बार खरीद लेने के बाद, अनाज को आगे वितरण के लिए एफसीआई के गोदामों या भंडारण सुविधाओं में संगृहीत किया जाता है।

2. खरीद में राज्य सरकारों की भूमिका

- खरीद में सहायता करने में राज्य सरकारें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं:
- **मंडियों और खरीद केंद्रों की स्थापना:** राज्य सरकारें मंडियों और खरीद केंद्रों जैसे आवश्यक बुनियादी ढाँचे प्रदान करती हैं, जहाँ किसान अपनी उपज बेच सकते हैं।
- **परिवहन:** राज्य स्थानीय मंडियों से FCI डिपो और भंडारण गोदामों तक अनाज के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **भंडारण:** यदि FCI की भंडारण सुविधाएँ अपर्याप्त हैं, तो राज्य द्वितीयक भंडारण के लिए जिम्मेदार हैं।
- **गुणवत्ता और मात्रा सत्यापन:** राज्य एजेंसियाँ खरीदे जा रहे अनाज की गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी करती हैं।

3. भंडारण और वितरण में एफसीआई की भूमिका

- **केंद्रीय पूल:** एफसीआई द्वारा खरीदे गए अनाज को केंद्रीय पूल में संगृहीत किया जाता है, जहाँ से उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण के लिए आवंटित किया जाता है।
- **रसद और परिवहन:** एफसीआई देश भर में स्थित भंडारण केंद्रों से डिपो और गोदामों तक अनाज के परिवहन का प्रबंधन करता है, खासकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सेवा देने वाले गोदामों तक।

4. उचित मूल्य की दुकानों को वितरण

- **राज्यों को आवंटन:** एफसीआई राज्यों को उनकी खाद्यान्न आवश्यकताओं के आधार पर जनसंख्या और गरीबी के स्तर जैसे कारकों पर विचार करते हुए अनाज आवंटित करता है।
- **केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी):** अनाज को राज्य सरकारों को रियायती दरों पर बेचा जाता है जिसे केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत चावल ₹3 प्रति किलोग्राम और एनएफएसए के तहत गेहूँ ₹2 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है।

- **राज्य सरकारों का वितरण:** एफसीआई डिपो से उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) तक अनाज पहुँचाने की जिम्मेदारी राज्यों की है।

Search On TG: @apna_pdf

- **उचित मूल्य की दुकानें:** जनता को, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) लाभार्थियों और अन्य पात्र व्यक्तियों को रियायती दरों पर अनाज बेचा जाता है।

5. **एफसीआई और राज्य सरकारों के बीच शामिल और साझा की गई लागत**
   - संपूर्ण खरीद और वितरण प्रक्रिया में एफसीआई और राज्य सरकारों के बीच महत्त्वपूर्ण लागत-साझाकरण शामिल है।

- **FCI की भूमिका**
   - **खरीद लागत:** एफसीआई एमएसपी पर किसानों से अनाज खरीदने की लागत वहन करती है।
   - **भंडारण और गोदाम की लागत:** एफसीआई अपने गोदामों और गोदामों में अनाज के भंडारण की लागत वहन करती है।
   - **परिवहन लागत:** एफसीआई खरीद केंद्रों से गोदामों और गोदामों से राज्य डिपो तक अनाज के परिवहन के लिए जिम्मेदार है।
   - **वितरण लागत:** एफसीआई अपने डिपो से विभिन्न राज्यों तक अनाज परिवहन की लागत वहन करती है।
   - **प्रशासनिक व्यय:** एफसीआई निरीक्षण, गुणवत्ता जाँच और पैकेजिंग सहित पूरी प्रक्रिया के प्रशासन से संबंधित लागत वहन करता है।

- **राज्य सरकारों की भूमिका**
   - **वितरण लागत:** राज्य सरकारें मुख्य रूप से एफसीआई डिपो से उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) तक अनाज के परिवहन और अंतिम-मील वितरण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।
   - **सब्सिडी भुगतान:** राज्य सरकारें पीडीएस के तहत बेचे जाने वाले अनाज पर सब्सिडी का एक हिस्सा भुगतान करती हैं, खासकर जब केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) खरीद लागत से कम हो।
   - **परिवहन की लागत:** एफसीआई डिपो से एफपीएस तक अनाज के परिवहन और वितरण नेटवर्क के प्रबंधन की लागत राज्य वहन करते हैं।
   - **प्रशासनिक लागत:** राज्य पीडीएस के प्रबंधन से जुड़े कुछ प्रशासनिक खर्चों को वहन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अनाज बिना किसी रिसाव के एफपीएस तक पहुँचे।

6. **चुनौतियाँ और सुधार:**

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए खरीद प्रक्रिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अकुशल भंडारण प्रणाली, अधिक बर्बादी, किसानों को भुगतान में देरी और पीडीएस प्रणाली में लीकेज आदि। **आर्थिक समीक्षा 2022 में सुझाए गए कुछ सुधारों में शामिल हैं:**

   - **एमएसपी का सीधा हस्तांतरण:** लागत और अक्षमताओं को कम करने के लिए, सर्वेक्षण किसानों को एमएसपी पर नकद हस्तांतरण का सुझाव देता है।
   - **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** खरीद में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से दक्षता में सुधार में मदद मिल सकती है।
   - **बुनियादी ढाँचे का विकास:** अनाज की बर्बादी को कम करने के लिए फसल के बाद भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में निवेश।
   - **ई-नाम:** किसानों के लिए बेहतर मूल्य खोज और बाजार पहुँच के लिए ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) को मजबूत करना।

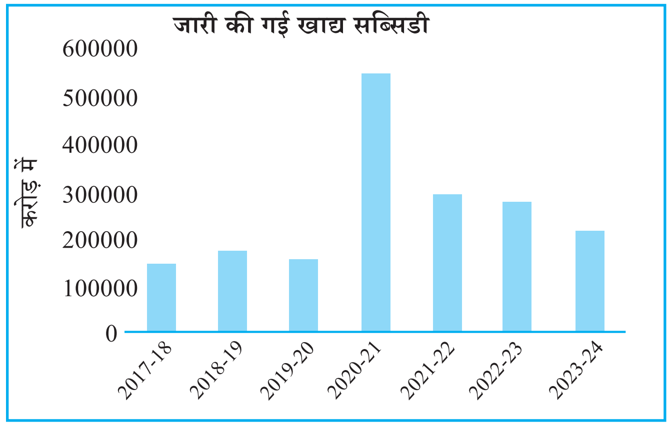

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें:

- स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि स्थिरता और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का सुझाव दिया। प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य:** किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी को C2 लागत (वास्तविक भुगतान लागत + पारिवारिक श्रम लागत + भूमि के किराए आदि के रूप में अन्य लागत) से **50% अधिक** निर्धारित करने की सिफारिश की गई।
- **ऋण से राहत:** किसानों पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए एकमुश्त कर्ज माफी और कम ब्याज वाले ऋण की पेशकश करें।
- **कृषि निवेश:** उत्पादकता बढ़ाने और अपव्यय कम करने के लिए सिंचाई, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे एवं भंडारण सुविधाओं में सार्वजनिक निवेश बढ़ाएँ।
- **विविधीकरण:** आय बढ़ाने के लिए किसानों को बागवानी और पशुपालन जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।
- **भूमि सुधार:** भूमि विखंडन को कम करने, भूमि स्वामित्व सुरक्षित करने और भूमि वितरण में सुधार के लिए भूमि सुधार लागू करें।

शांता कुमार समिति की सिफारिशें:

शांता कुमार समिति (2014) का उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम (FCI) का पुनर्गठन करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार करना था। मुख्य सिफारिशों में शामिल हैं-

- **विकेंद्रीकृत खरीद:** अनाज वितरण में दक्षता में सुधार, खरीद जिम्मेदारियों को राज्यों को हस्तांतरित करना।
- **रणनीतिक भंडार:** आपात स्थिति के लिए 5 एमएमटी खाद्यान्न भंडार बनाए रखें।
- **नकद हस्तांतरण:** विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों और अनाज अधिशेष वाले राज्यों में पीडीएस में नकद हस्तांतरण प्रणाली लागू करें।
- **भंडारण अवसंरचना:** भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए आधुनिक भंडारण और कोल्ड चेन सुविधाएँ विकसित करें।
- **लक्ष्य निर्धारण:** पीडीएस में लाभार्थी लक्ष्य निर्धारण में सुधार करें ताकि लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुँचे और गड़बड़ियाँ कम-से-कम हो।
- **एनएफएसए कवरेज में कमी:** समिति ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कवरेज को 66% जनसंख्या से घटाकर 50% करने की सिफारिश की, सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्गों की सेवा के लिए बेहतर लक्ष्यीकरण पर जोर दिया, जिससे अक्षमताओं एवं सरकारी खर्च में कमी आएगी।

Search On TG: @apna_pdf

लघु वनोत्पाद (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य:

- जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत लघु वनोत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना जनजातीय समुदायों को लघु वन उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करती है तथा उन्हें बाजार में शोषण से बचाती है।
- शुरुआत में 12 वस्तुओं को इसमें सम्मिलित किया गया था, अब इसमें इमली, आँवला, महुआ के बीज, नीम के बीज, शहद, गोंद और औषधीय पौधों जैसे 70 से अधिक उत्पाद शामिल हैं।
- ट्राइफेड के माध्यम से क्रियान्वित यह योजना मूल्य आश्वासन प्रदान करती है, सतत कटाई को बढ़ावा देती है तथा जनजातीय आजीविका को समर्थन प्रदान करती है।

नाइजर बीज का उपयोग: आदिवासी जनसंख्या खाना पकाने के लिए नाइजर बीज के तेल का उपयोग करती है। तेल निकालने के बाद बचे हुए पदार्थ काको पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करती है और बीजों को मसाले के रूप में भी खाती है। नाइजर बीज के तेल में औषधीय गुण होते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन, इत्र और अन्य संबद्ध उद्योगों द्वारा इसकी व्यावसायिक माँग का कारण है।

[UPSC 2023]

मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक : भारत में चावल उत्पादन के विशेष संदर्भ में

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):**
  - एक मूल्य स्तर के रूप में कार्य करता है, उच्च उत्पादन को प्रोत्साहित करता है लेकिन यदि माँग को पूरा करने के लिए उत्पादन अपर्याप्त है तो संभावित रूप से खुले बाजार में कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

[UPSC 2020]

- **सरकार की व्यापारिक नीतियाँ:**
  - प्रत्यक्ष सरकारी व्यापार खरीद और वितरण स्तरों के आधार पर बाजार कीमतों को प्रभावित कर सकता है।
- **सरकार द्वारा भंडारण:**
  - कमी को रोकने के लिए बफर स्टॉक प्रबंधन बाजार में आपूर्ति को मजबूत कर सकता है, जो संकट के दौरान कीमतों में बढ़ोतरी में योगदान देता है।
- **उपभोक्ता सब्सिडी:**
  - सामर्थ्य सुनिश्चित करते समय, भारी सब्सिडी बाजार की माँग -आपूर्ति संतुलन को बिगाड़ सकती है, जिससे कीमतें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकती हैं।
- **शीत भंडारण (कोल्ड स्टोरेज) अवसंरचना:**
  - पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण फसलों का व्यापक रूप से नुकसान होता है, आपूर्ति कम हो जाती है और बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं।

कृषि में सार्वजनिक निवेश **[UPSC 2020]**

- **अवसंरचना विकास:**
  - सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और बिजली आपूर्ति में निवेश से सीधे उत्पादकता बढ़ती है तथा निवेश लागत कम होती है, जिससे चावल की खेती को लाभ होता है।
- **अनुसंधान और विकास:**
  - अधिक उपज देने वाली और जलवायु के अनुकूल चावल की किस्मों के विकास से उत्पादन बढ़ता है तथा आपूर्ति प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:**
  - मशीनीकरण और सतत कृषि पर सार्वजनिक खर्च से कृषि की लागत कम होती है एवं दक्षता में सुधार होता है।
- **प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) कम्प्यूटरीकरण:**
  - किसानों को समय पर ऋण पहुँच की सुविधा मिलती है जिससे कृषि-लागत और बुनियादी ढाँचे में निवेश करने की उनकी क्षमता में सुधार होता है।
- **सामाजिक पूँजी विकास:**
  - सहकारी कृषि, साझा संसाधनों और बेहतर बाजार पहुँच को बढ़ावा देती है जिससे अप्रत्यक्ष रूप से कृषि विकास को प्रत्सोहन मिलता है।
- **शीत भंडारण सुविधाएँ:**
  - फसलों के अनावश्यक नुकसान को कम करता है और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करता है, जो समग्र कृषि दक्षता में योगदान देता है।
- **कृषि में सकल पूँजी निर्माण (जीसीएफ):** मशीनरी, भवन और भूमि सुधार जैसी भौतिक संपत्तियों में निवेश को दर्शाता है। वर्ष 2022 - 23 में 19.04% की वृद्धि हुई, सकल मूल्य वर्धन में इसकी हिस्सेदारी 17.7% (2021-22) से बढ़कर 19.9% (2022-23) हो गई।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जीसीएफ तथा कृषि जीवीए के प्रतिशत के रूप में जीसीएफ

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जीसीएफ

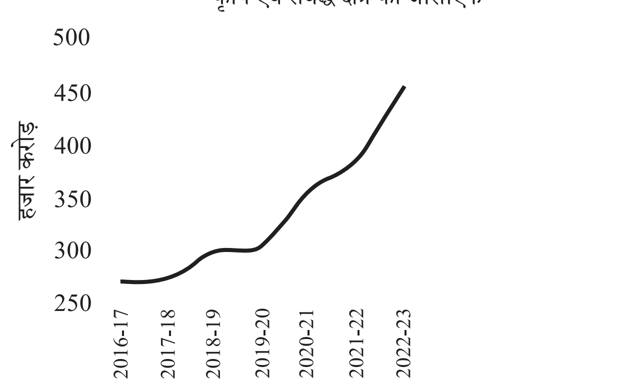

कृषि-जीवीए के प्रतिशत के रूप में जीसीएफ

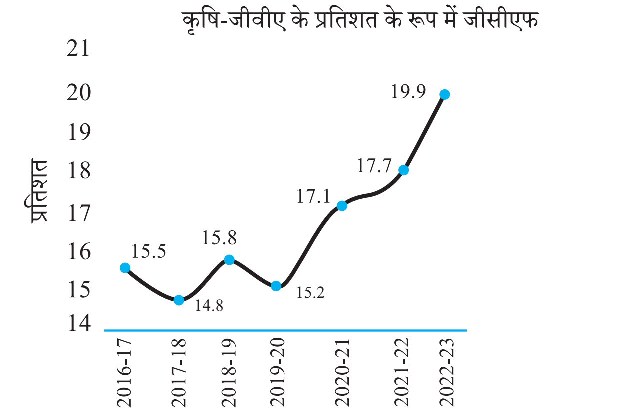

Search On TG: @apna_pdf

- वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 के बीच 9.7% की औसत वार्षिक वृद्धि के बावजूद, किसानों की आय को दुगुना करने (DFI) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि निवेश में 12.5% वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता है।
- चुनौतियों में भूमि विखंडन और कम निजी क्षेत्र की भागीदारी (2% से नीचे) शामिल है, जो सार्वजनिक एवं निजी निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती है।

भारत में भूमि सुधार

- **परिभाषा एवं उद्देश्य:**
  - भूमि सुधारों में भूमिहीन या सीमांत किसानों को भूमि का पुनर्वितरण, भूमि स्वामित्व सुरक्षा में सुधार और न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत एवं कानूनी उपाय शामिल हैं।
  - **लक्ष्य:** कृषि उत्पादकता बढ़ाना, असमानता कम करना और वंचित ग्रामीण आबादी का उत्थान करना।
- **मुख्य घटक**
  - **जमींदारी प्रथा का उन्मूलन:** सरकार और किसानों के बीच बिचौलियों को हटा दिया गया।
  - **किरायेदारी सुधार:** किरायेदारों को स्वामित्व अधिकार, कार्यकाल सुरक्षा और किराया नियंत्रण प्रदान किया गया।
  - **भूमि स्वामित्व की सीमा:** संसाधनों के संकेंद्रण को रोकने के लिए भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा को सीमित किया गया। ट्रस्टों और संस्थानों के लिए छूट के साथ परिवार एवं व्यक्तिगत जोतों पर लागू किया गया। **(UPSC 2019)**
  - **भूमि समेकन:** बेहतर प्रबंधन के लिए खंडित जोतों को बड़ी इकाइयों में पुनर्गठित किया गया।
- **प्रमुख भूमि सुधार पहलें**
  - **वर्ष 1950-1972**
    - **भूदान - ग्रामदान आन्दोलन:** भूमिहीन किसानों के लिए स्वैच्छिक भूमि दान।
  - **वर्ष 1972-1985**
    - **सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, 1973 (DRAP):** बंजर भूमि प्रबंधन के साथ सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लक्षित किया गया।
    - **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 1978 (IRDP):** भूमि और जलसंभर (वाटरशेड) प्रबंधन के लिए घटकों के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।
    - **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 1980 (NREP):** ग्रामीण रोजगार सृजित किए और बंजर भूमि विकास, मृदा संरक्षण एवं वनीकरण पर ध्यान दिया।
  - **वर्ष 1985-2001:**
    - भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा में संशोधन (1985)।
    - **राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड, 1985 (NWDB):** कृषि के लिए बंजर भूमि को पुनः प्राप्त किया गया।
    - **पंचायती राज अधिनियम (1988):** भूमि प्रबंधन के लिए स्थानीय शासन को सशक्त बनाया गया।
    - **राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति (1988):** रणनीतिक, स्थायी भूमि प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया।
  - **2001 के बाद के सुधार:**
    - **शहरी भूमि नीति (2007):** शहरी क्षेत्रों में न्यायसंगत, कुशल भूमि उपयोग सुनिश्चित किया गया।
    - **लैंड पूलिंग नीति:** नियोजित विकास के लिए स्वैच्छिक पूलिंग को प्रोत्साहित किया गया।
    - **उचित मुआवजे का अधिकार अधिनियम (2013):** उचित मुआवजा प्रदान किया गया, निजी परियोजनाओं के लिए सहमति आवश्यकताओं को कम किया गया (80% से 51%) और कुछ परियोजनाओं को छूट दी गई। **(UPSC 2024)**
    - **कृषि भूमि पट्टा अधिनियम (2016):** किसानों के लिए संस्थागत समर्थन के साथ पट्टे को वैध बनाया गया।
- **आधुनिकीकरण के प्रयास**
  - **राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP), 2008:** भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण।
  - **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP), 2008:** भू-कर संबंधी मानचित्र और अधिकारों के अभिलेख के एकीकरण के साथ केंद्रीकृत रिकॉर्ड। **[UPSC 2024]**
  - **स्वामित्व योजना (2021):** ग्रामीण भूमि का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन का उपयोग, पंचायती राज मंत्रालय के तहत।
  - **भू आधार/ULPIN:** भूमि टुकड़े के मानकीकरण के लिए विशिष्ट आईडी आवंटित।
  - राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम: अधिशेष सरकारी और प्राथमिक नमूनाकरण इकाई (PSU) की भू-जोतों का मुद्रीकरण।

भारत में कृषि संबद्ध क्षेत्र

मत्स्य पालन क्षेत्र

- वित्त वर्ष 2014 -15 से वित्त वर्ष 2021 -22 तक मत्स्य पालन क्षेत्र में 8.61% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
- मत्स्य पालन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (GVA) वित्त वर्ष 2013-14 में ₹76,487 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में (स्थिर मूल्यों पर) ₹1,47,518.87 करोड़ हो गया।
- यह क्षेत्र राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धन में 1.069% और कृषि सकल मूल्य वर्धन में 6.86% का योगदान देता है। उल्लेखनीय रूप से, कृषि सकल मूल्य वर्धन में योगदान वित्त वर्ष 2013-14 में 4.75% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 6.86% हो गया है, जो 44.42% बढ़ा है।
- **सरकार की पहल**
  - **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY):** इसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे में सुधार, मछली उत्पादन में वृद्धि और निर्यात को बढ़ावा देकर मत्स्य पालन क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ाना है।
  - यह योजना मछुआरों और महिलाओं के सशक्तीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करती है जिससे इस क्षेत्र में सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित होता है।
  - PMMSY का लक्ष्य समग्र मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में सुधार करना, बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना और मछली तथा समुद्री भोजन के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाना है।

पशुपालन

- **विकास और योगदान:**
  - वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक पशुपालन क्षेत्र 12.99% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा।

Search On TG: @arra_pdf

- कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीवीए में पशुधन का योगदान वर्ष 2014-15 में 24.38% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 30.23% हो गया (चालू कीमतों पर)।
- विश्व स्तर पर भारत अंडा उत्पादन में दूसरे और माँस उत्पादन में पाँचवें स्थान पर है। भारत विश्व स्तर पर अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर तथा माँस उत्पादन में पाँचवे स्थान पर है।

पशुधन गणना

- 1919-20 से समय-समय पर आयोजित; सभी पालतू पशुओं और उनकी संख्या को शामिल करता है।
- पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2019 में 20वीं पशुधन गणना आयोजित की।
- **कुल पशुधन संख्या**: 536.76 मिलियन, जो पशुधन गणना-2012 की तुलना में 4.8% की वृद्धि प्रदर्शित करती है।
- **कुल गोवंश संख्या** (गाय, भैंस, मिथुन और याक): 2019 में 303.7 मिलियन; पिछली गणना की तुलना में लगभग 1% की वृद्धि।
- **कुल गायों की संख्या**: 2019 में 193.46 मिलियन, जो पिछली गणना की तुलना में 1.3% की वृद्धि प्रदर्शित करती है।
- **देशी गायों की कुल संख्या में** पिछली गणना की तुलना में 6% की कमी।
- **कुल भेड़ों की संख्या**: 2019 में 74.26 मिलियन, जो पिछली गणना की तुलना में 14.1% की वृद्धि प्रदर्शित करती है।
- **कुल कुक्कुट संख्या**: 2019 में 851.81 मिलियन, जो पिछली गणना की तुलना में 16.8% की वृद्धि प्रदर्शित करती है।

- आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु और केरल भारत में प्रमुख मत्स्य उत्पादक राज्य हैं।
- **भारत में दुग्ध उत्पादक राज्य:** उत्तर प्रदेश, कुल दुग्ध उत्पादन में 15.72% की हिस्सेदारी के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद राजस्थान (14.44%), मध्य प्रदेश (8.73%), गुजरात (7.49%) और आंध्र प्रदेश (6.70%) का स्थान है।
- **अंडा उत्पादन** में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, जिसकी कुल अंडा उत्पादन में 20.13% हिस्सेदारी है। इसके बाद तमिलनाडु (15.58%), तेलंगाना (12.77%), पश्चिम बंगाल (9.94%) और कर्नाटक (6.51%) का स्थान है।
- कुल **माँस उत्पादन** में सर्वाधिक योगदान उत्तर प्रदेश का है, जिसकी हिस्सेदारी 12.20% है। उसके बाद पश्चिम बंगाल (11.93%), महाराष्ट्र (11.50%), आंध्र प्रदेश (11.20%) और तेलंगाना (11.06%) का स्थान है।
- कुल **ऊन उत्पादन** में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है, जिसकी हिस्सेदारी 47.98% है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर (22.55%), गुजरात (6.01%), महाराष्ट्र (4.73%) और हिमाचल प्रदेश (4.27%) का स्थान है।

- **सरकारी योजनाएँ और उपलब्धियाँ**
  - **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई):** पशुपालन इकाइयों की स्थापना सहित बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की है, जिसके तहत सितंबर 2024 तक पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए 47 लाख से अधिक केसीसी स्वीकृत किए जाएंगे।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र:

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि उपज का मूल्य बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और निर्यात को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)** के तहत, सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और भंडारण बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

विनिर्माण GVA में FPI की हिस्सेदारी तथा FPI की वृद्धि प्रतिशत में

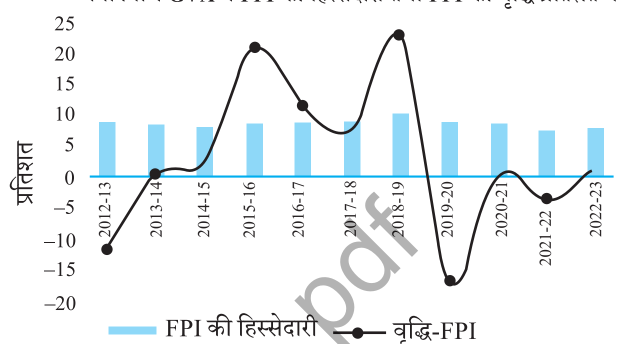

- **प्रमुख योजनाएँ**
  - **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना** (पीएमकेएसवाई) और एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्य संवर्धन बुनियादी ढाँचे की योजना: खाद्य प्रसंस्करण समूह और बुनियादी ढाँचे की स्थापना का समर्थन करें।
  - पीएमकेएसवाई का उद्देश्य मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।
- **पहलों का प्रभाव:**
  - सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और मूल्य शृंखलाओं सहित बुनियादी ढाँचे का समर्थन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
  - 13,000 से अधिक DPIIT- मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और नैनो प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिकीकरण में योगदान दे रहे हैं।

संबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण सहायता:

- **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)** योजना किसानों और मत्स्य पालन एवं पशुपालन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- जून 2024 तक मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 4.26 लाख केसीसी और पशुपालन क्षेत्र के लिए ~47 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए, जिससे विकास के लिए ऋण तक आसान पहुँच सुनिश्चित हुई

अवसंरचना विकास:

- सरकार PMMSY जैसी पहल के माध्यम से इन क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढाँचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें भंडारण सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित करना और मछली उत्पादन बढ़ाना शामिल है।
- मत्स्य पालन, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सतत विकास का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढाँचे के निर्माण एवं उन्नयन में महत्त्वपूर्ण निवेश किए गए हैं।

❖ ❖ ❖

Search On TG: @apna_pdf

9 उद्योग, विनिर्माण और बुनियादी ढाँचा

औद्योगिक विकास आर्थिक प्रगति की कुंजी है, यह रोजगार प्रदान करता है और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। पंचवर्षीय योजनाओं में सूती वस्त्र और लोहा एवं इस्पात जैसे सीमित उद्योगों से परे विविधता लाने के लिए औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- **सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिकाएँ**:
  - **आर्थिक नियंत्रण**: स्वतंत्रता के समय निजी क्षेत्र में पूँजी की कमी थी, इसलिए सरकार ने प्रमुख उद्योगों के विकास में हस्तक्षेप किया।
  - **समाजवादी मॉडल**: द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महत्त्वपूर्ण उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण को बनाए रखने पर जोर दिया गया, जिसमें निजी क्षेत्र को सहायक भूमिका में रखा गया।

1956 की औद्योगिक नीति संकल्प

- **उद्योगों का वर्गीकरण**:
  - **सरकारी स्वामित्व**: सार्वजनिक स्वामित्व के लिए आरक्षित।
  - **मिश्रित उद्योग**: निजी क्षेत्र की भागीदारी ने सार्वजनिक क्षेत्र को समर्थन दिया।
  - **निजी क्षेत्र**: सरकारी नियंत्रण के साथ निजी उद्यम पर छोड़ दिया गया।
- **लाइसेंसिंग प्रणाली**: उद्योगों की स्थापना, उत्पादन का विस्तार, या उत्पादों में विविधता लाने के लिए आवश्यक है ताकि क्षेत्रीय समानता सुनिश्चित की जा सके और उत्पादन पर नियंत्रण रखा जा सके।
- **लघु उद्योग**:
  - **कर्वे समिति (1955)**: ग्रामीण विकास के लिए लघु उद्योगों का सुझाव दिया गया, जिसमें प्रारंभिक निवेश सीमा ₹5 लाख थी। इसे बाद में बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया।
  - **गहन श्रम**: रोजगार सृजन, कर लाभ, कम ब्याज दर वाले ऋण और आरक्षित उत्पाद श्रेणियों द्वारा संरक्षण।

भारत में आयात प्रतिस्थापन

- **उद्देश्य**: आयात के स्थान पर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, जिससे उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले।
- **सुरक्षा तंत्र**:
  - **प्रशुल्क**: आयात की बढ़ी लागत
  - **कोटा**: स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए सीमित आयातित सामान।
- **औचित्य**:
  - **आर्थिक विकास**: उभरते उद्योगों की रक्षा की।
  - **विदेशी मुद्रा संरक्षण**: संरक्षित विदेशी मुद्रा
  - **आत्मनिर्भरता**: 1980 के दशक के मध्य में निर्यात फोकस के साथ घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **प्रभाव (1951-1991)**:
  - **सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि**: सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक हिस्सेदारी वर्ष 1950-51 में 13% से बढ़कर वर्ष 1990-91 में 24.6% हो गई।
  - **क्षेत्र विविधीकरण**: कपड़ा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल तक विस्तारित।
  - **लघु उद्योग**: छोटे व्यवसायों के लिए अवसरों को बढ़ावा।
- **आलोचनाएँ**:
  - **सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षमताएँ**: निजी क्षेत्र के लिए बेहतर अनुकूल क्षेत्रों में पहुँच।
  - **परमिट-लाइसेंस राज**: नवाचार को दबा दिया गया, बड़ी कंपनियों को लाभ पहुँचाया गया।
  - **गुणवत्ता और दक्षता के मुद्दे**: विदेशी प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद बने।
- **आर्थिक उदारीकरण की ओर बदलाव (1991)**:
  - **नीति पुनर्मूल्यांकन**: प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की वकालत की।
  - **नई आर्थिक नीति**: उदारीकरण, विनियमन और वैश्विक व्यापार एकीकरण की दिशा में सुधार आरंभ किए गए।

FY24 में औद्योगिक विकास और विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन

FY24 में औद्योगिक विकास का अवलोकन

- **आर्थिक और औद्योगिक विकास**:
  - वित्त वर्ष 24 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% बढ़ी, जिसे 9.5% की औद्योगिक वृद्धि (अनंतिम जीडीपी अनुमान, मई 2024) का समर्थन प्राप्त हुआ।
  - विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि खनन, उत्खनन, बिजली तथा जलापूर्ति क्षेत्र में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
- **स्थिरता के प्रमुख संकेतक**:
  - भारत का विनिर्माण पीएमआई लगातार 50 से ऊपर रहा, जो निरंतर विस्तार का संकेत है।

Search On TG: @apna_pdf

विनिर्माण क्षेत्र अंतर्दृष्टि

- **अर्थव्यवस्था में योगदान**:
  - वित्त वर्ष 23 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण का योगदान 14.3% था।
  - इसका उत्पादन हिस्सा 35.2% था, जो अर्थव्यवस्था के भीतर व्यापक पश्चवर्ती और अग्रवर्ती संबंधों को उजागर करता है।
- **अंतर-उद्योग उपभोग**:
  - कुल उत्पादन का लगभग 47.5% उत्पादक गतिविधियों के लिए इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है।
  - विनिर्माण क्षेत्र अंतर-उद्योग उपभोग में 50% का योगदान देता है तथा कृषि, उद्योग और सेवाओं के लिए 50% इनपुट की आपूर्ति करता है।

क्षेत्रीय विकास रुझान

- **औसत वृद्धि (पिछला दशक)**:
  - महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाते हुए विनिर्माण क्षेत्र में 5.2% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई।
  - वृद्धि का श्रेय रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, परिवहन उपकरण, मशीनरी और लकड़ी के उत्पादों को जाता है।
- **उप-क्षेत्र की मुख्य विशेषताएँ**:
  - इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण में पूँजी निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश पर जोर को दर्शाता है।
- **जीवीए संरचना (FY14–FY23)**:
  - **रसायन:** 9.6% की वृद्धि
  - **फार्मास्यूटिकल्स:** 6.7% की वृद्धि
  - **मशीनरी और उपकरण:** 8.3% की वृद्धि

विनिर्माण विकास में चुनौतियाँ

- **विरासत संबंधी मुद्दे**:
  - ऐतिहासिक बाधाओं में खराब भौतिक अवसंरचना, रसद संबंधी अक्षमताएँ और प्रतिबंधात्मक लाइसेंसिंग शामिल हैं।
  - कुछ वस्तुओं को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया था, जिससे मापनीयता सीमित हो गई।
- **वर्तमान चिंताएँ**:
  - बुनियादी ढाँचे में सुधार के बावजूद, भारत को प्रतिस्पर्धात्मकता में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - अनुसंधान और विकास पर कम निवेश जारी है तथा गुणवत्ता एवं नवाचार पर सीमित जोर दिया जा रहा है।
- **नीति सिफ़ारिशें**:
  - विनियमन को बढ़ावा देना तथा नौकरशाही संबंधी बाधाओं को कम करना।
  - अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करना।
  - विनिर्माण विस्तार के माध्यम से निम्न एवं अर्ध-कुशल रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।

सरकारी पहल और नीतियाँ

- **बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी**:
  - भौतिक बुनियादी ढाँचे का तेजी से विकास।
  - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन, विनिर्माण के लिए एकीकृत बाजार का सृजन।
- **उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना**:
  - विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित प्रोत्साहन।
- **एमएसएमई के लिए समर्थन**:
  - रोजगार सृजन और आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रकार:

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) ऐसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ हैं, जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों मिलकर कंपनी की कुल इक्विटी का **51% या उससे अधिक** हिस्सा रखती हैं।

वर्ग	मानदंड	प्रदान की गई स्वायत्तता	उदाहरण
मिनीरत्न श्रेणी I	• पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ। • 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक का शुद्ध लाभ।	• सरकारी अनुमोदन के बिना 500 करोड़ रुपए या निवल मूल्य (जो भी कम हो) तक का पूँजीगत व्यय।	उदाहरण भिन्न होते हैं (सक्रिय रूप से अपडेट किए जाते हैं)।
मिनीरत्न श्रेणी II	• पिछले 3 साल से लगातार लाभ। • धनात्मक निवल मूल्य।	• सरकारी अनुमोदन के बिना 300 करोड़ रुपए या निवल मूल्य का 50% (जो भी कम हो) तक का पूँजीगत व्यय।	उदाहरण भिन्न होते हैं (सक्रिय रूप से अपडेट किए जाते हैं)।
नवरत्न	• निवल मूल्य > ₹15,000 करोड़। • पिछले 3 वर्षों का औसत टर्नओवर > ₹25,000 करोड़। • पिछले 3 वर्षों में परिचालन लाभ > ₹300 करोड़।	• सरकार की मंज़ूरी के बिना ₹1,000 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं। • पूर्व मंज़ूरी के बिना संयुक्त उद्यम या विलय में प्रवेश कर सकते हैं।	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीपीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन

Search On TG: @apna_pdf

महारत्न	• पिछले 3 वर्षों में निवल मूल्य > ₹5,000 करोड़। • पिछले 3 वर्षों में औसत टर्नओवर > ₹25,000 करोड़। • पिछले 3 वर्षों में परिचालन लाभ > ₹5,000 करोड़।	• बिना सरकारी मंजूरी के 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। • बिना पूर्व मंजूरी के विदेश में संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकते हैं। • स्वतंत्र रूप से परियोजना संसाधन जुटा सकते हैं।	कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी

लाभ कमाने वाले CPSE की संख्या में सुधार हुआ है

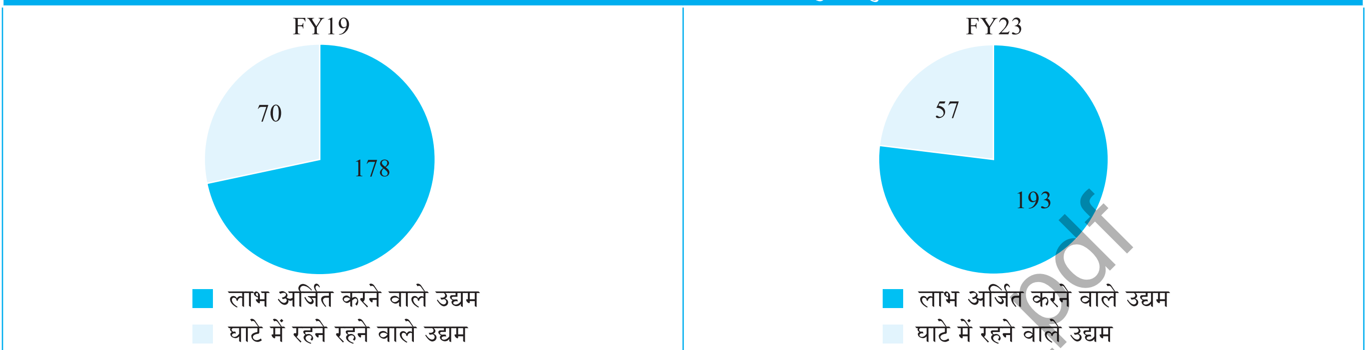

स्रोत: PE सर्वेक्षण रिपोर्ट, लोक उद्यम विभाग

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम 2006 उद्यमों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

1. **विनिर्माण उद्यम**: वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में संलग्न।
2. **सेवा उद्यम**: सेवाएँ प्रदान करने या प्रतिपादन में संलग्न।

उद्यमों का वर्गीकरण [UPSC 2023]

- **अति लघु उद्योग**:
  - निवेश सीमा: ₹1 करोड़
  - टर्नओवर सीमा: ₹5 करोड़
- **लघु उद्यम**:
  - निवेश सीमा: ₹10 करोड़
  - टर्नओवर सीमा: ₹50 करोड़
- **मध्यम उद्यम**:
  - निवेश सीमा: ₹50 करोड़
  - टर्नओवर सीमा: ₹250 करोड़

जीडीपी में MSME की हिस्सेदारी

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में एमएसएमई का योगदान निम्नानुसार है:

- **2019-20**: 30.5%
- **2020-21**: 27.2%
- **2021-22**: 29.2%
- **2022-23:** 30.1%

MSME को बैंक ऋण [UPSC 2023]

- एमएसएमई को दिए गए बैंक ऋण, कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के भाग के रूप में योग्य होते हैं।
- ऋण गारंटी योजना जैसी पहलों से 91.76 लाख उद्यमों को सहायता मिली है जिससे ऋण तक पहुँच और व्यवसाय वृद्धि में मदद मिली है।

आर्थिक योगदान

1. **विनिर्माण आउटपुट (FY22)**: एमएसएमई ने भारत के विनिर्माण उत्पादन में 35.4% का योगदान दिया।
2. **निर्यात (2023-24)**: एमएसएमई-विशिष्ट उत्पादों का अखिल भारतीय निर्यात में 45.7% हिस्सा रहा।
3. **उत्पादकता लाभ**:
   - असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (2021-23) में उद्यमों की संख्या में 5.9% की वृद्धि दर्ज की गई।
   - प्रति कर्मचारी सकल मूल्य वर्धन (GVA) ₹1,38,207 से बढ़कर ₹1,41,769 हो गया।
   - प्रति प्रतिष्ठान सकल उत्पादन मूल्य (GVO) ₹3,98,304 से बढ़कर ₹4,63,389 हो गया।

औपचारिकीकरण और पंजीकरण

- **उद्यम पंजीकरण पोर्टल:**
  - जुलाई 2020 में निःशुल्क, ऑनलाइन स्व-घोषणा-आधारित पंजीकरण के लिए लॉन्च किया गया।
  - **पंजीकृत एमएसएमई (जुलाई 2024):** 4.69 करोड़, इसमें उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम भी शामिल हैं।
  - लाभों में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए पात्रता और सरकारी योजनाओं तक सुगम पहुँच शामिल है।
  - डेटा साझा करने तथा क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए एपीआई के माध्यम से 37 अन्य पोर्टलों के साथ जोड़ा गया।

Search On TG: @apna_pdf

ऋण सहायता

- **केंद्रीय बजट 2023-24**: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) को 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे कम लागत पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध हो सकेगा।
- **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)**:
  - वित्त वर्ष 23: ₹2,722.17 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ 85,167 सूक्ष्म इकाइयों को समर्थन दिया गया, जिससे 6.81 लाख नौकरियाँ सृजित हुईं।
  - वित्त वर्ष 24: 89,118 सूक्ष्म इकाइयों को 3,093.87 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई, जिससे 7.13 लाख नौकरियाँ सृजित हुईं।
- **क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस)**:
  - 85% की गारंटीकृत कवरेज के साथ ₹5 करोड़ तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करता है।
  - शुरुआत से अब तक 6.78 लाख करोड़ रुपए की 91.76 लाख गारंटियाँ मंजूर की जा चुकी हैं। अकेले वित्त वर्ष 2024 में 2.03 लाख करोड़ रुपए की 17.24 लाख गारंटियाँ मंजूर की गईं।

CGTMSE के तहत स्वीकृत गारंटी में काफी वृद्धि हुई

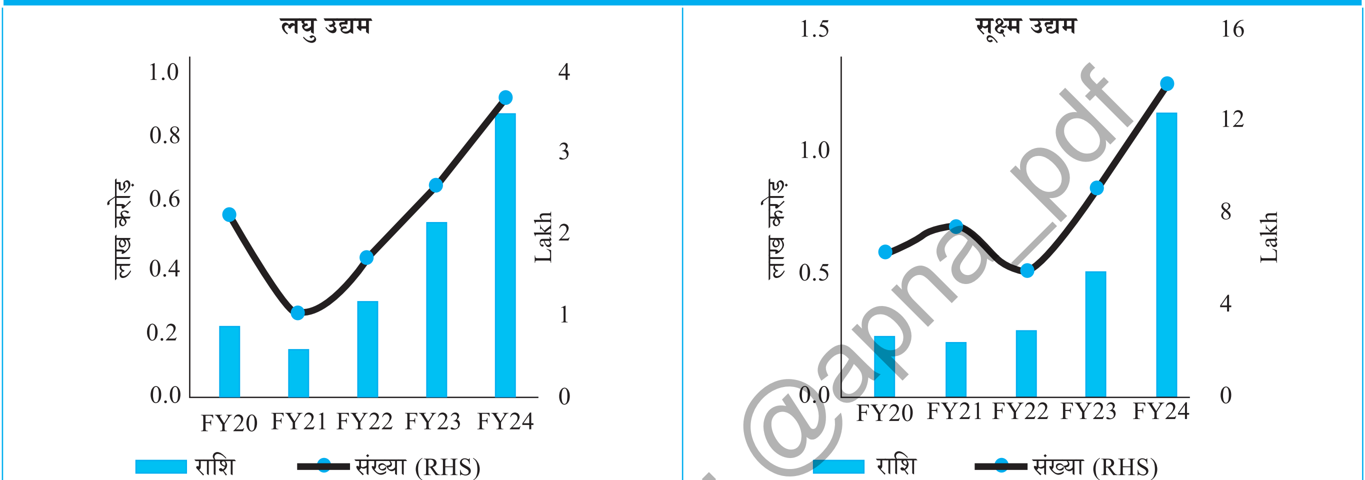

स्रोत: एमएसएमई मंत्रालय

चुनौतियाँ

- **महत्त्वपूर्ण मुद्दे**:
  - औपचारिकीकरण और समावेशन में कमी।
  - वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजार तक सीमित पहुँच।
  - बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ और कुशल श्रम की कमी।
- **सरकारी पहल**:
  - **समाधान पोर्टल:** विलंबित भुगतानों की समस्या का समाधान करता है।
  - **संबंध पोर्टल:** खरीद की निगरानी करता है।
  - **चैंपियंस पोर्टल:** शिकायतों के समाधान में सहायता करता है और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है।

अवसर

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था**:
  - वर्ष 2020-21 में ई-कॉमर्स बिक्री का लगभग 70% एमएसएमई से था, जो वार्षिक आधार पर 60-70% की वृद्धि दर्शाता है।
- **वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ**: एमएसएमई में डिजिटल प्लेटफॉर्म और नीति सुधारों के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में और अधिक एकीकृत होने की क्षमता है।
- **विनियामक सुधार**: उद्यम वाले स्थानों के उपयोग के लचीलेपन को बढ़ाने से विनिर्माण क्षमता में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए।

अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता के अंतर्गत उद्योग:

- औषध और फार्मास्यूटिकल्स।
- खतरनाक रसायन, गन पाउडर, औद्योगिक विस्फोटक आदि।
- एयरोस्पेस और रक्षा संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स।
- अल्कोहल पेय; तंबाकू, सिगरेट और संबंधित उत्पाद।

पीएमआई, आईआईपी और एएसआई

क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)
निक्केई द्वारा प्रकाशित	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा प्रकाशित
वास्तविक उत्पादन को ट्रैक नहीं करता	वास्तविक उत्पादन को ट्रैक करता है
इसमें केवल 500 निजी क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल हैं	इसमें निजी क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रम दोनों शामिल हैं
विनिर्माण और सेवाएँ दोनों शामिल हैं	केवल विनिर्माण क्षेत्र शामिल है
कम व्यापक, क्योंकि इसमें केवल निजी क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल हैं	अधिक व्यापक
जीडीपी गणना के लिए उपयोग नहीं किया जाता	असंगठित क्षेत्र के लिए जीडीपी गणना के लिए उपयोग किया जाता है

Search On TG: @apna_pdf

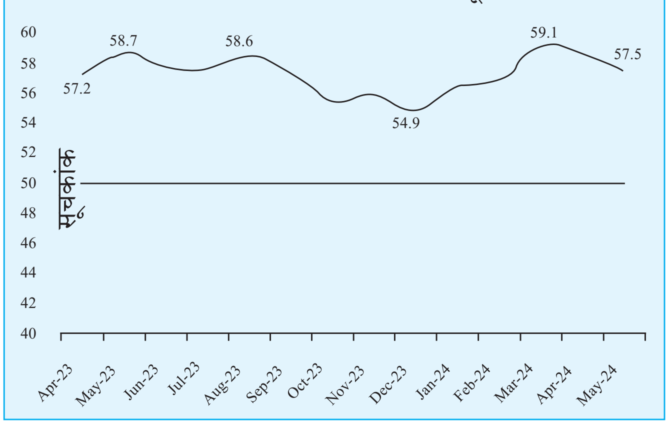

भारत विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक

हेडलाइन पीएमआई (क्रय प्रबंधक सूचकांक)

पीएमआई 0 से 100 तक की समग्र व्यावसायिक गतिविधि का एक संख्यात्मक प्रतिनिधित्व है।

- **पीएमआई 50 से ऊपर**: पिछले माह की तुलना में विस्तार को दर्शाता है। 50 से ऊपर उच्च पीएमआई अधिक महत्त्वपूर्ण विस्तार का संकेत देता है।
- **पीएमआई 50 से कम**: संकुचन को दर्शाता है। 50 से जितना नीचे होगा, संकुचन उतना ही अधिक महत्त्वपूर्ण होगा।
- **पीएमआई 50 पर**: व्यावसायिक गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी):

आईआईपी सूचकांक की गणना वर्तमान में वर्ष 2011-2012 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करके की जाती है। आईआईपी में विभिन्न क्षेत्रों का भार इस प्रकार है:

- **उत्पादन**: 77.633%
- **खनन**: 14.373%
- **बिजली**: 7.94%

आठ प्रमुख क्षेत्र: [UPSC 2012, 2015]

आईआईपी में 40.27% हिस्सेदारी रखने वाले आठ प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित भारांक क्रम में क्रमबद्ध उद्योग शामिल हैं:

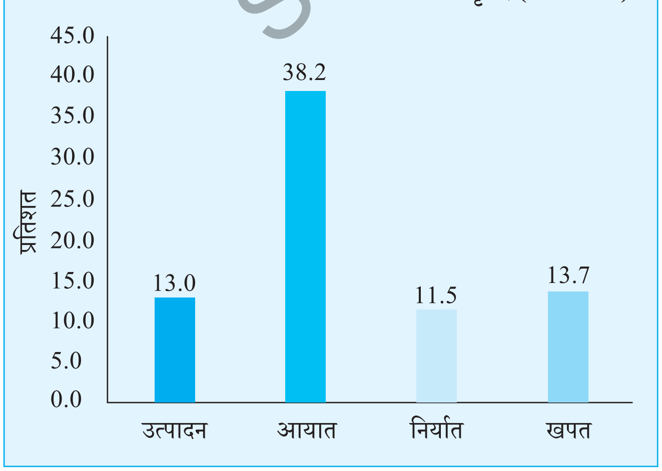

वित्त वर्ष 24 में तैयार स्टील की वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)

1. रिफाइनरी उत्पाद
2. विद्युत्
3. इस्पात
4. कोयला
5. कच्चा तेल
6. प्राकृतिक गैस
7. सीमेंट
8. उर्वरक

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई):

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी एएसआई उन कारखानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिनमें 10 या अधिक श्रमिक हैं और जिनमें बिजली का उपयोग किया जाता है, या उन कारखानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिनमें 20 या अधिक श्रमिक हैं एवं जिनमें बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है।
- यह विनिर्माण प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, गैस और जलापूर्ति तथा कोल्ड स्टोरेज सहित संगठित विनिर्माण क्षेत्र के संघटन एवं संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भवन विनियमों की पुनर्कल्पना [आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24]

मौजूदा विनियमों में प्रमुख चुनौतियाँ

- **ग्राउंड कवरेज**:
  - घनत्व को नियंत्रित करने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए विनियमों में कारखानों के लिए केवल 40-60% भूमि कवरेज की अनुमति दी गई है।
  - **अंतरराष्ट्रीय तुलना: हॉन्गकॉन्ग** में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है; फिलीपींस में कारखानों को केवल 30% भूमि का नुकसान होता है।
- **असफलताएँ**:
  - आग के जोखिमों को कम करने और वायु-संचार में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन ये नियम आग प्रतिरोधी सामग्री तथा स्वचालित अग्निशमन प्रणालियों जैसी प्रगति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
  - **प्रभाव**:
    - कुछ भारतीय राज्यों में सूक्ष्म और लघु कारखाने अपनी 90% भूमि खो देते हैं।
    - बड़े कारखानों को फिलीपींस की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक भूमि का नुकसान होता है तथा सिंगापुर की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक भूमि की हानि होती है।
- **पार्किंग विनियम**:
  - सड़क के बाहर अनिवार्य पार्किंग से फैक्ट्री की उपयोगी भूमि 12-70% तक कम हो जाती है।
  - पार्किंग आवश्यकताओं और वास्तविक माँग के बीच असंगति से भीड़-भाड़ बढ़ जाती है।

Search On TG: @apna_pdf

- **तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)**:
  - राज्यों ने ऊर्ध्वाधर विस्तार को सीमित करते हुए एफएआर को भूखंड के आकार से 1.3 गुना तक सीमित कर दिया है।
  - **तुलना**: मुंबई में 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर केवल 1300 वर्ग मीटर ही उपयोगी स्थान मिलता है जबकि सिंगापुर या **हॉन्गकॉन्ग** में इसी प्रकार के प्लॉट पर 15,000 वर्ग मीटर तक स्थान मिलता है।

सुझाए गए सुधार:

- तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नियमों को तर्कसंगत बनाना।
- प्रभावी नीतियों को अपनाने के लिए अंतर-राज्य तुलना को बढ़ावा देना।
- बेहतर भूमि उपयोग से उत्पादन लागत कम हो सकती है, रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है।

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल [आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24]

शुरुआत: वर्ष 2018

उद्देश्य: क्षेत्रीय आर्थिक अंतर को पाटने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले के अद्वितीय उत्पादों को बढ़ावा देना।

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
- **उत्पाद श्रेणियाँ**: कृषि, विनिर्माण, हथकरघा, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री और सेवाएँ।
- **उपलब्धियाँ**:
  - 761 जिलों में 1102 उत्पादों की पहचान की गई।
  - केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2024 में ओडीओपी और जीआई-टैग उत्पादों के लिए "यूनिटी मॉल" स्थापित करने को प्रोत्साहित किया गया।
  - भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 कार्यक्रमों के माध्यम से कारीगरों को वैश्विक दृश्यता प्राप्त हुई।

सफलता

क्षेत्र	उत्पाद/प्रभाव	उपलब्धियाँ
शोपियाँ, कश्मीर	सेब	उत्पादन में 20% की वृद्धि।
उत्तरकाशी, उत्तराखंड	लाल चावल	उन्नत जैविक खेती कौशल।
अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश	कॉफी	20% उत्पादन वृद्धि।
कंधमाल, ओडिशा	हल्दी	सरकारी खरीद में 70% की वृद्धि।
भटिंडा, पंजाब	शहद	उत्पादन में 30% की वृद्धि।

चाइना प्लस वन रणनीति: भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ [आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24]

"चाइना प्लस वन" रणनीति आपूर्ति शृंखला की गतिशीलता में एक वैश्विक बदलाव के रूप में उभरी है, जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लक्ष्य चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अपने विनिर्माण आधारों में विविधता लाना है। यह दृष्टिकोण कोविड-19 महामारी, भू-राजनीतिक तनाव और चीन में व्यावसायिक परिचालन की बढ़ती लागत के कारण उत्पन्न व्यवधानों से उपजा है।

विनिर्माण में वैश्विक बदलाव: प्रमुख रुझान

- **चीन से विविधीकरण**: बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा वर्ष 2023 में किए गए सर्वेक्षण में 90% से अधिक उत्तरी अमेरिकी निर्माताओं ने बताया कि वे अपना उत्पादन मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में स्थानांतरित कर रहे हैं।
- **चालक**: यह रणनीति आपूर्ति शृंखला जोखिमों, राजनीतिक तनावों और चीन में बढ़ती लागतों से संबंधित चिंताओं से प्रेरित है।

चाइना प्लस वन रणनीति में भारत की स्थिति

भारत वैश्विक कंपनियों के लिए एक आकर्षक मामला प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में।

भारत के पक्ष में प्रमुख कारक

- **बड़ा घरेलू बाजार**: भारत का विशाल उपभोक्ता आधार वैश्विक भागीदारों को आकर्षित करता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में।
- **सरकारी पहल**: उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे कार्यक्रम विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कर छूट और सब्सिडी प्रदान करते हैं।
- **निर्यात में वृद्धि**:
  - भारत द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2017 में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार अधिशेष में परिवर्तित हो गया है।
  - अमेरिका को मोबाइल फोन का निर्यात वित्त वर्ष 2023 में 2.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 5.7 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- **सफलता की कहानियाँ**: वित्त वर्ष 2024 में एप्पल ने भारत में 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आईफोन असेंबल किए, जो उसके वैश्विक आईफोन उत्पादन का 14% है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों ने कर्नाटक और तमिलनाडु में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) में भारत का एकीकरण

जीवीसी में अपनी भूमिका बढ़ाने की भारत की रणनीति दो मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है:

1. **व्यापार लागत कम करना:**
   - भारत की बेहतर लॉजिस्टिक दक्षता विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) में बढ़ते स्कोर से परिलक्षित होती है।
   - औद्योगिक गलियारों और समर्पित माल ढुलाई गलियारों के विकास से व्यापार लागत में और कमी आती है।
2. **विदेशी निवेश को सुगम बनाना:**
   - पीएलआई योजना प्रोत्साहनों को बाजार के प्रदर्शन से जोड़कर उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी निवेश को आकर्षित करती है।
   - भारत नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी में एकीकरण को गहरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया-भारत मुक्त व्यापार समझौता एवं अमेरिका-भारत स्वच्छ ऊर्जा पहल जैसे समझौतों पर काम कर रहा है।

विकास और निर्यात क्षमता के प्रमुख क्षेत्र

भारत के फोकस क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, अर्धचालक और अगली पीढ़ी के दूरसंचार शामिल हैं।

Search On TG: @apna_pdf

- **नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात**:
  - अमेरिका को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी निर्यात वित्त वर्ष 2020 में 199.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 326.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
  - फर्स्ट सोलर, वेस्टा और स्कैटेक जैसी कंपनियों ने भारत में परिचालन स्थापित कर लिया है।

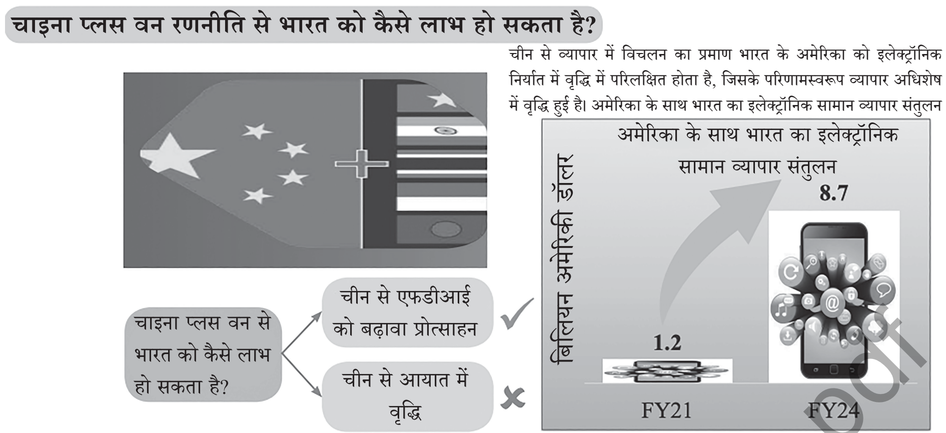

चीन के साथ संबंधों को संतुलित करना:

चाइना प्लस वन रणनीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण में चीनी कंपनियों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ चीन से आयात को संतुलित करना शामिल है:

- **चुनौतियाँ**:
  - बढ़ते व्यापार घाटे के साथ चीन भारत का शीर्ष आयात भागीदार बना हुआ है।
  - उच्च तकनीक वाले घटकों के लिए चीनी आयात पर भारी निर्भरता से आर्थिक दबाव का खतरा है।
- **अवसर**:
  - स्थानीय विनिर्माण और निर्यात के लिए चीनी एफडीआई को आकर्षित करना केवल व्यापार पर निर्भर रहने की तुलना में अधिक लाभदायक साबित हो सकता है।
  - ब्राजील, तुर्की और यूरोपीय देशों से मिले सबक से यह पता चलता है कि आयात पर निर्भरता कम करते हुए चीनी एफडीआई को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।

दीर्घकालिक रणनीतिक फोकस:

भारत का लक्ष्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने मूल्य शृंखला एकीकरण को गहरा करना है, जैसे:

- नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन और पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियाँ)।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक और दूरसंचार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियाँ।

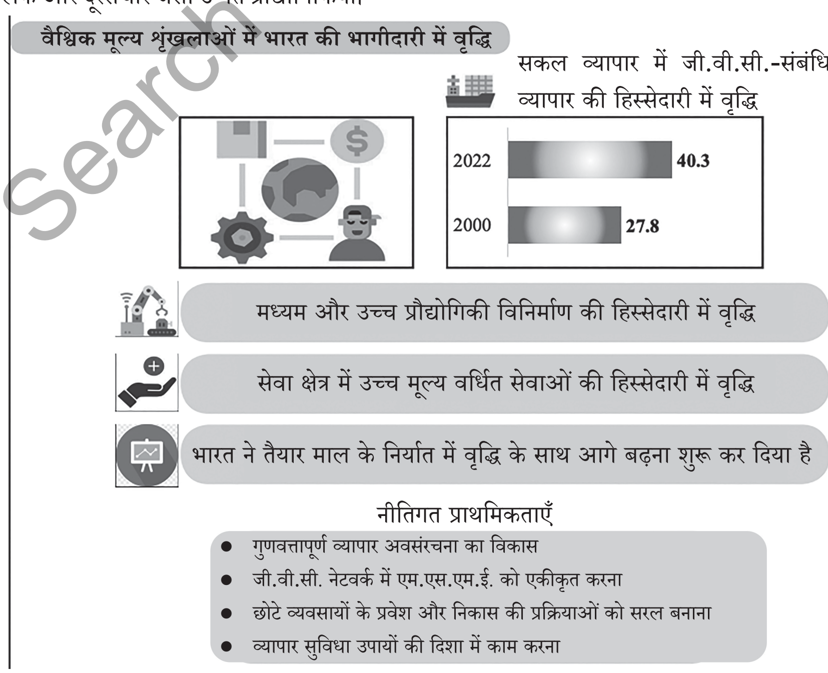

Search On TG: @apna_pdf

कोयला क्षेत्र [UPSC 2012, 2019]

कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार द्वारा वर्ष 1971-73 के बीच इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 ने नीलामी के माध्यम से कोयला खदानों के आवंटन और निजी क्षेत्र को कोयले की बिक्री के लिए आवंटन को सक्षम बनाया।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कोयले की भूमिका

- **महत्त्व**: कोयला भारत की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा का 55% से अधिक प्रदान करता है तथा कुल विद्युत उत्पादन में 70% का योगदान देता है।
- **FY24 में उत्पादन और खपत**:
  - **उत्पादन**: 997.2 मिलियन टन (एमटी)
  - **उपभोग**: 1233.86 मिलियन टन
  - **आयात**: 261 मिलियन टन
- कोयला उत्पादन में तेजी और आयात पर निर्भरता में कमी के कारण पिछले दशक में घरेलू उत्पादन एवं खपत के अनुपात में सुधार हुआ है।

कोयला मेट्रिक्स

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (%) सीएजीआर	खपत (%) सीएजीआर	आयात (%) सीएजीआर
FY14–FY19	5.2	5.6	7.1
FY19–FY24	6.5	5.0	2.1
FY24 (YoY)	11.7	10.7	9.8

प्रमुख हालिया पहल

- **कोयला गैसीकरण**:
  - **लक्ष्य:** आयात कम करने के लिए वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले को गैसीकृत करना।
  - गैसीकरण परियोजनाओं की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए वर्ष 2023-24 में 8,500 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई।
- **एकीकृत कोयला रसद नीति (2024)**:
  - लागत प्रभावी और तकनीकी रूप से उन्नत कोयला निकासी लॉजिस्टिक्स विकसित करता है।
- **संशोधित कोयला ब्लॉक आवंटन नियम (2023)**: बेहतर दक्षता के लिए आवंटन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है।
- **सीआईएल द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा पहल**:
  - वित्त वर्ष 26 तक खनन कार्यों के लिए 3,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता की योजना।
  - वर्ष 2023-24 में 8.60 मिलियन सौर ऊर्जा यूनिट उत्पन्न की जाएगी।
- **प्रथम मील कनेक्टिविटी परियोजनाएँ**:
  - उच्च क्षमता वाले हैंडलिंग संयंत्रों और साइलो के माध्यम से कोयले की निकासी में वृद्धि।
- **महत्वपूर्ण खनिज अधिग्रहण**:
  - घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिथियम और कोबाल्ट परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना।

चुनौतियाँ और अवसर

- **चुनौतियाँ**:
  - **तकनीकी कमी**: सीमित स्वदेशी आधुनिक खनन उपकरण।
  - **विनियामक विलंब**: वानिकी और पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण एवं प्रक्रियात्मक बाधाएँ।
  - **कोकिंग कोल आयात:** वर्तमान में, घरेलू इस्पात उद्योग के लिए भारत की कोकिंग कोल की 85% आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। बढ़ती माँग के लिए कोकिंग कोल मिशन के अंतर्गत बेहतर लाभकारीकरण और सम्मिश्रण की आवश्यकता है।
- **अवसर**:
  - उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
  - कोयला खान मीथेन (सीएमएम), कोल बेड मीथेन (सीबीएम), कोयला से द्रव और कोयला से मेथनॉल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से हरित ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले का विस्तार।

घरेलू खपत के प्रतिशत के रूप में कोयला उत्पादन

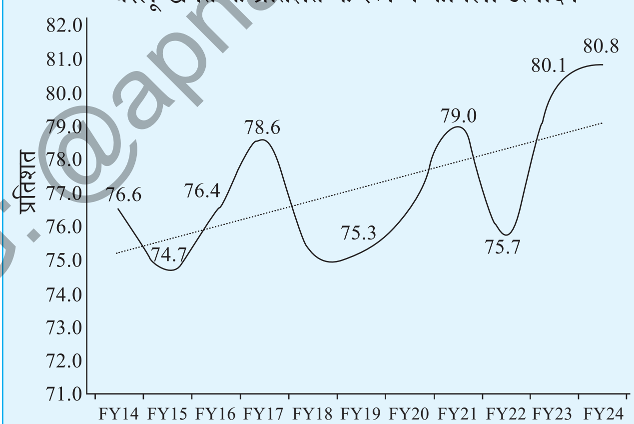

स्रोत: कोयला मंत्रालय के आँकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण की गणना

घरेलू खपत के प्रतिशत के रूप में उत्पादन:

उत्पादन-उपभोग अनुपात में समय के साथ लगातार सुधार हुआ है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है-

वित्तीय वर्ष	उपभोग के % के रूप में उत्पादन
FY14	76.6%
FY19	78.6%
FY24	80.8%

राष्ट्रीय कोयला सूचकांक:

कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों की नीलामी से सरकार के राजस्व हिस्से की गणना के लिए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक जारी किया गया। इसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा विकसित किया गया था।

भारत की औद्योगिक नीतियाँ

- **1948: पहली औद्योगिक नीति**
  - **राज्य की भूमिका**: राज्य ने एक उद्यमी और प्राधिकारी दोनों के रूप में दोहरी भूमिका निभाई।

Search On TG: @apna_pdf

- **आर्थिक मॉडल**: मिश्रित आर्थिक मॉडल
- **उद्योगों का वर्गीकरण**:
    - **सामरिक उद्योग (सार्वजनिक क्षेत्र)**: केंद्र सरकार का एकाधिकार (जैसे, हथियार, परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन)।
    - **बुनियादी/प्रमुख उद्योग (सार्वजनिक-सह-निजी क्षेत्र)**: केंद्र सरकार के नेतृत्व वाले उद्योग जैसे कोयला, लोहा और इस्पात, जहाज निर्माण।
    - **महत्त्वपूर्ण उद्योग (नियंत्रित निजी क्षेत्र)**: निजी क्षेत्र के नेतृत्व में लेकिन केंद्र सरकार के नियंत्रण में।
    - **अन्य उद्योग (निजी एवं सहकारी क्षेत्र)**: निजी क्षेत्र के लिए खुला।
- **उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951**: 1948 की औद्योगिक नीति लागू की।

- **1956: औद्योगिक नीति संकल्प**
    - **उद्योगों का आरक्षण**:
        - **अनुसूची A:** केंद्र सरकार के एकाधिकार के लिए आरक्षित 17 क्षेत्र।
        - **अनुसूची B:** राज्य सरकार की पहल और निजी क्षेत्र की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 12 क्षेत्र।
        - **अनुसूची C:** निजी उद्यम के लिए खुले अन्य सभी क्षेत्र।
    - **लाइसेंस व्यवस्था**: लाइसेंस-कोटा-परमिट शासन की शुरुआत, भारी उद्योगों पर जोर देना और क्षेत्रीय असमानता, छोटे उद्योगों एवं कृषि को संबोधित करना।
- **1991: नई औद्योगिक नीति (आर्थिक सुधार)**
    - **सार्वजनिक क्षेत्र का अर्ध-आरक्षण**: केवल परमाणु ऊर्जा और रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।
    - **लाइसेंस की समाप्ति**: कुछ क्षेत्रों (जैसे- एयरोस्पेस, रक्षा, खतरनाक रसायन) को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई।
    - **सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश**:
        - **विदेशी निवेश का उदारीकरण**: विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया।
- **विनिवेश** [UPSC 2011]
    - **अर्थ**: मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) में संपत्तियों की बिक्री या परिसमापन।
    - **निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)**: सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के लिए नोडल निकाय।
    - **विनिवेश के प्रकार**:
        - **टोकन विनिवेश**: सरकारी नियंत्रण बरकरार रखते हुए 49% तक पीएसयू शेयरों की बिक्री।
        - **रणनीतिक विनिवेश**: 51% या अधिक पीएसयू शेयरों की बिक्री, नियंत्रण स्थानांतरित करना।

भारत में महत्त्वपूर्ण खनिज और डीएमएफ

- **आयात निर्भरता**: भारत 12 महत्त्वपूर्ण खनिजों में से सात के लिए आयात पर निर्भर है और हल्के दुर्लभ मृदा तत्त्वों एवं बेरीलियम को छोड़कर अधिकांश के लिए घरेलू संसाधनों की कमी है।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज**: बेरीलियम, रेनियम, दुर्लभ मृदा तत्त्व, जर्मेनियम, लिथियम, कोबाल्ट, टैंटलम, क्रोमियम, स्ट्रॉन्शियम, आदि।
- **अनुप्रयोग**: इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस, रक्षा, लैपटॉप, मेडिकल इमेजिंग, परमाणु ऊर्जा, स्मार्टफोन आदि में उपयोग किया जाता है।
- **वैश्विक आपूर्ति**: चीन वर्ष 2030 तक भारत के लिए महत्त्वपूर्ण 12 खनिजों में से छह का अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता है।

जिला खनिज फाउंडेशन [UPSC 2016]

- **उद्देश्य**: यह केवल खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए ही नहीं, बल्कि खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के कल्याण के लिए भी कार्य करता है।
- **खनिकों के अनुसार योगदान**:
    - 12 जनवरी 2015 के बाद दिए गए खनन पट्टों के लिए रॉयल्टी का 10%
    - 12 जनवरी 2015 से पहले दिए गए पट्टों के लिए रॉयल्टी का 30%
- **निधियों का उपयोग**:
    - शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 60%
    - भौतिक बुनियादी ढाँचे के लिए 40%
    - **ग्राम सभा की मंजूरी**: निधि के उपयोग और लाभार्थी की पहचान के लिए अनुसूची V और VI क्षेत्रों में आवश्यक।
- **टिप्पणी**: राज्य खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

भारत में श्रम कानून

- **संवैधानिक संदर्भ**: भारतीय संविधान के तहत श्रम एक समवर्ती विषय है।
- **नई श्रम संहिता**: 29 मौजूदा कानूनों को चार मुख्य संहिताओं में समेकित किया गया।
- **वेतन संहिता, 2019**
    - राज्यों के लिए उच्च दरें निर्धारित करने के लचीलेपन के साथ राष्ट्रव्यापी न्यूनतम वेतन निर्धारित करता है।
    - वेतन घटकों (मूल वेतन, महँगाई भत्ता, आदि) को परिभाषित करता है।
    - नियोक्ताओं को वेतन अवधि समाप्त होने के दो कार्य दिवसों के भीतर वेतन का भुगतान करना आवश्यक है।
- **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020**
    - 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को एकीकृत किया गया।
    - कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए मानक निर्धारित करता है।
    - निरीक्षकों को नियमों को लागू करने और उल्लंघनों को दंडित करने का अधिकार देता है।
    - श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के साथ सुरक्षा समितियों के गठन को अनिवार्य करता है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020**
    - लाभों तक पहुँच को आसान बनाने के लिए 9 मौजूदा कानूनों का विलय किया गया।
    - इसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक शामिल हैं।
    - नौकरी या स्थान बदलते समय सामाजिक सुरक्षा लाभों का आसान हस्तांतरण।
    - केंद्रीकृत प्रणालियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाता है।

Search On TG: @apna_pdf

- **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020**
  - व्यापार संघों, औद्योगिक विवादों और स्थायी आदेशों से संबंधित कानूनों को एकीकृत करता है।
  - निश्चित अवधि के रोजगार और आसान छँटनी के प्रावधान प्रस्तुत करता है।
  - सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से औद्योगिक विवाद निपटान में तेजी लाता है।
  - 100 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में कार्यकर्ता समितियों के गठन को अनिवार्य करता है।

राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (NIMZs) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs):

राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (NIMZs) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) औद्योगिक विकास एवं निर्यात संवर्धन के लिए भारत की रणनीति के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, जो उन्नत विनिर्माण क्षमता और निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। यद्यपि दोनों पहल आर्थिक विकास पर केंद्रित हैं, फिर भी वे संरचना, दायरे और नियामक ढाँचे के संदर्भ में काफी भिन्न हैं।

राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (NIMZs):

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 के तहत परिकल्पित NIMZ बड़े, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप हैं, जिन्हें विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा और व्यापार-अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। NIMZ का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगीकरण में तेज़ी लाना, रोज़गार सृजित करना और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना है। पहले तीन NIMZs- प्रकाशम (आंध्र प्रदेश), संगारेड्डी (तेलंगाना) और कलिंगनगर (ओडिशा) को मंज़ूरी दे दी गई है तथा कई अन्य पर काम चल रहा है।

- **आवश्यक क्षेत्रफल:** NIMZs को न्यूनतम 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करना होगा, इसकी कोई विशिष्ट ऊपरी सीमा नहीं है।
- **एकीकृत बुनियादी ढाँचा:** NIMZs को स्कूलों, अस्पतालों और उपयोगिताओं सहित व्यापक बुनियादी ढाँचे के साथ आत्मनिर्भर टाउनशिप के रूप में डिजाइन किया गया है।
- **विनिर्माण पर फोकस:** ये क्षेत्र उच्च मूल्य वाले विनिर्माण और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान देने के साथ उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास पर जोर देते हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA):** राज्य सरकार NIMZs के लिए EIA आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।
- **प्रोत्साहन:** NIMZs SEZs में उपलब्ध प्रोत्साहनों के समान प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, लेकिन इनका फोकस व्यापक औद्योगिक विकास पर अधिक होता है।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZs):

SEZs से पहले, निर्यात-उन्मुख इकाइयों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके और अनुकूल कारोबारी माहौल बनाकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZs) स्थापित किए गए थे। पहला EPZ वर्ष 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था और यह अवधारणा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) ढाँचे में विकसित हुई। EPZs ने कर छूट और सरलीकृत प्रक्रियाओं सहित समान लाभ प्रदान किए, लेकिन बाद में उन्हें अधिक व्यापक SEZ प्रणाली के तहत शामिल कर लिया गया।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs):

भारत में SEZs, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 द्वारा शासित होते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। इन क्षेत्रों को "मान्य विदेशी क्षेत्र" माना जाता है और ये निर्यातोन्मुखी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। SEZ एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, बुनियादी ढाँचा, कर छूट और एक विनियामक वातावरण प्रदान करते हैं जो निर्यात पर केंद्रित व्यावसायिक संचालन की सुविधा प्रदान करता है।

- **आवश्यक क्षेत्रफल:** विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) का क्षेत्रफल सामान्यतः 10 से 1,000 हेक्टेयर तक होता है तथा अधिकतम क्षेत्रफल सीमा 5,000 हेक्टेयर है।
- **निर्यात उन्मुखीकरण:** विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) विशेष रूप से निर्यातोन्मुख उद्योगों के लिए हैं, जो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं।
- **प्रोत्साहन और लाभ:**
  - **कर छूट:** SEZs में इकाइयों को आयात और घरेलू खरीद पर सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में छूट से लाभ होता है।
  - **आयकर लाभ:** आयकर छूट एक निर्दिष्ट अवधि के लिए दी जाती है, आमतौर पर 15 साल तक।
  - **एकल खिड़की मंजूरी:** व्यापार सुगमता के लिए सरलीकृत प्रशासनिक प्रक्रियाएँ।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA):** परियोजना विकासकर्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।

मेक इन इंडिया और स्टार्टअप

- **मेक इन इंडिया (2014):**
  - विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य विनिर्माण की विकास दर को बढ़ाना, 2022 तक 100 मिलियन नौकरियाँ सृजित करना और 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 25% तक बढ़ाना है।
  - मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं।
- **स्टार्टअप इंडिया (2016):**
  - इसका उद्देश्य विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्रों में उद्यमशीलता तथा नवाचार को बढ़ावा देना है। इस पहल के अंतर्गत, स्टार्टअप्स को कर छूट और आसान विनियामक प्रक्रियाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें विकास करने एवं अर्थव्यवस्था में योगदान करने में मदद मिलेगी।
- **स्टैंड अप इंडिया** **[UPSC 2016]**
  - **उद्देश्य:**
    - ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति/जनजाति ऋणकर्ता और एक महिला ऋणकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना।
    - विनिर्माण, सेवा, कृषि-संबद्ध गतिविधियों और व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना।

Search On TG: @apna_pdf

फलता-फूलता स्टार्ट-अप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र

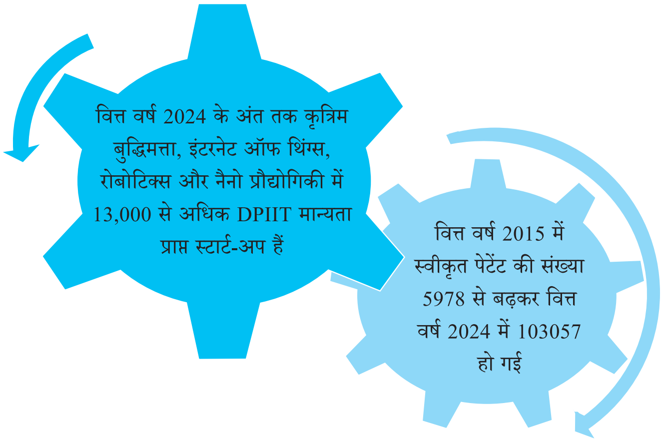

भारत में स्टार्टअप और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास:

भारत ने नवाचार और उद्यमशीलता के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है जिसका लक्ष्य स्टार्टअप के लिए एक वैश्विक केंद्र बनना है। सरकार ने स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें एवं सुधार शुरू किए हैं।

- **पेटेंट और अनुसंधान:**
  - प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उद्योगों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के साथ, भारतीय पेटेंट परिदृश्य में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है:
  - **पेटेंट नियम, 2024:** पेटेंट प्राप्त करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों को सरल बनाया गया, जिससे नवप्रवर्तकों के लिए यह अधिक सुलभ हो गया।
  - **पेटेंट और डिज़ाइन में वृद्धि:**
    - स्वीकृत पेटेंटों की संख्या वर्ष 2014-15 में 5,978 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 103,057 हो गई, जो नवाचार में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है।
    - पंजीकृत डिजाइन वर्ष 2014-15 में 7,147 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 30,672 हो गए, जो उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा निर्माण में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- **स्टार्टअप विकास और नवाचार:**
  - भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सरकारी नीतियों, वित्त पोषण और नवाचार की बढ़ती संस्कृति के कारण तेजी से वृद्धि देखी गई है:
  - **DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप:**
    - वर्ष 2016 में लगभग 300 स्टार्टअप्स से बढ़कर, मार्च 2024 तक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 1.25 लाख को पार कर गई, जो एक संपन्न उद्यमशीलता परिदृश्य का संकेत है।
  - **विविध भौगोलिक क्षेत्र:** 45% से अधिक स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों से उभर रहे हैं, जो प्रमुख महानगरों से परे नवाचार के प्रसार को दर्शाता है।
  - **लैंगिक विविधता:** 47% से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक हैं, जो उद्यमिता में समावेशिता पर बढ़ते जोर को दर्शाता है।
  - **स्टार्टअप द्वारा पेटेंट आवेदन:** स्टार्टअप ने वर्ष 2016 और मार्च 2024 के बीच 12,000 से अधिक पेटेंट आवेदन दायर किए, जो भारत की पेटेंटिंग गतिविधि में उनके योगदान को रेखांकित करता है।
- **उद्योग और अनुसंधान पहल:**
  - भारत सरकार ने उद्योग, शिक्षा जगत और अनुसंधान निकायों के बीच अनुसंधान एवं सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं:
  - **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) विधेयक 2023:**
    - **ANRF विधेयक 2023** पारित किया गया, जिसके लिए **₹50,000 करोड़** का अनुमानित बजट वर्ष **2023-28** की अवधि के लिए आवंटित किया गया है।
    - **ANRF की भूमिका:** यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा।
- **स्टार्टअप्स में निवेश और वित्तपोषण:**
  - स्टार्टअप्स के विकास के लिए वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण है और सरकार ने नवाचार के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रयास किए हैं:
    - **स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स:** 135 से अधिक वैकल्पिक निवेश फंडों (AIFs) को ₹10,500 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024 के अंत तक स्टार्टअप्स में ₹18,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया। यह वित्तपोषण प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करता है।
- **नवाचार सूचकांक और वैश्विक मान्यता:**
  - वैश्विक नवाचार रैंकिंग में भारत की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है:
    - **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII):** भारत ने लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और अब यह निम्न मध्यम आय वाले देशों तथा मध्य एवं दक्षिणी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है।
  - **घरेलू बाजार पैमाना:** घरेलू बाजार पैमाने के सूचक में भारत विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान पर है, जो इसके विशाल उपभोक्ता बाजार को प्रदर्शित करता है। यह नवाचार और व्यापार वृद्धि के लिए एक आकर्षक कारक है।
- **भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री:**
  - **भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री** को स्टार्टअप इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों के लिए एकीकृत मंच बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। यह **उद्यमियों, निवेशकों, शोधकर्ताओं, और नीति-निर्माताओं** के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें सहयोग करने तथा नवाचार को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण के तहत निर्यात को बढ़ावा देना है। 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए शुरू की गई यह योजना वृद्धिशील उत्पादन और बिक्री से जुड़े वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

Search On TG: @apna_pdf

प्रमुख उपलब्धियाँ (मई 2024 तक)

- **निवेश**: ₹1.28 लाख करोड़ से अधिक का निवेश दर्ज।
- **उत्पादन/बिक्री**: ₹10.8 लाख करोड़ का सृजन।
- **रोज़गार**: 8.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए।
- **निर्यात**: ₹4 लाख करोड़ की वृद्धि, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों का महत्त्वपूर्ण योगदान शामिल है:
    - **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण**
    - **फार्मास्युटिकल्स**
    - **खाद्य प्रसंस्करण**
    - **दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद**

प्रोत्साहन और लाभ:

यह योजना विनिर्माताओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है। यह भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए रोजगार सृजन और निर्यात संवर्धन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

- इस योजना का लाभ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों निर्माता उठा सकते हैं। **[UPSC 2023]**
- सरकार की PLI योजनाओं ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और विशेष इस्पात में निवेश आकर्षित किया है। उदाहरण के लिए, विशेष इस्पात के लिए PLI योजना ने 24,780 हजार टन की क्षमता वृद्धि के साथ 15,519 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया।

सफेद वस्तुओं (ACs और LED लाइट) के लिए PLI योजना

श्वेत वस्तुओं (एयर कंडीशनर और LED लाइट) के लिए 6,238 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक समर्पित PLI योजना शुरू की गई। मई 2024 तक:

- **संचयी निवेश**: श्वेत वस्तु क्षेत्र में ₹3,181 करोड़।
- **बिक्री**: कुल ₹13,320 करोड़ की बिक्री हुई।

वर्तमान मूल्यों में कुल कपड़ा (परिधान सहित) जीवीए में गैर-निगम जीवीए का हिस्सा

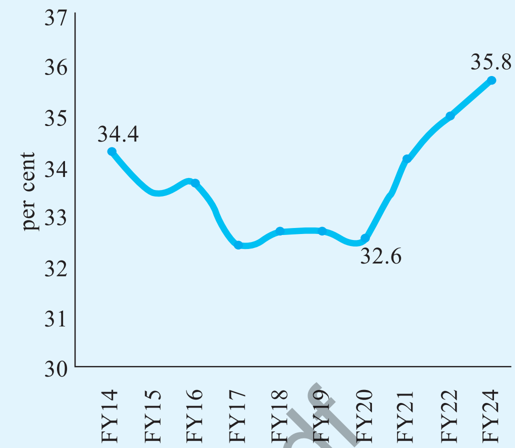

स्रोत: राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी 2024, MoSPI

कपड़ा उत्पादों का कुल निर्यात

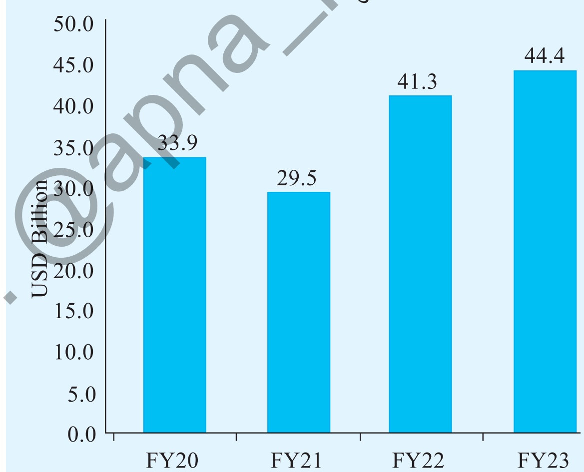

स्रोत: कपड़ा मंत्रालय

पीएलआई योजना के तहत वास्तविक क्षेत्रवार निवेश

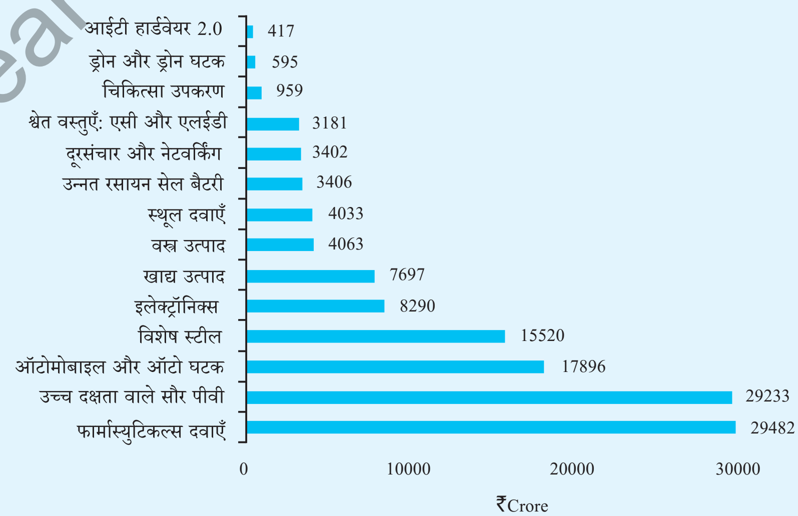

स्रोत: डीपीआईआईटी

Search On TG: @apna_pdf

इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार में वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)

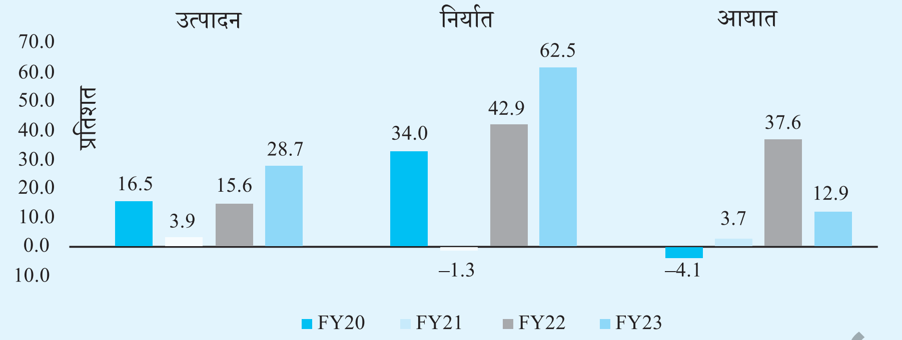

स्रोत: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY)

फार्मा क्षेत्र में घरेलू कारोबार वृद्धि

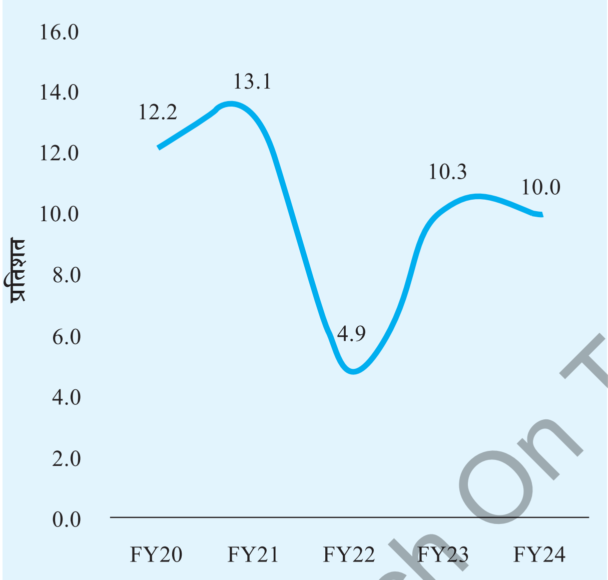

स्थिर मूल्यों (वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 23) में विनिर्माण जीवीए के घटकों में औसत वार्षिक वृद्धि प्रतिशत में

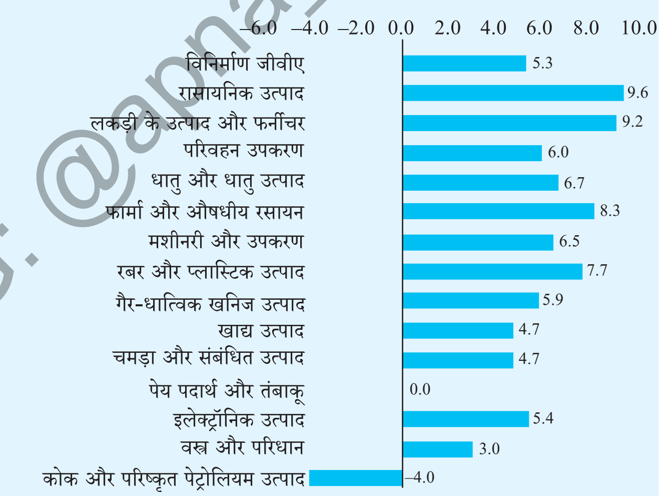

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011:

- समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों के बीच उपयुक्त कौशल विकास पर जोर देना।
- विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन और तकनीकी गहराई को बढ़ाना।
- भारतीय विनिर्माण की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- स्थिरता पर जोर दिया गया।

आधारभूत संरचना:

- बुनियादी ढाँचे को औद्योगिक और समग्र आर्थिक विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण निवेश माना जाता है। हालाँकि यह बात सच है, लेकिन भारत में इस शब्द के वर्तमान प्रयोग के अनुसार बुनियादी ढाँचे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है।
- बिजली, परिवहन, दूरसंचार, जल, स्वच्छता और कचरे के सुरक्षित निपटान जैसी बुनियादी ढाँचागत गतिविधियाँ घरेलू गतिविधियों एवं आर्थिक उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनमें से किसी के बिना या तो आर्थिक उत्पादन प्रभावित होगा या जीवन की गुणवत्ता खराब होगी। इसलिए इन गतिविधियों को आर्थिक प्रणाली के लिए आवश्यक इनपुट के रूप में देखा जा सकता है।
- कई बुनियादी ढाँचा गतिविधियों की विशेषता यह है कि वे उपयोग-विशिष्ट या उपयोगकर्ता-विशिष्ट नहीं हैं: एक ही टेलीफोन प्रणाली का उपयोग अनेक उत्पादक गतिविधियों में किया जा सकता है, (a) यदि पर्याप्त क्षमता उपलब्ध हो तो एक साथ, या (b) भीड़भाड़ हो तो क्रमिक रूप से।
- बुनियादी ढाँचे में आम तौर पर दीर्घकालिक इंजीनियर संरचनाएँ शामिल होती हैं और यह निम्नलिखित में से एक हो सकती है-
  - **सार्वजनिक उपयोगिता:** बिजली, पाइप्ड गैस, दूरसंचार, जल आपूर्ति, आदि;
  - **सार्वजनिक कार्य:** सिंचाई, सड़कों के लिए प्रमुख बाँध और नहर कार्य;
  - अन्य परिवहन क्षेत्र जैसे रेलवे, बंदरगाह, जलमार्ग, वायुमार्ग।

बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण

पूँजीगत व्यय:

- वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 24 के बीच केंद्र सरकार का पूँजीगत व्यय 2.2 गुना और राज्य सरकारों का 2.1 गुना बढ़ा।

Search On TG: @apna_pdf

- केंद्र सरकार के पूँजीगत व्यय में विभागों द्वारा किया गया व्यय और सीपीएसई को सकल बजटीय सहायता (GBS) शामिल है।
- **राज्य सरकार का समर्थन:** वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2024 के बीच राज्य पूँजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार का समर्थन 31.6% बढ़ा।

गैर-सरकारी अनुदान:

- सार्वजनिक व्यय मुख्य रूप से हाल की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, विशेष रूप से कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाता है।
- मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों का बैंक ऋण लगभग ₹79,000 करोड़ था।
- वित्त वर्ष 2024 में बाह्य वाणिज्यिक ऋणी बढ़कर 9.05 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई।
- पूँजी बाजार संसाधन जुटाना: वित्त वर्ष 2024 में ऋण और इक्विटी के माध्यम से ₹1,00,000 करोड़ से अधिक जुटाए गए।
- REITs ने वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक ₹18,840 करोड़ और InvITs ने ₹1,11,294 करोड़ जुटाए।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख तंत्र

तंत्र	विवरण
सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यॉंकन समिति (PPPAC)	केंद्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं की समीक्षा। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 तक कुल 2.4 लाख करोड़ रुपए की 77 परियोजनाओं की सिफारिश की गई।
व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF)	वित्तीय रूप से अव्यवहार्य लेकिन सामाजिक/आर्थिक रूप से लाभकारी पीपीपी परियोजनाओं का समर्थन करता है। वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 24 तक 57 परियोजनाओं (₹64,926.1 करोड़) को सैद्धांतिक रूप से और 27 परियोजनाओं (₹25,263.8 करोड़) को अंतिम रूप से मंज़ूरी दी गई।
भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना	पीपीपी परियोजना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 के लिए ₹150 करोड़ के बजट के साथ नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया।
अन्य सहायक उपकरण	पीपीपी संरचना और कार्यान्वयन में सहायता के लिए संदर्भ मार्गदर्शिकाएँ, वेब-आधारित टूलकिट और अनुबंध प्रबंधन उपकरण बनाए गए।

Search On TG: @apna_pdf

क्षेत्रवार मुख्य बिंदु

सड़कें

- **पूँजी व्यय:** सकल घरेलू उत्पाद का 0.4% (वित्त वर्ष 15) से 1% (वित्त वर्ष 24)।
- राष्ट्रीय राजमार्गों में 1.6 गुना वृद्धि हुई; लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार हुआ (विश्व स्तर पर रैंक 54 से 38 तक)।

रेलवे

- **पूँजी व्यय:** वित्त वर्ष 2024 में ₹2.62 लाख करोड़ (5 वर्षों में 77% की वृद्धि)।
- **विद्युतीकरण:** 96.4% नेटवर्क विद्युतीकृत।
- **प्रमुख परियोजनाएँ:** वंदे भारत ट्रेनें, MAHSR (मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल) और अमृत भारत स्टेशन योजना (स्टेशन उन्नयन)।

जल परिवहन:

- वर्ष 2014 से प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है।
- पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से वैश्विक समुद्री प्रतिस्पर्धा में सुधार हुआ है।
- विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट) में भारत की रैंक वर्ष 2014 में 44वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2023 में 22वें स्थान पर आ गई है।

नागरिक उड्डयन:

- वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक।
- FY20 से FY25 तक हवाई अड्डे के विकास के लिए ₹26,000 करोड़ से अधिक की सरकारी पूँजीगत व्यय योजना।

विद्युत क्षेत्र

- **एकीकृत ग्रिड:**
  - भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े एकीकृत बिजली ग्रिडों में से एक का संचालन करता है।
  - **अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण क्षमता**: 118,740 मेगावाट।
- **विद्युतीकरण**
  - **सौभाग्य योजना:** अक्टूबर 2017 से 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया।
- **पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)**
  - **उद्देश्य**: परिणाम-आधारित वित्तीय सहायता के माध्यम से डिस्कॉम की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार।
  - **अनुदान**: FY22–FY26 के लिए ₹3.04 लाख करोड़, जिसमें सरकार से ₹0.98 लाख करोड़ शामिल हैं।
  - **लक्ष्य**: वित्त वर्ष 2025 तक तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को 12-15% तक कम करना।

- महत्त्वपूर्ण पहल

पहल	विवरण
समर्थ मिशन	ताप संयंत्रों में बायोमास को-फायरिंग को बढ़ावा देने के लिए 2021 में लॉन्च किया गया (लक्ष्य: 5% तक वृद्धि)।
एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड	नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी के लिए वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय ग्रिडों को आपस में जोड़ना।
उजाला	अकुशल प्रकाश व्यवस्था को एलईडी से प्रतिस्थापित करने के लिए वर्ष 2015 में पेश की गई।
स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम	1.31 करोड़ से अधिक LED स्ट्रीट लाइट स्थापित की गई जिससे 8.80 बिलियन किलोवाट घंटा/वर्ष की बचत हुई।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र

- **2030 का लक्ष्य:** गैर-जीवाश्म ईंधन से कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 50%।
- **स्थापित क्षमता:** 31 मार्च, 2024 तक 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा (कुल का 43.12%)।
- **निवेश:** स्वच्छ ऊर्जा में ₹8.5 लाख करोड़ (102.4 बिलियन अमरीकी डॉलर) (2014-2023)।

प्रमुख कार्यक्रम एवं पहलें

कार्यक्रम/परियोजना	विवरण
पीएम-कुसुम	166 मेगावाट विकेंद्रीकृत सौर क्षमता; 3.26 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण।
पीएलआई योजनाएँ	उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण के लिए ₹24,000 करोड़।
सौर पार्क योजना	39.7 गीगावॉट क्षमता के लिए 56 पार्क स्वीकृत।
पीएम-सूर्य घर	वित्त वर्ष 2027 तक 1 करोड़ घरों में 30 गीगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा का लक्ष्य।
सीपीएसयू योजना चरण- II	वीजीएफ समर्थन के साथ ग्रिड से जुड़े सौर पीवी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
पवन ऊर्जा	45.89 गीगावाट स्थापित; पवन ऊर्जा में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है।
पीवीटीजी के लिए नई सौर ऊर्जा योजना	18 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए जनवरी 2024 में लॉन्च की गई।
हरित ऊर्जा गलियारा	नवीकरणीय ऊर्जा निकासी का समर्थन करता है।
जैव ऊर्जा कार्यक्रम	इसमें बायोमास ऊर्जा (9.4 गीगावाट), अपशिष्ट से ऊर्जा (249.74 मेगावाट) और 51.04 लाख बायोगैस संयंत्र शामिल हैं।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन	125 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता के साथ सालाना 5 एमएमटी हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य।
ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस)	नवीकरणीय उत्पादन परिवर्तनशीलता, ग्रिड स्थिरता और चरम ऊर्जा स्थानांतरण जैसी समस्याओं का समाधान करता है।
पंपयुक्त भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी)	स्वच्छ ऊर्जा भंडारण के लिए पीएसपी विकसित करने के लिए वर्ष 2023 में दिशानिर्देश जारी किए गए।

Search On TG: @apna_pdf

भारत की जलवायु कार्रवाई की वर्तमान स्थिति

सौर ऊर्जा
- बर्ष 2023-24 में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 15.03 गीगावाट की वृद्धि
- 30 अप्रैल 2024 तक कुल 82.64 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता

उत्सर्जन तीव्रता
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2019 में 33% कम हुई (2005 के स्तर से)

कार्बन सिंक के रूप में वृक्ष और वन आवरण
- वर्ष 2005 से वर्ष 2019 तक 1.97 बिलियन टन CO_2 समतुल्य कार्बन सिंक पहले ही निर्मित किया जा चुका है।

स्थापित विद्युत् क्षमता 30 अप्रैल 2024: 442.8 गीगावाट

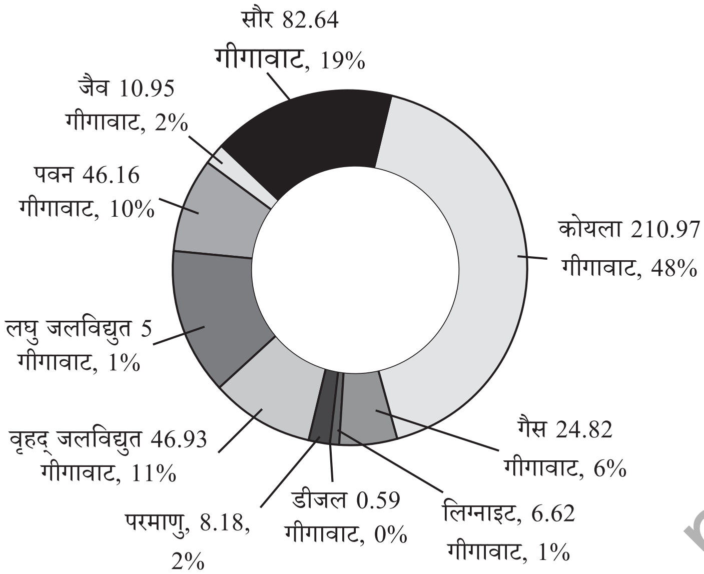

जल एवं स्वच्छता क्षेत्र

- **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G):** चरण- II का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक वहनीय ओडीएफ स्थिति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है।
- **जल जीवन मिशन (JJM):** नल जल की पहुँच 17% से बढ़कर 76.12% हो गई, अब 14.89 करोड़ घरों को इससे जोड़ा गया है।

जल संसाधन प्रबंधन क्षेत्र

- **नमामि गंगे कार्यक्रम:** सीवेज उपचार के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) का उपयोग करता है जिसमें मौजूदा और नई परियोजनाओं को एक ऑपरेटर के तहत एकीकृत किया जाता है।
    - इस मॉडल में निर्माण के दौरान 40% पूँजीगत व्यय का भुगतान किया जाता है और शेष 60% का भुगतान 15 वर्षों में ब्याज के साथ किया जाता है। साथ ही, संचालन और रखरखाव के लिए अलग-अलग भुगतान किए जाते हैं
- **प्रबंधन:** 'एक शहर-एक ऑपरेटर' दृष्टिकोण HAM-आधारित PPP मॉडल के तहत मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों के साथ नई परियोजनाओं को एकीकृत करता है।

जल संसाधन क्षेत्र के प्रमुख कार्यक्रम

बाँध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (DRIP)	**उद्देश्य:** मौजूदा बाँधों की सुरक्षा और प्रदर्शन बढ़ाना और बाँध सुरक्षा संस्थानों को मजबूत करना।
अटल भूजल योजना	**उद्देश्य:** 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भूजल माँग प्रबंधन पर केंद्रित केंद्रीय क्षेत्र योजना। **प्रगति:** सभी लक्षित ग्राम पंचायतों के लिए जल बजट और सुरक्षा योजनाएँ तैयार की गईं, जिनसे 47 ब्लॉकों और 813 ग्राम पंचायतों में भूजल स्तर में गिरावट में सुधार दिखा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)	**उद्देश्य:** कृषि जल की पहुँच और सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देना। **अवयव:** इसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) और हर खेत को पानी (HKKP) शामिल हैं।
नदियों को जोड़ने की परियोजना	**कार्यक्षेत्र:** राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के अंतर्गत 30 नदी संपर्कों की पहचान की गई है। **प्राथमिकता वाली परियोजनाएँ:** केन-बेतवा, संशोधित पारबती-कालीसिंध-चंबल और गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजनाएँ शामिल हैं।

शहरी क्षेत्र

- **सबके लिए आवास (PMAY-U):** इसका उद्देश्य वर्ष 2015 से शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है।
    - 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंज़ूरी दी गई, 84 लाख पूरे हुए, कुल 8.07 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया।
- **किफायती किराये के आवास परिसर (ARHCs):** शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए रहने की स्थिति में सुधार के लिए पहली बार की गई पहल।

अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत):

- **अमृत 2.0:** अक्टूबर 2021 में पाँच वर्षों के लिए लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य 500 शहरों में सार्वभौमिक सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन प्रदान करते हुए शहरों को आत्मनिर्भर तथा जल-सुरक्षित बनाना है। इसमें जल निकायों और कुओं का पुनरुद्धार भी शामिल है।
- **प्रमुख सुधार:** संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचनाएँ, बढ़ी हुई वित्तीय स्थिरता, 20% पुनर्चक्रित/पुनः उपयोग किए गए उपचारित जल, दोहरी प्रविष्टि लेखांकन और कुशल नगर नियोजन को शामिल किया गया।

Search On TG: @apna_pdf

- **मेट्रो रेल/RRTS:** 27 शहरों में 945 किमी परिचालन में, 939 किमी निर्माणाधीन। वित्त वर्ष 2024 में 86 किमी का परिचालन शुरू हुआ और दैनिक सवारियों की संख्या 1.01 करोड़ तक पहुँच गई।

स्मार्ट सिटी मिशन (SCM):

जून 2015 में लॉन्च: इसका उद्देश्य स्मार्ट समाधानों का उपयोग करके बुनियादी ढाँचे, स्वच्छ वातावरण और उच्च गुणवत्ता वाले जीवन के साथ शहरों का विकास करना है।

प्रगति: 100 शहरों का चयन किया गया, 100 SPVs द्वारा 1.64 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 8,011 परियोजनाओं का प्रबंधन किया गया।

- **स्वच्छ भारत मिशन शहरी (SBM-U):** स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना, खुले में शौच से मुक्ति (ODF) और अपशिष्ट-मुक्त स्थिति का लक्ष्य।

अंतरिक्ष क्षेत्र:

- भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रह हैं: 18 संचार, 9 नेविगेशन, 5 वैज्ञानिक, 3 मौसम विज्ञान और 20 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह।
- नए प्रक्षेपण वाहन शामिल किए गए: प्रक्षेपण यान मार्क-3 (LVM3) और लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)।

अंतरिक्ष मिशन

- **प्रमुख मिशन:** मार्स ऑर्बिटर मिशन (2014), एस्ट्रोसैट (2015), चंद्रयान-2 ऑर्बिटर (2019), चंद्रयान-3 लैंडिंग (2023), आदित्य-एल1 मिशन (2023)।
- वर्ष 2016 में NavIC उपग्रह नेविगेशन समूह का निर्माण पूरा कर उसे परिचालित किया गया।
- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने 72 वनवेब उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया, जिससे वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं में LVM3 की विश्वसनीयता स्थापित हुई।

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी:

- **IN-SPACe:** जून 2022 में शुरू की गई यह सिंगल-विंडो संगठन अंतरिक्ष गतिविधियों का समर्थन और प्राधिकरण करती है, जनवरी 2024 तक 300 से अधिक संस्थाओं से 440 आवेदन प्राप्त कर चुकी है।
- **समझौता ज्ञापन और संयुक्त परियोजनाएँ:** अंतरिक्ष गतिविधियों का समर्थन करने के लिए जनवरी 2024 तक गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ 51 समझौता ज्ञापन और 34 संयुक्त परियोजना योजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए।
- **निजी उपग्रह विकास:** पिक्सेलस्पेस, दिगंतारा, ध्रुव स्पेस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम जैसी कंपनियों ने अंतरिक्ष संचालन के लिए उपग्रह एवं पेलोड विकसित किए हैं।
- **विक्रम-एस का प्रक्षेपण:** स्काईरूट एयरोस्पेस का उपकक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम-एस, 18 नवंबर, 2022 को प्रक्षेपित किया गया।
- **निजी लॉन्चपैड और नियंत्रण केंद्र:** अग्निकुल कॉसमॉस ने 25 नवंबर, 2022 को इसरो परिसर में भारत का पहला निजी लॉन्चपैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया।
- **पीएसएलवी उत्पादन साझेदारी:** पाँच PSLV के उत्पादन के लिए HAL और L&T कंसोर्टियम का चयन किया गया।
- **लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

निर्माण क्षेत्र:

- निर्माण क्षेत्र, जो भारत के वार्षिक GVA में लगभग 9% का योगदान देता है, सबसे कम डिजिटलीकृत क्षेत्रों में से एक है।
- हाल के प्रौद्योगिकी एकीकरणों में पीएम गतिशक्ति, भुवन, भारतमैप्स, सिंगल विंडो सिस्टम, परिवेश पोर्टल, राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, प्रगति, भारत निवेश ग्रिड और विभिन्न मंत्रालय डैशबोर्ड शामिल हैं।

दूरसंचार क्षेत्र:

- दूरसंचार अधिनियम 2023 ने दूरसंचार सेवाओं और स्पेक्ट्रम आवंटन पर कानूनों को समेकित किया।
  - जून 2024 तक देश में मोबाइल टावरों की कुल संख्या 8.02 लाख है।

भारतनेट परियोजना:

- **उद्देश्य:** भारत में सभी 250,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना जिसमें सेवा उपयोग, व्यावसायिक निर्माण और नेटवर्क रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **प्रगति:** 30 अप्रैल, 2024 तक 685,501 किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। 211,021 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है, तथा 212,229 ग्राम पंचायतें OFC और सैटेलाइट के साथ सेवा के लिए तैयार हैं।

- दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने, व्यापार को आसान बनाने और "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने के लिए मिलेनियम एसआरएस पहल के तहत **स्पेक्ट्रम विनियामक सैंडबॉक्स** (वायरलेस टेस्ट (WiTe) जोन) दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र

- **एआई पहल:**
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी (GPAI) के संस्थापक सदस्य।
  - सी-डैक, पुणे द्वारा निर्मित एआई सुपरकंप्यूटर ऐरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपरकंप्यूटिंग सूची में 75वाँ स्थान मिला।
- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:**
  - **"मेरी पहचान"** (NSSO) उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण के लिए 9,600 से अधिक सेवाओं को एकीकृत करता है।
  - डिजिलॉकर में 26.28 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता और 674 करोड़ दस्तावेज़ हैं।
  - उमंग प्लेटफ़ॉर्म 207 केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों से 2,019 सेवाएँ प्रदान करता है।

भारत में बुनियादी ढाँचा एवं रसद नीतियाँ और पहल:

भारत का बुनियादी ढाँचा और लॉजिस्टिक्स विकास कई रणनीतिक नीतियों तथा पहलों द्वारा निर्देशित है जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार, लागत में कमी लाना एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। नीचे प्रमुख बुनियादी ढाँचे और रसद संबंधी नीतियों, अधिनियमों एवं योजनाओं का अवलोकन दिया गया है।

राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी):

वर्ष 2022 में घोषित राष्ट्रीय रसद नीति (NLP) का उद्देश्य रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 14% से घटाकर 10% से भी कम करके भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाना है। नीति के मुख्य उद्देश्य हैं-

Search on TG: @apna_pdf

- कार्यकुशलता में सुधार और रसद लागत में कमी लाना।
- परिवहन, भंडारण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को मजबूत बनाना।
- मल्टी-मॉडल परिवहन को बढ़ाना और इस क्षेत्र को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के साथ एकीकृत करना।
- रसद प्रक्रियाओं को अधिक पूर्वानुमानित और पारदर्शी बनाने के लिए विनियमों को सुव्यवस्थित करना।
- समन्वय में सुधार और देरी को कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पेश करना।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी)

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) सार्वजनिक क्षेत्र की बुनियादी ढाँचा परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए वर्ष 2021 में शुरू की गई एक रूपरेखा है। नीति का उद्देश्य भारत की विशाल अवसंरचना परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर अवसंरचना विकास में आगे निवेश के लिए पूँजी जुटाना है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-

- सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बिजली ग्रिड और बंदरगाह जैसी संपत्तियों का मुद्रीकरण करना।
- निजी निवेश लाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर ध्यान केंद्रित करना।
- इसका लक्ष्य अगले 4 वर्षों में ₹6 लाख करोड़ मूल्य की बुनियादी ढाँचा संपत्तियों का लाभ उठाना है।

अंतर्देशीय जलमार्ग:

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) को लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास का कार्य सौंपा गया है। देश भर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की गई है। उल्लेखनीय पहलुओं में शामिल हैं:

- हल्दिया से इलाहाबाद तक **राष्ट्रीय जलमार्ग-1** (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली)।
- सदिया से धुबरी तक **राष्ट्रीय जलमार्ग-2** (ब्रह्मपुत्र नदी)।
- केरल में **राष्ट्रीय जलमार्ग-3** (पश्चिमी तट नहर)।
- पूर्वी तट के साथ **राष्ट्रीय जलमार्ग-4** (काकीनाडा से पांडिचेरी)।

अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास से पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलता है, सड़कों और रेलमार्गों पर भीड़भाड़ कम होती है तथा देश की आपूर्ति शृंखला दक्षता बढ़ती है।

उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना

उड़ान एक पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- छोटे शहरों को बड़े शहरी केंद्रों से जोड़ने वाले क्षेत्रीय मार्गों के लिए रियायती हवाई किराया।
- विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में, कम सेवा वाले और बिना सेवा वाले हवाई अड्डों को लक्षित करना।
- हवाई यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचे के साथ छोटे हवाई अड्डों का विकास।
- उड़ान के अंतर्गत 100 से अधिक हवाई अड्डों को जोड़ा गया है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण बढ़ा है और पर्यटन को बढ़ावा मिला है।

औद्योगिक गलियारे

- **दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी)**: इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना तथा जापान की सहायता से दिल्ली से मुंबई तक के कॉरिडोर पर स्मार्ट शहर बनाना है।
- **चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा**: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को जोड़ना, जापानी सहायता से औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- **बेंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा**: महाराष्ट्र और कर्नाटक तक विस्तारित, ब्रिटेन द्वारा समर्थित।
- **अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा**: पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को जोड़ना।
- **पूर्वी तट आर्थिक गलियारा (ईसीईसी)**: एशियाई विकास बैंक की सहायता से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को जोड़ना।

कैबिनेट का फैसला
28 अगस्त, 2024

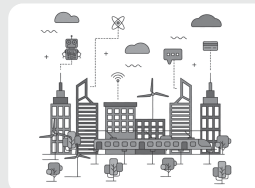

औद्योगिक स्मार्ट शहरों की भव्य माला

- कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी
- अनुमानित निवेश 28,602 करोड़ रुपए
- 10 राज्यों में फैलेगी परियोजनाएँ और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित

- उत्तराखंड में खुरपिया
- पंजाब में राजपुरा-पटियाला
- महाराष्ट्र में दिघी
- केरल में पलक्कड़
- यूपी में आगरा और प्रयागराज
- बिहार में गया
- तेलंगाना में जहीराबाद
- आंध्र प्रदेश में ओर्वाकल और कोपार्थी
- राजस्थान में जोधपुर-पाली

सागरमाला कार्यक्रम:

सागरमाला कार्यक्रम भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर बंदरगाह आधारित विकास पर केंद्रित है जिसका उद्देश्य बंदरगाह क्षमता बढ़ाना, परिवहन नेटवर्क में सुधार करना और व्यापार को बढ़ावा देना है। सागरमाला के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

- नए बंदरगाहों का विकास और मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण।
- मल्टी-मॉडल परिवहन के माध्यम से बंदरगाह संपर्क बढ़ाना।
- तटीय शिपिंग को बढ़ावा देना और अंतर्देशीय जलमार्गों में सुधार करना।

सागरमाला विकास कंपनी (SDC) परियोजनाओं के लिए इक्विटी समर्थन प्रदान करती है जबकि राज्य सरकारें कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समितियों की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

Search On TG: @apna_pdf

भारतमाला परियोजना:

भारतमाला परियोजना एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के सड़क बुनियादी ढाँचे में सुधार करना है। इसके मुख्य पहलुओं में शामिल हैं:

- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक गलियारे।
- ग्रीनफील्ड परियोजनाओं (नई परियोजनाएँ) और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं (मौजूदा सड़कों का उन्नयन) पर ध्यान केंद्रित करना।
- सामरिक आर्थिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए सीमा एवं तटीय सड़कों का विकास।
- भारतमाला सड़क अवसंरचना चुनौतियों का समाधान करने और रसद लागत को कम करने में अभिन्न भूमिका निभाता है।

समर्पित माल ढुलाई गलियारा (डीएफसी):

समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFCs) विशेष रेलवे ट्रैक हैं, जो विशेष रूप से माल परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं जिससे गति और क्षमता में सुधार होता है।

- **पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (EDFC):** पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला, विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित।
- **पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (WDFC):** हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग संगठन (JICA) द्वारा वित्तपोषित।
- इन गलियारों का उद्देश्य माल ढुलाई को सुव्यवस्थित करना तथा समग्र रसद दक्षता को बढ़ाना है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी):

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसमें वर्ष 2024-25 तक लागू की जाने वाली 102 लाख करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं-

- आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे में निवेश।
- केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के बीच वित्तपोषण 39:39:22 के अनुपात में साझा किया जाएगा।
- अतनु चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट NIP के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है।

❖ ❖ ❖

Search on TG @apna_pdf

PW ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH
UPSC | FOUNDATION COURSES
Live/Recorded G.S. Classes
CSAT Classes
Daily MCQs + Mains Question
Regular Doubt Sessions
SANKALP 2026 — Hinglish / हिन्दी
PRAHAR 2025 — Hinglish / हिन्दी
TITAN 2026 / 2025 — English
Starts From ₹ 7,999/-
COUPON CODE PWOIAS500
FOR EXTRA DISCOUNT
9920613613 | pw.live

10 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधार एवं सेवा क्षेत्र

आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के बाद, भारत ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए पूँजीवादी और समाजवादी सिद्धांतों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया।

1991 का आर्थिक संकट: वर्ष 1991 में भारत को निम्नलिखित कारणों से गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा।

- **बाह्य ऋण संकट;** इससे अंतरराष्ट्रीय ऋण अस्थिर बना।
- **विदेशी मुद्रा भंडार में कमी;** दो सप्ताह के आयात के लिए भी अपर्याप्त विदेशी मुद्रा।
- **महंगाई:** आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि।

नीति में बदलाव: अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए, सरकार ने सतत विकास और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से आर्थिक सुधार पेश किए।

अकुशल आर्थिक प्रबंधन (1980 का दशक):

- राजस्व स्रोत (कर, सार्वजनिक उद्यम, ऋण) बढ़ती लागतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे।
- विकास, बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या वृद्धि पर बढ़ते खर्च ने राजस्व घाटे को जन्म दिया।

आर्थिक संकट:

- अस्थिर उधारी के कारण मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि हुई।
- विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आई, जिससे बमुश्किल दो सप्ताह का आयात पूरा हो सकता था।
- कोई इच्छुक ऋणदाता न होने के कारण, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए विश्व बैंक और आईएमएफ से 7 बिलियन डॉलर का ऋण माँगा।

प्रतिक्रिया: नई आर्थिक नीति (NEP)

नीतिगत लक्ष्य

- **उदारीकरण:** प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नियंत्रण को कम करना।
- **निजीकरण:** निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारी भागीदारी को कम करना।
- **वैश्वीकरण:** वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के लिए व्यापार बाधाओं को हटाना।

नीतिगत घटक

- **स्थिरता संबंधी उपाय:** भुगतान संतुलन का समाधान करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अल्पकालिक कार्रवाई करना।
- **संरचनात्मक सुधार:** आर्थिक दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ अपनाना।

भारत में उदारीकरण

- **उद्देश्य:** 1980 के दशक में शुरू हुए सुधारों और 1991 में एक व्यापक पैकेज के साथ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधात्मक नियमों को हटाना।

सुधार के प्रमुख क्षेत्र

1. **औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन:**
   - **1991 से पहले:** भारी विनियमन और निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रतिबंधित थी।
   - **1991 के बाद:** अधिकांश औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया; बाजार-संचालित मूल्य निर्धारण की शुरुआत की गई।
2. **वित्तीय क्षेत्र में सुधार:**
   - **आरबीआई की भूमिका:** नियामक से सुविधा प्रदाता की भूमिका में बदलाव।
   - **सुधार:** विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई और भारतीय बाजारों में एफआईआई को अनुमति दी गई।
3. **कर सुधार:**
   - **प्रत्यक्ष कर:** कर चोरी रोकने और बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कर की दरों में कमी।
   - **अप्रत्यक्ष कर और जीएसटी:** कर प्रणाली को सरल बनाने और एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए जीएसटी की शुरुआत की गई।
4. **विदेशी मुद्रा सुधार:**
   - **विनिमय दर:** वर्ष 1991 में रुपए का अवमूल्यन, बाजार-निर्धारित विनिमय दरों की ओर स्थानांतरण।
5. **व्यापार और निवेश नीति सुधार:**
   - **पिछली नीति:** उच्च टैरिफ और आयात पर प्रतिबंध।
   - **सुधार:** वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए टैरिफ में कमी, आयात लाइसेंसिंग को हटा दिया गया और निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण

- **परिभाषा:** निजीकरण का मतलब है स्वामित्व या प्रबंधन को सरकार से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना, जो सार्वजनिक उद्यमों से सरकार की वापसी या उनकी बिक्री के माध्यम से किया जाता है।

Search On TG: @apna_pdf

- **विधियाँ:**
  - विनिवेश में वित्तीय अनुशासन और आधुनिकीकरण में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) में सरकार की हिस्सेदारी का अंश बेचना शामिल है।
- **उद्देश्य और लक्ष्य:**
  - निजी पूँजी और प्रबंधन विशेषज्ञता लाकर परिचालन दक्षता में वृद्धि करना।
  - आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करना।
- **सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता और वर्गीकरण:**
  - दक्षता में सुधार के लिए स्वायत्तता प्रदान की जाती है।
  - प्रदर्शन और महत्त्व के आधार पर महारत्न, नवरत्न एवं मिनीरत्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **वर्गीकरण का उद्देश्य:** दक्षता, लाभप्रदता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए अधिक से अधिक परिचालन, वित्तीय एवं प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान करता है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ और हालिया घटनाक्रम:**
  - आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए 1950-60 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना की गई थी।
  - **वे सस्ती सेवाओं के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी थे।**
  - **आलोचना:** विनिवेश को वैश्विक पक्षों के रूप में विकास को सीमित करने वाला माना जाता है।
  - **वर्तमान रणनीति:** सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने और स्वतंत्र रूप से धन जुटाने के लिए बनाए रखना है।

वैश्वीकरण

वैश्वीकरण का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के पार परस्पर निर्भरता एवं एकीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ शामिल होती हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसा सीमाहीन विश्व बनाना है, जहाँ एक देश की घटनाएँ वैश्विक स्तर पर अन्य देशों को प्रभावित करती हैं।

वैश्वीकरण के परिणाम

1. **आउटसोर्सिंग:**
   - आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण का एक प्रमुख परिणाम है, जहाँ कंपनियाँ आंतरिक रूप से उत्पादन करने के बजाय अक्सर विभिन्न देशों में बाहरी स्रोतों से सेवाएँ प्राप्त करती हैं।
   - संचार प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में प्रगति के कारण यह प्रवृत्ति बढ़ी है।
   - उदाहरणों में ग्राहक सेवा, रिकॉर्ड संग्रहण, अकाउंटेंसी और टेलीमेडिसिन के लिए बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) केंद्र शामिल हैं।
   - भारत कम वेतन और कुशल श्रम के कारण एक प्रमुख आउटसोर्सिंग गंतव्य है।
2. **विश्व व्यापार संगठन (WTO):**
   - डब्ल्यूटीओ की स्थापना वर्ष 1995 में GATT (व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता) के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी, जो वर्ष 1948 में 23 देशों के साथ शुरू हुई थी।
   - विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समान अवसर सुनिश्चित करने वाली नियम-आधारित व्यापार प्रणाली बनाना है।

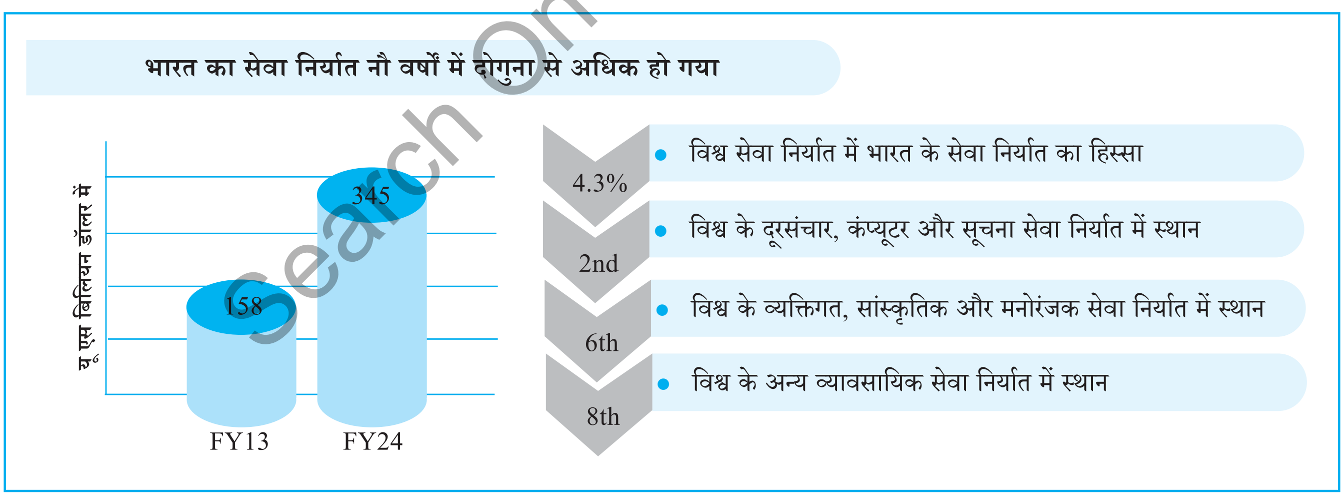

   - भारत, जो विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य देश है, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार नियमों का समर्थन करता है और उसने मात्रात्मक आयात प्रतिबंधों को हटाकर एवं टैरिफ दरों को कम करके अपने व्यापार को उदार बनाया है।
3. **वैश्वीकरण और भारतीय कंपनियाँ**
   - **भारतीय कंपनियों का विस्तार**: वैश्वीकरण के साथ, कई भारतीय कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया है:
     - **ओएनजीसी विदेश** 16 देशों में कार्यरत है।
     - **टाटा स्टील** 26 देशों में सक्रिय है।
     - **एचसीएल टेक्नोलोजीज (HCL Technologies)** 31 देशों में कार्यालय हैं।
     - **डॉ.रेड्डीज़ लैबोरेट्रीज़** वैश्विक विनिर्माण और अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र हैं।

Search On TG: @apna_pdf

भारत में क्षेत्रीय विकास (जीडीपी % में) [UPSC 2015]

क्षेत्र	1980-91	1992-2001	2002-07	2007-12	2012-13	2013-14	2014-15
कृषि	3.6	3.3	2.3	3.2	1.5	4.2	-0.2
उद्योग	7.1	6.5	9.4	7.4	3.6	5	7
सेवाएँ	6.7	8.2	7.8	10	8.1	7.8	9.8
कुल	5.6	6.4	7.8	8.2	5.6	6.6	7.4

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कृषि	5	3.9	2.9	4	3.6	3	3.5	3.7
उद्योग	7.4	6.5	5.3	1.2	-8.4	11.5	7.6	6.5
सेवाएँ	8.4	7.9	6.9	6.3	-7.8	8.8	9.1	8.2
कुल	7	6.8	6	4.2	-6.6	9.1	7.2	6.5-7.0

भारत में सेवा क्षेत्र का उत्कर्ष

- **परिभाषा:** सेवा क्षेत्र में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं, जो भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि सेवाओं के माध्यम से मूल्य प्रदान करती हैं। जैसे- वित्त, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आतिथ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, और बहुत कुछ।
- सेवा क्षेत्र का भारत के सकल मूल्य वर्धित (GVA) का 54% हिस्सा है; जबकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 50% से अधिक का योगदान देता है।
- कुल निर्यात का 38% हिस्सा है और भारत में दो-तिहाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करता है।
- **सेवा क्षेत्र रोजगार सृजन:** रोजगार का प्रमुख स्रोत, भारतीय आबादी के 30.7% को रोजगार प्रदान करता है।
- **महत्त्वपूर्ण सुधार:** वित्त वर्ष 2022-23 में, सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार देखा गया।

सेवा क्षेत्र में व्यापक आधार पर वृद्धि

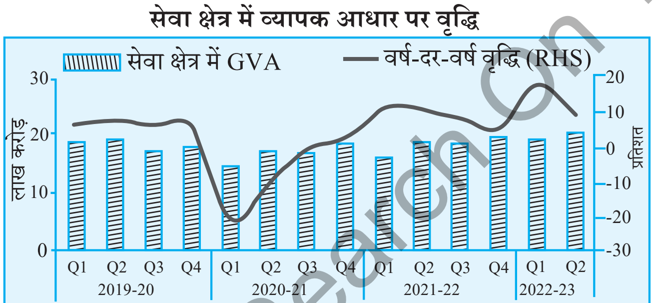

स्रोत : NSO, MOSPI

संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में सेवाओं का वर्गीकरण

- **संघ सूची:** दूरसंचार, डाक, प्रसारण, वित्तीय सेवाएँ (बीमा और बैंकिंग सहित), राष्ट्रीय राजमार्ग, खनन सेवाएँ।
- **राज्य सूची:** स्वास्थ्य सेवा और संबंधित सेवाएँ, रियल एस्टेट सेवाएँ, खुदरा, कृषि, शिकार एवं वानिकी से संबंधित सेवाएँ।
- **समवर्ती सूची:** व्यावसायिक सेवाएँ, शिक्षा, मुद्रण और प्रकाशन, बिजली।

हाल के वर्षों में सेवा क्षेत्र:

पिछले तीन दशकों में, भारत का सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का प्रमुख संचालक रहा है जिसने वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था में लगभग 55% का योगदान दिया है। ऑनलाइन भुगतान, ई-कॉमर्स और मनोरंजन जैसी डिजिटल सेवाओं में वृद्धि के साथ, विशेष रूप से महामारी के बाद यह क्षेत्र विकसित हुआ है। सुधारों और बुनियादी ढाँचे में सुधार ने पारंपरिक सेवाओं को बढ़ावा दिया है तथा भारत की तकनीकी रूप से सक्षम युवा पीढ़ी डिजिटल एवं उच्च तकनीक की माँगों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक व शैक्षिक प्रणालियों के और अधिक विकास हेतु विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। **भारत का सेवा क्षेत्र दो भागों में विभाजित है-**

- **संपर्क-गहन सेवाएँ:** इसमें व्यापार, आतिथ्य, परिवहन, रियल एस्टेट, सामाजिक, सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाएँ शामिल हैं।
- **गैर-संपर्क-गहन सेवाएँ:** इसमें वित्तीय, आईटी, पेशेवर सेवाएँ, प्रसारण, लोक प्रशासन और रक्षा शामिल हैं।

विकास के कारक

- एक बड़ी, युवा आबादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, पर्यटन, आतिथ्य और मनोरंजन में माँग बढ़ा रही है।
- तेजी से बढ़ते नगरीकरण से परिवहन, आवास और उपयोगिताओं में वृद्धि हो रही है।
- ई-कॉमर्स की वृद्धि ने लॉजिस्टिक्स, डिजिटल भुगतान और संबंधित सेवाओं को बढ़ावा दिया है।
- आईटी और व्यावसायिक सेवाएँ एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति बनाए रखती हैं।

चुनौतियाँ:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यावसायिक सेवाओं में विकास के अवसरों को सीमित कर सकता है।
- शहरों में एकत्रीकरण प्रभावों का लाभ उठाने के लिए मानव पूँजी की आवश्यकता बढ़ रही है।

सरकारी सहायता:

- डिजिटल इंडिया अभियान डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दे रहा है।
- निर्यात संवर्धन योजनाएँ सेवा निर्यात का वृद्धि करती हैं।
- बुनियादी ढाँचे के विकास से रसद और पर्यटन में सुधार हो रहा है।
- कौशल विकास पहल से कार्यबल के अवसर पैदा हो रहे हैं।

Search On TG: @anna_pdf

सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन का सिंहावलोकन

सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन (GVA)

- **विकास संबंधी अवलोकन:** इस क्षेत्र में 6% से अधिक वार्षिक वृद्धि देखी गई (वित्त वर्ष 2011 को छोड़कर)। 2022 में, भारत ने वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में 4.4% का योगदान दिया।
- **क्षेत्र का योगदान:** पिछले दशक में समग्र **सकल मूल्य वर्धन** में सेवा क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2011 में 8.4% के तीव्र संकुचन के बाद, इसमें जोरदार उछाल आया।
- **कोविड से पहले और बाद का प्रदर्शन:** कोविड से पहले, सेवाओं की वृद्धि ने समग्र आर्थिक वृद्धि को पीछे छोड़ दिया था। कोविड के बाद, सेवाओं की वृद्धि समग्र GVA से आगे निकल गई है, जिसमें वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में अच्छा प्रदर्शन हुआ है।

हाल के विकास संबंधी संकेतक:

- वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र के लिए 7.6% वृद्धि का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2024 में जीएसटी संग्रह में 11.7% की वृद्धि हुई, जो ₹20.18 लाख करोड़ तक पहुँच गया।
- परिवहन सेवाओं में टोल संग्रह (18.9%), हवाई यात्रियों (15%) और रेल माल ढुलाई (5.3%) में वृद्धि देखी गई।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI):

- पीएमआई अगस्त 2021 से 50 से ऊपर बना हुआ है, जो इस क्षेत्र में निरंतर विस्तार का संकेत है।

वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच वित्त वर्ष 24 में पीएमआई सेवाओं ने नई ऊँचाइयों को छुआ

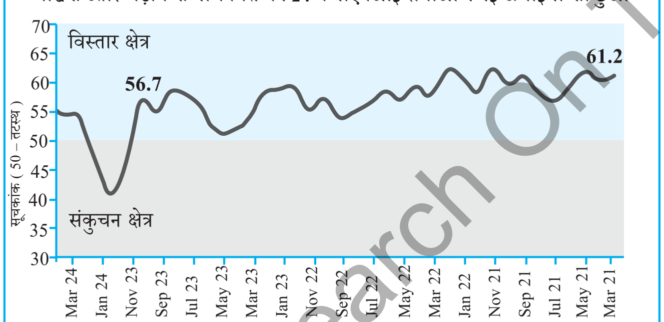

स्रोत : विभिन्न मासिक एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआई रिपोर्टों से संकलित
नोट : सूचकांक 0 से 100 के बीच बदलता रहता है, जिसमें 50 से ऊपर का पढ़ना पिछले महीने की तुलना में समग्र वृद्धि को दर्शाता है और 50 से नीचे, समग्र कमी को दर्शाता है।

सेवा क्षेत्र में व्यापार

निर्यात वृद्धि:

- वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में सेवाओं का निर्यात 44% था, जिसमें आईटी और व्यावसायिक सेवाओं (कुल सेवा निर्यात का 73%) की महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी थी।
- महामारी के बाद पर्यटन में सुधार के कारण यात्रा सेवाओं में 24.6% की वार्षिक वृद्धि देखी गई।
- वैश्विक माल ढुलाई दरों में कमी के कारण परिवहन प्राप्तियों में 19.1% वार्षिक कमी आई।

क्षेत्र के प्रमुख संचालक:

- अन्य व्यावसायिक सेवाओं (परामर्श, पीआर, विज्ञापन) में तेजी से विकास देखा गया है।
- वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में भारत की बढ़ती भूमिका ने सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवा निर्यात को बढ़ावा दिया है।
- डिजिटल सेवाओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे वर्ष 2023 में वैश्विक डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में भारत की हिस्सेदारी 6.0% तक बढ़ गई।

आयात और शुद्ध प्राप्तियाँ:

- वित्त वर्ष 2024 में सेवाओं के आयात में सालाना आधार पर 2.1% की गिरावट आई।
- बढ़े हुए निर्यात और कम आयात से चालू खाता घाटे को कम करने में मदद मिली।

सेवा क्षेत्र की गतिविधि के लिए वित्तपोषण स्रोत

बैंक ऋण:

- सेवा क्षेत्र के ऋण में सालाना आधार पर 22.9% की वृद्धि हुई, जो मार्च 2024 में ₹45.9 लाख करोड़ तक पहुँच गया।
- विमानन (56% वृद्धि), पर्यटन और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण ऋण प्रवाह देखा गया।

बाह्य वित्तपोषण:

- भारत वर्ष 2023 में एफडीआई प्रवाह में 15वें और अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में दूसरे स्थान पर रहा।
- वित्त वर्ष 2014 में सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में गिरावट देखी गई, जैसा कि भारत में समग्र एफडीआई इक्विटी प्रवाह के मामले में हुआ था।
  - उच्च ब्याज दरें, भू-राजनीतिक संघर्ष, बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताएँ और घरेलू सोर्सिंग के पक्ष में बढ़ते संरक्षणवाद ने इस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह को कम करने में योगदान दिया है।

सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में कमी

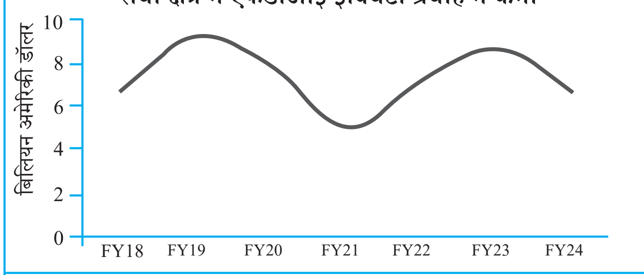

स्रोत: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)
प्रकाशन-त्रैमासिक एफडीआई सांख्यिकी नोट: (i) सेवा क्षेत्र में वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण, अन्य शामिल हैं।
(ii) वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 के मूल्य अनंतिम हैं।

- **बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ECB):** कुल ईसीबी प्रवाह में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 53% था, वित्त वर्ष 24 में 14.9 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुआ, जो 58.3% सालाना वृद्धि को दर्शाता है।

Search On TG: @apna_pdf

क्षेत्रवार अवलोकन

सड़क मार्ग

- **माल परिवहन:**
  - टोल बूथों पर औसत प्रतीक्षा समय वर्ष 2014 में 734 सेकंड से काफी कम होकर वर्ष 2024 में 47 सेकेंड हो गया है। यह उन्नत प्रौद्योगिकियों और कुशल प्रक्रियाओं के माध्यम से हासिल किया गया है।
  - स्वचालित वाहन पहचान के लिए एएनपीआर (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान) तकनीक और वाहनों को ट्रैक तथा प्रबंधित करने के लिए जीएनएसएस (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) की शुरुआत ने टोलिंग एवं निगरानी प्रणालियों को सुव्यवस्थित कर दिया है।
- **सुरक्षा और दक्षता:**
  - सड़क सुरक्षा पर 4E रणनीति (इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, आपातकालीन देखभाल, और शिक्षा) के कार्यान्वयन के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और मृत्युओं को कम करना है।
  - **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** देशभर में लॉजिस्टिक्स और परिवहन नेटवर्क को सुधारने की एक प्रमुख पहल है। यह बड़े डेटा और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विभिन्न बुनियादी ढाँचा तत्त्वों को एकीकृत करता है जिसका उद्देश्य देरी को कम करना एवं समग्र दक्षता में सुधार करना है।
  - माल और यात्री परिवहन की दक्षता में सुधार के लिए पहुँच-नियंत्रित राजमार्गों के विकास के साथ-साथ तेजी से परियोजना अनुमोदन के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की शुरूआत से बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को गति देने में मदद मिलती है।
- **चुनौतियाँ:**
  - राजमार्गों के किनारे रिबन विकास, जहाँ शहरी क्षेत्र राजमार्गों के दोनों ओर विकसित होते हैं, एक चुनौती बनी हुई है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही प्रभावित हो रही है।
  - कुछ क्षेत्रों में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को धीमी गति से अपनाने और कष्टकर निकासी चक्र के कारण सड़क परियोजनाओं का विकास धीमा हो रहा है।

भारतीय रेलवे

- **यात्री और माल सेवाएँ:**
  - वित्त वर्ष 2024 में, यात्री यातायात 673 करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.2% की वृद्धि है। यह रेल नेटवर्क का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है।
  - माल ढुलाई के द्वारा राजस्व-अर्जन में 5.3% की वृद्धि हुई, कुल 158.8 करोड़ टन माल परिवहन हुआ। यह देश भर में माल की ढुलाई में रेलवे के बढ़ते महत्त्व को दर्शाता है।
- **डिजिटल संवर्धन:**
  - यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच के लिए 6,100 से अधिक रेलवे स्टेशनों को वाई-फाई से सुसज्जित किया गया है।
  - रेल सुगम ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग, ट्रेन शेड्यूल और अन्य वास्तविक समय अपडेट जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
  - डिजिटल रख-रखाव प्रक्रियाओं के साथ वास्तविक समय ट्रेन प्रबंधन प्रणाली परिचालन दक्षता को बढ़ाती है और देरी को कम करती है।
- **क्षमता निर्माण:**
  - iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एक पहल है जो बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करते हुए, रेलवे कर्मियों के कौशल में सुधार करने के लिए रेलवे-विशिष्ट प्रशिक्षण और शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है।

बंदरगाह, जलमार्ग और शिपिंग

- **सुधार:**
  - हितधारकों को वास्तविक समय डेटा और विश्लेषण प्रदान करके कुशल कार्गो तथा पोत संचालन की सुविधा के लिए **सागर सेतु** ऐप लॉन्च किया गया है।
  - प्रकाशस्तंभों को पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और नौवहन सुरक्षा में सहायता के प्रयास किए जा रहे हैं।
- **पर्यटन:**
  - नदी क्रूज पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, नदी क्रूज का विकल्प चुनने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है। बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे के विकास और एक प्रमुख नदी क्रूज गंतव्य के रूप में भारत को बढ़ावा देने से यह संभव हुआ है।

वायुमार्ग

- **बाजार वृद्धि:**
  - भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है, जहाँ वित्तीय वर्ष 2023-24 में 37.6 करोड़ यात्रियों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो इस क्षेत्र की मजबूत वृद्धि दर को दर्शाता है।
  - घरेलू यातायात 13% बढ़कर 30.6 करोड़ और अंतरराष्ट्रीय यातायात 22% बढ़कर 7 करोड़ हो गया, जो हवाई यात्रा के केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है।
- **कार्गो और नीतियाँ:**
  - एयर कार्गो सेक्टर में साल-दर-साल (YoY) 7% की वृद्धि देखी गई, जिसमें 33.7 लाख टन कार्गो की हैंडलिंग की गई। यह भारत के भीतर और वैश्विक स्तर पर माल के परिवहन के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  - क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख सरकारी पहल, UDAN योजना का विस्तार जारी है। इससे दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है।
- **डिजि यात्रा:**
  - 2.5 करोड़ से अधिक यात्रियों को डिजी यात्रा पहल से लाभ हुआ है, जो पहचान सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके हवाई अड्डों पर एक निर्बाध डिजिटल अनुभव प्रदान करती है।
- **महिला पायलट:**
  - भारत ने विमानन क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। 15% महिला पायलटों के साथ, भारत में विमानन क्षेत्र में महिला पायलटों की वैश्विक औसत से लगभग तीन गुना अधिक है।

Search On TG: @apna_pdf

आर्थिक गतिविधि को समर्थन देने वाली भौतिक संपरकता (कनेक्टिविटी)

रेलवे माल यातायात में निरंतर प्रगति

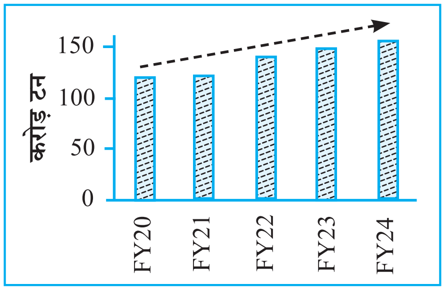

शिपिंग टन भार में निरंतर वृद्धि

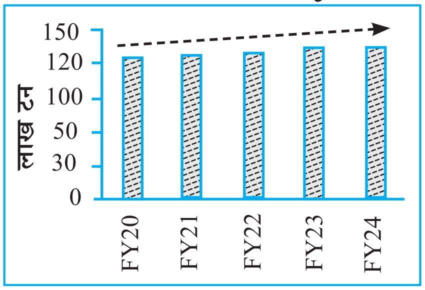

एयर कार्गो यातायात में वृद्धि

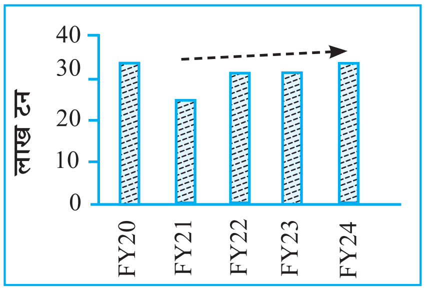

पर्यटन

- **विकास:**
  - विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 39वाँ स्थान दिया गया, जो पर्यटन के बुनियादी ढाँचे एवं सेवाओं को बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति का संकेत देता है।
  - विदेशी पर्यटकों के आगमन में वर्ष 2023 में उल्लेखनीय 43.5% की वृद्धि देखी गई, विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ 65.7% सालाना बढ़कर ₹2.3 लाख करोड़ हो गईं, जो एक पर्यटन स्थल के रूप में भारत के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है।
- **सरकारी पहल:**
  - सरकार ने तीर्थ स्थलों को विकसित करने और बढ़ाने के लिए प्रसाद योजना शुरू की है, जिससे धार्मिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार होगा।
  - स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम का लक्ष्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करके देश भर में पर्यटन विकास को एकीकृत और बढ़ाना है।
  - भारत ने पर्यटन विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाते हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की अध्यक्षता भी की।
- **डिजिटल परिवर्तन:**
  - पर्यटकों के लिए एक ई-मार्केटप्लेस का निर्माण यात्रियों को प्रमाणित गाइड और सेवाओं से जोड़ता है जिससे पर्यटकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुँच आसान हो जाती है।
  - SAATHI पहल आतिथ्य उद्योग को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के बारे में शिक्षित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि पर्यटकों के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा किया जाए।

Search On TG: @apna_pdf

भारत सरकार की पर्यटन संबंधी पहल

पहल	प्रमुख विवरण	कार्यान्वयन संगठन
स्वदेश दर्शन 2.0	• पर्यटन मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार की योजना • 13 थीमों पर आधारित सर्किटों के लिए वित्तीय सहायता। • स्थिरता और जिम्मेदार पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना। • **प्रमुख विषय:** संस्कृति, विरासत, साहसिक कार्य, पारिस्थितिकी पर्यटन, कल्याण, ग्रामीण, एमआईसीई, समुद्र तट, परिभ्रमण	केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा नामित
प्रसाद योजना	• **वर्ष** 2014-15 में शुरू किया गया। • महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थलों और विरासत स्थलों का जीर्णोद्धार एवं संवर्धन।	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा पहचान किया जाता है।
देखो अपना देश अभियान	• घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में शुरू किया गया।	पर्यटन मंत्रालय
निधि पोर्टल	• देश भर में आवास इकाइयों को पंजीकृत करता है।	पर्यटन मंत्रालय
साथी पहल	• आतिथ्य उद्योग को कोविड-19 नियमों के प्रति संवेदनशील बनाया गया।	पर्यटन मंत्रालय
अतुल्य भारत 2.0	• योग, स्वास्थ्य, विलासिता, वन्य जीवन और भोजन जैसे विशिष्ट बाजारों पर ध्यान केंद्रित करता है।	पर्यटन मंत्रालय
आरसीएस - उड़ान 3.0	• पूर्वोत्तर मार्गों और सीप्लेन संपर्कता को सम्मिलित करता है • विमानन में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देता है	नागरिक उड्डयन मंत्रालय

रियल एस्टेट

- **आर्थिक योगदान:**
  - रियल एस्टेट क्षेत्र भारत के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में 7% से अधिक का योगदान देता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्त्व को रेखांकित करता है।
  - वर्ष 2023 में आवासीय बिक्री 4.1 लाख इकाइयों तक पहुँच गई, जो शहरी क्षेत्रों में आवास की माँग का एक मजबूत संकेत है।
- **आवास पहल:**
  - प्रधानमंत्री आवास योजना:शहरी (पीएमएवाई-यू) योजना ने 1.2 करोड़ शहरी घरों को मंजूरी दी है जिससे शहरी गरीबों को किफायती आवास की सुविधा मिलेगी।
  - **किफायती आवास कोष और स्वामी निवेश कोष (SWAMIH)** की स्थापना ने किफायती आवास परियोजनाओं के लिए बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की है।
  - रियल एस्टेट क्षेत्र में कम आय वाले समूहों के लिए ऋण की पहुँच बढ़ाने के लिए सह-ऋण मॉडल पेश किया गया है।
- **भविष्य का दृष्टिकोण:**
  - भारत में शहरीकरण में वृद्धि होने की उम्मीद है। अनुमान है कि वढ़ 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, जिससे आवास और बुनियादी ढाँचे की माँग बढ़ेगी।
  - भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और निर्माण अनुमोदन के लिए एकल-खिड़की मंजूरी की शुरुआत का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना एवं रियल एस्टेट परियोजनाओं के विकास में तेजी लाना है।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ, तकनीकी स्टार्ट-अप और वैश्विक क्षमता निर्माण केंद्र

- **आईटी सेवाओं का विकास:**
  - भारत के सकल मूल वर्धन में आईटी सेवाओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013 में 3.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 5.9% हो गई है, जो अर्थव्यवस्था में क्षेत्र के बढ़ते योगदान को दर्शाता है।
  - आईटी सेवाएँ निर्यात का एक प्रमुख स्रोत बन गई हैं और देश भर में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **GCC और रोजगार:**
  - वित्त वर्ष 23 तक, भारत में 1,580 से अधिक GCC हैं, जो R&D, IT सेवाओं और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (BPM) जैसे क्षेत्रों में 16.6 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप:**
  - वर्ष 2023 में, भारत में 1,000 नए स्टार्ट-अप का निर्माण हुआ, जिसने खुद को दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित किया।
  - एडटेक, एंटरप्राइजटेक, बीएफएसआई और रिटेलटेक के क्षेत्रों में तेजी से विकास देखा जा रहा है, SaaS (एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर) विशेष रूप से वैश्विक बाजार में लोकप्रियता हासिल कर रहा है।
- **गिग अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार के रुझान**
  - **गिग श्रमिक:** भारत में 15 मिलियन से अधिक गिग श्रमिकों के साथ गिग अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, जो डिलीवरी, आईटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में लचीले, फ्रीलांस काम की बढ़ती माँग का परिणाम है।
  - **विनियामक सहायता:** राष्ट्रीय रोजगार नीति और सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन जैसे लाभों तक पहुँच प्रदान करने में सहायक रही है।

स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली पहल

पहल	द्वारा लॉन्च किया गया	प्रमुख विशेषताएँ
स्टार्टअप इंडिया	वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया; SIDBI द्वारा प्रबंधित	• इक्विटी फंडिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स; • 90 दिनों के भीतर फास्ट-ट्रैक समापन; • निरीक्षण, पूँजीगत लाभ कर और परिचालन पर कर से 3 साल की छूट; • अनुपालन स्व-प्रमाणीकरण; • GeM पर सूचीबद्धता।
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना	वाणिज्य मंत्रालय और DPIIT	प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण और बाजार में प्रवेश के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
निधि (नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	इसमें ज्ञान-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए इनक्यूबेटर, सीड फंड, एक्सेलेरेटर और प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट अनुदान शामिल हैं।
स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग (RSSSE)	DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	राज्यों का उनकी स्टार्टअप नीतियों और समर्थन तंत्र के आधार पर मूल्याँकन करता है।
प्रारंभ: स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट	DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप्स के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देता है।
नेशनल स्टार्टअप पुरस्कार	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	वर्ष 2016 में लॉन्च किए गए विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्टार्टअप को मान्यता देता है।

Search On TG: @apna_pdf

ई - कॉमर्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

योजना / नियम	मंत्रालय / विभाग	उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
एक जिला - एक उत्पाद (ODOP)	DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जिला-विशिष्ट उत्पादों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करना।	ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे व्यवसायों को डिजिटल बाजारों से जोड़कर उनकी दृश्यता को बढ़ाता है।
सरकारी ई - मार्केटप्लेस (GeM)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	सरकारी संस्थाओं को ऑनलाइन सामान और सेवाएँ खरीदने में सक्षम बनाना।	वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया; सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और संगठनों के लिए खरीद को सरल बनाता है।
www.tribesindia.com पोर्टल	ट्राइफेड, जनजातीय मामलों का मंत्रालय	आदिवासी कारीगरों को उनके उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रदान करके बढ़ावा देना।	आदिवासी समुदायों के लिए ऑनलाइन बिक्री और अधिक बाजार पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।
डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	दूरदराज के क्षेत्रों में विक्रेताओं के लिए बाजार तक पहुँच और डिजिटलीकरण को बढ़ाना।	दूरस्थ विक्रेताओं को राष्ट्रीय ई-कॉमर्स ढाँचे में एकीकृत करने में मदद करता है।
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ई-कॉमर्स प्रथाओं को विनियमित करना।	इसमें लागत पारदर्शिता, निवारण तंत्र, दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

दूरसंचार

- **टेलीडेंसिटी वृद्धि:**
  - भारत में टेलीडेंसिटी वर्ष 2014 में 75.2% से बढ़कर वर्स 2024 में 85.7% हो गई है, जो देश भर में दूरसंचार सेवाओं तक बढ़ती पहुँच को दर्शाती है।
  - मार्च 2024 तक, देश में 116 करोड़ वायरलेस कनेक्शन हैं, जो मोबाइल नेटवर्क की बढ़ती पहुँच को प्रदर्शित करता है।
- **5G विकास:**
  - भारत ने अक्टूबर 2022 में 5G सेवाएँ शुरू कीं और वर्तमान में मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में विश्व स्तर पर 15वें स्थान पर है। 5G के शुरू होने से भारत में कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं में वृद्धि होने की उम्मीद है।
  - भारत 5जी पोर्टल को नवाचार को प्रोत्साहित करने और देश में 5जी प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है।
- **भारतनेट विस्तार:**
  - भारतनेट पहल के तहत 2 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए 6,83,175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है।
- **विनियामक सुधार:**
  - दूरसंचार अधिनियम 2023 को इस क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक बनाया गया है। इसमें स्पेक्ट्रम शुल्क को तर्कसंगत बनाना और बुनियादी ढाँचे एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को प्रोत्साहित करना शामिल है।

भारत सरकार द्वारा दूरसंचार और डिजिटल वित्तीय सेवा पहल

पहल/नीति	उद्देश्य/विशेषताएँ	कार्यान्वयन निकाय
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018	• सभी के लिए ब्रॉडबैंड • डिजिटल संचार में 4 मिलियन अतिरिक्त नौकरियाँ • इस क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान	संचार मंत्रालय
दूरसंचार प्रौद्योगिकी कोष (TTDF)	• शिक्षा जगत, स्टार्टअप, उद्योग और शोध संस्थानों को जोड़कर नवाचार को बढ़ावा देना • दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) का उद्देश्य ग्रामीण-विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को वित्तपोषित करना है	दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आने वाला निकाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) ने 01 अक्टूबर, 2022 को आधिकारिक तौर पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (TTDF) योजना शुरू की।

Search On TG: @apna_pdf

भारतनेट परियोजना	• विश्व की सबसे बड़ी ऑप्टिकल फाइबर ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना • यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) द्वारा वित्तपोषित • व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के साथ PPP मॉडल को मंजूरी दी गई	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
पीएम वाणी (वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस)	• पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट • किसी लाइसेंस या शुल्क की आवश्यकता नहीं	दूरसंचार विभाग
डिजिटल वित्तीय सेवाएँ	• **JAM ट्रिनिटी:** सब्सिडी लीकेज के लिए जन धन खातों, आधार और मोबाइल को लिंक करता है • **अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क:** एनबीएफसी-विनियमित; उपभोक्ता की सहमति से वित्तीय डेटा पुनर्प्राप्त, साझा और स्थानांतरित करता है • **भूमिकाएँ:** वित्तीय सूचना प्रदाता (बैंक, एनबीएफसी, बीमा कंपनियाँ) और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू)	आरबीआई
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ लिमिटेड (NeSL)	• भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं विनियमित। • वित्तीय डेटा प्रबंधन के लिए सूचना उपयोगिता प्रदान करता है।	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)

Search On TG: @apna_pdf

ई-कॉमर्स

- **बाजार में वृद्धि:**
  - भारत का ई-कॉमर्स बाजार वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है, जो डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल इंडिया, यूपीआई और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसी सरकारी पहलों के बढ़ते उपयोग से प्रेरित है।
- **चुनौतियाँ:**
  - चुनौतियों में डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामले और ऑनलाइन बिक्री में प्रभावी ढंग से शामिल होने के लिए छोटे व्यवसायों के लिए कौशल विकास की आवश्यकता शामिल है।
  - उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम इन चिंताओं को दूर करने एवं एक सुरक्षित ऑनलाइन बाजार बनाने के लिए डिज़ाइन की गई महत्त्वपूर्ण पहल हैं।
- **ओएनडीसी:**
  - ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)** द्वारा समर्थित एक पहल है, जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों के लिए सुलभ बनाकर लोकतांत्रिक बनाना है।
  - ओएनडीसी ने वित्त वर्ष 24 में रेस्तराँ ऑर्डर में 18% की वृद्धि और किराना ऑर्डर में 52% की वृद्धि के साथ प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है।

भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप

- **विकास और प्रमुख आँकड़े:**
  - स्टार्ट-अप्स वर्ष 2014 में 2,000 से बढ़कर वर्ष 2023 में 31,000 हो गए (NASSCOM)।
  - वर्ष 2023 में 1,000 नए स्टार्टअप सामने आए।
- **शीर्ष सेक्टर (2023):**
  - एडटेक (16%), एंटरप्राइजटेक (12%), बीएफएसआई (10%), अन्य में एडवरटाइजिंग, रिटेलटेक, मीडिया, गेमिंग शामिल हैं।
- **प्रमुख चालक**
  - **इंटरनेट पहुँच:** खुदरा तकनीकी विकास को बढ़ावा।
  - **यूपीआई (2016):** BFSI स्टार्ट-अप को उत्प्रेरित किया।
  - **क्लाउड समाधान:** 21 SaaS यूनिकॉर्न का नेतृत्व किया।
  - **कोविड-19 प्रभाव:** हेल्थटेक (टेलीकंसल्टिंग) और एडटेक (रिमोट लर्निंग) में वृद्धि।
- **वैश्विक मान्यता**
  - भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को दुनिया की 16% AI प्रतिभा के साथ NASSCOM द्वारा विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिया गया है।
- **सरकारी पहल**
  - **स्टार्ट-अप इंडिया पहल:** वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिक तंत्र को जोड़ता है।
  - **नेशनल डीप टेक स्टार्ट-अप पॉलिसी (NDTSP):** फंडिंग, आईपी और क्षेत्रीय जागरूकता को संबोधित करती है।
  - **फंड ऑफ फंड्स (₹10,000 करोड़):** यह शुरुआती चरण के फंडिंग को बढ़ावा देता है।
  - **स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (2021):** यह प्रोटोटाइप और व्यावसायीकरण का समर्थन करती है।
  - **ड्रोन शक्ति और ईवी कस्टम ड्यूटी छूट:** यह मुख्यतः ड्रोन और ईवी में नवाचार को बढ़ावा देता है।

- **डीप-टेक और उभरती हुई तकनीक**
    - AI, IoT, रोबोटिक्स और नैनोटेक में 13,000+ डीप-टेक स्टार्ट-अप (DPIIT, 2024)।
    - **तकनीक अपनाना:** एआई (70%), बिग डेटा (48%), IoT (42%)।

डीपटेक का उपयोग भारत के तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में मुख्यधारा बन रहा है

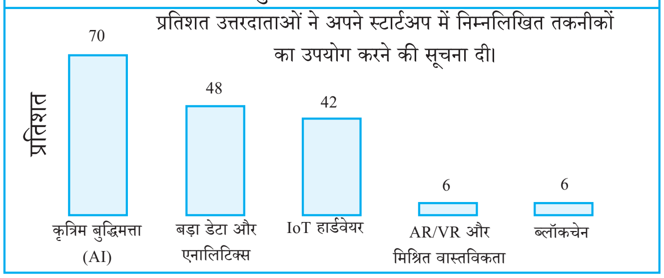

बीमा क्षेत्र

- **जीवन बीमा निगम:** LIC की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी; पहले साल की प्रीमियम आय के मामले में LIC की हिस्सेदारी लगभग 70% है। हालाँकि, सरकार ने बजट 2020-21 में LIC के शेयरों के IPO की घोषणा की है।
- **जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन:** वित्त मंत्रालय के अधीन सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनी है।
- **भारतीय कृषि बीमा कंपनी:** वित्त मंत्रालय के स्वामित्व के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 2002 में शामिल किया गया था।

भारत में बीमा क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत वर्ष 1993 में मल्होत्रा समिति के गठन के साथ प्रारंभ हुई।

सरकार द्वारा समर्थित बीमा योजनाएँ

- **आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:**
    - यह प्रति परिवार द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
    - इसके अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ पैकेज निदान, दवाइयों, सर्जरी, चिकित्सा देखभाल और डेकेयर खर्चों का भुगतान करते हैं।
    - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल कार्यान्वयन संगठन है। राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य संगठन इस योजना को लागू करती है।
    - लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा का उपयोग किया जाता है।
    - **वित्तपोषण का स्वरूप (फंडिंग पैटर्न):** 60:40 सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए, जिनकी अपनी विधायिका है; पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में 90:10; विधानमंडल रहित केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण का प्रावधान है।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:**
    - इसे वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में लॉन्च किया था।
    - यह 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, जिसके पास बैंक खाता है।
    - प्रीमियम 436 रुपए प्रति वर्ष है, जिसमें सेवा कर शामिल नहीं है।
    - किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएँगे।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:**
    - इसे वर्ष 2015 में वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
    - यह बैंक खाते वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है।
    - प्रीमियम 20 रुपए प्रतिवर्ष है।
    - यह योजना आंशिक विकलांगता के लिए एक लाख रुपए और आकस्मिक मृत्यु एवं पूर्ण विकलांगता के लिए दो लाख रुपए प्रदान करती है।
    - सभी सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ और अन्य बीमाकर्ता जो कार्यक्रम में भाग लेने एवं इस दिशा में बैंकों के साथ सहयोग करने की इच्छुक हैं, इस योजना की पेशकश करेंगे।

भारत में बीमा का प्रसार

मानदंड	विवरण
बीमा का प्रसार	• यह बीमा प्रीमियम और जीडीपी के अनुपात को मापता है। • भारत में बीमा की पहुँच लगभग 4% (2022) है जबकी यूएसए (11%), यू.के. (12.5%) है।
जीवन बीमा का प्रसार	• जीवन बीमा की पहुँच सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 3.2% (2022) है।
गैर-जीवन बीमा का प्रसार	• गैर-जीवन (सामान्य) बीमा की प्रसार सकल घरेलू उत्पाद (2022) का लगभग 0.8% है।
बाजार वृद्धि	• इस क्षेत्र में जागरूकता और सरकारी योजनाओं के कारण लगातार वृद्धि देखी गई है।
मुख्य कारक	• ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित बाजारों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और आयुष्मान भारत जैसी सरकार समर्थित योजनाओं की शुरुआत।
लक्ष्य	• डिजिटल बीमा को बढ़ावा देकर और पहुँच में सुधार करके विस्तार के स्तर को बढ़ावा देना।

Search On TG: @apna_pdf

11 मानव पूँजी निर्माण, ग्रामीण विकास और रोजगार

मानव प्रगति काफी हद तक हमारी सीखने, संग्रह करने और ज्ञान को साझा करने की क्षमता से प्रेरित होती है। शिक्षा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय उत्पादकता दोनों को बेहतर बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। इससे आय में वृद्धि, कौशल में वृद्धि और आर्थिक विकास होता है। एक शिक्षित कार्यबल बेहतर निर्णय लेने, नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में योगदान देता है। अर्थशास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना किसी राष्ट्र के विकास और उसकी क्षमता को उजागर करने की कुंजी है।

मानव पूँजी क्या है?

मानव पूँजी से तात्पर्य उन कौशलों, ज्ञान और क्षमताओं से है, जो व्यक्ति शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिससे वे अर्थव्यवस्था के लिए मूल्यवान संपत्ति बन जाते हैं। जिस तरह निवेश के माध्यम से भूमि भौतिक पूँजी बन जाती है, उसी तरह शिक्षा और कौशल विकास (जैसे, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक) के माध्यम से मानव संसाधन मानव पूँजी में बदल जाता है। इसमें निजी लाभ (जैसे- उच्च आय) और सामाजिक लाभ (जैसे, आर्थिक विकास और सामाजिक सामंजस्य) दोनों शामिल हैं।

मानव पूँजी निर्माण के स्रोत

पहलू	विवरण
शिक्षा	शिक्षा में निवेश करने से व्यक्तिगत ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है जिससे आय और सामाजिक उत्पादकता में वृद्धि होती है।
स्वास्थ्य	एक स्वस्थ कार्यबल अधिक उत्पादक होता है। निवारक चिकित्सा सहित स्वास्थ्य देखभाल निवेश से श्रम उत्पादकता बढ़ती है।
कार्यस्थल पर प्रशिक्षण	कंपनियाँ कर्मचारियों के कौशल और दक्षता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती हैं जिससे समग्र उत्पादकता बढ़ती है।
प्रवास	प्रवासन से आय में वृद्धि और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें परिवहन और आवास जैसी लागतें भी शामिल होती हैं।
जानकारी	नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जानकारी तक पहुँच से सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है तथा मानव पूँजी निवेश को अनुकूलतम बनाया जा सकता है।

तुलना: भौतिक पूँजी बनाम मानव पूँजी [UPSC 2018]

पहलू	भौतिक पूँजी	मानव पूँजी
निर्णय प्रक्रिया	अपेक्षित रिटर्न और तकनीकी ज्ञान के आधार पर।	शिक्षा और स्वास्थ्य निवेश के माध्यम से गठित।
स्वामित्व	मूर्त; खरीदा, बेचा और हस्तांतरित किया जा सकता है।	अमूर्त; कौशल, ज्ञान, स्वास्थ्य में निहित है।
धारक से अलगाव	अलग किया जा सकता है (जैसे, मशीनरी)।	अविभाज्य; व्यक्तिगत क्षमताओं से बंधा हुआ।
लाभ	मालिक को निजी लाभ प्रदान करता है।	निजी और सामाजिक लाभ प्रदान करता है।
बाहरी लाभ	लाभ धारक तक सीमित।	सामाजिक और आर्थिक प्रगति में योगदान देता है।

मानव पूँजी तथा मानव विकास

पहलू	मानव पूँजी	मानव विकास
केंद्र बिंदु	शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना।	समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
दृष्टिकोण	व्यक्तियों को आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन मानता है।	व्यक्तियों को स्वयं में लक्ष्य के रूप में देखता है।
निवेश का उद्देश्य	निवेश को उनके उत्पादन में योगदान के आधार पर महत्व दिया जाता है।	निवेश को व्यक्तिगत विकास और गरिमा को प्राथमिकता दी जाती है।
मूल सिद्धांत	आर्थिक-केंद्रित दृष्टिकोण।	अधिकार-आधारित, कल्याण-उन्मुख दृष्टिकोण।

Search On TG: @apna_pdf

मानव विकास संबंधी दृष्टिकोण

दृष्टिकोण	मुख्य विचार	केंद्रित क्षेत्र
आय दृष्टिकोण	आय का स्तर किसी व्यक्ति को प्राप्त आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर को दर्शाता है।	कल्याण का आकलन आय के माध्यम से करता है।
कल्याण दृष्टिकोण	लोग कल्याण के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं; सरकार जीवन स्तर में सुधार के लिए कल्याण व्यय को अधिकतम करती है।	सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रम।
मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण	छह बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है: स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास।	कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान।
क्षमता दृष्टिकोण	प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबद्ध; स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की सुगमता में क्षमता निर्माण मानव विकास की कुंजी है। जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए भारत को कौशल विकास में निवेश करना चाहिए। **[UPSC 2018]**	क्षमताओं के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाना।

भारत में मानव पूँजी निर्माण

प्रमुख कारक

- **शिक्षा:** एनसीईआरटी (NCERT), यूजीसी (UGC)और एआईसीटीई (AICTE) जैसी संस्थाएँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उस तक पहुँच का निरीक्षण या जाँच करती हैं।
- **सेवा:** स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर (ICMR) जैसी एजेंसियाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकेतकों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- **रोजगार प्रशिक्षण:** कई निजी और सार्वजनिक संगठन कार्यबल कौशल विकास में निवेश करते हैं।
- **प्रवासन:** संसाधन अनुकूलन की सुविधा प्रदान करते हैं लेकिन प्रतिभा पलायन जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है।
- **सूचना:** स्किल इंडिया और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसी डिजिटल पहल लोगों की पहुँच को बढ़ाती हैं।
- **सरकार की भूमिका**
  - **नीतिगत रूपरेखा:** सर्व शिक्षा अभियान और आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से समावेशी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बल दिया गया है।
  - **और गुणवत्ता का आश्वासन:** बाजार को विफल होने से रोकती है और सेवा वितरण में समानता सुनिश्चित करती है।
  - **केंद्रित:** सार्वभौमिक साक्षरता, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु आवंटन में वृद्धि।
- **चुनौतियाँ**
  - गरीबी का निरंतर बने रहना शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को सीमित करता है।
  - अनुपयुक्त कौशल जनसांख्यिकीय लाभांश उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है।
  - असमानताएँ मानव पूँजी निर्माण में असमानताओं को बढाता हैं।

मानव पूँजी निर्माण, कौशल विकास, गरीबी और बेरोजगारी के मध्य संबंध

मानव पूँजी निर्माण बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कौशल विकास को प्रोत्साहित करता है और सतत आर्थिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इन पहलुओं का परस्पर संबंध निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:

1. **मानव पूँजी निर्माण और कौशल विकास**
   - **परिभाषा:** मानव पूँजी निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल में निवेश शामिल है जिससे व्यक्तियों की उत्पादकता और क्षमता में सुधार होता है।
   - **कौशल विकास:** प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम तकनीकी, प्रबंधकीय और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देते हैं जिससे कार्यबल को बाजार की मांगों के अनुरूप बनाया जाता है।
   - **उदाहरण:** जैसे स्किल इंडिया मिशन कौशल अंतर को कम करने और श्रमिकों को बेहतर रोजगार प्रदान करने का प्रयास करता है।
2. **कौशल विकास और बेरोजगारी**
   - **संरचनात्मक बेरोजगारी में कमी:** कौशल विकास उभरते क्षेत्रों की मांगों के साथ कार्यबल की क्षमताओं को जोड़ता है ताकि बेरोजगारी के संरचनात्मक कारणों को दूर किया जा सके।
   - **रोजगार योग्यता में वृद्धि:** कुशल व्यक्ति IT, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण जैसे उच्च-विकासशील क्षेत्रों में नौकरी हासिल करने की अधिक संभावना रखता है।
   - **उदाहरण:** सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस (SaaS) और हेल्थटेक जैसे क्षेत्रों में कौशल पहल के कारण मजबूत रोजगार वृद्धि देखी गई है।
   - **उद्यमशीलता को प्रोत्साहन:** कौशल प्रशिक्षण आत्म-रोजगार को बढ़ावा देता है जिससे औपचारिक नौकरी बाजार पर निर्भरता कम होती है और दूसरों के लिए नई नौकरियाँ पैदा होती हैं।
3. **कौशल विकास और गरीबी**
   - **उच्च आय:** कुशल व्यक्ति उच्च मजदूरी अर्जित करता है जिससे घरेलू आय बढ़ती है और गरीबी के स्तर में कमी आती है।
   - **गरीबी के चक्र को तोड़ना:** कौशल विकास भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरियों तक पहुंच प्रदान करता है जिससे पीढ़ीगत गरीबी समाप्त होती है।
   - **क्षेत्रीय विकास:** ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में केंद्रित कौशल विकास हाशिये पर रह रहे समुदायों को सशक्त बनाता है और स्थानीय गरीबी को कम/दूर करता है।

Search On TG: @apna_pdf

4. **मानव पूँजी निर्माण और गरीबी**

- **सामाजिक गतिशीलता:** शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश समाज के वंचित वर्गों को ऊपर उठाने में मदद करता है जिससे गरीबी के अंतर को कम किया जा सकता है।
- **सशक्तीकरण:** शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता और आत्मविश्वास प्राप्त करना लोगों को गरीबी के सामाजिक-आर्थिक जाल से बाहर निकलने में सक्षम बनाता है।

5. **परस्पर संबंध और परिणाम**

- **समग्र विकास:** मानव पूँजी निर्माण कौशल विकास प्रयासों को एकीकृत करता है ताकि बेरोजगारी और गरीबी की दोहरी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
- **गुणक प्रभाव:** कुशल व्यक्ति आर्थिक विकास, उपभोक्ता खर्च और रोजगार सृजन में योगदान देता है जिससे बेरोजगारी और गरीबी को और अधिक कम किया जा सकता है।
- **लक्षित हस्तक्षेप:** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जैसी नीतियाँ कार्यबल को कौशल प्रदान करने और बेरोजगारी व गरीबी को एक साथ निपटाने के लिए काम करती हैं।

क्षेत्र	योजना	उद्देश्य	नवीनतम अपडेट/विवरण (2023-24)
स्कूली शिक्षा	**समग्र शिक्षा अभियान (SSA)**	स्कूली शिक्षा को प्री-प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक सुधारना।	बुनियादी ढाँचे और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए ₹38,000 करोड़ का आवंटन।
	पीएम ई-विद्या	दीक्षा (DIKSHA), टीवी चैनलों और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना।	डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से 1.2 करोड़ छात्रों को शामिल किया।
	पीएम पोषण (मिड-डे मील योजना)	स्कूली बच्चों को पोषक आहार प्रदान करना।	पूर्व-प्राथमिक बच्चों को भी शामिल करने के लिए विस्तारित।
	फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (निपुण भारत)	बच्चों के लिए साक्षरता और संख्यात्मकता में बुनियादी कौशल को सुधारना।	प्रारंभिक बाल शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए ₹5,300 करोड़ का आवंटन ।
उच्च शिक्षा	**पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना**	उच्च शिक्षण संस्थानों को मजबूत करना और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।	उच्च शिक्षा के बुनियादी ढाँचे और संकाय प्रशिक्षण को सुधारने के लिए ₹8,000 करोड़ का आवंटन ।
	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)	राज्य विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और बुनियादी ढाँचा सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	संस्थानिक उत्कृष्टता के लिए RUSA 3.0 के तहत ₹3,000 करोड़ स्वीकृत।
	ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (GIAN)	अंतरराष्ट्रीय संकाय को आमंत्रित करके उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना।	1,800 से अधिक पाठ्यक्रम अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ पेश किए गए।
	इम्प्रिंट (रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी)	राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन।	अंत:विषय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए ₹700 करोड़ का आवंटन।
स्वास्थ्य	**आयुष्मान भारत- PM-JAY**	हर परिवार को ₹5 लाख प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।	दिसंबर 2023 तक अस्पतालों में 2 करोड़ से अधिक भर्ती अधिकृत।
	पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सशक्त बनाना।	प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए ₹5,500 करोड़ का आवंटन।
	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)	सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।	30 हजार से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र चालू।
कौशल विकास	**प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)**	उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।	PMKVY 4.0 AI, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग आदि पर केंद्रित।
	संकल्प (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion)	लघु और दीर्घकालिक कौशल प्रशिक्षण को सुधारना।	कौशल अंतर को पाटने के लिए ₹4,455 करोड़ का आवंटन।
	पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना	शिल्पकारों और कारीगरों के कौशल उन्नयन का समर्थन करना।	बजट 2023-24 में ₹13,000 करोड़ का आवंटन।

Search On TG: @apna_pdf

रोजगार	**मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)**	ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करना।	बजट 2023-24 में ₹73,000 करोड़ का आवंटन।
	पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)	स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।	25 लाख से अधिक परियोजनाओं को समर्थन दिया गया, 1.3 करोड़ नौकरियाँ सृजित।
	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)	ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना।	₹1,200 करोड़ का आवंटन; ग्रामीण युवाओं के लिए उद्योग-प्रासंगिक कौशल पर केंद्रित।
वित्तीय समावेशन	**प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)**	सार्वभौमिक बैंकिंग तक पहुँच सुनिश्चित करना।	अक्टूबर 2023 तक 45 करोड़ से अधिक खाते खोले गए।
	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)	गैर-निगमित छोटे/लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करना।	₹18 लाख करोड़ वितरित; 35 करोड़ ऋण स्वीकृत।
	स्टैंड-अप इंडिया योजना	SC/ST और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।	1.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण दिया गया।

मानव पूँजी: विविध तथ्य

स्वतंत्रता के समय जनसांख्यिकीय स्थिति

- **ब्रिटिश भारत में जनगणना:** ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना 1881 में की गई थी। इसमें जनसंख्या, उसके वितरण और जनसांख्यिकीय पैटर्न के बारे में विस्तृत डेटा उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद हर दशक में जनगणना कार्यक्रम संचालित किये गए, जो देश की जनसंख्या प्रगति का आकलन करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य है।
- **प्रमुख जनसांख्यिकीय संकेतक:**
  - **समग्र साक्षरता:** स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 16% से भी कम थी, जबकि महिला साक्षरता दर चिंताजनक रूप से 7% थी। यह देश के समक्ष मौजूद महत्त्वपूर्ण शैक्षिक चुनौतियों को उजागर करता है।
    - साक्षरता में 74% तक सुधार **(जनगणना 2011)**।
  - **शिशु मृत्यु दर (IMR):** शिशु मृत्यु दर की स्थिति प्रति हज़ार जीवित जन्मों पर 218 के साथ अत्यधिक उच्च बनी हुई थी, जो खराब स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के अभाव की स्थिति को दर्शाती है।
    - **सुधार:** 35.3/1000 **(NFHS-5)**
  - **जीवन प्रत्याशा:** स्वतंत्रता के समय औसत जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, जो स्वास्थ्य सेवा, पोषण और जीवन स्थितियों के निम्न मानकों को दर्शाती है।
    - **सुधार:** वर्तमान में जन्म के समय महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.7 वर्ष है, जबकि पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 68.2 वर्ष है। **(NFHS-5)**

मानव विकास रिपोर्ट(UNDP)

यूएनडीपी (UNDP) द्वारा जारी **मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report)** एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें प्रमुख विकास सूचकांकों के आधार पर देशों को रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर मानव विकास की स्थिति को मापने और तुलना करने हेतु पाँच प्राथमिक संकेतकों का उपयोग किया जाता है:

- **मानव विकास सूचकांक (HDI): स्वास्थ्य, शिक्षा और आय** जैसे कारकों को मिलाकर समग्र मानव विकास की माप करता है।
- **असमानता के लिए समायोजित HDI:** यह किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के वितरण में असमानता को दर्शाने के लिए **HDI** स्कोर को समायोजित करता है।
- **लैंगिक विकास सूचकांक (GDI):** मानव विकास में लैंगिक असमानताओं को मापता है। देशों को **HDI** में लैंगिक समानता से उनके विचलन के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है।
- **लैंगिक असमानता सूचकांक (GII):** प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार में भागीदारी जैसे विशिष्ट लैंगिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI):** शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे विभिन्न अभावों/वंचनों (Deprivations) के आधार पर गरीबी की माप करता है।

मानव विकास के आयाम और संकेतक

- **HDI के आयाम:**
  - **लोगों का स्वास्थ्य:** जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (SDG 3) द्वारा मापा जाता है।
  - **शैक्षणिक उपलब्धि:** इसमें स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष **(SDG 4.3)** और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष **(SDG 4.4)** दोनों को सम्मिलित किया जाता है।
  - **जीवन स्तर:** प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) द्वारा मापा जाता है **(SDG 8.5)**।
- **लैंगिक विकास सूचकांक (GDI):**
  - मानव विकास सूचकांक में देशों को उनकी लैंगिक समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो देश लैंगिक समानता की स्थिति को प्राप्त करने के निकट हैं, उनमें लैंगिक समानता से विचलन कम होता है।
- **लैंगिक असमानता सूचकांक (GII):**
  - GII तीन मुख्य क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं को मापता है:

Search on TG: @apna_pdf

- **प्रजनन स्वास्थ्य:** मातृ स्वास्थ्य और किशोर प्रजनन दर पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **सशक्तिकरण:** राजनीतिक और शैक्षिक सशक्तिकरण पर ध्यान देता है।
- **श्रम बाजार भागीदारी:** अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को मापता है।

- **ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (Global Gender Gap Index) में** लैंगिक समानता के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करने के लिए इन कारकों का उपयोग करता है। **[UPSC 2017]**

विश्व खुशहाली रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वैश्विक स्तर पर लोगों की खुशहाली की स्थिति का आकलन करती है। रिपोर्ट निम्नलिखित कारकों का मूल्यांकन करती है:

- **प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद:** किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि।
- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता:** व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का स्तर।
- **सामाजिक सहयोग:** सामाजिक सेवाओं और सामुदायिक सहयोग की उपलब्धता।
- **उदारता:** नागरिकों की दूसरों की मदद या सहयोग करने की इच्छा।
- **स्वस्थ जीवन प्रत्याशा:** एक व्यक्ति द्वारा अच्छे स्वास्थ्य में जीने की औसत वर्षों की संख्या।
- **भ्रष्टाचार के स्तर:** सरकार और व्यावसायिक क्षेत्रों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार।

यह रिपोर्ट आर्थिक समृद्धि और खुशी के बीच संबंध का आकलन करने में मदद करती है, जिसमें विकसित राष्ट्र आमतौर पर बेहतर सामाजिक सहायता प्रणालियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण उच्च स्कोर प्राप्त करते हैं।

मानव पूँजी परियोजना (विश्व बैंक)

विश्व बैंक की **मानव पूँजी परियोजना (Human Capital Project)** का उद्देश्य विभिन्न देशों में मानव पूँजी के विकास को मापना और उसे बढ़ावा देना है। इसमें **मानव पूँजी सूचकांक (HCI)** का उपयोग किया जाता है, जो इस बात का मूल्यांकन करता है कि उत्पादक/उपयोगी जीवन (Productive Life) के लिए नागरिकों की क्षमता के मामले में देश कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। HCI तीन प्रमुख घटकों पर आधारित है:

- **उत्तरजीविता दर:** 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। यह देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और बाल पोषण को दर्शाता है।
- **गुणवत्ता-समायोजित स्कूली शिक्षा:** स्कूली शिक्षा के स्तर को उसकी गुणवत्ता के साथ जोड़ती है। इसमें स्कूली शिक्षा के वर्षों की संख्या और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों को ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **स्वास्थ्य पर्यावरण:** वयस्क उत्तरजीविता दर और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बौनेपन की दर को मापता है। ये देश में समग्र स्वास्थ्य पर्यावरण और पोषण मानकों के संकेतक हैं। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान में बच्चे स्वस्थ, अधिक शिक्षित और अपने देश की अर्थव्यवस्था में प्रभावी रूप से योगदान देने में सक्षम हो सकें।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)

- **आशा(ASHA) कार्यकर्ताओं की भूमिका: आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता)** कार्यकर्ता ग्रामीण समुदायों और स्वास्थ्य सुविधाओं के मध्य के अंतर को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये निम्नलिखित कार्यों में सहयोग करते हैं:
  - प्रसवपूर्व देखभाल, जांच के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं में ले जाना।
  - गर्भावस्था का शीघ्र पता लगाने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का उपयोग करना।
  - पोषण, टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य के बारे में समुदायों को शिक्षित करना। **[UPSC 2012]**

जननी सुरक्षा योजना (JSY)

- **उद्देश्य:** जननी सुरक्षा योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए नकद सहायता को एकीकृत करता है और प्रसव के बाद देखभाल प्रदान करता है।
- **योजना का विवरण:** यह माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके परिवारों को संस्थागत प्रसव का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह योजना मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोके जा सकने वाली मौतों को कम करने के भारत के व्यापक लक्ष्य का भाग है। **[UPSC 2012, 2023]**

केयर इकोनॉमी (Care Economy): भारत में विकास के लिए उपाय, योजनाएँ और संभावनाएँ

भारत के भविष्य के विकास हेतु एक मजबूत **केयर इकोनॉमी (Care Economy)** आवश्यक है, जो जनसांख्यिकीय परिवर्तनों, लैंगिक असमानताओं और बढ़ती आर्थिक मांगों से उत्पन्न होने वाली दबावपूर्ण आवश्यकताओं को संबोधित करती है। बढ़ती उम्रदराज आबादी, बढ़ती महिला श्रम शक्ति भागीदारी और पारिवारिक संरचनाओं में परिवर्तनों के साथ, भारत को इन चुनौतियों का सामना करने हेतु एक समावेशी और कुशल केयर इकोनॉमी विकसित करनी चाहिए। इस खंड में भारत में केयर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए आवश्यक महत्त्व, विकास और नीतिगत रूपरेखा पर विस्तार चर्चा की गई है।

केयर इकोनॉमी को परिभाषित करना

देखभाल कार्य/केयर वर्क (Care Work) से तात्पर्य सभी आयु समूहों के व्यक्तियों की देखभाल और रखरखाव के लिए आवश्यक गतिविधियों और संबंधों से है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) केयर वर्क (Care Work) को व्यापक रूप से परिभाषित करता है जिसमें भुगतान और अवैतनिक दोनों प्रकार के कार्य शामिल हैं:

- **सशुल्क देखभाल कार्य/पेड केयर वर्क(Paid Care Work):** इसमें अस्पतालों, डेकेयर केंद्रों और वरिष्ठ देखभाल गृहों में औपचारिक देखभाल से संबंधित भूमिकाएँ शामिल हैं।
- **देखभाल कार्य/अनपेड केयर वर्क (Unpaid Care Work):** मुख्य रूप से घरों के भीतर घरेलू देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ, जिसमें बच्चों का पालन-पोषण, बुज़ुर्गों की देखभाल और घरेलू रख-रखाव से संबंधित गतिविधयाँ शामिल है।

केयर इकोनॉमी का महत्त्व

- **आर्थिक विकास:** केयर इकोनॉमी का भारत के **सकल घरेलू उत्पाद** में महत्त्वपूर्ण योगदान है। देखभाल सेवाओं में निवेश से लाखों नौकरियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे श्रम शक्ति भागीदारी में सुधार हो सकता है, विशेषकर महिलाओं के बीच। देखभाल क्षेत्र एक प्रमुख विकास चालक हो सकता है, जो अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकता है।
- **लैंगिक समानता:** लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए एक उचित प्रकार से विकसित केयर सेक्टर महत्त्वपूर्ण है। अवैतनिक देखभाल कार्य के असमान बोझ को संबोधित करके, केयर इकोनॉमी श्रम शक्ति भागीदारी में लैंगिक

Search On TG: @apna_pdf

असमानताओं को कम कर सकती है। महिलाओं के आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने और लैंगिक वेतन अंतर को कम करने के लिए महिला श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि महत्त्वपूर्ण है।

- **मानव विकास:** बाल देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल जैसी कम खर्चीली देखभाल सेवाओं तक पहुँच समग्र सामाजिक कल्याण में सुधार करती है। ये सेवाएँ विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं जैसे कमज़ोर समूहों के मध्य बेहतर स्वास्थ्य परिणामों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक स्थिरता में योगदान करती हैं।

केयर इकोनॉमी की बढ़ती आवश्यकता

जनसांख्यिकीय परिवर्तन

भारत की जनसंख्या संरचना तेजी से विकसित हो रही है, जिससे विभिन्न आयु समूहों में देखभाल से संबंधित सेवाओं/केयर सर्विसेज (Care Services) की आवश्यकता में बढ़ोत्तरी हो रही है।

जनसांख्यिकी श्रेणी	वर्तमान(%)	अनुमानित (%) वर्ष 2050 तक
बच्चें बच्चे (0-14 वर्ष)	25%	18%
बुजुर्ग (60+ वर्ष)	10%	20.8%

- **निहितार्थ:**
  - बढ़ती उम्र के कारण बुजुर्गों की देखभाल की मांग बढ़ेगी, जबकि बच्चों की घटती आबादी के लिए लक्षित बाल देखभाल सेवाओं/चाइल्ड केयर सर्विसेज (Childcare Services)की आवश्यकता होगी।
  - महिला कार्यबल की बढ़ती भागीदारी के कारण बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए सुलभ और सस्ती केयर सर्विसेज (Care Services) की आवश्यकता होगी।

देखभाल संबंधित कार्य/केयर वर्क (Care Work) में लैंगिक असमानताएँ

भारत की महिलाओं का श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFPR) में काफ़ी कम भागीदारी है, जिसका आंशिक कारण महिलाओं द्वारा वहन किए जाने वाले अवैतनिक देखभाल कार्य/अनपेड केयर वर्क का असंगत भार है।

- **अवैतनिक देखभाल कार्य/अनपेड केयर वर्क (Unpaid Care Work):**
  - **महिलाएँ:** औसतन **5.6 घंटे/दिन।**
  - **पुरुष:** औसतन **30 मिनट/दिन।**
  - केयर वर्क से संबंधित यह लैंगिक आधारित वितरण महिलाओं की औपचारिक रोजगार में संलग्न होने की क्षमता को कम करता है तथा उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करता है।
- **FLFPR रुझान:**

संकेतक	वर्ष 2017-18	वर्ष 2023-24
महिला श्रम बल भागीदारी	23.3%	41.7%
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी	शहरों से अधिक	शहरों से अधिक

प्रसूति/चाइल्ड बर्थ (Childbirth) और रोजगार पर इसका प्रभाव

प्रायः बाल देखभाल (Childcare) में कोई सहायता न मिलने के कारण मातृत्व की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं।
यह विशेष रूप से भारत में प्रचलित है, जहाँ:

- कई महिलाएँ बच्चों के पालन-पोषण के वर्षों के दौरान जनबल/वर्कफोर्स (Workforce) को छोड़ देती हैं।
- किफायती चाइल्डकैअर विकल्पों तक सीमित पहुँच महिलाओं के करियर की प्रगति को प्रतिबंधित करती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लचीले रोजगार अवसरों के कारण महिलाओं के रोजगार की दर अधिक होती है, परंतु इन नौकरियों में प्रायः सामाजिक सुरक्षा लाभ का अभाव होता है।

केयर इकोनॉमी का आर्थिक योगदान

अवैतनिक देखभाल कार्य/अनपेड केयर वर्क का महत्त्व

अवैतनिक देखभाल कार्य/अनपेड केयर वर्क भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण भाग है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में **15-17%** के बीच योगदान है। इस कार्य को औपचारिक बनाकर, भारत देखभाल के आर्थिक मूल्य का दोहन कर सकता है और अनौपचारिक देखभाल (Informal Care) के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को औपचारिक अर्थव्यवस्था (Formal Economy) में स्थानांतरित कर सकता है।

रोजगार सृजन की संभावना

वैश्विक स्तर पर, यह अनुमान लगाया गया है कि केयर इकोनॉमी से महत्त्वपूर्ण रोज़गार के अवसरों का सृजन होगा। भारत के लिए:

केयर इकोनॉमी में निवेश	संभावित सृजित नौकरियाँ	महिलाओं के लिए प्रतिशत
जीडीपी का 2%	11 मिलियन	70%

देखभाल सेवाओं/केयर सर्विसेज का बहुआयामी प्रभाव

बाल देखभाल/चाइल्डकेयर सेवाएँ (Childcare Services)

महिला श्रम शक्ति भागीदारी में सुधार हेतु बाल देखभाल महत्त्वपूर्ण है। **मेक्सिको** और **ब्राजील** जैसे देशों से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि सार्वजनिक बाल देखभाल कार्यक्रमों ने महिला रोजगार को काफी हद तक बढ़ावा दिया है।
भारत में, **पालना योजना (Palna Scheme)** जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य **आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (Anganwadi-cum-Crèches)** के माध्यम से कामकाजी माताओं को किफायती बाल देखभाल विकल्प प्रदान करना है।
कामकाजी माताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान हेतु संचालित ये योजनाएँ कार्यबल में उनकी भागीदारी और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ा सकती हैं।

सरकारी पहल	दायरा	लक्ष्य
पालना योजना	17,000 आंगनवाड़ी-सह-क्रेचेस	कामकाजी माताएँ

बुज़ुर्ग/ वृद्धों की देखभाल में सुधार

भारत की वृद्ध आबादी को व्यापक बुज़ुर्ग देखभाल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। निर्भरता अनुपात, जो कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के सापेक्ष आश्रितों (बच्चों और बुज़ुर्गों) की संख्या को मापता है, **वर्ष 2022 में 20% से कम से बढ़कर वर्ष 2050 तक 30% से अधिक होने की उम्मीद** है।

Search On TG: @apna_pdf

इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लिए बुज़ुर्ग देखभाल में नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है, जिसमें शामिल हैं:

- **देखभालकर्ता सहायता कार्यक्रम/ केयरगिवर सपोर्ट प्रोग्राम।**
- बुज़ुर्गों की देखभाल करने वालों के लिए **कुशल प्रशिक्षण।**
- **देखभालकर्ताओं/ केयरगिवर्स (Caregivers) के लिए प्रोत्साहन,** जैसे कर में छूट और लाभ।

बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए नीतियाँ

वर्तमान समय में भारत में एक सुसंगत वृद्ध देखभाल नीति का अभाव है। अनुशंसाओं में शामिल हैं:

- बुज़ुर्गों की देखभाल से संबंधित बुनियादी ढाँचे में सरकारी निवेश।
- बुज़ुर्गों की देखभाल से जुड़ी सेवाएँ देने वाले व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन।
- मल्टीजेनेरेशनल लिविंग सपोर्टऔर बुज़ुर्गों के अनुकूल सामुदायिक कार्यक्रम।

स्व-रोजगार बनाम नियोजित श्रमिक:

पहलू	स्व-नियोजित कामगार	काम पर रखे गए कामगार
कार्य की प्रकृति	व्यवसाय का स्वामित्व एवं संचालन करते हैं या स्वतंत्र रहते हैं।	नियमित वेतन वाले नियोक्ता के लिए काम करते हैं।
आय स्थिरता	अनियमित, बाजार की स्थितियों पर निर्भर।	नौकरी की सुरक्षा के साथ नियमित आय।
कार्यबल अनुपात	कार्यबल का लगभग 52% हिस्सा है।	कार्यबल का 48% हिस्सा है।

भारत में कामगारों की श्रेणियाँ:

कामगारों की श्रेणी	विवरण	कार्यबल का प्रतिशत
स्व-नियोजित कामगार	व्यवसायों का स्वामित्व और संचालन (उदाहरण के लिए, सीमेंट की दुकान का मालिक)	52%
अनौपचारिक दिहाड़ी श्रमिक	अस्थायी रूप से कृषि या निर्माण कार्य में संलग्न होते हैं और मजदूरी प्राप्त करते हैं।	25%
नियमित वेतनभोगी कर्मचारी	नौकरी की सुरक्षा के साथ स्थिर वेतन प्राप्त करते हैं (उदाहरण के लिए, सिविल इंजीनियर)	23%

लैंगिक वितरण:

पहलू	2011-12	2023-24
स्व-नियोजित	कार्यबल का 52%	कार्यबल का 54%
अनौपचारिक वेतन कार्य	कार्यबल का 25%	कार्यबल का 26%
नियमित वेतनभोगी कार्य	कार्यबल का 23%	कार्यबल का 20%
स्व-नियोजित पुरुष	56%	58%
स्व-नियोजित महिलाएँ	46%	50%
अनौपचारिक वेतन कार्य (पुरुष)	23%	24%
अनौपचारिक वेतन कार्य (महिला)	27%	30%
नियमित वेतनभोगी कार्य (पुरुष)	23%	21%
नियमित वेतनभोगी कार्य (महिला)	21%	19%

बेरोज़गारी

बेरोजगारी की परिभाषा: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसे ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, जहाँ लोग कार्यरत नहीं हैं लेकिन सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं। अर्थशास्त्री बेरोजगार व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं, जो आधे दिन में एक घंटे का भी काम नहीं पा सकता।

बेरोजगारी डेटा के स्रोत

बेरोजगारी के आँकड़े निम्नलिखित स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं: **भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय।**

भारत में बेरोजगारी के प्रकार

1. **खुली बेरोजगारी:** सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करना, लेकिन नौकरी न मिल पाना।
2. **प्रच्छन्न बेरोजगारी:** कृषि जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक रोजगार जो उत्पादकता बढ़ाने में योगदान नहीं करते। **[UPSC 2013]**
3. **मौसमी बेरोजगारी:** ग्रामीण क्षेत्रों में यह आम बात है, विशेषकर कृषि क्षेत्रों में, जहाँ लोग गैर-कृषि के मौसम के दौरान अन्य क्षेत्रों में पलायन करते हैं।
4. **चक्रीय बेरोजगारी:** व्यापार चक्र का परिणाम, जहाँ मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है।
5. **तकनीकी बेरोजगारी:** प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान।
6. **संरचनात्मक बेरोजगारी:** बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न बेरोजगारी।
7. **घर्षण बेरोजगारी/खोज बेरोजगारी:** नौकरियों के बीच समय अंतराल जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जा रहा होता है; स्वैच्छिक बेरोजगारी के रूप में माना जाता है।

प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक

- **श्रम बल भागीदारी दर:** जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात, काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध) में व्यक्तियों का प्रतिशत।
- **अनुपात बेरोजगार (PU):** जनसंख्या में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत।

Search On TG: @apna_pdf

- **गतिविधि की स्थिति:** निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **सामान्य स्थिति:** जब गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति:** सर्वेक्षण की तिथि से पहले के अंतिम 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर गतिविधि की स्थिति निर्धारित की जाती है।

बेरोजगारी से संबंधित शब्दावली

- **बेरोज़गारी दर** = (बेरोज़गार कर्मचारी/कुल श्रम शक्ति) × 100
- **औपचारिक क्षेत्र की स्थापनाएँ:** सभी सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापनाएँ और वे निजी क्षेत्र की स्थापनाएँ जिनमें 10 या उससे ज़्यादा काम पर रखे गए कर्मचारी काम करते हैं।
- **श्रम शक्ति:** वे व्यक्ति जो संदर्भ अवधि के दौरान या तो काम कर रहे हैं (रोज़गार में हैं) या काम की तलाश कर रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं (बेरोज़गार)।
- **कार्य बल:** 15-59 वर्ष आयु समूह के सभी लोग; कार्यबल > श्रम बल।
- **रोज़गार दर:** जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात (15 से 59 वर्ष)
- **रोज़गार लोचशीलता:** सकल घरेलू उत्पाद में बदलाव के कारण रोज़गार में होने वाले प्रतिशत परिवर्तनों को दर्शाता है, जो श्रम बाजार की प्रतिक्रियाशीलता को मापता है।
- **रोज़गार तीव्रता:** यह मापता है कि आर्थिक विकास किस हद तक रोज़गार सृजित करता है।
- **आय असमानता:** अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रतिभागियों के बीच घरेलू आय या व्यक्तिगत आय का असमान वितरण।
- **रोजगार विहीन वृद्धि:** जब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, लेकिन रोजगार का सृजन नहीं होता
- **कार्यबल का अनौपचारिकरण:** स्थायी नौकरियों की जगह आकस्मिक और वेतन आधारित नौकरियों की ओर बदलाव, जिससे नौकरी की सुरक्षा कम हो जाती है।
- **क्षेत्रीय बदलाव**: कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर बदलाव, जिससे अर्थव्यवस्था में विविधता आती है।

रोजगार सृजन में सरकार की भूमिका

1. **मनरेगा (2005):** अकुशल शारीरिक श्रम में ग्रामीण परिवारों के लिए 100 दिनों के सवेतन रोजगार की गारंटी देता है।
2. **प्रत्यक्ष रोजगार सृजन:** सरकारें विभिन्न विभागों, उद्योगों और सेवाओं में व्यक्तियों को रोजगार देती हैं जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी की मांग बढ़ती है।
3. **अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन:** बुनियादी ढाँचे और उत्पादन में सरकारी निवेश से निजी कंपनियों को लाभ मिलने के कारण रोजगार का सृजन होता है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 सामाजिक सुरक्षा कानून का एक हिस्सा है, जो कार्य-संबंधी चोटों के परिणामस्वरूप बीमारी, मातृत्व, विकलांगता या श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में चिकित्सा देखभाल और वित्तीय लाभ प्रदान करता है।

- यह अधिनियम प्रारंभ में 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-ऋतु आधारित कारखानों पर लागू होता है।
- अधिनियम के प्रावधान औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि और अन्य प्रकार की संस्थाओं पर लागू होते हैं। अधिनियम के अंतर्गत दुकानें, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, प्रीव्यू थिएटर, सड़क-मोटर परिवहन उपक्रम तथा 20 या अधिक रोजगार योग्य श्रमिकों वाले समाचार पत्र व्यवसाय सहित व्यवसायों की नई श्रेणियाँ शामिल हैं। **[UPSC 2012]**

रोजगार: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 संबंधी परिदृश्य

पिछले छह वर्षों में भारत के श्रम बाजार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, बेरोजगारी दर **वर्ष 2022-23 में घटकर 3.2%** रह गई है। युवाओं और महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी में वृद्धि से पर्याप्त अवसर मिलने का संकेत मिलता है। संगठित विनिर्माण क्षेत्र में उछाल आया है, जबकि औपचारिक रोजगार में वृद्धि देखी गई है।

चूँकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन ला रही है, इसलिए रोज़गार बाजार के अनुकूल होना महत्त्वपूर्ण बना हुआ है। गुणवत्तापूर्ण रोजगार के लिए आशाजनक अवसरों में कृषि-प्रसंस्करण और **'केयर इकनॉमी'** शामिल हैं, जिसमें भविष्य के रोजगार सृजन के लिए कौशल और विनियामक सुधारों की आवश्यकता है।

वर्तमान रोजगार परिदृश्य

भारत का रोजगार परिदृश्य आर्थिक सुधारों, तकनीकी प्रगति और कौशल विकास के माध्यम से आकार ग्रहण करता है:

- **शहरी बेरोज़गारी (तिमाही):** 15+ आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए 6.8% (Q1 2023) से घटकर 6.7% (Q1 2024) हो गई (PLFS)।
- **कार्यबल अनुमान:** लगभग 56.5 करोड़ (2022-23) (PLFS)।
- **कार्यबल वितरण**
  - कृषि: 45%
  - विनिर्माण: 11.4%
  - सेवाएँ: 28.9%
  - निर्माण: 13%
- **रोजगार के प्रकार:**
  - स्वरोजगार: **57.3%** (कृषि में महत्त्वपूर्ण महिला भागीदारी)।
  - अवैतनिक घरेलू कर्मचारी: **18.3%**
  - आकस्मिक श्रम: **21.8%**
  - नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी: **20.9%**

Search on TG: @apna_pdf

युवा एवं महिला रोजगार

- **युवा रोजगार में वृद्धि**
    - युवा बेरोज़गारी दर (आयु 15-29) **17.8% (2017-18) से घटकर 10% (2022-23)** (PLFS) हो गई।
    - **EPFO ग्राहक**: लगभग दो-तिहाई नए ग्राहक 18-28 वर्ष की आयु के हैं, जो युवा रोजगार में वृद्धि का संकेत देते है।
- **महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR)**
    - FLFPR में निरंतर वृद्धि हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में यह **24.6% (2017-18)** से बढ़कर **41.5% (2022-23) हो गई।**
- **वृद्धि को बढ़ावा देने वाले कारक:**
    - उच्च कृषि उत्पादन।
    - बुनियादी सुविधाओं (खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन, स्वच्छता) तक पहुँच।
- **विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार**
    - **महामारी के बाद रिकवरी:** संगठित विनिर्माण में मजदूरी बढ़ी (ASI 2021-22)।
- **फैक्ट्री संबंधी परिदृश्य:**
    - छोटी फैक्ट्रियाँ (<100 कर्मचारी): 79.2%
    - बड़ी फैक्ट्रियाँ (>100 कर्मचारी): रोज़गार में हिस्सेदारी बढ़ रही है और वेतन भी बेहतर है।
- **क्षेत्रवार रोजगार:**
    - खाद्य उत्पाद: 11.1%
    - कपड़ा: 10%
    - प्राथमिक धातु, परिधान, मोटर वाहन: 7% प्रत्येक
    - कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन उद्योग: उल्लेखनीय वृद्धि।

रोजगार के लिए सरकारी पहल

रोजगार सृजन एवं श्रमिक कल्याण

- **राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS):**
    - **4.1 करोड़ रोजगार खोजने वाले (जॉब सीकर), 25.6 लाख नियोक्ता, 407 करियर केंद्र, 46,000 रोजगार मेले** (मार्च 2024)।
- **ई-श्रम पोर्टल: 29 करोड़ असंगठित श्रमिकों का** राष्ट्रीय डेटाबेस।
- **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY): 60.5 लाख व्यक्तियों** को लाभ।
- **पेंशन एवं बीमा योजनाएँ**
    - अटल पेंशन योजना: **7.15 करोड़ ग्राहक (दिसंबर 2024)।**
    - प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन: **50 लाख नामांकित।**
    - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से बीमा कवरेज।
- **स्व-रोजगार और उद्यमिता:**
    - पीएम मुद्रा योजना: **47.7 करोड़ ऋण** (मार्च 2024)।
    - स्टैंड-अप इंडिया: **2.29 लाख एससी/एसटी और महिला उद्यमियों** को सहायता प्रदान की गई।
    - स्टार्ट-अप इंडिया: DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने **12.42 लाख** नौकरियों का सृजन किया(2023)।

श्रम संहिता सरलीकरण और सुधार

- एकीकृत श्रम संहिता: 29 कानूनों को **चार संहिताओं** (वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा) में समेकित किया गया।
- **चुनौतियाँ**:
    - प्रतिबंधात्मक नियम अवसरों को सीमित करते हैं।
    - पेट्रोलियम और रसायन जैसे उद्योगों में महिलाओं के लिए रोजगार संबंधी बाधाएँ।
    - तुलनात्मक रूप से ओवरटाइम और कार्य-घंटे संबंधी कठोर नियम।

तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन

चौथी औद्योगिक क्रांति

- **तकनीकी व्यवधान:** AI, IoT और ऑटोमेशन उद्योग में प्रगति ने रोजगार बाजारों को नया आकार दिया है।
- **रोजगार संबंधी पूर्वानुमान (WEF 2023):**
    - वर्ष 2028 तक वैश्विक स्तर पर 23% नौकरियों का स्वरुप परिवर्तित हो जाएगा।
    - शिक्षा, कृषि, डिजिटल कॉमर्स, एआई और साइबर सुरक्षा में भारत-विशिष्ट भूमिकाएँ।

रोजगार पर AI का प्रभाव

- **AI का प्रभाव:** 26% भारतीय नौकरियाँ अत्यधिक प्रभावित होंगी, जबकि 14% को **सकारात्मक लाभ** होगा।
- **AI का प्रयोग:** नियमित कार्यों में ऑटोमेशन, विनिर्माण, BPO, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में एआई।
- **सरकारी पहल:**
    - फ्यूचर स्किल्स प्राइम।
    - YUVAi (युथ फॉर एआई)।
    - इंडिया एआई मिशन **(₹10,300 करोड़)।**

'गिग' अर्थव्यवस्था

- **वृद्धि: 7.7 मिलियन (2020-21) से 23.5 मिलियन (2029-30)** श्रमिक अपेक्षित (नीति आयोग)।
- **वृद्धि के कारक:** तकनीकी प्लेटफॉर्म, इंटरनेटतक पहुँच और कौशल-विशिष्ट मांग।
- **चुनौतियाँ**: सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) में प्रावधानों के बावजूद अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा बनी हुई है।

जलवायु परिवर्तन और रोजगार सृजन

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- **तापमान वृद्धि द्वारा उत्पन्न खतरे:** कृषि और निर्माण श्रमिकों को प्रभावित करने वाले **वैश्विक कार्य घंटों (2030) में 3.8%** की अपेक्षित कमी।
- **स्वास्थ्य जोखिम**: SEWA के तापमान वृद्धि से संबंधित बीमा, जैसे अभिनव कार्यक्रम श्रमिकों की सुभेद्यता को संबोधित करते हैं।

Search On TG: @apna_pdf

हरित ऊर्जा संक्रमण

- **नौकरी की संभावना**: अक्षय ऊर्जा 2030 तक **3.4 मिलियन नौकरियाँ** पैदा कर सकती है (सौर और पवन क्षमताएँ)।
- **ESG मानक**: निवेश को प्रोत्साहित करना, रोजगार को बढ़ावा देना।

भविष्य में रोजगार सृजन की आवश्यकताएँ (वर्ष 2036 तक)

अनुमान

- **कार्यबल वृद्धि के आधार पर**:
  - महिला WPR में वृद्धि: **27% (2023)** से **40% (2036)** तक।
  - कृषि कार्यबल में गिरावट: **45.8% (2023)** से **25% (2047)** तक।

नीतिगत उपाय

- **उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI), मित्रा टेक्सटाइल और मुद्रा** जैसी मौजूदा योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
- MSMEs के लिए **'फ्लेक्सी-जॉब्स'** का विस्तार किया जाएगा और नियामक ढाँचे में सुधार किया जाएगा।

कृषि प्रसंस्करण: एक ग्रामीण रोजगार उत्प्रेरक

- **कम मूल्य संवर्द्धन:** भारत का कृषि मूल्य संवर्द्धन (फलों के लिए 4.5%, सब्जियों के लिए 2.7%) वैश्विक बेंचमार्क (30%-80%) से पीछे है।
- **बाजार की संभावना:** भारतीय खाद्य प्रसंस्करण बाजार **वर्ष 2025 तक 535 बिलियन डॉलर** (15.2% CAGR) तक पहुँच जाएगा।
- **सफल मॉडल:** सह्याद्री FPC, अराकू कॉफी, महाग्रेप्स।
- **मांग के अवसर:** आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, शहरी बाजार और निर्यात की आपूर्ति।
- **कार्यक्रम का अभिसरण**: एकीकृत मेगा फूड पार्क, स्किल इंडिया और नाबार्ड।

कौशल विकास: भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ प्राप्त करने का एक माध्यम

भारत अपने कौशल परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, अपने जनसांख्यिकीय लाभांश से लाभ प्राप्त कर रहा है और अपने कार्यबल को वैश्विक बाजार और उद्योग 4.0 की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल से युक्त कर रहा है। बढ़ती युवा आबादी के साथ, सरकारी नीतियों और पहलों ने इस जनसांख्यिकीय लाभांश को एक उत्पादक कार्यबल में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया है। विभिन्न क्षेत्रों और योजनाओं में कौशल विकास में प्रगति इस क्षेत्र में भारत की क्षमता का प्रमाण है।

जनसांख्यिकीय लाभ का लाभ उठाना

भारत की युवा आबादी (15-29 वर्ष) वैश्विक कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे कौशल पहल को उद्योग की आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 2022-23 तक, 4.4% युवाओं को औपचारिक प्रशिक्षण मिला, जबकि 16.6% को अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है (PLFS 2022-23)।

जनसांख्यिकीय लाभांश

जनसांख्यिकीय लाभांश से तात्पर्य आर्थिक विकास की उस संभावना से है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी देश की जनसंख्या संरचना में बदलाव होता है, आमतौर पर तब जब कार्यशील आयु वर्ग की आबादी (15-64 वर्ष) आश्रित आबादी (बच्चे और बुजुर्ग) से बड़ी हो जाती है। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और सुशासन में निवेश द्वारा इस बदलाव को समर्थन दिया जाए तो उत्पादकता और आर्थिक लाभ में वृद्धि हो सकती है।

[UPSC 2011,2013]

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा समर्थित कौशल भारत पहल का उद्देश्य निरंतर कौशल उन्नयन और पुनर्कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल की रोजगार क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाना है।

वैश्विक तुलना: भारत और विकसित अर्थव्यवस्थाएँ

माप	भारत	विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (जैसे यूएसए, जर्मनी, दक्षिण कोरिया)
औपचारिक प्रशिक्षण दर	4.4% (PLFS 2022-23)	50%+ (यूरोपीय संघ और OECD देशों के लिए विश्व बैंक का अनुमान)
AI में कुशल कार्यबल	10% (लगभग)	20-30% (कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2023)
व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच	सीमित (-15%)	व्यापक (जर्मनी की दोहरी प्रणाली में 60-70%, दक्षिण कोरिया में 80% से अधिक)
कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाएँ	~52% (PMKVY FY24)	उच्चतर (स्कैंडिनेवियाई देशों में 70%+ भागीदारी)

उद्योग 4.0 के लिए कार्यबल को तैयार करना

भारत में कौशल विकास का ध्यान **उद्योग 4.0** की ओर स्थानांतरित हो गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी **AI, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और उन्नत विनिर्माण** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए तैयार हैं। इस पहल को सरकारी योजनाओं द्वारा पूरक बनाया गया है जो **डिजिटल साक्षरता, तकनीकी कौशल और उद्यमिता विकास** पर जोर देती हैं।

कौशल विकास से संबंधित सरकारी योजनाएँ

भारत की कौशल संबंधी पहलों को **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के** तहत कई योजनाओं के माध्यम से समर्थन प्राप्त है जो विविध क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं:

Search On TG: @apna_pdf

योजना	केंद्रित	प्रमुख उपलब्धियाँ
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	अनिवार्य कार्यस्थल प्रशिक्षण के साथ, अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन।	वित्त वर्ष 2024 में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 52.3% हो गई।
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmen Training Scheme)	आईटीआई (ITIs) और एनएसटीआई (NSTIs) में दीर्घकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण।	वित्त वर्ष 2024 में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 13.3% हो गई।
जन शिक्षण संस्थान(JSS)	संचार और प्रबंधन कौशल में क्षमता निर्माण।	82% लाभार्थी महिलाएँ हैं।
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS)	आंशिक वृत्ति/वेतन की प्रतिपूर्ति करके प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है।	वित्त वर्ष 2024 में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 20.77% हो गई।
उद्यमिता प्रशिक्षण (Entrepreneurship Training)	वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2024 के बीच 3.21 लाख लाभार्थियों के साथ उद्यमिता हेतु प्रशिक्षण।	महिला भागीदारी और ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म (Skill India Digital Platform)	एआई/एमएल प्रौद्योगिकी (AI/ML technology) का उपयोग करके कौशल, शिक्षा और रोजगार का संमिलन।	690 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और 1650 ई-पुस्तकों का एकीकरण।

अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता और कौशल विकास

भारत ने **स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (SIIC) और NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड** के माध्यम से कुशल श्रमिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति की है। सरकार ने **30 SIICs** की स्थापना की घोषणा की, जिसके केंद्र **वाराणसी और भुवनेश्वर** में संचालित होंगे। ये केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में वैश्विक रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण हैं।

लक्षित कौशल पहल

MSDE योजनाओं के अलावा, लक्षित कौशल विकास पहल **हरित हाइड्रोजन, कृषि और पारंपरिक व्यापार** जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है:

- **जल जीवन मिशन**: इसका उद्देश्य जल क्षेत्र से संबंधित नौकरियों के लिए कौशल प्रदान करना है और इसके तहत बहु-कौशल पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है।
- **पीएम विश्वकर्मा योजना**: आधुनिक **'टूलकिट'** पर ध्यान केंद्रित करते हुए 18 ट्रेडों में पारंपरिक कारीगरों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन:** इस उभरते क्षेत्र में कौशल, **'अपस्किलिंग'** और **'री-स्किलिंग'** के लिए **50 नई योग्यताओं** का विकास।
- **अग्निवीर विशेष कौशल प्रावधान:** रक्षा सेवाओं में सैनिकों के लिए कौशल प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उनकी सेवा अवधि के बाद सिविलियन नौकरियों में सुचारू संक्रमण सुनिश्चित होता है।

कौशल विकास में उद्योग सहयोग

भारत की कौशल विकास पहलों की सफलता सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग पर निर्भर करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप हों। NSDC के माध्यम से **उद्योग सहयोग** ने निम्नलिखित को सुगम बनाया है:

- वर्ष 2021 में शुरू किए गए **स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड का लक्ष्य 50,000 युवाओं** को प्रशिक्षण देना है, जिसमें **60%** महिलाएँ शामिल हैं।
- **फ्लेक्सी एमओयू(MOU) योजना**: **मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर** और NMDC जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी के कारण **9,600 प्रशिक्षुओं** को उद्योग-विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।
- **प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (DST):** 978 ITIs को शामिल करने वाला एक कार्यक्रम और वित्त वर्ष 2022 में **37,865 प्रशिक्षुओं** को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

पीएम विश्वकर्मा योजना

यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल पहचान, उन्नयन, ऋण और विपणन सहायता तक पहुँच प्रदान करके सहायता करती है। इस योजना में **2 करोड़ से अधिक आवेदन** प्राप्त हुए हैं, जिनमें से **4.37 लाख उम्मीदवारों** को प्रशिक्षित किया गया है। इस योजना में **18 ट्रेड** शामिल हैं और प्रशिक्षण एवं यात्रा के लिए पारिश्रमिक और भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

कौशल परिणामों में वृद्धि

कौशल विकास को **कपड़ा, पर्यटन और हरित ऊर्जा** जैसे उच्च-विकास वाले क्षेत्रों के साथ जोड़कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव को अधिक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। प्रशिक्षुता ढाँचे को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:

- **नम्य प्रशिक्षुता कार्यक्रम:** अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं (जैसे, **स्विटजरलैंड और जर्मनी**) के आधार पर लचीले कार्य घंटों और बेहतर क्षतिपूर्ति मॉडल की अनुमति देना।
- **विनियामक समायोजन**: सरकार की भागीदारी को कम करने और व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए प्रशिक्षुता ढाँचे को सरल बनाना।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS),** जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षुता का समर्थन करती हैं, ने वित्त वर्ष 2017 से **32 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं** को रोजगार दिया है।

निष्कर्ष और आगे की राह

सकारात्मक परिवर्तन और चुनौतियाँ

पिछले दशक में भारत का रोजगार परिदृश्य काफी विकसित हुआ है। देश ने औपचारिकता, कौशल विकास और समावेशी विकास में काफी प्रगति की है, जिसे सरकारी पहलों से मदद मिली है। हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेषतः

- **कार्यबल को औपचारिक बनाना**, विशेष रूप से कृषि और अनौपचारिक क्षेत्रों में।

Search On TG: @apna_pdf

- अविकसित क्षेत्रों में **रोजगार के अवसर का सृजन** करना।
- कमजोर आबादी के लिए **सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।**

प्रमुख अवसर और तथ्य

- कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार सृजन की पर्याप्त संभावनाएँ प्रदान करता है।
- **"सिल्वर डिवाइडेंड" (बुजुर्गों की अप्रयुक्त कार्य क्षमता)** कार्यबल में उनकी भागीदारी के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दे सकता है।
- औपचारिक रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए **अवैतनिक देखभाल कार्य** को संबोधित करना और **किफायती देखभाल बुनियादी ढाँचा** विकसित करना महत्त्वपूर्ण है।
- **एआई अनुसंधान और विकास** को साझा समृद्धि और भविष्य के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में रणनीतिक रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए।

निजी क्षेत्र की भूमिका

निजी क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए:

- **पूँजी-श्रम संतुलन।**
- **उचित आय वितरण।**
  - **रोज़गार सृजन** के माध्यम से सामाजिक स्थिरता। निजी कंपनियाँ भी बाजार आधारित समाधानों के माध्यम से कौशल चुनौती का समाधान करके योगदान दे सकती हैं, जिसमें नियामक बाधाओं को दूर करने में सरकार की भूमिका हो सकती है।

आगे की राह

चूँकि भारत तकनीकी बदलाव, जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक तनाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है।:

- एक समृद्ध रोजगार बाजार निर्माण के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और समाज के **बीच सहयोग।**
- पारंपरिक क्षेत्रों से परे आजीविका के विविध अवसरों के माध्यम से **आर्थिक वृद्धि** करने पर ध्यान केंद्रित करना।

सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र के सहयोग से निर्देशित भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का परिवर्तन, भविष्य के कार्यबल को आकार देने में एक प्रमुख कारक होगा, यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का सतत आर्थिक विकास की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जाए।

गरीबी

गरीबी एक आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति या परिवार बुनियादी जीवन स्तर को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित रहते हैं। यह एक बहुआयामी समस्या है, जिसमें आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे पहलू शामिल हैं। यह विश्लेषण गरीबी की परिभाषाओं, मापदंडों, समितियों, सूत्रों, प्रमुख आँकड़ों और भारत में गरीबी उन्मूलन में हुई प्रगति का अवलोकन करता है।

विश्व बैंक की परिभाषा:

गरीबी को अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से कम आय पर जीवन-यापन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वर्तमान में $2.15 प्रति दिन (पीपीपी, 2022) पर निर्धारित है। यह माप **सापेक्ष गरीबी** के बजाय **सकल गरीबी** को दर्शाता है जिसमें केवल जीवित रहने की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) और बीपीएल आकलन

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों की पहचान करना है, ताकि लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों को लाभ प्रदान किया जा सके। 2011 में आयोजित SECC घरेलू वंचन का बहुआयामी आकलन प्रदान करता है, जिसमें आवास, आय, रोजगार और सामाजिक कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

BPL परिवारों की पहचान के लिए SECC में तीन-चरणीय प्रक्रिया

1. **स्वचालित बहिष्करण (Automatic Exclusion):** कुछ परिवारों को पूर्व-निर्धारित संपत्ति या धन-संपत्ति के मानदंडों के आधार पर स्वचालित रूप से बाहर रखा गया, जैसे:
   - मोटर चालित वाहन का स्वामित्व।
   - रेफ्रिजरेटर का स्वामित्व।
   - एक विशेष सीमा से अधिक भूमि का स्वामित्व।
2. **स्वचालित समावेशन (Automatic Inclusion):** वे परिवार जो अत्यधिक वंचन संकेतकों के दायरे में थे, उन्हें स्वचालित रूप से शामिल किया गया:
   - **निर्धन परिवार (Destitute Households):** जिनके परिवार में कोई वयस्क सदस्य (16 से 59 वर्ष) नहीं है।
   - **प्राकृतिक जनजातीय समूह (Primitive Tribal Groups - PTGs):** PTG से संबंधित परिवार।
   - **एकल-अभिभावक परिवार (Single-Parent Households):** ऐसे परिवार जिनकी मुखिया एकल माता हैं और परिवार में 16 से 59 वर्ष का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
   - **मैनुअल स्कैवेंजर्स (Manual Scavengers):** जिन परिवारों का मुखिया मैनुअल स्कैवेंजर है।
   - **निर्धन व्यक्ति (Destitute Persons):** जिन परिवारों का मुखिया निर्धन है।
3. **न तो स्वचालित रूप से समावेशित, न ही बहिष्कृत (Neither Automatically Included nor Excluded):** ऐसे परिवारों की समावेशन की प्रक्रिया सात वंचन मानदंडों के आधार पर निर्धारित की गई।

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना में उपयोग किए गए सात वंचन मानदंड

1. **आवास की स्थिति (Housing Condition):** केवल एक कमरे वाले और बिना ठोस दीवार या छत वाले परिवार।
2. **जनसांख्यिकीय असुरक्षा (Demographic Vulnerability):** ऐसे परिवार जिनमें 15-59 आयु वर्ग का कोई वयस्क पुरुष नहीं है।
3. **लैंगिक असुरक्षा (Gender-Based Vulnerability):** महिला-प्रधान परिवार जिनमें 15-59 आयु वर्ग का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
4. **विकलांगता (Disability):** ऐसे परिवार जिनमें विकलांग सदस्य हैं और कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है।
5. **आर्थिक निर्भरता (Economic Dependence):** भूमिहीन परिवार जिनकी आय का मुख्य स्रोत श्रम कार्य है।

Search On TG: @apna_pdf

6. **साक्षरता और सामाजिक असुरक्षा (Literacy and Social Vulnerability):** ऐसे अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) परिवार जिनमें 25 वर्ष से ऊपर का कोई साक्षर सदस्य नहीं है।
7. **विशेष वंचन (Special Deprivation):** ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सक्षम सदस्य आजीविका कमाने में सक्षम नहीं है।

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (2011) के निष्कर्ष

1. **गरीबी के आकलन (Poverty Estimates):** 2011-12 में गरीबी रेखा (BPL) से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत:
   - ग्रामीण क्षेत्र (Rural Areas): 30.95%
   - शहरी क्षेत्र (Urban Areas): 26.4%
2. **परिवार की विशेषताएँ (Household Characteristics):**
   - भारत में संरचनात्मक और आर्थिक असमानताओं को उजागर किया।
   - इन निष्कर्षों का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), आयुष्मान भारतऔर उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए किया गया।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ (DRDAs): DRDA की भूमिका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना बनाने, कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए अन्य एजेंसियों - सरकारी, गैर-सरकारी, तकनीकी और वित्तीय - के साथ समन्वय स्थापित करने आदि की है; यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित निधियों के प्रभावी उपयोग पर नजर रखता है और उसे सुनिश्चित करता है। **[UPSC 2012]**

हालाँकि सरकार ने 01.04.2022 से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (DRDA) को बंद करने का निर्णय लिया है।

बहुआयामी गरीबी (UNDP और OPHI)

UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) ने अभाव के व्यापक पहलुओं को समझने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) की शुरुआत की।

- **आयाम:**
  1. **स्वास्थ्य:** पोषण और बाल मृत्यु दर।
  2. **शिक्षा:** स्कूली शिक्षा और उपस्थिति के वर्ष।
  3. **जीवन स्तर:** स्वच्छता, जल, आवास, खाना पकाने के ईंधन, बिजली और परिसंपत्तियों में कमी।

भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक (नीति आयोग)

भारत ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) को अपने संदर्भ में अपनाया, इसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा।

आयाम और संकेतक (12 संकेतक):

1. **स्वास्थ्य (Health):** बाल मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, पोषण
2. **शिक्षा (Education):** स्कूली शिक्षा के वर्ष, विद्यालय उपस्थिति
3. **जीवन स्तर (Living Standards):** स्वच्छता, पेयजल, आवास, बिजली, खाना पकाने के ईंधन और संपत्तियों तक सुगम पहुँच
4. **वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):** प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सक्रिय बैंक खाता

मुख्य विशेषताएँ:

इन आयामों ने आर्थिक और गैर-आर्थिक गरीबी कारकों को संबोधित करने के भारत के प्रयासों को उजागर किया। यह बुनियादी सेवाओं और बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने के लिए नीति परिवर्तन को दर्शाता है।

संकेतक और उनका भार

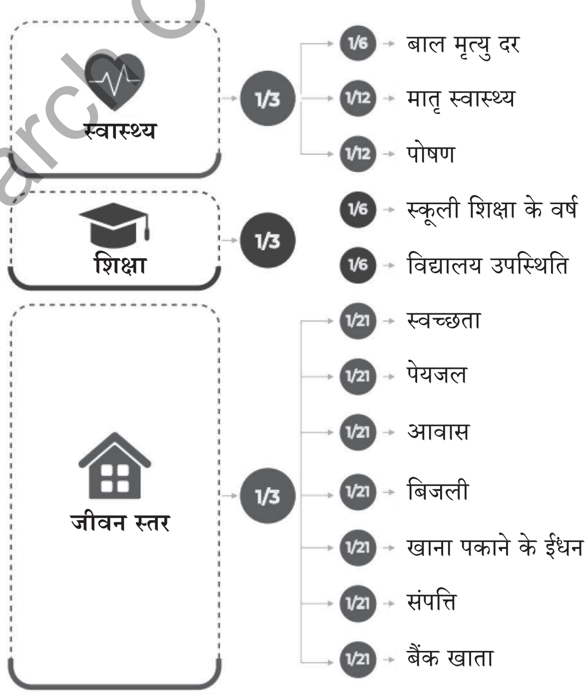

Search On TG: @apna_pdf

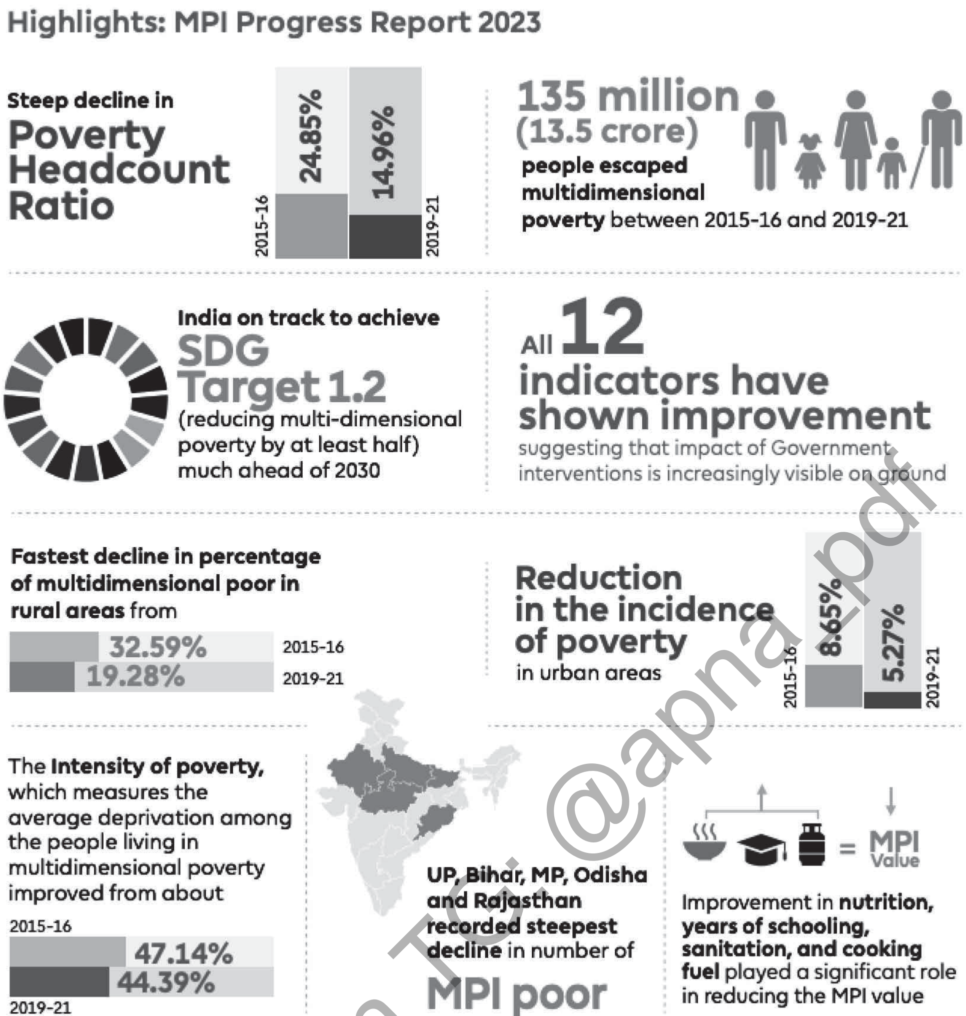

Search On TG: @apna pdf

गरीबी का वर्गीकरण (Categorizing Poverty)

श्रेणी (Category)	विवरण (Description)
सदैव गरीब (Always Poor)	वे व्यक्ति जो हमेशा गरीब रहते हैं और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं।
चिरस्थायी गरीब (Chronic Poor)	वे लोग जो आमतौर पर गरीब रहते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त कर लेते हैं (जैसे, अस्थायी मजदूर)।
अस्थिर गरीब (Churning Poor)	वे व्यक्ति जो नियमित रूप से गरीबी से बाहर और अंदर आते रहते हैं (जैसे, छोटे किसान, मौसमी मजदूर)।
अस्थायी गरीब (Occasionally Poor/Transient Poor)	वे लोग जो आमतौर पर समृद्ध होते हैं, लेकिन खराब परिस्थितियों के कारण अस्थायी रूप से गरीबी का सामना करते हैं।
कभी गरीब नहीं (Never Poor)	वे व्यक्ति जिनकी आय हमेशा पर्याप्त रहती है और जो गरीबी के जोखिम में नहीं होते।

दीर्घकालिक गरीब, अस्थायी गरीब और गैर-गरीब

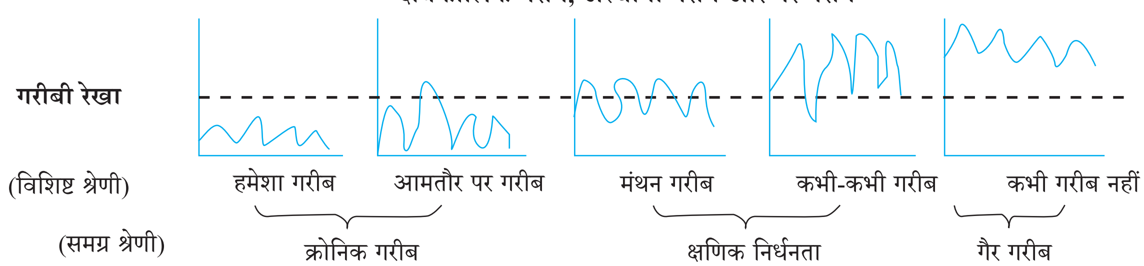

प्रमुख समितियाँ और उनके दृष्टिकोण

अलघ समिति (1979)

- उद्देश्य: पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखाओं को निर्धारित करना।
- क्रियाविधि:
  - 2,400 कैलोरी/दिन (ग्रामीण) और 2,100 कैलोरी/दिन (शहरी) की न्यूनतम कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया।
  - वर्ष 1973-74 की कीमतों पर इन कैलोरी मानदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपभोग व्यय की गणना की गई:
  - ग्रामीण: 49.1 रुपये प्रति व्यक्ति/माह।
  - शहरी: 56.7 रुपये प्रति व्यक्ति/माह।
  - आगामी वर्षों में मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित।
- महत्त्व: गरीबी आकलन के लिए मानक के रूप में कैलोरी-पोषण संबंध की शुरुआत की गई।

लकड़वाला समिति (1993)

- उद्देश्य: राज्य-विशिष्ट सूचकांकों का उपयोग करके गरीबी आकलन के लिए कार्यप्रणाली को अद्यतन करना।
- कार्यप्रणाली: कैलोरी-आधारित मानदंडों को प्रचलन में रखा गया लेकिन निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:
  - राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाएँ: CPI-AL (ग्रामीण) और CPI-IW (शहरी) का उपयोग करके लागत भिन्नताओं के लिए समायोजित।
  - मान लिया गया कि CPI-AL और CPI-IW की खपत संबंधी बास्केट गरीब परिवारों की जरूरतों को दर्शाती है।
- **परिणाम:**
  - वर्ष 2004-05 के लिए ग्रामीण गरीबी 28.3% और शहरी गरीबी 25.7% अनुमानित थी।

तेंदुलकर समिति (2009)

- उद्देश्य: कैलोरी-आधारित विधियों की सीमाओं को संबोधित करना और बदलते उपभोग पैटर्न को प्रतिबिंबित करना।
- प्रमुख कमियाँ जिन पर पर ध्यान केंद्रित किया गया:
  - पुरानी गरीबी रेखा संबंधी 'बास्केट' (PLB): वर्ष 1973-74 के कैलोरी आधारित मानदंडों में उपभोग में परिवर्तन को शामिल नहीं किया गया।
  - मूल्य समायोजन संबंधी मुद्दे: स्थानिक (क्षेत्रीय) और कालिक (समय के साथ) समायोजन अपर्याप्त थे।
  - निजी व्यय का बहिष्कार: पहले के तरीकों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को शामिल नहीं किया गया था, यह मानते हुए कि ये राज्य द्वारा प्रदान किए गए थे।
- **क्रियाविधि:**
  - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक समान PLB लागू किया गया।
  - निजी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय को शामिल किया गया।
  - क्षेत्रीय और अस्थायी मुद्रास्फीति के लिए कीमतों को अधिक सटीक रूप से समायोजित किया गया।

परिणाम:

- **संशोधित गरीबी रेखाएँ (2004-05):**
  - ग्रामीण: 446.68 रुपये प्रति व्यक्ति/माह
  - शहरी: 578.80 रुपये प्रति व्यक्ति/माह
- अनुमानित 41.8% ग्रामीण गरीबी और 27.5% शहरी गरीबी, जो लकड़वाला के अनुमान से काफी अधिक है।
- वर्ष 2011-12 में अनुमानित गरीबी: जनसंख्या का 21.9%।

रंगराजन समिति (2014)

- उद्देश्य: गरीबी के आकलन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना।
- कार्यप्रणाली:
  - पोषण आधारित मानदंडों पर वापस ध्यान केंद्रित किया:
  - ग्रामीण: 2,155 कैलोरी/दिन।
  - शहरी: 2,090 कैलोरी/दिन।
  - कपड़े, आवास, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को शामिल करने के लिए उपभोग 'बास्केट' का विस्तार किया गया।
- संशोधित गरीबी रेखाओं के लिए मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) का उपयोग किया गया:
  - ग्रामीण: 972 रुपये प्रति व्यक्ति/माह।
  - शहरी: 1,407 रुपये प्रति व्यक्ति/माह।
- परिणाम:
  - वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुमान 30.9% तथा शहरी क्षेत्रों में 26.4% है, जो तेंदुलकर के अनुमान से काफी अधिक है।
  - वर्ष 2011-12 में अनुमानित गरीबी: जनसंख्या का 29.5%।
  - गरीबी उन्मूलन में भारत की प्रगति
- IMF (2023): आर्थिक सुधारों और लक्षित कल्याण योजनाओं के कारण वर्ष 2015 और 2021 के बीच 140 मिलियन से अधिक भारतीय चरम गरीबी से बाहर निकले।
- UNDP (2023): वर्ष 2005-06 और 2019-21 के बीच 415 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।
- विश्व बैंक (2022): गरीबी को कम करने में भारत की सफलता को मान्यता दी, समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन पर जोर दिया गया।
- भारत में गरीबी में कमी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG), विशेष रूप से SDG 1 (गरीबी उन्मूलन) के अनुरूप है।

गरीबी मापन में प्रमुख शब्दावलियाँ

- जनसंख्या अनुपात (H): गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात:
  - H = गरीब व्यक्तियों की संख्या/कुल जनसंख्या
- **गरीबी अंतराल सूचकांक:** यह सूचकांक गरीबी रेखा से गरीबों की आय में कमी को दर्शाता है।
- **सेन इंडेक्स:** जनसंख्या अनुपात, गरीबी अंतर और गरीबों के बीच असमानता को जोड़ता है।
- **लॉरेंज वक्र:** जनसंख्या के भीतर आय या धन वितरण का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, जो असमानता की डिग्री को दर्शाता है।

Search On TG: @apna_pdf

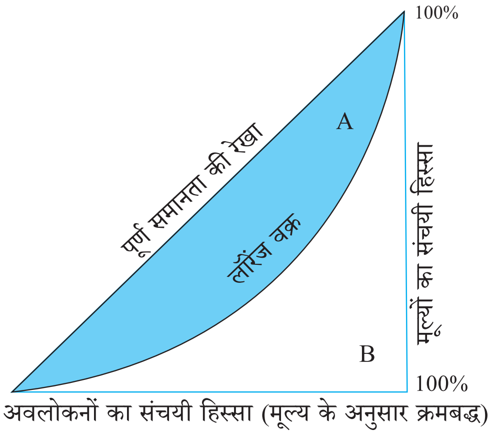

- **गिनी गुणांक:** आय असमानता को मापता है; 0 (पूर्ण समानता) से 1 (अधिकतम असमानता) तक होता है।
- **सूत्र:** A/A+B
- **कुजनेटस वक्र:** यह एक परिकल्पना है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, बाजार की शक्तियाँ शुरू में बढ़ती हैं, फिर आर्थिक असमानता कम होती जाती है।

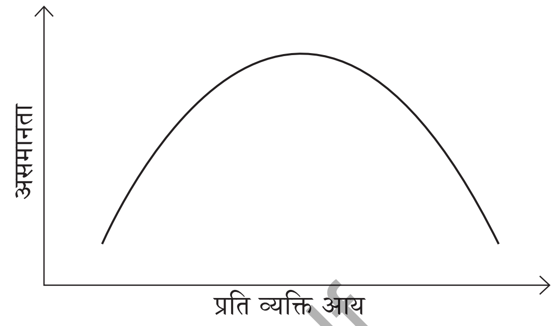

गरीबी उन्मूलन योजनाएँ (2023-24)

ग्रामीण विकास (Rural Development)

योजना (Scheme)	उद्देश्य (Objective)	ताज़ा विवरण/अपडेट (2023-24)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)	ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना।	बजट 2023-24 में ₹73,000 करोड़ आवंटित; 260 करोड़ से अधिक मानव-दिवस कार्य सृजित।
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)	ग्रामीण गरीबों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान प्रदान करना।	दिसंबर 2023 तक 3.4 करोड़ से अधिक मकान पूरे।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)	स्व-रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण आजीविका बढ़ाना।	₹14,000 करोड़ आवंटित; 8 करोड़ महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों में संगठित।

शहरी विकास (Urban Development)

योजना (Scheme)	उद्देश्य (Objective)	ताज़ा विवरण/अपडेट (2023-24)
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)	शहरी गरीबों को स्व-रोजगार और वेतन रोजगार के लिए कौशल प्रदान करना।	कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 13 लाख शहरी गरीब प्रशिक्षित।
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)	स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करना।	नवंबर 2023 तक 40 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत।

खाद्य सुरक्षा (Food Security)

योजना (Scheme)	उद्देश्य (Objective)	ताज़ा विवरण/अपडेट (2023-24)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)	पात्र लाभार्थियों को रियायती अनाज के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।	दिसंबर 2023 तक PMGKAY के तहत 81 करोड़ लोग शामिल।
एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS)	बच्चों और माताओं के लिए पूरक पोषण, टीकाकरण, और पूर्व-स्कूली शिक्षा प्रदान करना।	पोषण सहायता के लिए 2023-24 में ₹20,000 करोड़ आवंटित।

स्वास्थ्य (Health)

योजना (Scheme)	उद्देश्य (Objective)	ताज़ा विवरण/अपडेट (2023-24)
आयुष्मान भारत - पीएम-जय (PM-JAY)	कमजोर वर्गों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।	2 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती स्वीकृत; ₹5,500 करोड़ आवंटित।
मिशन इंद्रधनुष (Mission Indradhanush)	बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण।	दिसंबर 2023 तक 3 करोड़ से अधिक बच्चे और 90 लाख गर्भवती महिलाएँ टीकाकृत।

Search on TG: @apna_pdf

रोजगार सृजन (Employment Generation)

योजना (Scheme)	उद्देश्य (Objective)	ताज़ा विवरण/अपडेट (2023-24)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)	ग्रामीण और शहरी उद्यमियों के लिए स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना।	25 लाख परियोजनाओं के माध्यम से 1.3 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)	ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर वेतन रोजगार उपलब्ध कराना।	₹1,200 करोड़ आवंटित; 6 लाख युवा प्रतिवर्ष प्रशिक्षित।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

योजना (Scheme)	उद्देश्य (Objective)	ताज़ा विवरण/अपडेट (2023-24)
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)	गरीब परिवारों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना।	45 करोड़ से अधिक खाते खोले गए; ₹2 लाख करोड़ जमा।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)	छोटे/सूक्ष्म उद्यमों को गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान करना।	शुरुआत से अब तक ₹18 लाख करोड़ वितरित; महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों पर विशेष ध्यान।
स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India)	महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों को उद्यमिता के लिए बढ़ावा देना।	1.5 लाख से अधिक लाभार्थी समर्थित।
पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)	किसानों को आय सहायता प्रदान करना।	₹6,000 वार्षिक रूप से सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित; अब तक ₹2.4 लाख करोड़ वितरित।

❖ ❖ ❖

Search On TG: @apna_pdf

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH

अन्य पुस्तकें एवं कार्यक्रम

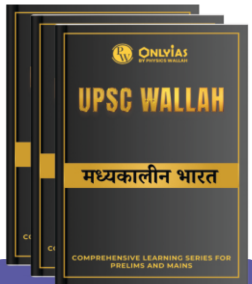

BOOKS

व्यापक कवरेज

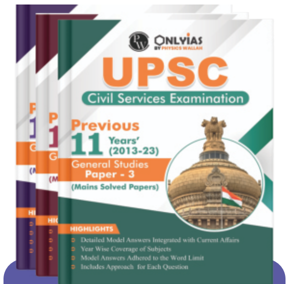

BOOKS

पिछले 11 वर्षों के हल प्रश्न-पत्र (PYQs) (प्रारंभिक+ मुख्य परीक्षा)

FREE MATERIAL

उड़ान (प्रिलिम्स स्टैटिक रिवीज़न)

FREE MATERIAL

उड़ान प्लस 500 (प्रिलिम्स समसामयिकी रिवीज़न)

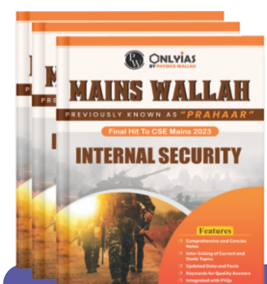

FREE MATERIAL

मेन्स रिवीज़न

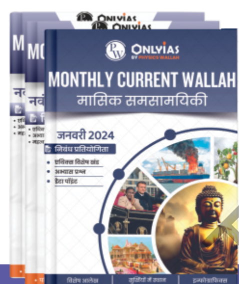

CURRENT AFFAIRS

मासिक समसामयिकी

CURRENT AFFAIRS

मासिक संपादकीय संकलन

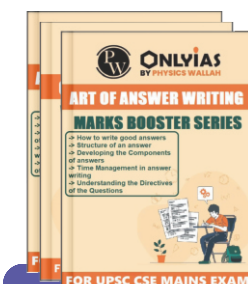

FREE MATERIAL

क्विक रिवीज़न बुकलेट

TEST SERIES

IDMP ईयर लॉन्ग टेस्ट

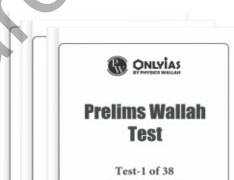

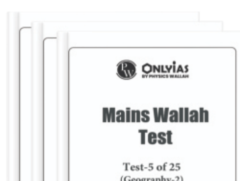

These ebooks are free of cost, Join our telegram channel: @apna_pdf

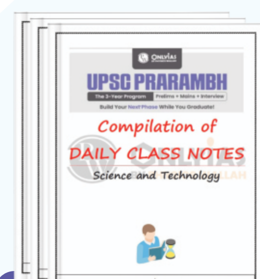

CLASSROOM CONTENT

डेली क्लास नोट्स और अभ्यास प्रश्न

All Content Available in Hindi and English

Karol Bagh, Mukherjee Nagar, Lucknow, Patna

Search on TG: @apna_pdf